दसम माला, खंड 14, अंक 14

सोमवार, 27 जुलाई, 1992
5 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

No. 64
Date 12-1-94

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 27 जुलाई, 1992/5 श्रावण, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (I)	13	"राज्य सभा के सन्देश" के स्थान पर "राज्य सभा से सन्देश" पढ़िये।
विषय सूची (III)	5	"पटसन की न्यूनतम" के स्थान पर "पटसन का न्यूनतम" पढ़िये।
1	3	"लोक सभा 11 बजे म0प0 पर समवेत हुई" के स्थान पर "लोक सभा 11 बजे म0पू0 पर समवेत हुई" पढ़िये।
136	नीचे से 5	"श्री बोल्ली बुल्ली रामय्या" के स्थान पर "श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या" पढ़िये।
211	2	"श्री गोल्ला बुल्ली रामय्या" के स्थान पर "श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या" पढ़िये।
245	नीचे से 5	"श्री राम देव राव" के स्थान पर "श्री राम देव राम" पढ़िये।
247	15	"राजस्थान की टिहरी बांध से पानी" के स्थान पर "राजस्थान को टिहरी बांध से पानी" पढ़िये।
253	2	"श्री छोतू भाई गामीत" के स्थान पर "श्री छीतू भाई गामीत" पढ़िये।
262	नीचे से पंक्ति 9	"हाउस में हूं" के स्थान पर "हाउस में हैं" पढ़िये।
266	नीचे से 1	"चह्वाण" के स्थान पर "चौहान" पढ़िये।
272	नीचे से 9	"उपाध्यक्ष महोदल" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।
344	नीचे से 10	"स्थथित" के स्थान पर "स्थगित" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, छठा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 14, सोमवार, 27 जुलाई, 1992/5 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 265 से 268	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—256
तारांकित प्रश्न संख्या : 269 से 284	26—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2714 से 2946	36—256
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	256—283
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद	
श्री पी० वी० नरसिंह राव	256
राज्य सभा के सन्देश	283
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए	283—284
कार्य-मंत्रणा समिति	284
सत्तरहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	284—287
(एक) सम्बलपुर एक्सप्रेस को उड़ीसा में कालाहांडी जिले में केसिंगा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुबास चन्द्र नायक	284
(दो) जालन्धर से प्रकाशित "दैनिक अजीत" के प्रबंधकों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की घटनाओं की छान-बीन किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगमीत सिंह बरार	284
(तीन) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में और अधिक गैस की एजेन्सियां खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	285
(चार) राजस्थान को गंगा-यमुना से उसके हिस्से के जल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)	285

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजमहल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री साईमन मरान्डी	285
(छ:) बिहार के रोहतास जिले में डिहरी पन-बिजली संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	286
(सात) उड़ीसा में तेल संबंधी अन्वेषणात्मक कार्य जारी रखे जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी पटनायक	286
सभा पटल पर रखे गए पत्र	287—302
राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक	302—319
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रमेश चेन्नितला	302
श्री वी० धनंजय कुमार	304
श्रीमती सुशीला गोपालन	306
श्री पी० सी० चाक्को	308
श्री भोगेन्द्र झा	310
श्री जगदीश टाईटलर	311
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	318
श्री नीतीश कुमार	318
नियम 193 के अधीन चर्चा	319—344
देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	319
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	325
श्री सूर्य नारायण यादव	329
श्री भोगेन्द्र झा	331
श्री ई० अहमद	335
श्री वी० एस० विजयराघवन	337

विषय	पृष्ठ
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	338
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	341
श्री राजबीर सिंह	343
मंत्री द्वारा वक्तव्य	331—332
वर्ष 1992-93 के मौसम के लिए पटसन की न्यूनतम समर्थन मूल्य	
श्री बलराम जाखड़	331

———

लोक सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 1992/5 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० प० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने एक नोटिस दिया है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर स्टेटमेंट दें। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बजे प्रधान मन्त्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : प्रधान मन्त्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी 12 बजे स्टेटमेंट देंगे । (व्यवधान)

11.01 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

*265. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने कहा है कि हवाई सेवाओं का मर्जर नहीं हो रहा है तो फिर यह सेवा जर्जर क्यों हो रही है ? क्या इसलिए इसे प्राइवेट हाथों में देने की योजना बन रही है ? देश में हवाई सेवा की हालत के बारे में प्रधान मन्त्री ने स्वयं टिप्पणी की है कि देश में हवाई सेवा भरोसे योग्य नहीं है। 10 परसेण्ट फ्लाइट्स में कटौती की जा रही है ताकि एयरक्राफ्ट्स में मेण्टीनेन्स हो सके।

सच्चाई यह है कि पुअर मैनेजमैंट और पुअर परफोरमेंस के कारण निर्जीकरण किया जा रहा है। जिन रूट्स का निर्जीकरण किया जा रहा है उन रूट्स के लोड फैक्टर, टाइम टेबिल और लेबर के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। निजीकरण की शर्तें क्या हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

इसका बी पार्ट यह है कि क्या सरकार के पास यह शिकायतें आई हैं कि कुछ प्राइवेट कम्पनियां कट थ्रोट कम्पीटीशन जैसे कुछ ऐसे तरीके अपनाती हैं जिनसे इण्डियन एयरलाइन्स को घाटा हो रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कुछ आपके एजेंट्स···

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, लम्बा हो जायेगा तो जवाब नहीं आयेगा।

श्री मदन लाल खुराना : वह सौ, डेढ़ सौ टिकटें एक एयरलाइन्स के लिए पहले से रिजर्व करवा लेते हैं और जिससे इण्डियन एयरलाइंस के एयक्राफ्ट में वह वेटिंग लिस्ट में आ जाता है जिससे उनको सीटें मजबूरी की हालत में प्राइवेट हवाई जहाज में देनी पड़ती हैं, क्या ऐसी शिकायतें आपके पास आई ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न स्पष्ट है। प्रश्न इस प्रकार से है; क्या एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइंस का विलय करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। मैं इस पर व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं उनके द्वारा सारे नागर विमानन मंत्रालय के सम्बन्ध में पूछे गये अनेक प्रश्नों पर अलग से नोटिस चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का जितना सम्भव हो उतना उत्तर दें।

श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक इस समय निजीकरण का सम्बन्ध है, यह निजीकरण का प्रश्न नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय लिया है कि बीस प्रतिशत तक हिस्सा सरकारी होना चाहिए। निजीकरण का अभिप्राय किसी ग्रुप विशेष को सौंपना है। वायु निगम अधिनियम के निरसन के बाद इसमें शेयरधारियों विशेषतः कर्मचारी, आम जनता और वित्तीय संस्थाओं की अधिक भागीदारी नहीं होगी।

जहां तक इंडियन एयरलाइन्स के कार्यनिष्पादन का प्रश्न है, यह सच है कि हमें इसमें व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। नये चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक, जिसमे से एक पद

छः महीनों से खाली था, उस पर नियुक्ति की गई है तथा कोई भी समझ सकता है कि नागर विमानन मंत्रालय, जिसके अधीन छः सात निगम हैं, किसी भी एक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से कार्य करना होता है। वहां एक स्पष्ट पदानुक्रम है, किन्तु उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से कार्य करना होता है। कुछ निश्चित ढांचे हैं, जिनके माध्यम से कार्य करना होता है और अब चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पद भरे गये हैं, मुझे आशा है कि इससे कार्य-निष्पादन में सुधार होगा। किन्तु सभा की जानकारी के लिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स में पिछले वर्ष के पहले तीन महीनों में लगभग 30 करोड़ रुपये का घटा हुआ था, जबकि इस वर्ष के पहले तीन महीनों—अप्रैल से जून तक—हमने घाटा कम करके 15.22 करोड़ रुपये कर दिया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की खराब सेवा की अनेक गाथायें आम तौर से अखबारों में मिलती हैं। हमारी जो ओलम्पिक की टीम गई है, उसके बारे में 22 जुलाई को देश के सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के माध्यम से बार्सीलोना में दिया गया समाचार आया है। 18 जुलाई की सुबह रवाना होने वाला 51 सदस्यीय भारतीय दल एयर इण्डिया की मेहरबानी से 24 घण्टे देर से वहां पहुंचा। ओलम्पिक दल 24 घण्टे पेरिस में पड़ा रहा, क्योंकि अपनी आदत के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान एक घण्टे लेट पहुंची और उनको चूंकि अगली फ्लाइट पकड़नी थी···(व्यवधान)··· मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल एक का नहीं है। इस समाचार के द्वारा क्या सरकार के ध्यान में यह समाचार आया है या क्या यह घटना आई है? अगर आई है, तो क्या इसकी जांच आप करवायेंगे कि दुनिया के सामने एयर इंडिया के कारण हमारे भारतीय दल को जो 24 घण्टे का कष्ट उठाना पड़ा और एक दिन की वे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसकी क्या जिम्मेदारी आप फिक्स करेंगे और उसकी जांच करवायेंगे?··· (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय खुराना जी एक विशेष घटना की बात पूछ रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने ली है। जहां तक मुझे मालूम है, अभी मैंने उसको वेरिफाई नहीं किया है, तब भी मैं आपके सामने जो कुछ मुझे जानकारी मिली है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओलम्पिक टीम को कहा गया था कि पेरिस पहुंचने के बाद दूसरी फ्लाइट के बीच में बार्सीलोना के लिए अन्तर बहुत कम है। उनको एडवाइज किया गया था कि उनको यह कनैक्शन नहीं लेना चाहिए, दूसरा कनैक्शन आपको लेना चाहिए। उन्होंने इन्सिस्ट किया कि नहीं, हम इसी पर जायेंगे। एयर इंडिया का प्लेन एक घण्टे लेट हुआ, उसके बाद 98 पीसेज-ऑफ-बैग्स का ट्रांसफर करके एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पहुंचाना पड़ा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एयर इण्डिया की यही सलाह थी, उनको यह फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ली।···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : तीन महीने पहले मालूम था कि ये जा रहे हैं।···(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : एयर इण्डिया ने सलाह दी थी, क्योंकि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट बस से जाना पड़ेगा और लगेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए यह कनैक्शन न लें,

लेकिन उन्होंने इन्सिस्ट किया। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं, जाने से पूर्व श्री घोष ने आग्रह किया था कि एयर इंडिया का एक विशेष कोई अधिकारी उनकी टीम के साथ बार्सीलोना में रहे। यह साधारणतया किया नहीं जाता है, लेकिन वह आदेश भी दे दिया गया। आज एयर इंडिया का एक व्यक्ति उस टीम के साथ ओलम्पिक विलेज में है, ताकि जो कुछ भी उनको सफर की सुविधायें चाहिए या जो कुछ करना होगा, उसके लिए एक व्यक्ति वहां उपलब्ध है, हमारा पूरा प्रयास है, उनकी सहायता करने का; लेकिन हमारी सलाह के विरुद्ध वे यह कनैक्शन लेते हैं और फिर एक घण्टे लेट के कारण 24 घण्टे पैरिस में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें एयर इण्डिया की गलती है।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, इंडियन एयरलाइंस द्वारा नये गन्तव्यों अर्थात् कालीकट से शारजाह तक विमान सेवा शुरू करने के बाद इसके भारी घाटे में कमी आई है। किंतु फिर भी इस वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान 15 22 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। अब ऐसी व्यापक सूचनाएं हैं कि इंडियन एयर लाइंस, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र पर अनेक साधनों से अपने नये मार्गों पर विमान सेवाएं कम करने का विचार कर रहा है। ऐसी सूचना भी है कि इंडियन एयर-लाइंस का किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। क्या यह सच है कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों पर विमान सेवा कम करने तथा किराये में वृद्धि करने संबंधी इन प्रस्तावों पर लोगों के रोष पर ध्यान देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं उठाना है, मान लिया मैं ऐसा कहूं और मंत्री उत्तर देते हैं, तो मुझे भी कठिनाई होगी, इसलिए इसे मैं मन्त्री पर छोड़ता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : इस अवसर का सदुपयोग करते हुए मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि नये मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 16 जुलाई को पदभार ग्रहण किया है। यदि वह सेवाओं की जांच करने तथा उनमें सुधार के लिए मार्गों में कटौती करना चाहते हैं, तो हमें उनको एक अवसर देना चाहिए तथा उनका समर्थन करना चाहिए, मैं उन्हें इंडियन एयर लाइंस का पूर्ण कामकाज देखने का अधिकार देना चाहता हूं, ताकि वह इसमें सुधार कर सकें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या यह मंत्रालय का विचार है कि एअर इंडिया.और इंडियन एयर लाइंस का विलय करने से इंडियन एयर लाइंस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी ? यदि हां, तो क्या उनका विचार ईस्ट-वैस्ट, निजी विमान कंपनियों का इंडियन एयर लाइंस के साथ विलय करने तथा इसे संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने का है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं हैं कि पूर्व-पश्चिम विमान कंपनियों का उनके मंत्रालय के साथ सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष महोदय : क्या यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर प्रश्न काल में नहीं दिया जा सकता ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह इन दोनों के विलय से पैदा हुआ प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह नीति सम्बन्धी बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि आप चाहें आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैंने पहले ही कहा है कि एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। ईस्ट-वैस्ट एयर लाइंस के बारे में उनका प्रश्न अप्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय: उसका प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस की ही तरह एक तीसरी उड़ान वायुदूत सेवा की है और वायुदूत सेवा भी इस समय निरन्तर घाटे में चल रही हैं, क्या एयर इन्डिया की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको घरेलू उड़ानों से जोड़ने के लिए, वायुदूत सेवा को एयर इण्डिया से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है तथा ऐसा करके क्या सरकार वायुदूत सेवा को भी वायोबल और मुनाफे में लाने की किसी कोशिश या किसी प्रयास में है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे मंत्री पर छोड़ता हूं। कभी-कभी मैं कहता हूं कि यह अप्रासंगिक है और वह इसका उत्तर देते हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह टोटली रिलेवेंट तो नहीं है, इस संदर्भ में हाबिंस-स्पोक कांसेप्ट दे रहा है यह विचाराधीन है और अभी दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच में चर्चा चल रही है, सलाह-मशविरा हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वायुदूत के जो लासिस हैं, जो अक्युमिलेटिव लासिस हैं ये 160 करोड़ रुपये के हैं। जून, 1991 में गवर्नमेंट ने टेकओवर किया है तब ये करीब 145 करोड़ के थे और जहां 30 करोड़ रुपये का घाटा प्रतिवर्ष वायुदूत का हो रहा है यह एक तरह से इनडिसक्रिमिनेट एक्सपेंशन हुआ, स्टाफ का भी और स्टेशंस का भी, और उसके कारण 30 करोड़ रुपये सालाना का घाटा हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष कुछ कंट्रोल में आया है और अन्दाजा है कि 1991-92 में 30 करोड़ से कम करके लगभग 18 और 20 करोड़ के बीच करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें से मात्र 8-9 करोड़ रुपए मात्र ब्याज के, जो उस कैरियर के पुराने लास हैं, अगर आप आपरेशनल लास देखोगे, अगर हाबिंस-स्पोक कंसेप्ट लागू किया गया है तो हो सकता है कि उस आपरेशनल लास को पूरी तरह से हम झुका पाएं, परन्तु यह भविष्य की बात है और अभी यह मामला विचाराधीन है।

टी० वी० रिले केंद्र

*266. **श्रीमती शीला गौतम**† :
श्री राजेश कुमार :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 किलोवाट की शक्ति वाले टी० वी० रिले केन्द्र कहां-कहा स्थापित किए जाएंगे;

(ख) 100 किलोवाट शक्ति के ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ग) इन केन्द्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इनके पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगी ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय बरेली, बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, भुज, रामेश्वरम, कालीकट, धारवाड़, फाजिल्का और जबलपुर में 10 कि० वा० शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं।

(ख) देश में 100 कि० वा० टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बरेली की परियोजना पूरी की जा चुकी है और अन्य परियोजनाओं का काम बिभिन्न चरणों में चल रहा है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इनके आठवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) उपर्युक्त ट्रांसमीटरों और इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले भिन्न-भिन्न शक्ति के ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर देश में जनसंख्यावार प्राप्त होने वाली संभावित टी० वी० कवरेज का ब्यौरा संलग्न है।

अनुबन्ध

इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू हो जाने पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली संभावित टी० वी० कवरेज

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होने वाली संभावित जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	87.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	45.5

1 2	3
3. असम	85.6
4. बिहार	93 4
5. गोवा	99.0
6. गुजरात	93.8
7. हरियाणा	99.0
8. हिमाचल प्रदेश	70.5
9. जम्मू और कश्मीर	92.3
10. कर्नाटक	80.1
11. केरल	99.0
12. मध्य प्रदेश	76.5
13. महाराष्ट्र	88.4
14. मणिपुर	81.2
15. मेघालय	97.2
16 मिजोरम	72.3
17. नागालैंड	69.6
18. उड़ीसा	83 0
19. पंजाब	99.0
20. राजस्थान	81.7
21. तमिलनाडु	95.5
22. त्रिपुरा	93.5
23. सिक्किम	95.0
24. उत्तर प्रदेश	93.7
25. पश्चिम बंगाल	99.0

1	2	3
	26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99.0
	27. चंडीगढ़	99.0
	28. दादरा और नगर हवेली	65.0
	29. दिल्ली	99.0
	30. दमन और द्वीप	99,0
	31. पांडिचेरी	99.0
	32. लक्षद्वीप	99.0

कवरेज के आंकड़ों में किनारे के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीनों और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि 10 किलोवाट के दूरदर्शन रिले सेंटर स्थापित करने के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं तथा आठवीं योजना में उत्तर प्रदेश में कितने छोटे टी० वी० सेंटरों को बड़े टी० वी० केन्द्र में परिवर्तित करने का विचार है?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले-पहल एल० पी० टी० को स्थापित किया गया था और उसके बाद में खास करके एच० पी० टी० को जो लगाने की वजह है वे उन ऐरियास में हैं जहां पर एल० पी० टी० लगाने के बावजूद भी पूरे ऐरिया कवर नहीं हो पाते। दूसरा, इसके बाद में छठे प्लान के बाद ही यह ध्यान में रखा गया कि रिमोट ऐरिया, ट्राइबल बेल्ट, सेंसटिव ऐरिया, हिली ऐरिया, और बार्डर ऐरियास जो हैं इनको ध्यान में रख करके एच० पी० टी० को लगाया जाए। जैसा कि माननीय सदस्या ने जानना चाहा है। मैंने अभी अभी बताया है कि यू० पी० में कई स्थानों पर हाईपावर ट्रांसमिशन केन्द्र लगने हैं। इसके अतिरिक्त यू० पी० में बरेली, मऊ, बांदा, लखीमपुर में हाई पावर ट्रांसमीशन केन्द्र में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष और अगले वर्ष में लो पावर ट्रासमीशन केन्द्र सिकन्दरपुर, चपावत, मोहम्मदाबाद, कोटद्वार में लगने हैं। इसी तरह से वी० एल० पी० टी० चकुटिया, डिडिहाट और जोशीमठ में भी एल० पी० टी० लगाए जाएंगे।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर में सिर्फ बरेली लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो मंत्री महोदया ने कहा है, मैं उस पर विश्वास करती हूं और चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वित कर दिया जाए।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक टी० वी० सैट लगाने पर

सरकार का काफी दिनों से विचार चल रहा है, इसको कब तक पूरा करने का इरादा है। क्या हर ग्राम में पंचायतस्तर के ग्रामों में सामुदायिक टी० वी० सैट लगाए जाएंगे और इस बारे में क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी इसमें से नहीं निकलता है, यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे सकते है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : उत्तर में बरेली का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि प्रश्न 10 किलोवाट का टांसमीटर स्थापित करने के बारे में था। बरेली में 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसलिए बरेली का उल्लेख किया गया है। अन्य ऐसे स्थानों का भी उल्लेख किया गया है जहां 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर नहीं हैं क्योंकि माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि उत्तर प्रदेश में अन्य ट्रांसमीटरों की क्षमता कितनी है।

जहां तक सामुदायिक टी० वी० सैटों का संबंध है, इनमें से अधिकांश सैट स्वयं राज्यों द्वारा ही लगाए जाते हैं। दो महीने पहले यूनेस्कों के महानिदेशक ने हमसे भेंट की थी। वह शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते थे। हमने कहाकि हम कवरेज कर रहे हैं और धीरे-धीरे इसका विस्तार कर रहे हैं। 1980 के शुरू में हमने देश में 18 ट्रांसमीटर शुरू किए थे और आज इनकी संख्या 531 है। परन्तु कवरेज केवल रिकार्ड में है क्योंकि जनता के पास यह पता करने के लिए टी०वी० सैट होने चाहिए कि टेलीविजन के क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसलिए हमने यूनेस्को से कुछ सामुदायिक टी० वी० सैट मांगे हैं जो उसके पास हैं और वह दे सकता है। वह 3000 के आस-पास इस प्रकार के सैट दे सकते हैं। वह इस बात पर विचार कर रहा है। परंतु इन सामुदायिक टी० वी० सैटों को स्थापित करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारा दूसरा है और उत्तर दूसरा मिला है।
(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में रिले केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी-अभी बताया था कि हर जगह ट्राइबल बैल्ट के लिए प्रायरिटी दी जाती है। किसी विशेष एरिया के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं बता सकती हूं, वैसे ट्राइबल बैल्ट को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : महोदय, मंत्री महोदय ने टी०वी० कवरेज के जनसंख्यावार आंकड़े दिए हैं और महाराष्ट्र में टी० वी० कवरेज का 88.4 प्रतिशत का आकड़ा बताया है। अन्य

31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में महाराष्ट्र में यह कवरेज बहुत कम है। राज्य की उन्नति को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि टी० वी० सेवाओं से वंचित 12 प्रतिशत जनसंख्या के बारे में क्या विचार है। निकट भविष्य में इस जनसंख्या को कब तक प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

श्री अजित पांजा : जैसा कि उपमंत्री महोदया पहले ही जबाब दे चुकी हैं कि निर्धारित मानदंड के अन्तर्गत इसका विस्तार किया जा रहा है।

यद्यपि हमारा प्रयास शत-प्रतिशत जनसंख्या को प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराने का है परन्तु हम यह कार्य धीरे-धीरे ही कर पायेंगे। महाराष्ट्र में यह प्रसारण 80 प्रतिशत से कुछ अधिक जनसंख्या तक जाता है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें यह प्रसारण 50 या 90 प्रतिशत से कम जनसंख्या तक पहुंचता है। इसलिए हम उन राज्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां प्रसारण कम है। हमने एक बैठक बुलाई है जिसमें हमने उसमें यह निर्णय किया है कि जिन राज्यों में प्रसारण 70 प्रतिशत से कम जनसंख्या तक पहुचता है वहां तत्काल कम से कम आगामी दो या तीन वर्षों में इसका विस्तार शुरू कर दें ताकि उन राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों में इस प्रसारण में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके जबकि देश में औसत प्रसारण 81 प्रतिशत के करीब है। इसलिए महाराष्ट्र में भी प्रसारण का विस्तार धीरे-धीरे किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गिरिजा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया यह बताएं कि बूंदी में जो 10 किलोवाट शक्ति का ट्रांसमीटर लग रहा है उसका अब कौन-सा चरण चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : दाऊ दयाल जी, ऐसे नहीं पूछा करते।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न में है। मेरा इसी के साथ निवेदन है कि जो आदिवासी क्षेत्र की बात आपने कही है, कृपया कर के बताएं कि जो आदिवासी क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद है, जहां पर जगत प्रसिद्ध गुलाबो नर्तकी मौजूद है, जिसने सारे हिन्दुस्तान में नाम किया है और जहां पर आपकी एग्रीकल्चर लैण्ड भी है, किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र भी क्या इसमें कवर हो जाएगा या नहीं ? यह स्पष्ट करें ? यह काम कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, बूंदी अपने लास्ट सोपान पर चल रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष बहुत शीघ्र ही बूंदी का कमीशन हो जाएगा। जहां तक आदिवासी इलाके का प्रश्न है, माननीय दाऊ दयाल जी ने जो प्रश्न उठाया, सभी डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स को कवर करने की भी नीति है, जैसे ही एविलएबिलिटी आफ फण्ड्ज होगा। एक एरिया नहीं बचेगा डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर के कारण कवर हो जाएगा।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं। मंत्री महोदय ने अपने जबाव में कहा है कि उड़ीसा की 88 प्रतिशत जनसंख्या के लिए टी० वी० प्रसारण सन्तोषजनक ढंग से हो

रहा है। क्या मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार सम्बलपुर में दशकों बाद एक किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है ? अभी इसकी क्षमता बढ़ायी जानी है। यह क्षमता कब तक बढ़ायी जाएगी ?

पर्वतीय क्षेत्र और फूलवती की भौगोलिक बनावट के कारण इसकी क्षमता कब तक बढ़ायी जाएगी ? मैं इस बात का ठोस जबाव चाहता हूं क्योंकि इन क्षेत्रों में टेलीविजन देखने वाले लोगों को उड़ीसा के पश्चिम भाग के पर्वतीय क्षेत्र के कारण व्यवधान हो रहा है।

श्री अजित पांजा : पहाड़ी के दूसरी तरफ के क्षेत्र को 'शैडो एरिया' कहा जाता है। यदि ट्रांसमीटर पहाड़ी के दूसरी तरफ लगाया जायेगा तो वहां प्रसारण ठीक नहीं हो पाएगा। हमें इन कठिनाइयों की जानकारी है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है—मैं उसे दोहराना नहीं चाहता—कि कुछ राज्यों में तत्काल प्रसारण उपलब्ध कराने में न्याय किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेश में प्रसारण केवल 45 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में 70 प्रतिशत से कम है तथा दादर और नागर हवेली में यह प्रसारण 65 प्रतिशत है। परन्तु इनकी तुलना में उड़ीसा में यह प्रसारण अधिक है अर्थात् 80 प्रतिशत से ज्यादा है।

डा० कृपासिन्धु भोई : आपने जो आंकड़े दिए हैं मैं उनका खंडन करता हूं। उड़ीसा का पश्चिमी भाग पर्वतीय क्षेत्र है। सम्बलपुर या कालाहांडी से सम्बलपुर जिले के लोग टी० वी० नहीं देख पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : यह वास्तविक स्थिति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। उन्हें जबाव देने दीजिए।

श्री अजित पांजा : उड़ीसा के बारे में भी हम ध्यान देंगे। हमारे रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि उड़ीसा क्षेत्रवार कवरेज 71 प्रतिशत और जनसंख्यावार 77 प्रतिशत है। चालू परियोजनाओं के पूरा होने पर यह प्रसारण बढ़कर 83 प्रतिशत हो जाएगा। अखिल भारतीय कवरेज 81 प्रतिशत है। इसलिए हम उड़ीसा के बारे में निश्चित रूप से ध्यान देंगे। जहां तक किसी विशेष क्षेत्र का संबंध है, वह इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है। मैं माननीय सदस्य को पत्र लिखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने एक विवरण पेश किया है, इस विवरण में आपने उत्तर प्रदेश में 93.7 परसेंट जनसंख्या को टी० वी० देखना आपने स्वीकार किया है। मैं माननयी मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो लम्बे आंकड़े दिए गए हैं तो इन आंकड़ों का आधार क्या है। जब पिछले वर्ष बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि वाराणसी और गोरखपुर में स्वतंत्ररूप से बनाया जाएगा और 10 किलोवाट की शक्ति वाला केन्द्र केन्द्र नहीं वकि सौ किलोवाट की शक्ति वाला केन्द्र स्थापित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उस संदर्भ में आपने क्या कार्यवाही की है और वाराणसी में स्वतंत्र रूप से टी० वी० केन्द्र कब स्थापित कर दिया जायेगा जिससे मिर्जापुर और उसके अगल-बगल के आदिवासी क्षेत्रों को भी कवर किया जा सके।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फीगर्स दी है वो जो अभी चालू

स्कीम है उसके बाद होंगे। मैं माननीय सदस्य को थोड़ा-सा बताना चाहती हूं कि अभी यू० पी० 75.9 परसेंट एरिया में कवर है और 81.1 परसेंट पापुलेशन से कवर है। मैंने जो स्कीम बतायी है उसमें एच० पी० टी०, एल० पी० टी० और वी० एल० पी० टी० के लगने के बाद एरिया से 81.1 परसेंट कवर होगा और पापुलेशन से 93.7 परसेंट कवर होगा। इसी प्रकार बिहार अभी एरिया-वाइज 93.2 परसेंट कवर है और पापुलेशन से 91.7 परसेंट है। अभी जो स्कीम चल रही है उसके बाद 94.7 परसेंट एरिया से और पापुलेशन से 93.4 परसेंट कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा माननीय सदस्य को करेक्ट कर दूं कि सौ किलोवाट किसी भी देश में होता नहीं है······ (**व्यवधान**) वाराणसी और गोरखपुर के संबंध में आपने कहा है तो उसको नोट कर लिया गया है। ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री ए० अशोक राज : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि बरेली में ट्रांसमिशन का कार्य पूरा हो गया है। तमिलनाडु में रामेश्वरम-एक महत्वपूर्ण स्थान और तीर्थ स्थल है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रामेश्वरम में कब तक 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर कब तक चालू हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण स्थान है। महोदय आठवीं पंचवर्षीय योजना का मतलब पांच वर्षों की अवधि से है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस विशेष प्रश्न का जवाब दें कि यह ट्रांसमिशन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ये माननीय सदस्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, यदि आप जवाब दे सकते हैं, तो दीजिए।

कुमारी गिरिजा व्यास : रामेश्वरम में यह कार्य करने वाला निर्माता कार्य छोड़कर चला गया है। इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा और इसलिए मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि हमें तत्काल कोई अन्तरिम व्यवस्था करनी चाहिए।

डा० जयन्त रंगपी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि यह मंत्रालय उन राज्यों को प्राथमिकता देगा जहां टी० वी० कवरेज राष्ट्रीय स्तर के बराबर नहीं है। हमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तर कछार की पहाड़ियां तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जायेंगे ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में टी० वी० कवरेज शुरू किया जा सके क्योंकि ये क्षेत्र सीमावर्ती तथा जनजातीय क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

कुमारी गिरिजा व्यास : महोदय, अभी मेरे मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि वह पूर्वोत्तर और संवेदनशील क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसलिए पिछले सप्ताह उन्होंने यह आदेश दिया है कि इस प्रयोजनार्थ वहां कोई विशेष योजना शुरू की जानी चाहिए और हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र

*267. **श्री अनंतराव देशमुख** :क्या **सूचना और सारण मंत्री** यह प्रबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र कितने हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में सभी सुविधाएं एवं उपकरणों अर्थात् कैमरों, एडिट करने वाली मशीनों, रिकार्डिंग सुविधाओं की समुचित व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रीय केन्द्रों में उपरोक्त की समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में फिल्म प्रभाग के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय ंगलौर और कलकत्ता में फिल्म प्रभाग के दो क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय के प्रस्तावों में कुछ और केन्द्र शामिल किए गए हैं । पूरा ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

श्री अनन्तराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आठवीं पचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए सरकार ने किन राज्यों का पता लगाया है और इसे आरम्भ करने के निए सरकार को कितने समय की आवश्यकता है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अभी तक उन राज्यों का पता नहीं लगाया गया है जहा क्षेत्रीय केन्द्र खोले जायेंगे हमें बहुत कम धन उपलब्ध कराया गया है । चूंकि ये क्षेत्रीय केन्द्र हैं इसलिए हमने एक केन्द्र का अनुमान लगाया है । प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र होने चाहिए । प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने 100 करोड़ रुपये की मांग की थी । दुर्भाग्य से लगभग 34 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं । एक केन्द्र की स्थापना के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और कम से कम एक एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है । 15 करोड़ रुपये में से जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, भवन और भूमि के लिए 5 करोड़ रुपये चाहिए ...और अन्य उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है । इसलिए, हमें जो धनराशि स्वीकृत की गई है उससे केवल दो केन्द्र ही खोले जा सकते हैं । हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि उन्हें कहां लगाया जाये । पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक केन्द्र पहले ही कार्य

कर रहा है जिसका मुख्यालय मुम्बई में है, दक्षिणी क्षेत्र के लिए केन्द्र का मुख्यालय बंगलौर और पूर्वी क्षेत्र के लिए केन्द्र का मुख्यालय कलकत्ता में है। दो और केन्द्रों की स्थापना की जानी है और उनके स्थानों का चयन किया जा रहा है।

श्री अनन्तराव देशमुख : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने फिल्म प्रभाग के कार्यकरण और आम लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने और उनमें अर्थवान और उद्देश्यपूर्ण संदेशों का प्रसार करने पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अब तक कोई मूल्यांकन किया है। यदि नहीं तो क्या सरकार को इस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री अजित पांजा : जी हां, श्रीमान्। एक अध्ययन कराया गया है और पाया गया था कि शहरी क्षेत्रों के लोग धीरे-धीरे सिने-फिल्मों से दूरदर्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप इनका निर्माण भी प्रति सप्ताह 6 से 7 के स्थान पर मात्र एक तक रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टेलीविजन सेट नहीं हैं, पर वे प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहां अस्थायी ग्रामीण सिनेमा का अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन सिनेमा का प्रभाव अभी भी है और हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव स्थायी रहे। इसमें वित्तीय संसाधनों का अभाव एक समस्या है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्र में स्थित हैदराबाद शहर के महत्व को देखते हुए और इस बात को भी देखते हुए कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति गर्मी के दिनों में यहां विश्राम करते हैं, क्या सरकार अपने प्रस्तावित दो क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक केन्द्र को हैदराबाद में स्थापित करने के लिए उचित कदम उठायेगी ?

कुमारी गिरिजा व्यास : दक्षिणी क्षेत्र के लिए हमने पहले ही बंगलौर में एक केन्द्र खोल रखा है। तथापि माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया गया है।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आदिवासी क्षेत्र होने के नाते संथाल परगना या छोटा नागपुर डिवीजन में कोई क्षेत्रीय सिनेमा डिवीजन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा था कि दो और डिवीजन स्थापित किये जाने हैं और वे ऐसे स्थानों का चयन करने जा रहे हैं जो अत्यधिक लाभदायक हों और जहां लोग आसानी से जा सकें। इसीलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या बिहार, विशेष रूप से छोठा नागपुर में एक डिवीजन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक आदिवासी क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि वहां अलगाववादी प्रवृत्ति जन्म ले रही है।

श्री अजित पांजा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उस क्षेत्र पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। महोदय, किसी न किसी तरह से वहां के लोगों में यह धारणा बलवती हो गई है कि उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वे पूरे भारत की मुख्य धारा में नहीं आ रहे

हैं। इसलिए हमने माननीय सदस्य के महत्वपूर्ण सुझाव को नोट कर लिया है और हम निश्चय ही उनके सुझाव पर विचार करेंगे। लेकिन अभी मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र को कलकत्ता से हटाकर उड़ीसा लाया जा रहा है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या सदन में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : महोदय, यह प्रश्न इन डिवीजनल केन्द्रों को हटाये जाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 268

विद्युत उत्पादन

*268. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पनबिजली तथा ताप विद्युत दोनों का राज्यवार उत्पादन कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में मांग की तुलना में बिजली की कितनी कमी पड़ती है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) विद्युत उत्पादन में इस कमी को कब तक दूर कर लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 8वीं योजना सम्बन्धी दस्तावेज में निर्दिष्ट किए अनुसार, विद्युत क्षेत्र के लिए कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 79589.32 करोड़ रुपये है।

(घ) विद्युत उत्पादन की समुचित रूप से मानीटरिंग की जाती है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 286.70 बिलियन यूनिट था जो कि 283.45 बिलियन यूनिट के निर्धारित कार्यक्रमों से 1.1% अधिक है।

अनुबन्ध

अप्रैल, 1992-जून, 1992 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन का राज्यवार/प्रणालीवार ब्यौरा

राज्य/प्रणाली	श्रेणी	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर) अप्रैल, 1992-जून, 1992		
		लक्ष्य	वास्तविक	कमी (—)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध	जल विद्युत	2779	3250	(+) 471
बोर्ड दिल्ली	ताप विद्युत	1714	1903	(+) 189
जम्मू व कश्मीर	ताप विद्युत	9	2	(−) 7
	जल विद्युत	907	944	(+) 37
	जोड़	916	946	(+) 30
हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	655	705	(+) 50
हरियाणा	ताप विद्युत	789	800	(+) 11
	जल विद्युत	75	61	(−) 14
	जोड	864	861	(−) 3
राजस्थान	ताप विद्युत	1436	1556	(+) 120
	न्यूक्लीय	289	178	(−) 111
	जल विद्युत	87	146	(+) 58
	जोड़	1812	1879	(+) 67
पंजाब	ताप विद्युत	1520	1692	(+) 166
	जल विद्युत	817	750	(−) 67
	जोड़	2343	2442	(+) 99
उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	10701	9861	(−) 840

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	न्यूक्लीय	528	248	(−) 280
	जल विद्युत	1360	1138	(−) 222
	जोड़	12589	11247	(−) 1342
गुजरात	ताप विद्युत	5942	6068	(+) 126
	जल विद्युत	61	113	(+) 52
	जोड़	6003	6181	(+) 178
महाराष्ट्र	ताप विद्युत	8678	8614	(−) 64
	न्यूक्लीय	340	230	(−) 110
	जल विद्युत	1243	1128	(−) 115
	जोड़	10261	9972	(−) 289
मध्य प्रदेश	ताप विद्युप	7963	7409	(−) 554
	जल विद्युत	139	134	(−) 5
	जोड़	6102	7543	(−) 559
आंध्र प्रदेश	ताप विद्युत	5649	5432	(−) 217
	जल विद्युत	1091	1102	(+) 11
	जोड़	6740	6534	(−) 206
कर्नाटक	ताप विद्युत	1050	820	(−) 230
	जल विद्युत	2353	2310	(−) 43
	जोड़	3403	3130	(−) 273
केरल	जल विद्युत	1280	1373	(+) 93
तमिलनाडु	ताप विद्युत	5219	5241	(+) 22
	न्यूक्लीय	330	629	(+) 299
	जल विद्युत	802	987	(+) 185
	जोड़	6351	6857	(+) 506
बिहार	ताप विद्युत	948	554	(−) 394

1	2	3	4	5	
बिहार	जल विद्युत	18	20	(–)	2
	जोड़	966	574	(–)	392
उड़ीसा	ताप विद्युत	320	383	(+)	63
	जल विद्युत	710	595	(–)	115
	जोड़	1030	978	(–)	52
पं० बंगाल	ताप विद्युत	3832	3650	(–)	182
	जल विद्युत	25	20	(–)	5
	जोड़	3857	3670	(–)	187
डी० वी० सी०	ताप विद्युत	1301	1175	(–)	126
	जल विद्युत	32	29	(–)	3
	जोड़	1333	1204	(–)	129
सिक्किम	जल विद्युत	6	9	(+)	3
असम	ताप विद्युत	323	259	(–)	64
	जल विद्युत	0	0	( )	0
	जोड़	323	259	(–)	64
मेघालय	जल विद्युत	272	240	(–)	32
त्रिपुरा	ताप विद्युत	23	31	(+)	8
	जल विद्युत	9	31	(+)	6
	जोड़	32	46	(+)	14
मणिपुर	जल विद्युत	102	37	(–)	65
अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत	3	0	(–)	3
अखिल भारत	ताप विद्युत	57423	55450	(–)	1973
	न्यूक्लीय	1487	1285	(–)	202
	जल विद्युत	14026	15105	(+)	279
	जोड़	73736	71840	(–)	1896

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : विवरण से यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु, त्रिपुरा और गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में कम विद्युत उत्पादन होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए और विद्युत पारेषण में होने वाली क्षति और चोरी को रोकने के लिए क्या सरकार कोई मास्टर प्लान बनायेगी ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन राज्य क्षेत्र में 75 प्रतिशत है और केन्द्रीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत होता है। बिजली का उत्पादन प्रत्येक राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जिन राज्यों में कुशल प्रबन्धन है वहां विद्युत उत्पादन की कोई समस्या नहीं है लेकिन जिन राज्यों में अव्यवस्था है वहां उत्पादन अत्यन्त कम है। इसलिए वहां बिजली की समस्या अधिक है।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है वहां इस वर्ष बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में स्थिति में और सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय : विद्युत पारेषण की क्षति और चोरी को कम करने के बारे में प्रश्न था।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, तकनीकी दृष्टि से पारेषण और वितरण क्षति 8 से 9 प्रतिशत के बीच है। लेकिन अनेक राज्यों में यह दर कम है। यह प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार पर निर्भर करता है।

महाराष्ट्र में संप्रेषक व वितरण घाटा सबसे कम है जबकि कश्मीर में यह घाटा सर्वाधिक है। ऐसा मुख्यतः चोरी, कुप्रन्बधन इत्यादि के कारण है।

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या सरकार विद्युत क्षेत्र के निजीकरण और छोटे व सीमान्त कृषकों के लिए पक्षपातपूर्ण कम शुल्क निर्धारित करने का ब्यौरा देगी ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, विद्युत क्षेत्र में संसाधनों की कमी है। अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए ही हमने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी है। देश में 11,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु आवेदन है और सरकार निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देकर बिजली की समस्या का समाधन करने हेतु कदम उठा रही है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मंत्री जी ने विद्युत उत्पादन में कमी को पूरा किए जाने की सम्भावित समयावधि से संबंधित प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इस कमी को हमें दिए गये संलग्नक में दर्शाया गया है। मन्त्री जी कहते हैं कि 75 प्रतिशत उत्तरदायित्व राज्यों का है और 25 प्रतिशत केन्द्र का क्योंकि 75 प्रतिशत विद्युत उत्पादन राज्य विद्युत क्षेत्र में होता है और 25 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र में। मैं प्रश्न में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों ने इस बात का संकेत दिया है कि देश में कोयले के भण्डार केवल 50-60 वर्षों के लिए हैं और यदि ऐसा है तो हमारे सामने गंभीर समस्या है। हम केवल ताप विद्युत पर निर्भर रहेंगे। देश में जल-विद्युत उत्पादन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है जिसमें अभी बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। अन्ततः, हमें परमाणु विद्युत उत्पादन पर निर्भर होना होगा। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा इनका मंत्रालय आठवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं ? हम

केवल इसी आशा पर जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

उड़ीसा और बिहार में ताप विद्युत उत्पादन सबसे कम है जबकि इन दो राज्यों में कोयला का भण्डार देश में सर्वाधिक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इन दो राज्यों पर अधिक बल व समर्थन क्यों नहीं दे रही है ताकि वे अधिक विद्युत उत्पादन कर सकें और कोयला भण्डारों का अधिकाधिक उपयोग कर सकें। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इन तीन पहलुओं का उत्तर देंगे।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, देश में ऊर्जा की कमी 8 प्रतिशत है और अधिकतम मांग की कमी 18 प्रतिशत है। सभी मुख्य मंत्रियों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के परामर्श से भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30,500 मेगावाट बिजली जुटाने का निर्णय लिया है। आज देश की अधिष्ठापित क्षमता 69,070 मेगावाट है। प्रश्न यह है कि देश में इस विद्युत संकट से कैसे निपटा जाये? बिजली एक पूंजीगत उद्योग है। प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 3 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। दो वर्षों यानि 1989 से 1990 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी और अब श्री पी० वी० नरसिंह राव के गतिशील नेतृत्व में 39,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्युत लक्ष्य संबंधी निर्णय लिया गया है।

आज बिहार की अधिष्ठापित क्षमता 1,400 मेगावाट है—150 मेगावाट जल-विद्युत और 1,300 मेगावाट ताप विद्युत। वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में क्या स्थिति थी? बिजली की कमी 13 प्रतिशत थी और अधिकतम कमी 20 प्रतिशत। वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युत कमी 28 प्रतिशत थी और अधिकतम कमी 39 प्रतिशत। वर्ष 1991-92 के दौरान यह स्थिति क्रमशः 29 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थी। आज विद्युत कमी 43 प्रतिशत है और अधिकतम कमी 54 प्रतिशत है। ऐसा क्यों है? ऐसा बिहार सरकार के कुप्रबन्धन के कारण है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। (व्यवधान) मंत्री सदस्य ने उड़ीसा के बारे में एक प्रश्न पूछा है। वर्ष 1989-90 में उड़ीसा में विद्युत कमी 22 प्रतिशत थी और अधिकतम कमी 36 प्रतिशत 1990-91 में विद्युत कमी 22 प्रतिशत और अधिकतम कमी 31 प्रतिशत थी। 1991-92 में विद्युत कमी 7 प्रतिशत और अधिकतम कमी 23 प्रतिशत थी। अब उड़ीसा की स्थिति में शनैः शनैः सुधार हो रहा है। किन्तु बिहार में स्थिति बिगड़ती जा रही है।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : मैं मन्त्री महोदय से विद्युत कमी को पूरा करने लिए किए गये प्रयासों की निगरानी करने हेतु सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्डों के बारे में जानना चाहूंगा।

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि असम के बारे में जल विद्युत के संबंध में दिए गए उत्तर में उत्पादन '00' कैसे दिखाया गया है जबकि कोपिरिली जल-विद्युत परियोजना पहले ही अधिष्ठापित की जा चुकी है और इसने काम करना आरम्भ कर दिया है? यह एक जल विद्युत परियोजना है।

श्री कल्पनाथ राय : कोपिरिली जल विद्युत परियोजना में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 15 दिन पहले मंत्रिमण्डल ने 100 मेगावाट के दूसरे चरण को स्वीकृति प्रदान

की। कोपिरिली परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो जायेगा और असम को 200 मेगावाट जल विद्युत उपलब्ध हो जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पंचवर्षीय योजना में बिजली की उपलब्धता और आवश्यकता से संबंधित है न कि किसी छोटी जगह अथवा क्षेत्र विशेष से।

श्री नीतीश कुमार।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्षजी, जो मूल प्रश्न कर्ता ने सवाल पूछा था वह यह था कि मांग की तुलना में बिजली की कितनी कमी पड़ती है। जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, उसमें लक्ष्य दिया गया है और वास्तविक उपलब्धता बताई गई है। मांग का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में यह सवाल है, उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा हर राज्य की और पूरे देश की बिजली की जरूरत के बारे में जो सर्वेक्षण करवाया गया था, क्या उस सर्वेक्षण में जो बिजली की वास्तविक जरूरत है, उसका आंकलन किया गया है या बिजली की जितनी उपलब्धता थी, उसके आधार पर कुछ प्रतिशत बढ़ाकर मांग मान ली गई और जिसके चलते जिन राज्यों में बिजली की क्षमता कम थी, खासकर बिहार और उड़ीसा, जैसे राज्यों को, उनके इस प्रकार के सर्वेक्षण से काफी नुकसान उठाना पड़ा है और इसी से सम्बन्धित यह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का सर्वेक्षण है, यह क्या जरूरत का सर्वेक्षण उपलब्धता के आधार पर है या जरूरत का सर्वेक्षण वास्तविक रूप में कितनी जरूरत है, उसके आधार पर है? आबादी की दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से जो सचमुच में जरूरत है, उस राज्य की वास्तविक जरूरत का पता लगा कर के उसी के अनुरूप जो इलाके बिजली उत्पादन के मामले में पिछड़े हुए हैं, उन इलाकों में बिजली के ज्यादा प्रोजैक्ट्स लगाए जाएंगे और खासकर के पन बिजली के ऊपर क्या जोर ज्यादा दिया जाएगा, ये बातें मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा है उसके बारे में निवेदन यह है कि 14 सौ मेगावाट इंस्टाल्ड कैंपेसिटी बिहार की है जिसमें से 1300 मैगावाट थर्मल है। उसका प्लाण्ट लोड फैक्टर आज 20 प्रतिशत है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हू आम और ये जवाब दे रहे हैं इमली।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित उत्तर दे रहे हैं। इन्हें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बिहार के साथ अन्याय होगा। इसलिए मेरे प्रश्न का सही-सही जवाब आना चाहिए। मैंने पूछा है कि सर्वेक्षण के बारे में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जितनी डिमांड देश में, है उसकी क्या जांच-पड़ताल कराई गई है और क्या उसके आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के सम्बन्ध में लक्ष्य बनाया गया है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जितनी डिमांड है, उसकी जांच पड़ताल कराई गई है और उसके अनुसार हमें 48 हजार मैगावाट बिजली की आवश्यकता आठवीं पंचवर्षीय योजना में थी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए उसका लक्ष्य 38 हजार मैगावाट रखा गया। फिर बीच में 1989-90 में एक ऐसी सरकार आई जिसने एक मैगावाट बिजली का भी उत्पादन नहीं किया। अब फिर जब नरसिंह राव जी की सरकार आई है, तो 38 हजार मैगावाट के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उतना धन हमारे पास न होने के कारण हमने पहले इसे 36 हजार मैगावाट किया और फिर धन की कमी के कारण 30 हजार मैगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए चूंकि पैसे की कमी है, इसलिए हमने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन को भी आमंत्रित किया है। ताकि सरकार और प्राइवेट सैक्टर दोनों मिलकर देश की आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरा सवाल इन्होंने बिहार का पूछा है। बिहार में 1300 मेगावाट थर्मल पावर जनरेशन है और 20 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर है। यदि वह 80 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर करते तो बिहार में बिजली की समस्या नहीं होती। मैं बताना चाहता हूं कि नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन का प्लांट लोड फैक्टर 71.73% है जो हिंदुस्तान में प्राइवेट सैक्टर या किसी भी सैक्टर में हाईऐस्ट है। यदि आप सरकार को कहें कि प्लांट लोड फैक्टर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 72% कर दे तो बिहार में बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। ...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सवाल का जवाब यह बिल्कुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल बहुत अच्छा था, उनका जवाब भी ठीक था।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की है और आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप नेशनल डैवलपमेंट काउंसिल ने मंजूर किया है, ऐसा कहा है। मेरा सवाल है कि पंचवर्षीय योजना और विशेषतः बिजली की जो योजना है, क्या सरकार उसे सदन के सामने रखेगी और उसकी चर्चा करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से हमको बताया गया है कि यदि पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करती है तो रिपोर्ट रखेंगे और उससे लिए तैयार हैं। अगर आप उसके बाद कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि इस पर चर्चा होगी या नहीं। जब सदन का सारा समय देश की समस्याओं से रटाकर बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि पर लगाएंगे तो बिजली पर कौन चर्चा करेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : यह कोई गंभीर वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, सवाल का उत्तर तो आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पावर पर था, एक्सप्लोजन पर नहीं था।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : इस प्रश्न के अंतिम पैरा में स्पैसीफिकली पूछा गया कि विद्युत उत्पादन में इस कमी को कब तक दूर कर लिया जाएगा। आपने इसका जो जवाब दिया है वह यह है कि विद्युत उत्पादन की संयुक्त रूप से मोनीटरिंग की जाती है और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 286.70 बिलियन यूनिट था जो कि 283.45 बिलियन यूनिट के निर्धारित कार्यक्रम से 1.1 प्रतिशत अधिक है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का क्या यही जवाब हुआ। आपसे यह पूछा गया है कि विद्युत की कमी को कब तक पूरा करेंगे। संभवत: आप उत्तर प्रदेश से आते होंगे, उत्तर प्रदेश के भी आजमगढ़ या मऊ जिले से आते होंगे। आपने जो सूची पेश की है, उसे आप देख लें, सबसे ज्यादा बिजली की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है। मैं समझता हूं कि सारे देश में बिजली की इतनी कमी नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 1342 मेगावाट की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की दुर्दशा को देखते हुए क्या कोई विशेष प्रोग्राम इस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की संभावित कमी को पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि बिजली की समस्या कब तक हल होगी। बिजली की समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। यह कब तक हल होगी यह भविष्य बताएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पैसे पर मुनस्सर है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की योजना नहीं है, साफ-साफ क्यों नहीं कहते।

श्री कल्पनाथ राय : दूसरा इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कम है। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार मंदिर-मस्जिद के अलावा कोई काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आठवीं पंचवर्षीय योजना और बिजली की उपलब्धता व आवश्यकता का प्रश्न है। कृपया यह बात ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा है कि बिहार के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्राबलम है। जो बिहार को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसका 20 से 25 फीसदी बिहार को अवेलेबल होता है। अभी पिछले दिनों हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच में संधि हुई थी जिसके अन्दर काफी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने का प्रयास किया गया है। उस एग्रीमेंट पर अपने प्रधान मन्त्री ने और नेपाल के प्रधान मन्त्री ने दस्तखत किये थे जिसके जरिए कुछ डैम इंडिया और नेपाल के बार्डर पर बनने हैं। इससे पावर जैनरेशन से बिहार को काफी फायदा होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर किन वजहों से इस एग्रीमेंट पर फर्दर काम नहीं हो रहा है? इसको जल्द से जल्द करवा कर बिहार के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराने का प्रयास कब तक कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : कृपया सुनिश्चित करें कि मन्त्री महोदय मूल विषय पर बोलें। हम विद्युत शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं न कि राजनैतिक शक्ति पर।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय बिहार की बिजली समस्या को हल करने के लिए आदरणीय नरसिंह राव जी की सरकार ने 770 मेगावाट की कोयलकारो पन बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है लेकिन बिहार की सरकार इस योजना को लागू नहीं करने दे रही है। वह वहां तरह-तरह के आन्दोलन करवा रही है···**(व्यवधान)**··· इन्होंने जो इंडो-नेपाल का सवाल किया है, वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं इनको एक ही जवाब देना चाहता हूं कि "इधर-उधर की बात न कर, तूम बता काफिला क्यों लूटा" सवाल राहजनों का नहीं, सवाल जनता दल की रहबरी का है।

श्री हरचन्द सिंह : स्पीकर सर, पंजाब में ज्यादातर फसल पैदा होती की है, लेकिन सारा चावल दक्षिण में चला जाता है। पंजाब के लोग चावल कम खाते हैं। पंजाब के बिजली बोर्ड का साढ़े 300 करोड़ रुपये का कोयले का खर्च एक साल का है लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट एक पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिए बिजली का कितना प्रबंध किया गया है?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब या पूरे देश के विकास के लिए 30 हजार मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब में थीन डैम का निर्माण हो रहा है और 3600 मेगावाट बिजली वहां आलरेड्डी मिल रही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, प्रश्न के भाग 'ख' के संबंध में दिया गया उत्तर भ्रामक व गलत है। लगता है कि केरल में ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। **(व्यवधान)** इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना लगभग गत दस वर्षों से लम्बित पड़ी है। इसे उत्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल किया जायेगा और शीघ्र पूरा किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह आठवीं योजना से सम्बन्धित प्रश्न है । तथापि, मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आठवीं पंचवर्षीय योजना में कायमकुलम प्रोजेक्ट नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा 420 मैगावाट का स्वीकृत हो गया है और प्रधान मंत्री कायंकुलम जाकर उसका शिलान्यास करने वाले हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आठवीं पंचवर्षीय योजना पर है, यह ध्यान रखकर प्रश्न पूछिएगा ।

श्री रतिलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर बार-बार अकाल पड़ता है, बिजली वहां कम है तो गुजरात की अकाल की स्थिति को दूर करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात की कुल बिजली की मांग को पूरा करने का क्या प्रयोजन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन तो बराबर नहीं है मगर मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं तो उत्तर में बोल सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : गुजरात के बिजली संकट को दूर करने के लिए सैंट्रल सैक्टर में और स्टेट सैक्टर में कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनके बन जाने पर वहां का विद्युत संकट दूर हो जायेगा ।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : महोदय, गोवा स्वयं विद्युत उत्पादन नहीं करता, गोवा को रामगुण्डम तथा कोर्बा से बिजली मिलती है जो बहुत दूर स्थित हैं । इसी कारण संप्रेषण घाटा अधिक है, गोवा समृद्धि की ओर अग्रसर एक राज्य है और इसे विकास के लिए और अधिक बिजली की आवश्यकता है । मैं बताना चाहूंगा कि काइगा परमाणु विद्युत संयंत्र गोवा से केवल 40 किलोमीटर दूर है । क्या सरकार गोवा को इस संयंत्र से अधिकाधिक बिजली मुहैया कराने पर विचार करेगी ताकि इसकी बिजली की समस्या हल हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह आठवीं योजना का प्रश्न है । इतना समय नहीं है, क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा क्षति पूर्ति का दावा

*269. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**
श्री श्रवण कुमार पटेल

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एयर इंडिया ने एयरबस इन्डस्ट्रीज, फ्रांस पर क्षतिपूर्ति का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) : जी, हां। एयर इंडिया के कुछ ए-310-300 विमानों में जंग लगा पाया गया है। जांच से पता चला कि जंग हॉरीजेंटल प्रेशर पेनल पर अंतराकणी/अपशल्कन था। एयर इंडिया एयरबस इंडस्ट्रीज को किये गये अपने दावे के पीछे लगी हुई है।

वायुदूत को हुआ घाटा

*270. **प्रो० राम कापसे :**
श्री बलराज पासी

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 तक वायुदूत को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ख) वायुदूत के घाटे को कम करने और इसे अर्थक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत को, 1981 में इसकी शुरूआत से 168,40 करोड़ रुपए की अनुमानित संचित हानि हुई है।

(ख) वायुदूत परिचालनों की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने के लिए मार्गों और किरायों के युक्तियुक्तकरण, अतिरिक्त स्टाफ की अन्य संगठनों में पुनः तैनाती और विमानों की अनुरक्षण लागत में कटौती जैसे कुछ उपाए किए गए हैं।

विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में औद्योगिक दुर्घटनाएं

*271. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितने लोगों की जानें गईं,

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं तथा इस कारण कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) जान-माल की रक्षा करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी० एस० पी०) की प्रथम इकाई अर्थात कोक ओवन बैटरी सितम्बर, 1989 में चालू की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

वर्ष	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कर्मचारी		ठेकेदार के कर्मचारी	
	—प्रतिवेद्य	घातक	*प्रतिवेद्य	घातक
1989				
(सितम्बर, 89) दिसम्बर, 89)	53	1	12	6
1990	197	2	1	14
1991	176	1	7	15

*प्रतिवेद दुर्घटनाएं वे दुर्घटनाएं हैं जिनमें जख्मी कर्मचारी दो अथवा दो से अधिक दिन तक ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं।

(ख) दुर्घटनाएं होने के मुख्य कारण थे—वस्तुओं/मशीनरी का गिरना, तप्त भाप/गैसों का लगना तथा ऊंचाई से गिरना आदि।

इन दुर्घटनाओं के प्रभाव से उत्पादन की प्रत्यक्ष रूप से हुई हानि का अंकन करना कठिन है। तथापि, दुर्घटनाओं से संयंत्र में कई बार औद्योगिक संबंधों की समस्याएं खड़ी हुई थीं। इससे उत्पादन की अनुमानित हानि 19,228 टन तप्त धातु है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए 14,492 टन अपरिष्कृत इस्पात तथा 5,268 टन कच्चे लोहे के उत्पादन की हानि हुई।

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाई है जो औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता करती है। प्रचालन के प्रथम वर्ष में ही वी० एस० पी० ने भारत के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से 1990 के दौरान "स्टील मिनिस्टरी ट्राफी फार दा बेस्ट सेफ्टी परफोरमेन्स" प्राप्त की तथापि ऐसी घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए संयंत्र में सुसज्जित सुरक्षा विभाग कार्यरत है जिसमें 8 सुरक्षा इंजीनियर और सुरक्षा निरीक्षक आदि जैसे 16 स्टाफ कर्मचारी

कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों जैसे हेल्मेट, जूते, सुरक्षा पट्टियां इत्यादि के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसके अरिरिक्त कार्य की असुरक्षित परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए मौके पर गहन निरीक्षण किए जाते हैं। शीर्ष स्तर पर 27 विभागीय सुरक्षा समितियां तथा सुरक्षा सलाहकार समितियां, जिसमें कामगारों की भागीदारी है, संगठित की गई हैं। सभी छोटी तथा बड़ी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले टेलीविजन धारावाहिक

*272. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले टेलीविजन धारावाहिक को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक स्वीकृति हेतु भेजे गये और स्वीकृत किए गये ऐसे टेलीविजन धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) : दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि उन कार्यक्रमों का अनुमोदन किया जाए जिनसे उच्च सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता हो और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता हो। ऐसे कार्यक्रमों को वरीयता दी जाती है जो स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करते हों, जिनसे भिन्न-भिन्न संप्रदायों, भिन्न-भिन्न भाषाओं, भिन्न-भिन्न विचारों और संस्कृतियों के प्रति समान आदर की भावना जागृत होती हो, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, समाज में महिलाओं के प्रति स्वस्थ सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृतियों आदि को बढ़ावा मिलता हो। दूरदर्शन के लिए धारावाहिकों का अनुमोदन उपयुक्त समितियों द्वारा किया जाता है जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही पक्षों के सदस्य होते हैं। धारावाहिकों का अनुमोदन करते समय उपर्युक्त मापदडों और समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरणस्वरूप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कार्यक्रमों में "भारत एक खोज" और "दि सोर्ड आफ टीपू सुल्तान" जैसे धारावाहिक आते हैं।

(ग) ऐसा कोई ब्यौरा एक स्थान पर नहीं रखा जाता।

बिहार में पर्यटन का विकास

*273. **श्री राम टहल चौधरी** :
श्री साईमन मरांडी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को मिले उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनमें बिहार में पर्यटन विकास के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और कितने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए है और कितने प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव को किन कारणों से अस्वीकृत किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विगत तीन वर्षों (1989-90-1991-92) के दौरान, बिहार राज्य सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ताकि विभिन्न स्थानों पर पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। इन प्रस्तावों में शामिल थे—पर्यटक आवास, मार्गस्थ सुविधाओं, जन-सुविधाओं का निर्माण, साहसिक उपकरण, वर्तमान संपत्तियों का स्तरोन्नयन, मेलों, उत्सवों और प्रचार के लिए सहायता, आदि।

(ख) प्राप्त 24 प्रस्तावों में से 23 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए थे और एक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ग) रांची में टैगोर हिल पर सांस्कृतिक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव अनुमोदन नहीं किया गया था क्योंकि जुटाई जाने वाली सुविधाएं मुख्यतया सांस्कृतिक-कार्यकलापों के लिए थीं और वे पर्यटन विभाग की अनुमोदित स्कीमों के दायरे में नहीं आती थीं।

अभ्रक का उत्पादन

*274. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91—1991-92 में और 1992-93 के दौरान अब तक अभ्रक का कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन वर्षों में अभ्रक के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) अभ्रक उत्पादन के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा तथा निर्यात की गई मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
1990-91	42595	17.923
*1991-92	34188	24.652*

*अनन्तिम

[अनुवाद]

वन्य प्राणी विहार पर्यटन केन्द्र

*275 **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य प्राणी विहार पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से कार्यान्वित की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य-सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर आपसी प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की आधार भूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देता है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विवाद

*276. **श्रीराम विलास पासवान :**
श्री धरमजीत यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चले आ रहे नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) इस विवाद के समाधान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) रावी-ब्यास जल से संबंधित विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन 2-4-86 को गठित अधिकरण को भेजा गया है। अधिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण और मार्ग-दर्शन मांगा है। उसके बाद पंजाब सरकार ने अधिकरण के समक्ष निवेदन किया है कि जब तक पंजाब में लोकप्रिय सरकार स्थापित नहीं हो जाती, तब तक अधिकरण की कार्यवाहियां आस्थगित रखी जायें पंजाब में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो गयी है, अतः विभिन्न मामलों को सौहार्दपूर्ण रूप से हल करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श प्रारम्भ किए गए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*277. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यवार कितनी-कितनी ऋण/अनुदान राशि दी गई और राज्य सरकारों से इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रदान किए गए ऋण/अनुदान, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और 1992-93 के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्य हेतु नियत राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन/संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव	1991-92 आवंटन	1991-92 संवितरण (अनंतिम)	1992-93 के लिए नियत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1700	3096	2644	2765
2.	अरुणाचल प्रदेश	1729	1000	400	1285
3.	असम	2700	1750	600	1375
4.	बिहार	5200	1485	1143	2270
5.	गोवा	65	50	—	45
6.	गुजरात	2860	2756	2254	2675
7.	हरियाणा	2410	2221	2177	3865
8.	हिमाचल प्रदेश	825	395	468	605

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1000	460	413	775
10.	कर्नाटक	1250	2583	2189	2485
11.	केरल	700	930	1266	795
12.	मध्य प्रदेश	9300	8830	12309	7420
13.	महाराष्ट्र	6100	11792	4632	10415
14.	मणिपुर	2400	1180	626	1410
15.	मेघालय	1200	630	520	475
16.	मिजोरम	560	700	685	770
17.	नागालैंड	403	385	158	205
18.	उड़ीसा	6700	3506	3306	3912
19.	पंजाब	2300	1653	1711	3985
20.	राजस्थान	4907	3687	4473	6430
21.	सिक्किम	610	265	272	420
22.	तमिलनाडु	1500	2987	2739	2455
23.	त्रिपुरा	900	562	600	760
24.	उत्तर प्रदेश	10300	7532	8652	8605
25.	प० बंगाल	4700	3317	3701	2970
	जोड़ (राज्य)	72319	65752*	57938*	69172*

*राज्य योजना सहित ।

*राज्य योजना को छोड़कर ।

तमिलनाडु में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज

*278. **श्री एन० डेनिस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान तमिलनाडु में नये डाक तथा तार घर और एस० टी० डी० सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख)

डाकघर :

जी हां। 1992-93 के दौरान तमिलनाडु में 7 विभागीय उप डाकघर और 20 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने की योजना है। प्रस्तावित डाकघरों के स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

तारघर :

1992-93 के दौरान तमिलनाडु में अरूप्पूकोट्टाई और गुडियाट्टम में दो विभागीय तारघर खोलने की योजना बनाई गई है।

टेलीफोन एक्सचेंज :

1992-93 के दौरान किसी भी दूसरे स्थान पर एस० टी० डी० सुविधा के साथ टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 5 दूसरे स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा रहित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये स्थान हैं— सुन्दरमपल्ली, सेरुवल्लूर, सेंनातुपट्टी, बैरामंलम और नडाक्कानांडल। इनमें से एक स्थान, अर्थात् सुन्दरमपल्ली में एक्चेंज पहले ही चालू कर दिया गया है। एस० टी० डी० सुविधा रहित इस तरह के और एक्सचेंज न्यूनतम मांग का मानदंड पूरा होने और संसाधन उपलब्ध होने तथा व्यवहार्यता के आधार पर खोले जा सकते हैं।

इंडियन एयरलाइंस की उपभोक्ता सेवाएं

*279. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने कारोबार को बढ़ाने तथा अपनी उपभोक्ता-सेवाओं में सुधार करने हेतु एक समन्वित योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने एक दीर्घकालीन नियमित योजना बनाई है जिसमें विमान बेड़े के आधुनिकीकरण तथा आधार संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना शामिल है।

2. उपभोक्ता सेवाओं को सुप्रवाही बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंडियन एयरलाइंस आरक्षण, उड़ान सूचना, हवाई अड्डा यात्री और सामान संचालन के क्षेत्र में तथा उड़ान-गत खान-पान सेवाओं में भी सुधार करने के उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के कर्मचारियों को "अशांत क्षेत्र" भत्ता

*280. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अशांत क्षेत्रों में नियुक्त दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों को "अशांत क्षेत्र" भत्ता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां कर्मचारियों को ऐसा भत्ता दिया जा रहा है;

(ग) प्रतिवर्ष ऐसा कितना भत्ता दिया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का इसके स्थान पर कोई और व्यवस्था करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) से (च) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान भत्ते और प्रोत्साहन मिलते हैं।

खेल प्रतियोगिताओं का दूरदर्शन से प्रसारण

*281. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री अनिल बसु :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन से खेल प्रतियोगिताओं के सीधे प्रसारण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन से प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के सीधे प्रसारण के लिए कितना-कितना समय दिया गया; और

(ग) यूरोपीय कप फुटबाल मैचों का सीधा प्रसारण न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि साधनों की उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता, खेल का महत्व और समय की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण किया जाए।

(ख) ऐसा ब्यौरा एक स्थान पर संकलित नहीं किया जाता।

(ग) भारत के क्षेत्र को कवर करने के लिए यूरोपियन कप फुटबाल मैचों के सीधे प्रसारण अधिकार दूरदर्शन के पास उपलब्ध नहीं थे।

[अनुवाद]

गुजरात और उत्तर प्रदेश में विमानन सुविधाएं

*282. **श्री काशी राम राणा :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों और विमानन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर धावनपथ का 900 फुट तक विस्तार तथा एक अलग टर्मिनल ब्लाक के निर्माण का कार्य गत तीन वर्षों के दौरान पूरा हो गया है। इस हवाई अड्डे पर स्पीच स्विचिंग प्रणाली के संस्थापन का कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी हवाई अड्डे पर 7100 फुट तक धावनपथ का विस्तार कार्य निष्पादित कर दिया गया है और यह आरंभ हो गया है। उपस्कर अवतरण प्रणाली के संस्थापना का कार्य प्रगति पर है। ये कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादन कर दिए गए हैं।

प्रसार भारती अधिनियम

*283. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
डा० सुधीर राय :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार अधिनियम लागू किए जाने हेतु काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने हेतु अब तक क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में कोई संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) प्रसार भारती अधिनियम लागू करने से पहले कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा संशोधन किए जाने हैं और कई कदम उठाए जाने हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई योजनाएं

*284. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्यक्रम/योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सामान्यतया, पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई का विकास लघु सिंचाई, दिक्परिवर्तन अथवा लिफ्ट स्कीम के माध्यम से किया जाता है। इन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा इन्हें स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा जाता। तथापि, आठवीं योजना अवधि के दौरान 10 करोड़ रुपए के परिव्यय में हिमालयी क्षेत्र में पुराने कुहलों (कुहलस) का आधुनिकीकरण करने हेतु केन्द्रीय सेक्टर स्कीम चलाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मास्टर योजना

2714. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत की मास्टर योजना भाग-I तथा बराक उप बेसिन के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत की मास्टर योजना भाग-II तैयार की गई है और ये पूर्वोत्तर राज्यों एवं अन्य मूल्यांकन अभिकरणों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई हैं। बोर्ड इस समय मास्टर योजना, भाग-III तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है जिसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के विभिन्न उप बेसिनों की बाढ़ प्रबन्ध योजनाएं भी शामिल हैं। भाग-III में परिकल्पित 46 उपबेसिनों में से अब तक 30 उपबेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं पूरी कर ली गयी हैं। विभिन्न अभिकरणों में इनके मूल्यांकन की कार्रवाई की जा रही है। तथापि, तिपाईमुख उच्च बांध परियोजना के लिए निर्माण पूर्व कार्य इस बोर्ड द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है।

दूरसंचार उपकरण निर्माताओं की मास्टर योजना

2715. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने दूरसंचार विभाग द्वारा उनकी मास्टर योजना स्वीकार न किये जाने पर अपनी-अपनी नाराजगी व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दूरसचार विभाग की निजी क्षेत्र के दूरसंचार उपस्कर विनिर्माताओं से कोई मास्टर-प्लान प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

2716. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, राउरकेला के कच्चा माल विभाग को कुल कितना लाभ हुआ और गत वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के अधीन रॉ-मेटरियल डिविजन की निजी खानें अलग-अलग लाभ केन्द्र नहीं हैं । इसलिए उनके सम्बन्ध में अलग-अलग लाभ एवं हानि खाते नहीं बनाए जाते ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केरल में कोट्टायम जिले के दूरदर्शन रिले केन्द्र

2717. **श्री पी० सी० थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कोट्टायम जिले के पूर्वी भाग में एक नया दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र

2718. **श्री हाराधन राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसनसोल में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। आसनसोल में 2 × 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर और आकाशवाणी के रिले केन्द्र के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स की आय

2719. **डा० वसन्त पवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बार-बार किराये में बढ़ोतरी करने से यात्रियों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स ने विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल कितने राजस्व का अर्जन किया ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून, 1992) में अर्जित कुल राजस्व 427.79 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह राशि 312.30 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

2720. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में जिलावार टेलीफोन के कितने प्रयोक्ता हैं;

(ख) इस समय प्रतीक्षा-सूची में जिलावार कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) प्रतिक्षा सूची को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1993 तक अधिकांश मौजूदा प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा।

विवरण

(क) और (ख) उड़ीसा में (30-6-92 की स्थिति के अनुसार) टेलीफोन उपभोक्ताओं और प्रतीक्षा सूची की जिलेवार संख्या नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं०	जिला	टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या	प्रतीक्षा सूची
1.	बालासोर	4694	620
2.	बोलनगीर	2731	60
3.	कटक	17576	1555
4.	ढेनकनाल	3560	260
5.	गजम	7850	670
6.	क्योंझर	2137	134
7.	कालाहांडी	1442	20
8.	कोरापट	4129	94
9.	मयूरभंज	2304	408
10.	फूलबनी	1136	30
11.	पुरी	19098	2015
12.	सम्बलपुर	8008	370
13.	सुन्दरगढ़	8068	250
	योग	82733	6486

[अनुवाद]

ताज राष्ट्रीय पार्क योजना को अन्तिम रूप देना

2721. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा के प्रस्तावित ताज राष्ट्रीय पार्क योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) मई, 1989 में नेशनल पार्क सर्विस, यू० एस० ए० और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन जिसके अन्तर्गत नेशनल पार्क सर्विस, यू० एस० ए० को ताज स्थल सहित आगरा में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को सकल्पनात्मक प्रबंधन और सामान्य विकास के आयोजन का कार्य सौंपा गया है। संकल्पना योजनाएं तैयार करते समय, नेशनल पार्क सर्विस, यू० एस० ए० पर्याप्त वायु तथा शोर प्रदूषण, संरचनात्मक विश्लेषण, आदि जैसे अलग-अलग पहलुओं के बारे में किए गए विभिन्न अध्ययनों का उपयोग करेगा। भारत सरकार को संकल्पना योजनाएं तैयार करने के लिए कुछ खर्च नहीं करना है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को वायु मार्ग से जोड़ना

2722. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से गढ़वाल डिवीजन में किन-किन स्थानों को दिल्ली तथा अन्य शहरों से वायुमार्ग से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचाम दिल्ली तथा अन्य, स्थानों को इन क्षेत्रों के कुछ और स्थानों से वायुमार्ग द्वारा जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत उत्तर में देहरादून के लिए दिल्ली-देहरादून दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में छः दिन की सेवाएं प्रदान करती है।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक तथा परिचलनात्मक कारणों से वायुदूत के लिए इन क्षेत्रों में और स्टेशनों को वायुदूत की विमान सेवा मे जोड़ना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में केबल टी० वी० के लिए लाइसेंस

2723. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केबल टी० वी० लगाने के लिए लाइसेंस जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में क्या दिशा निर्देश तथा शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) दिल्ली में जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। सरकार ने केबिल टी० वी० सिस्टम की संस्थाहना के लिए कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2724. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में/क्षमता हजार हेक्टेयर में)

स्कीम का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/92 तक प्रत्याशित व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	6/92 तक सृजित प्रत्याशित क्षमता	पूरा करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
क. वृहद परियोजनाएं					
1. श्रीराम सागर परियोजना	1027.00	664.47	411.00	264.92	8वीं योजना
2. श्रीसेलम दायीं तट नहर	544.50	104.61	76 89	1.00	—वही—
3. नागार्जुन सागर	778.00	701.52	895.28	805.944	—वही—
4. गोदावरी बराज	153.00	139.36	—	*स्थिरीकरण	—वही—
5. सिंगूर	130.42	115.85	—	जलापूर्ति	—वही—
6. येलेरू	261.14	224.94	—	जलापूर्ति	—वही—
7 सोमासिला	215.00	150.49	38.481	5.718	—वही—
8. टी० बी० उच्च स्तरीय नहर चरण-II	193.00	112.55	89.617	48.638	—वही—
9. बम्सधारा चरण-I	73.85	49.34	20.127	15.921	—वही—
10. निजामसागर	30.16	18.78	—	*स्थिरीकरण	—वही—

11. जुराला	275.00	131.79	87.697	1.50	—वही—
12. पुलीवेंदला शाहा नहर	26.78	14.21	24.282	17.516	—वही—
13. तेलगु गगा	1100.00	411.52	233.00	शून्य	9वीं योजना
14. श्रीसेलम बायीं तट नहर	480.00	54.94	121.408	शून्य	—वही—
15 बम्सधारा चरण-II	387.00	5.30	23.711	शून्य	—वही—
योग क	5674.85	2899.67	2021.494	1161 157	
ख. मध्यम परियोजनाएं					
1. तम्मीकेरू	9.83	9.76	2.768	2.768	आठवीं योजना
2. गुन्दालावेंगु	7.22	6.19	1.045	0.20	—वही—
3. थन्दावा	17.20	11.23	14.828	13.878	—वही—
4. कानपुर	21.30	12.56	17.814	2.909	—वही—
5. चेय्येरू	33.50	16.71	7.896	0.50	9वीं योजना
6. वर्धराज स्वामीगुडी	18.21	5.88	4 168	0.35	8वीं योजना
7. बुग्गावन्का	18.85	6.59	5.038	0.35	9वीं योजना
8. येर्रराकल्वा	37.13	20.66	19.992	0.517	—वही—
9 जनझावती	35.87	15.84	9.241	0.50	9वीं योजना
10. आंध्र जलाशय	16.89	6.21	1.417	0.15	8वीं योजना
11. मुदद्दुवालासा	49.47	15.09	6.474	0.50	9वीं योजना
12. वेंगलरायासागर	27.48	17.76	6.719	2.388	8वीं योजना
13. बोट्टी वेगु	38.06	13.71	11 532	0.50	9वीं योजना

1	2	3	4	5	6
14. सतनाला	25.75	14.01	9.712	4.103	8वीं योजना
15. तालीपेरू	38.37	22.18	14.048	4.445	9वीं योजना
16. मद्दोगेड्डा	4.69	3.61	2.430	1.094	8वीं योजना
17. अपर कौलासनाला	22.26	4.65	4 127	0 25	9वीं योजना
18. चेलामेलावेगु	22.14	2.61	2.429	0.10	—वही—
19. मद्दीलेरू	17.00	1.66	5.214	—	—वही—
कुल ख.	491.22	209.91	146.892	25.482	
कुल (क+ख)	6138.07	3106.58	2168.386	1196.639	

* विद्यमान सिंचाई का

टिप्पणी :—इस समय परियोजना के सिंचाई घटक के लिए कोई भीं निर्माणाधीन परियोजना विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त नही कर रही है।

इंडियन एयरलाइंस की एजेंसियां

2725. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे बिहार और बिहार के विभिन्न शहरों और कस्बों में अलग-अलग 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 तथा अनुवर्ती तारीख में इडियन एयरलाइन्स की कितनी एजेंसियां थीं;

(ख) किसी भी स्थान पर एजेंसियां खोलने और एजेंसियों की अपेक्षित संख्या का निर्धारण करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) एजेंटों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) आवेदकों में से एजेंसी हेतु चयन के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1-4-1991 तथा 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार, देश में इंडियन एयरलाइन्स की एजेन्सियों की संख्या तथा बिहार में तदनुरूपी आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

	1-4-1991 की स्थिति	1-4-1992 की स्थिति
भारत में एजेंटों की संख्या		
यात्री	619	758
कारगो	232	240
बिहार में एजेंटों की संख्या		
यात्री	8	10
कारगो	1	1
पटना में एजेंटों की संख्या		
यात्री	4	4
कारगो	1	1
रांची में एजेंटों की संख्या		
यात्री	2	4
कारगो	0	0
जमशेदपुर में एजेंटों की संख्या		
यात्री	2	2
कारगो	0	0

(ख) से (घ) एजेंटों की नियुक्ति, नियोजित की जाने वाली क्षमता की भावी योजनाओं, स्थान की संभावित क्षमता, एजेंसी की कार्य क्षमता तथा इंडियन एयरलाइंस के अपने विक्रय केंद्रों की उपयोगिता जैसी वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। आवेदक एजेंट के पास उपयुक्त परिसर, स्टाफ तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सभी आवेदकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए। महानगरों में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा अनुमोदित एजेंट नियुक्त किये जाते हैं। अन्य स्थानों पर "आयटा" द्वारा अनुमोदित तथा ऐसे अन्य आवेदकों को इंडियन एयर लाइन्स के एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाता है जिनके पास ऐसा अनुमोदन नहीं होता परन्तु "आयटा" द्वारा अनुमोदित आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय शिष्टमंडल की विदेश यात्रा

2726. **श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय शिष्टमंडल और अधिक पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने हेतु विदेश यात्रा पर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह शिष्टमण्डल किन-किन देशों की यात्रा पर जायेगा और भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत महोत्सव आयोजित करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें यात्रा व्यवसाय और होटलों के मालिक सम्मिलित हैं, पर्यटन के संवर्धन के लिए नियमित रूप से विदेश जाते हैं। इन यात्राओं के दौरान वे सेमिनार, प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं और व्यापार बढ़ाने के लिए उस देश में अपने हमपेशेवरों से संपर्क करते हैं।

(ग) भारत उत्सव मात्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही आयोजित नहीं किया जाता है। इस समय चीन में भारत उत्सव आयोजित करने का विचार है। तथापि, इस उत्सव को आयोजित करने के लिए वर्ष/समय अभी अंतिम रूप से तय किया जाना है।

[अनुवाद]

दूरसंचार में ऑप्टीकल फाइबर केबलों का प्रयोग

2727. **श्री राम नरेश सिंह : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऑप्टीकल फाइबर केबलों के साथ उपलब्ध कराये गये ट्रंक दूरसंचार सम्पर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय किन-किन मार्गों में ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण "क" में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण "ख" में दिया गया है।

विवरण "क"

आप्टिकल फाइबर केबिल के साथ प्रदान किए गए ट्रंक संचारण लिंको का विवरण (30-6-1992)

1. नई दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-बड़ोदरा-सूरत-बम्बई।
2. नई दिल्ली-गाजियाबाद-हापुड़-बुलन्दशहर-अलीगढ़-हाथरस-आगरा।
3. पालघाट-त्रिचुर-अलवाई-एर्नाकुलम-कोट्टायम-त्रिवेन्द्रम।
4. आगरा-फिरोजाबाद-इटावा-कानपुर-उन्नाव-लखनऊ।
5. लखनऊ-फैजाबाद-वाराणसी।
6. वाराणसी-गाजीपुर-बक्सर-पटना।
7. बक्सर-बलिया।
8. पटना-झूमरीतलैया-देवगढ़।
9. बम्बई-पूना।
10. अहमदाबाद-भोदसा।
11. आनन्द-बोरसाड़।
12. डोम्बिविली-कल्याण-उल्हासनगर-अम्बरनाथ-बदलापुर।
13. गोधरा-दहोद।
14. उदयपुर-डूंगरपुर।
15. जयपुर-शाहपुरा-कोटपुतली-बेहरोर।
16. भोपाल-अस्था।
17. त्रिवेन्द्रम-अहिनल।
18. त्रिचूर-छालाकुडी।
19. बम्बई-पालघर-तारापुर-दहानू-वापी।
20. भोपाल-इन्दौर।

21. अम्बाला-चंडीगढ़ ।

22 चंडीगढ़-कालका-परवानू ।

23. नई दिल्ली-बड़ौत-शामली-मुजफ्फरनगर-रुड़की-हरिद्वार-ऋषिकेश-देहरादून ।

24. करवार-कुमटा-भटकल ।

25. ट्रिची-पादुकोहाई ।

26. कटक-भुवनेश्वर ।

27. धनबाद-छिरकुण्डा ।

28. चाईबासा-चक्रधरपुर ।

29. फूलबनी-भन्जानगर ।

30. बरबिल-जोड़ा ।

31. मन्नगुरू-पेलवांछा ।

32. बुलसर-सूरत ।

33. अहमदाबाद-गांधीनगर ।

34. नई दिल्ली-गुड़गांव-रिवाड़ी ।

35. उदयपुर-चितौड़गढ़ ।

36. अजमेर-विजयनगर ।

37. अजमेर-मदनगंज ।

विवरण "ख"

उन मार्गों का विवरण जहां 30-6-1992 की स्थिति के अनुसार आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने का कार्य चल रहा है ।

1. देवगढ़-सूरी-कलकत्ता ।

2. पटना-मुजफ्फरपुर ।

3. झूमरीतलैया-हजारीबाग ।

4. सूरी-आसनसोल ।

5. गुवाहाटी-नलबारी ।

6. नई दिल्ली-सिकन्दराबाद ।

7. अम्बाला-पटियाला ।
8. संगरूर-धुरी-मलेरकोटला ।
9. नई दिल्ली-रोहतक-भिवानी-हिसार ।
10. गुड़गांव-सोहना-दारूहेड़ा ।
11. जोरा-मक्कू ।
12. नई दिल्ली-होडल-मथुरा ।
13. जालन्धर-भोगपुर-टांडा-दसुइया ।
14. जगदीशपुर-सुल्तानपुर-अमेठी ।
15. लखनऊ-बाराबंकी-फैजाबाद ।
16. खन्ना-समराला ।
17. लुधियाना-रायकोट ।
18. बड़ोदरा गोधरा ।
19. धुलिया-इन्दौर ।
20. अहमदनगर-कोपरगांव ।
21. बड़ोदरा-बारदोली ।
22. जबलपुर-कटनी ।
23. ग्वालियर-मुरैना ।
24. ग्वालियर-मल्लनपुर ।
25. भिलाई-दुर्ग ।
26. पादुकोहाई-मदुरै ।
27. मदुरै-सिवगंगा ।
28. तिरूपाथुर-कराईकुडी ।
29. त्रिचूर-गुरवायुर ।
30. भटकल-मंगलौर ।
31. चित्तौर-मदनपल्ली ।
32. मुसिरी-पेरमहालुर-जयमकोण्डा ।

33. भद्रावती-शिमोगा।

34. अलवेई-पारूर।

35. मुन्नार-मरियुर।

36. क्विलोन-कोहरकारा।

37. बेंगलूर-हेब्बागुडी।

38. कोयमबटूर-पालघाट।

39. मैसूर-छमाराजनगर-कोल्लेगल।

40. कालीकट-तमरासेरी।

[हिन्दी]

बिहार में नागर विमानन सुविधाएं

2728. **श्री ललित उरांव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नए हवाई अड्डे बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ये हवाई अड्डे कहां-कहां बनाए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में विद्यमान हवाई अड्डों और विमानन सुविधाओं के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने किसी आवश्यकता का प्रक्षेपण नहीं किया है और न ही आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया गया है।

(घ) 12 माडल हवाई अड्डों की स्थापना की योजना के अंग के रूप में, पटना हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार तथा सुधार की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पुलिचिन्ताला परियोजना को स्वीकृति

2729. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पुलिचिन्ताना परियोजना हेतु स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना किस स्तर पर लम्बित है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पुलिचिन्ताला परियोजना अक्तूबर, 1985 में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। परियोजना की जांच से यह पता चला कि यह विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषणों पर आधारित नहीं थी। परियोजना की आवश्यकता और औचित्य पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला गया था। परियोजना अक्तूबर, 1986 में संशोधन हेतु राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े मामलों की पुनरीक्षा हेतु 28-10-1991 को आयोजित वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार को मार्च, 1992 तक संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजना अपेक्षित था। तथापि, मार्च, 1992 तक जांच के लिए केवल जलवैज्ञानिक अध्ययन भेजे गए थे।

उड़ीसा में क्रोमाइट के भण्डार

2730. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्रोमाइट के लगभग कितने भंडार हैं; और

(ख) उनके समुचित विदोहन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट के खनन योग्य भण्डारों का 8.00 मिलियन टन 37.45 मिलियन टन और 6.11 मिलियन टन क्रमशः पुष्ट, संभावित तथा संभव श्रेणियों में आंकलन किया गया है।

(ख) इस राज्य में 15 क्रोमाइट खानें उत्पादन कर रही हैं। 4 चार्ज-क्रोमाइट यूनिट पहले से ही चल रहे हैं। एक क्रोमियम मेटल एक्सट्रेक्शन संयंत्र भी चल रहा है।

महाराष्ट्र की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2731. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 को केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र की कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में विद्युत का उत्पादन और इसकी खपत कितनी रही;

(ग) क्या राज्य में विद्युत उत्पादन और इसकी खपत में बहुत अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार रखती है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र की आठ विद्युत परियोजनाएं विभिन्न स्वीकृतियों हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में ऊर्जा की निवल आवश्यकता, खपत एवं कमी दर्शाते हुए वास्तविक विद्युत सप्लाई स्थिति सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(सभी आंकड़े निवल मि० यू० में)

	1989-90	1990-91	1991-92
आवश्यकता	36075	38895	42070
उपलब्धता	35102	37386	40166
कमी (प्रतिशत)	973(2.7)	1509(3.9)	1904(4.5)

(घ) परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान किए जाने हेतु सभी संभव उपाय किए जाते हैं। परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मामलों को निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने हेतु अपेक्षित अध्ययन किए जाने के मामले में भी सहायता प्रदान की जाती है।

ए-300 विमान की मरम्मत

2732. **श्री राम नाईक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाईन्स ने ए-300 विमानों को मरम्मत के लिए फ्रांस भेजना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में भी मरमम्त कार्य चलाये जाने के लिए कोई मरम्मत संबंधी समय सूची रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयरबस ए-300 विमानों को मरम्मत के लिए फ्रांस भेजने की कोई नियमित आवश्यकता नहीं थी। केवल एक विमान व्यापक निरीक्षण तथा फेर बदल के लिये फ्रांस में भेजा गया था।

(ग) और (घ) एयरबस ए-300 विमान के सम्बन्ध में महानिदेशालय नागर विमानन द्वारा निर्धारित अनिवार्य जांच तथा अन्य रख-रखाव संबंधी कार्य इंडियन एयरलाईंस द्वारा अपनी ही कार्यशालाओं में किये जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है ।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

2733. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अनेक जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान आरंभ किए जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्तार किये जाने वाले वर्तमान एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और इनका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) कभी-कभी पावर सप्लाई में लम्बे समय तक खराबी आ जाने के कारण कुछ टेलीफोन एक्सचेंज कुछ समय तक काम नहीं करते । पावर सप्लाई ठीक हो जाने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज ठीक कर दिए जाते हैं ।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।.

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है ।

विवरण-I

1992-93 के दौरान चालू किए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

(1) जयपुर—10,000 लाइनों का एन० ई० ए० एक्स-61 ई०

(2) चालू वित्त वर्ष के दौरान सम्भवतया चालू किए जाने वाले अन्य छोटे एक्सचेंज

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	जिला
1	2	3
1.	देवलियाकलां	अजमेर
2.	धासव	अजमेर
3.	वाडियों का गुडा	बांसवाड़ा
4.	गांधव	बाड़मेर
5.	बावलास	भीलवाड़ा

1	2	3
6.	बैंजू खालसा	बीकानेर
7.	नाल	बीकानेर
8.	डबलाना	बून्दी
9	चिकराडा	चित्तौड़गढ़
10.	बिनौरा	चित्तौडगढ़
11.	सालमगढ़	चित्तौडगढ़
12.	दालोत	चित्तौड़गढ़
13.	मोहरसार उपाध्याय	चुरू
14.	चोरियावाड़	दौसा
15.	बैंजपुरा	दौसा
16.	मादा	डुंगरपुर
17	कोठावाड़	जयपुर
18.	मारवा	जयपुर
19.	खोजिया की धानी	जयपुर
20.	सिवार	जयपुर
21.	अस्तिकलां	जयपुर
22.	भगवास	जयपुर
23.	खुन्दाल	जैसलमेर
24.	भानीयाना	जोधपुर
25.	दौसा	जोधपुर
26.	गंगानी	जोधपुर
27.	धानेरीकलां	जोधपुर
28.	कावस का पुरा	जोधपुर
29.	तिलवानी	नागौर

1	2	3
30.	रोहान्दी	नागौर
31.	नूवा	पाली
32.	भूंडी	पाली
33.	बालादां	पाली
34.	बैयाद	पाली
35.	सिरिपाली	पाली
36.	फालका	पाली
37.	कंटालिया	राजसमन्द
38.	घोड़ा-घाटी	राजसमन्द
39.	गिलन्द	राजसमन्द
40.	गुगली	सीकर
41.	खूड	सीकर
42.	जिंगर छोटी	सीकर
43.	कासली	सिरोही
44.	भाटना	श्रीगंगानगर
45.	19—जेड़	श्रीगंगानगर
46.	मोहननगर	श्रीगंगानगर
47.	हीराबाली	श्रीगंगानगर
48.	जागराना	श्रीगंगानगर
49.	33 एच० एच०	श्रीगंगानगर
50.	मानपुर	उदयपुर

विवरण-II

1992-93 के दौरान निम्नलिखित वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है

क्रम सं०	क्षमता सहित वर्तमान एक्सचेंज	प्रस्तावित क्षमता (लाइनों में)	विस्तार की जाने वाली प्रस्तावित स्विच लाइनों की संख्या
1	2	3	4
(क)	सी-डॉट एम० ए० एक्स०-I भरतपुर 1800 एम० ए० एक्स०-II	4,000	2,200
(ख)	एम० ए० एक्स-I एस० ए० एक्स बीकानेर	1,200	1,200
(ग)	सी-डॉट 1400 लाइनें		
1.	गंगापुर सिटी-720 सी० बी० एम०	1,400	680
2.	हिन्डौन सिटी 840 सी० बी० एम०	1,400	3,560
3.	हनुमाननगर टाउन 1000 एम० ए० एक्स-II	1,400	400
(घ)	सी-डॉट 1000 लाइनें		
1.	केकरी 480 सी० बी० एम०	1,000	520
2.	खेरली 600 सी० बी० एम०	1,000	400
3.	सरदार शहर 600 सी० बी० एम०	1,000	400
4.	सुजानगढ़ 480 सी० बी० एम०	1,000	520
5.	चिरावा 440 सी० बी० एम०	1,000	560
6.	रामगंजमंडी 600 सी० बी० एम०	1,000	400
7.	रायसिंह नगर 480 सी० बी० एम०	1,000	520
8.	सांगरिया 480 सी० बी० एम०	1,000	520
9.	सुरतगढ़ 480 सी० बी० एम०	1,000	520
10.	भीमल 480 सी० बी० एम०	1,000	520
11.	निम्बाहेड़ा 400 सी० बी० एम०	1,000	520

1	2	3	4
12.	श्रीमाधोपुर 500 सी० बी० एम०	1,000	400
13.	चोमू 300 सी० बी० एन० एम०	1,000	700
14.	फतेहपुर 300 सी० बी० एन० एम०	1,000	700
	(ङ) सी-डोट 512 पी/आई० एल० टी० 512-पी :		
1.	अमेठ 200 सी० बी० एन० एम०	400	200
2.	अनूपगढ़ 200 सी० बी० एन० एम०	384	184
3.	बयाना 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
4.	भद्रा 200 सी० बी० एन० एम०	384	184
5.	भवानीमंडी 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
6.	डेगाना 300 सी० बी० एन० एम०	400	100
7.	फतेहनगर 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
8.	लडनून 200 सी० बी० एन० एम०	384	184
9.	लूनकारसर 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
10.	सूदमुपुर 300 सी० बी० एन० एम०	400	200
11.	परतापुर 200 सी० बी० एन० एम०	400	200
12.	पीलीबंगा 300 सी० बी० एन० एम०	400	100
13.	प्रतापगढ़ 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
14.	सदूलशहर 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
15	नोहर 360 सी० बी० एन० एम०	384	24
16.	नोखा 300 सी० बी० एन० एम०	424	124
17.	सलुम्बर 150 सी० बी० एन० एम०	400	250
18.	संछोरे 150 सी० बी० एन० एम०	400	250
19.	सोजट रोड 200 सी० बी० एन० एम०	400	200
20.	श्रीडूंगरगढ़ 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
21.	श्रीकरनपुर 300 सी० बी० एन० एम०	384	84

1	2	3	4
	(च) ई० एस० ए० एक्स—-200 (पी० ए० एम०)		
	1. गंगापुर 150 सी० बी० एन० एम०	192	42
	2. श्रीविजयनगर 200 सी० बी० एन० एम०	384	184
	3. गोलूवाला 150 सी० बी० एन० एम०	192	42
	4. सैला 100 सी० बी० एन० एम०	192	92
	(छ) सी-डाट 128 पोर्ट 60 यूनिटें	5,280	2,640
	(ज) एम० आई० एल० टी० 64 पोर्ट 40 यूनिटें	2,240	1,120 एएए

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित एक्सचेंजों का 1-4-1992 से अब तक अर्थात् 22-7-1992 तक विस्तार कर दिया गया है :—

क्रम सं० 31-3-1992 को मौजूदा क्षमता सहित एक्सचेंज का नाम	चालू की गई नई क्षमता	बढ़ाई गई निवल स्विचन क्षमता
1. बाड़ी 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
2. घरसाना 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
3. केसरीसिंहपुर 300 सी० बी० एन० एम०	384	84
4. करौली 300 सी० बी० एन० एम०	484	124
5. मुकन्दगढ़ 300 सी० बी० एन० एम०	320	20
6. बेगुन 100 सी० बी० एन० एम०	176	76
7. खेरवाड़ा 150 सी० बी० एन० एम०	176	26
8. कपासन 100 सी० बी० एन० एम०	176	76
9. सादड़ी 100 सी० बी० एन० एम०	166	26
10. मारवाड़ जंक्शन 150 सी० बी० एन० एम०	176	26
11. बागीडोगरा 100 सी० बी० एन० एम०	176	76
12. नादबाई 300 सी० बी० एन० एम०	384	84

[हिन्दी]

कार/मोबाइल टेलीफोन

2734. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम नरेश सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन शहरों में चलते फिरते (मोबाइल) टेलीफोन शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) मोबाइल टेलीफोनों के संचालन सम्बन्धी लाइसेंस पाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) ऐसे आवेदनों पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) देश में मोबाइल टेलीफोन शुरू करने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है; और

(ङ) यह प्रणाली किन-किन स्थानों पर शुरू की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जिन शहरों में मोबाइल टेलीफोन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, उनके नाम हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास।

(ख) चार शहरों में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू करने के लिए मांगे गए टेंडरों के अंतर्गत 30 टेंडरदाताओं ने बोली लगाई है।

(ग) इन बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) इन सेवाओं के प्रचालन के लिए लाइसेंस देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बीच देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालन में लाए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) यह सेवा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में शुरू की जानी है।

[अनुवाद]

लम्बित पनबिजली परियोजनायें

2735. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास राज्यवार कितनी पनविद्युत परियोजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक पनविद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 7244 मे० वा० की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली उन्नीस जल विद्युत परियोजनाओं (प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति/मूल्यांकिन किया जा चुका है और इनके सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जानी है। इन परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित इनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति अन्तर्राज्यीय पहलुओं के सन्दर्भ में स्वीकृति आदि जैसी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति एवं 100 करोड़ रुपये से कम लागत वाली विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3100 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली सोलह जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिष्ठापित क्षमता सहित इन परियोजनाओं की राज्यवार सूची सलग्न विवरण-II में दी गई है। के० वि० प्रा० द्वारा परियोजनाओं की व्यवहार्यता के प्रति संतुष्टि होने के बाद तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि वह अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट की गुणवत्ता और तकनीकी एव वित्तीय आंकड़ों की पर्याप्तता पर निर्भर करती है।

विवरण-I

100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली जल विद्युत परियाजनाओं की सूची जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति/मूल्यांकित कर दिया गया है और योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

क्र०सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
पंजाब		
1.	शाहपुर कण्डी	160
2.	एस० वाई० एल० केनाल	50

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
3.	बास्पा-2	300
4.	बामवाड़ी सुन्दा	70
5.	कोल डैम (एच० पी०-एन० जे० पी० सी०)	800
6.	चमेरा चरण-2 (एच० पी०-एन० एच० पी० सी०)	300
जम्मू एवं कश्मीर		
7.	सावलकोट (जे० एण्ड के० एन० एच० पी० सी०)	600
8.	बग्लिहर (जे० एण्ड के०-एन० एच० पी० सी०)	450
उत्तर प्रदेश		
9.	कोटेश्वर (उत्तर प्रदेश-एन० एच० पी० सी०)	400
10.	टिहरी डैम-2 पी० एस० एस० (उत्तर प्रदेश—टी.एच.डी.सी.)	1000
	जोड़ उत्तरी क्षेत्र	4138
प० क्षेत्र		
मध्य प्रदेश		
11.	महेश्वर	400
12.	घाटघर पी० एस० ए०	250
	जोड़ प० क्षेत्र	650
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश		
13.	प्रियदर्शिनी जुराला	221
कर्नाटक		
14	सारापाडी	90
	जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	311

1	2	3
	पूर्वी क्षेत्र	
	सिक्किम	
15.	तीस्ता चरण-3 (एन० एच० पी० सी०)	1200
	प० बंगाल	
16.	फरक्का बराज	125
	जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1325
	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	
	मणिपुर	
17.	कामेंग अरुणाचल प्रदेश (नीपको)	600
	मिजोरम	
18.	धालेश्वरी मिजोरम (एन० एच० पी० सी०)	120
	असम	
19.	कोपिली विस्तार (नीपको)	100
	जोड़ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	820
	कुल जोड़ :	7244

विवरण-II

तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु के० वि० प्रा० को प्रस्तुत जल विद्युत परियोजना की सूची :—

क्र० स०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)
1	2	3
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	शितकारी	04
2.	न्यू गैंदरबल	45

1	2	3
3.	पारब्राई	37.50
4.	किशन गंगा	330
5.	लोअर कननाई	50
6.	सुरू	9.6
हिमाचल प्रदेश		
7.	नियोगल	10
8.	मालाना	86
उत्तर प्रदेश		
9.	गौरी गगा चरण-3 क एवं 3 ख	140
महाराष्ट्र		
10.	पिम्पलगांव जोग पी० एस० एस०	600
आन्ध्र प्रदेश		
11.	नागार्जुन सागर पी० एस० एस०-I पौण्ड डैम	50
12.	लोअर जुराला	147.6
केरल		
13.	पुथकिट्टू	30
प० बंगाल		
14.	पुरुलिया पी० एस० एस०	900
मिजोरम		
15.	तुईरियल/ऐगेव	60
अरुणाचल प्रदेश		
16.	दीवे/लोहित	520
		3099.7

एयर इण्डिया द्वारा विमान की खरीद

2736. **श्री गुरुदास कामत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी बैंकों ने एयर इण्डिया द्वारा बोइंग 747-400 विमान की खरीद के लिए धन देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने बोइंग विमान खरीदे जायेंगे और कितनों के लिए धन प्राप्त होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री : (श्री माधवराव सिंधिया) (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान एयर इंडिया द्वारा चार बोइंग 747-400 विमानों की खरीद की वित्त व्यवस्था के लिए मैसर्स ए० एन० ज़ेड० ग्रीडलेज़ तथा सिटी बैंक ने, अमेरिका के एग्जिम बैंक द्वारा गारंटीकृत 600.039 मिलियन अमरीकी डालर तथा बैंकों के समूह से 74.214 मिलियन अमरीकी डालर के वाणिज्यिक ऋण की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

"फैक्स" के माध्यम से तार

2737. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीआर्डरों को शीघ्रता से भेजने के लिए "फैक्स" का प्रयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "तार" को शीघ्रता से भेजने के लिए "फैक्स" का प्रयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मनीआर्डर भेजने के लिए फैक्स मशीन का इस्तेमाल करने का प्रयोग हाल ही में एक सप्ताह तक किया गया था। यह निर्णय लेना अभी ज्यादा ही असामयिक होगा कि यह प्रयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगा या नहीं।

[अनुवाद]

घग्घर नदी पर स्थायी समिति

2738. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घघर नदी पर कोई स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घग्घर के जल के उपयोग हेतु प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की गई है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा वर्ष 1978 में गठित घग्घर तकनीकी समिति का वर्ष 1990 में घग्घर स्थायी समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया था । इस समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(i) घग्घर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास कार्यों की जांच करना, समन्वय करना तथा उनके कार्यान्वयन की प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।

(ii) घग्घर बेसिन में विभिन्न स्कीमों की अन्तर्राज्यीय दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करना ।

केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबन्ध) इस समिति के अध्यक्ष हैं और आयुक्त (सिन्धु), जल संसाधन मंत्रालय, मुख्य इंजीनियर, बाढ़ प्रबन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, निदेशक, बेसिन आयोजन तथा प्रबन्ध संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, मुख्य परियोजना इंजीनियर, उत्तरी रेलवे और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के जल निकास/सिंचाई के मुख्य इजीनियर इसके सदस्य हैं ।

(ग) वह मुख्य स्कीमें जिन पर अब तक हुई तीन बैठकों में विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श किये जाने का प्रस्ताव था :—

(i) राजस्थान में घग्घर बाढ़ नियंत्रण स्कीम ।

(ii) घग्घर बेसिन में पंजाब की बाढ़ नियंत्रण स्कीमें, (iii) हरियाणा में घग्घर नदी पर तटबन्ध के निर्माण के लिए परियोजना अनुमान और (iv) हरियाणा में घग्घर बांध परियोजना ।

(घ) समिति द्वारा उक्त स्कीमों पर विचार करने की स्थिति इस प्रकार है :—

उक्त मद (i) में किए गए प्रस्ताव की तुलना में तीन प्राथमिकता बाढ़ नियंत्रण और जल निकास स्कीमों, जिसमें राजस्थान में व्यापक घग्घर बाढ़ नियन्त्रण स्कीम का एक भाग शामिल है, को स्थायी समिति द्वारा अन्तर्राज्यीय दृष्टि से स्वीकृत किया गया । उक्त मद (ii) के अन्तर्गत स्कीम पंजाब सरकार द्वारा अभी तैयार की जानी है और प्रस्तुत की जानी है । राजस्थान सरकार, केन्द्रीय जल आयोग तथा मुख्य इंजीनियर उत्तरी रेलवे द्वारा मद सं० (iii) के अन्तर्गत स्कीम पर दी गई टिप्पणियों पर हरियाणा सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है । उक्त मद (iv) की स्कीम अभी हरियाणा सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जानी है ।

असम में नये डाक घर

2739. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **संचार मंत्री** असम में नये डाक घरों के बारे में 30 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न 5128 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में वर्ष 1992-93 के दौरान नये डाक घर खोलने संबंधी लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर 1992-93 के दौरान नये डाक घर खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असम में 1992-93 में नए डाकघर खोलने के लक्ष्य को जल्दी ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

2740. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के उपायों की पुनरीक्षा करने/सुझाव देने के लिए गठित की गयी बाढ़ नियंत्रण समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं,

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मुख्य सिफारिशों में, जिसमें लघु और दीर्घावधिक दोनों उपाय शामिल हैं, बाढ़ पूर्वानुमान एवं बाढ़ प्रूफिंग, निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करने, बाढ़ प्रबन्ध कार्यों के अनुरक्षण और उनके मूल्यांकन आदि जैसे गैर-सरचनात्मक उपायों पर बल दिया गया है।

(ख) से (घ) समिति की रिपोर्ट राज्य और केन्द्रीय विभागों को भेज दी गई थी। इसके बाद उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इसकी पुनरीक्षा की गयी तथा इस पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई को भी जनवरी, 1991 में उन्हें भेज दिया गया था।

उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना के कारण गांवों का डूबना

2741. **श्री सुबास चन्द्र नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना के अन्तर्गत कितने गांव डूब गये हैं और इसके पूरा होने तक कितने और गांवों के डूबने की आशंका है;

(ख) गांवों के डूबने से कुल कितनी जनसंख्या विस्थापित हो जाएगी और अब तक कितने लोगों को विस्थापित किया जा चुका है;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को आश्रय और भूमि देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना के पूरा हो जाने पर 95 गांवों (65 पूर्णतः और 30 आंशिक) के जलमग्न हो जाने की सम्भावना है। इनमें से 45 गांव जलमग्न हो गये हैं।

(ख) जलमग्नता के कारण लगभग 4851 परिवारों के विस्थापित हो जाने की सम्भावना है। इनमें से 2286 परिवारों के घरों को खाली करा दिया गया है।

(ग) और (घ) विस्थापित परिवारों ने स्वयं अपने पुनर्वास प्रबन्ध करने का विकल्प दिया है भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के अतिरिक्त उन्हें कृषि और वास भूमि के स्थान पर नकद अनु-अनुदान तथा मकान के निर्माण के लिए प्रति परिवार 17,000 रुपए की राशि दी गई है। उन्हें पुनर्स्थापना के स्थान पर अपने घरेलू सामान की ढुलाई के लिए परियोजना द्वारा निःशुल्क परि-वहन भी प्रदान किया गया है।

बुकिंग सुविधाएं

2742. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोप और इंग्लैंड में, भारत में इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की विमान की सीटों को कम्प्यूटर द्वारा बुक करने की वर्तमान सुविधा की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन देशों में टिकट बेचने वाले एजेंटों की नियुक्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंन ने यूरोप में एजेंटों की नियुक्ति के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है।

गुवाहाटी में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2743. **श्री किरिप चालिहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुवाहाटी में कार्यरत इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजो का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान गुवाहाटी के आस-पास स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी रंगय्या नायडू) : (क) गुवाहाटी में वर्तमान में समय में कार्य कर रहे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

—गुवाहाटी ई-10 बी मुख्य—3000 लाइनें

—दिसपुर ई-10 बी दूरस्थ लाइन यूनिट—3600 लाइनें

—सलुकदारी ई-10 बी दूरस्थ लाइन यूनिट—1000 लाइनें

—बोरझर सी-डॉट आर ए एक्स 128 पोर्ट

—चन्द्रपुर सी-डॉट आर ए एक्स 128 पोर्ट

—सोलकुची सी-डॉट आर ए एक्स 128 पोर्ट

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की संख्या का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

—89-90	—शून्य
—90-91	—2
—91-92	—4

(ग)—आठ 128 पोर्ट सी-डॉट आर ए एक्स एक्सचेंज।

—नुनमटी में एक ई-10 बी 600 लाइन दूरस्थ लाइन यूनिट।

—चालू वर्ष के दौरान एक 512 पोर्ट आईएलटी चालू किया जाना है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन स्थलों का विकास

2744. **श्री बी॰ एल॰ शर्मा 'प्रेम'** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन महत्व के स्थानों को विकसित करने तथा दिल्ली में और अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अब तक निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	पुराने किले पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	25.00
2.	कुतुब मीनार, लाल किला, सफदरजंग के मकबरे तथा निजामुद्दीन के मकबरे पर आधारभूत सुविधाओं में सुधार	20.00
3.	मेले और उत्सव	10.00

[अनुवाद]

टी० वी० धारावाहिकों के चयन के संबंध में जांच

2745. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री गुरुदास कामत :
श्री गुमान मल लोढा :
श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन द्वारा टी० वी० धारावाहिकों के चयन के संबंध में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिये हैं;

(ख) क्या विभिन्न धारावाहिकों के चयन में प्रथमदृष्टया हेराफेरी करने का मामला पाया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रवर समिति पर धारावाहिकों का चयन किए जाने में हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया है;

(घ) सी० बी० आई० की रिपोर्ट में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) स्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृत किये गये धारावाहिकों की संख्या कितनी कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस्पात संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

2746. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान इस्पात संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कन्सोर्टिया सहित किन-किन पार्टियों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तथा उन पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं और जारी किये गये आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) नवीकरण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए इन प्रस्तावों के अधीन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को कितना शेयर दिया गया है अथवा देने का विचार है और उन एजेंसियों का नाम क्या है तथा उनमें से प्रत्येक को कितना शेयर दिया गया है अथवा दिया जायेगा ?

इस्पात राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकारी क्षेत्र के वर्तमान इस्पात संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न पार्टियों से प्राप्त पुस्तकों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों के नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (आधुनिकीकरण) से सम्बन्धित प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूर प्रदान कर दी गयी है। इन दोनों संयंत्रों के संबंध में दिये गये आर्डरों का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-II और III में दिया गया है।

(ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) और बोकारो इस्पात संयंत्र (बी० एस० एल०) दोनों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों को दिए जाने वाले कार्य का अंश, उनकी तकनीकी उपयुक्तता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर निर्भर करेगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 319.60 करोड़ रुपये तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 484.63 करोड़ रुपये के आर्डर इन संयंत्रों द्वारा इन एजेन्सियों को सीधे दिए गए हैं जिनका ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-IV और V पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

सरकार को सेल के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण/नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को)

(i) दस्तूर कम्पनी की शक्यता रिपोर्ट पर आधारित दिसम्बर, 1977 का इस्को का प्रस्ताव।

(ii) सोवियत (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट)/मेकन की शक्यता रिपोर्ट पर आधारित दिसम्बर, 1983 का 'सेल' का प्रस्ताव।

(iii) जापानीज इण्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी द्वारा तैयार की गयी शक्यता रिपोर्ट पर आधारित 1987 का 'सेल' का प्रस्ताव।

(iv) 5 जापानी कन्सलिटग कंपनियों के संघ से सितम्बर, 1989 का प्रस्ताव।

मैसर्स बिरला टेक्निकल सर्विसेज के नेतृत्व में नेशनल कंजोरियम से मार्च, 1990/फरवरी, 1991 के प्रस्ताव।

(v) 'मेकन' की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के संघ से मार्च, 1991 का प्रस्ताव।

(vi) दस्तूर एण्ड कम्पनी के कास्ट रिडक्शन स्टडी पर आधारित अगस्त, 1990 (तदनुसार 1 सितम्बर, 1991 में अद्यतन किया गया) 'सेल' का प्रस्ताव।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बी० एस० एल०)

(i) दो कन्वर्टर शोलाओं के पुनर्निर्माण, सतत ढलाई विभाग की स्थापना और हॉट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण तथा सम्बन्धित सुविधाओं, जिन्हें सोवियत रूसियों के सहयोग से दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना है के लिए फरवरी, 1990 का सेल का प्रस्ताव।

(ii) आधुविकीकरण के लिए वैकल्पिक नीति पर आधारित अप्रैल, 1992 का सेल का संशोधित प्रस्ताव।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी० एस० पी०)

(i) नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) के लिए नवम्बर, 1986 का सेल तथा प्रस्ताव।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर० एस० पी०)

(i) नवीकरण तथा औद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) के लिए अप्रैल, 1986 तथा सितम्बर, 1988 के 'सेल' के प्रस्ताव।

अनुलग्नक-II

उन पार्टियों के नाम जिन्हें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आर्डर देने का अन्तिम रूप दिया गया है

पैकेज-वार ठेकेदारों/ठेका मूल्य

क्र० सं०	पैकेज	ठेकेदार	ठेके का मूल्य (करोड़ रुपए)	ठेके की तारीख
1	2	3	4	5
(क)	अन्तर्राष्ट्रीय पैकेज			
1.	रॉ मेटिरीयल हैण्डलिंग काम्प्लेक्स	कुरूप्प इंडस्ट्री टेकनिक (के० आई०) एफ० आर० जी० कंसोर्टियम :		17-03-89
		(क) के० आई०	50.17	
		(ख) टी० पी० ई०	2.58	
		(ग) एच० एस० सी० एल०	118.79	
		(घ) बी० टी० एस०	213.89	
		(ङ) डोडसाल	12.34	
		कुल :	397.77	
		(एफ० ई० :	52.57)	
2.	सिन्टर प्लॉट	टी० पी० ई० लेड कंसोर्टियम :		17-03-89
		(क) टी० पी० ई०	66.51	
		(ख) एच० एस० सी० एल०	20.13	
		(ग) बी० टी० एस०	31.29	
		(घ) डोडसाल	3.38	
		कुल :	121.31	
		(एफ० ई० :	51.71)	

1	2	3	4	5
3.	ब्लास्ट फर्नेस	टी० पी० ई० लेड कंसोर्टियम :		17-03-89
		(क) टी० पी० ई०	152.48	
		(ख) एम० डी० एच०	45.84	
		(ग) एच० एस० सी० एल०	49.09	
		(घ) बी० टी० एस०	88.01	
		(ङ) डोडसाल	3.10	
		कुल :	338.52	
		(एफ० ई० :	145.62)	
4.	बेसिक आक्सीजन फर्नेस	एम० डी० एच० लेड कंसोर्टियम :		17-03-89
		(क) एम० डी० एच०	213.60	
		(ख) टी० पी० ई०	43.98	
		(ग) बी० टी० एस०	128.41	
		(घ) डोडसाल	188.70	
		कुल :	574.69	
		(एफ० ई० :	257.58)	
5.	कन्टिन्युअस कास्टिंग	कंकास्ट ए० जी० लेड कंसोर्टियम :		18-05-89
		(क) कंकास्ट ए० जी०	38.59	
		(ख) एल० एण्ड टी०	139.90	
		कुल :	178.49	
		(एफ० ई० :	38.47)	

1	2	3	4	5
6.	रोलिंग मिल्स (पार्ट-I)	सियमपेलकैंप, एफ० आर० जी० लेड कंसोर्टियम :		29-03-90
		(क) सियमपेलकैंप	33.28	
		(ख) इस्कान कंसूलटेंट	12.58	
		कुल :	45.86	
		(एफ० ई० :	33.28)	
7.	रोलिग मिल (पार्ट-II)	एच० एण्ड के०, एफ० आर० जी० लेड कंसोर्टियम :		31-10-89
		(क) एच० एण्ड के०, एफ० आर० जी०	4.95	
		(ख) एच० एण्ड के० रोलिंग मिल इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०	18.61	
		कुल :	23.56	
		(एफ० ई० :	4.95)	

एफ० ई०—**विदेशी मुद्रा**

(ख) **स्वदेशी पैकेज**

1.	ओर प्रोसेसिंग प्लांट, बोलानी	एच० एस० सी० एल०	59.36	11-2-89
2.	(क) कोक ओवन बैटरी	ओट्टो (इंडिया)	69.70	24-2-89
	(ख) बाई-प्रोडाक्ट प्लांट	ई० पी० आई०	54.95	6-6-89
3.	हॉट मेटल लैडल रिपेयर शॉप	ब्रेथवेट	7.36	30-5-88
4.	वाइम कैसिनेशन प्लांट	वोलकाम इंजीनियर्स	23.11	21-7-88
5.	प्लांट वाटर सप्लाई	ई० पी० आई०	7,11	28-5-88

1	2	3	4	5
6.	रिपेयर शॉप एण्ड इंस्ट्रू-मेंनटेशन स्टोर	एच० एस० सी० एल०	2.81	6-10-88
7.	पावर डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड एरिया लाइटिंग	ए० बी० बी०	128.18	11-2-89
8.	व्हील एण्ड एक्सल प्लांट (आधु०)	एच० ई० सी०	41.23	21-12-89

टी० पी० ई०	त्याजप्रोमेक्सपोर्ट सोवियत संघ
एच० एस० सी० एल०	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
बी० टी० एस०	बिरला टेक्निकल सर्विसेज
डोडसाल	डोडसाल लिमिटेड
एम० डी० एच०	मैन्नेसमन्न डिमाग हूटेन्टिक, पश्चिम जर्मनी
कंकास्ट ए० जी०	कंकास्ट स्टैण्डर्ड ए० जी० स्वीटजरलैण्ड
एल० एण्ड टी०	लार्सेन एण्ड ट्युब्रो लिमिटेड
सियम्पेलकैंप	सियम्पेलकैंप प्रेस्सेन सिस्टम, पश्चिम जर्मनी
इस्कॉन	इस्कॉन कंस्लटेंट्स (प्रा०) लिमिटेड
एच० एण्ड के०	होयसटेंबर्धी एण्ड क्लश्च जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी
ए० बी० बी०	एशिया ब्राउन बोवेरी
ई० बी० आई०	इंजीनियरी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एच० ई० सी०	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक—III

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए पार्टियों के नाम जिन्हें दिए गए आर्डरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

क्र०सं०	पैकेज	एजेंसी	संविदागत मूल्य (करोड़ रुपये)	आशय पत्र दिनांक
(क)	चरण-I			
1.	मोबाइल इक्विपमेंट फॉर रॉ मेटि-रीयल हैंलिंग सिस्टम (001	इलेकन	17.46	16.2.89
2.	रॉ मेटिरीयल हैण्डलिंग सिस्टम (006)	ई०पी०आई०	130.40	19.5.89

1	2	3	4	5
3.	कोल हैंडलिंग सिस्टम (013)	टी०आर०एफ०	85.71	19-5-89
4.	आक्सीजन प्लांट (014)	बी०एच०पी०बी०	49.70	25-5-89
5.	सिन्टर स्क्रीनिंग एण्ड कनवेयराइजेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेज (008)	मेकन	30 98	27-2-89
6.	पावर डिस्ट्रीब्युशन (024)	सीमेंस	14.15	19-5-89
7.	डोलोमाइट ब्रिक प्लांट (012)	मेकन	28.88	26-9-89
8.	कम्बाइंड ब्लोइंग इन डी० डी० कनवर्ट्स (028)	सीमेंस/ रेडेक्स	1.34 1.85	21-3-90 17-4-90
9.	कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन (009)	ई०पी०आई०	8.99	11-7-90
चरण-II				
अन्तर्राष्ट्रीय				
1.	सिन्टर प्लांट	टी०पी०ई०/रूस	238.88	29-4-92
2.	एल० डी० कन्वर्टर्स एण्ड इन एस० एम० एस०-II (104.1)	टी०पी०ई०/रूस	621.01	29-4-92
3.	स्लैब कास्टिंग शॉ इन एम० एस० एम०-II (104.2)	एम० डी० एच०/ जर्मनी	550.23	29-4-92
4.	एच० एस० एम० एण्ड पी० एम० मोडिफिकेशन (106.02)	एम० डी० एस०/ जर्मनी	549.85	30-4-92
स्वदेशी				
1.	आक्सीजन प्लांट (107)	बी०एच०पी०बी	43.00	1-8-89
2.	पावर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम (109)	सीमेंस	19.50	29-1-91
3.	लेडल रिपेयर शॉप (111)	ब्रेथवेट	12.40	25-1-91
4.	सतना मेंसिंजिग प्लांट (110)	बीके	5.53	9-2-91
5.	मोबाइल इक्वीपमेंट फॉर रॉ मिटिरीयल हैंडलिंग (113)	इलेकन	5.80	30-3-91

1	2	3	4	5
6.	सिंटर प्लांट-2 से कन्वेयर तक (103 2)	ब्रेथवेट	19.54	31-5-91
7.	मेक अप वाटर वर्क्स फॉर तारकेरा पम्प हाऊस एक्सटेंसन (131.1)	वकतावर	12.50	28-5-91
8.	रॉ मिटिरीयल हैंडलिंग सिस्टम (101)	एच० ई० सी०	92.72	29-4-91
9.	कैलसिनिंग प्लांट (105)	ई०पी०आई०	46.94	9-7-91
10.	सिगनलिंग एण्ड कम्युनिकेशन सिस्टम (124)	क्राम्पटन ग्रीव्स	3.10	7-6-91
11.	एम० पी० बायलर प्लांट (108)	आई०जे०टी०	13.56	30-3-91
12.	रिलोकेशन ऑफ डिवाइडिंग लाइन नं० 3 (108.3)	मेकन	21.24	4-1-92
13.	पार्शियल ब्रिक्विटिंग ऑफ कोल चार्ज (102)	बीके	62.43	जून, 92
14.	तारकेरा इंटेक वेल एण्ड एप्रोच ब्रिज (131.4)	गैमन	7.82	20-2-92

अनुलग्नक-IV

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए सेल/डी०एस०पी० द्वारा टर्नकी पैकेजों के लिए सरकारी क्षेत्र के संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए आर्डरों का ब्यौरा—

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	पैकेज	सरकारी क्षेत्र के संगठन	आर्डर का मूल्य
1	2	3	4
1.	कच्चा माल संभाल पैकेज	एच०एस०सी०एल० (संघ सदस्य)	118.79
2.	सिन्टर प्लांट	—वही—	20.13
3.	धमन भट्ठी	—वही—	49.09
4.	अयस्क प्रक्रमण संयंत्र	एच० एस० सी० एल०	59.36

1	2	3	4
5.	उपोत्पाद संयंत्र	ई० पी० आई०	54.95
6.	हॉट मेटल लैडल रिपेयर शाप	ब्रेथवेट	7.36
7.	संयंत्र जल आपूर्ति	ई० पी० आई०	7 11
8.	मरम्मतशाला तथा उपकरण भण्डार	एच० एस० सी० एल०	2.81
			319.60 करोड़ रुपये

2032.78 करोड़ रुपये में से 319.60 करोड़ रुपये

एच० एस० सी० एल०—हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड

ई० पी० आई० —इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

अनुलग्नक-V

आधुनिकीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र के एजेंसियों को राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा दिया गया अन्तिम रूप के ऑर्डर का ब्यौरा।

क्र०सं०	पैकेज	एजेंसी	संविदागत मूल्य (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
(क)	**चरण–I**		
1.	रॉ मेटिरीयल हैंडलिंग सिस्टम (006)	ई०पी०आई०	130.40
2.	आक्सीजन प्लांट (014)	बी०एच०पी०वी०	49 70
3.	सिन्टर स्क्रीनिंग एण्ड कनवेयराइजेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेज (008)	मेकन	30.98
4.	डोलोमाइट ब्रिक प्लांट (012)	मेकन	28.86
5.	कॉस्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन (009)	ई०पी०आई०	8.99
(ख)	**चरण–II**		
1.	आक्सीजन प्लांट् (107)	बी०एच०पी०वी०	43 00
2.	लेड्ल रिपेयर शॉप (111)	ब्रेथवेट	12.40

1	2	3	4
3.	सिन्टर प्लॉट-2 से कन्वेयर्स तक (103.2)	ब्रेथवेट	19 50
4.	रॉ मेटिरीयल हैण्डलिंग सिस्टम (101)	एच०ई०सी०	92.70
5.	कैलसिनिंग प्लॉट (105)	ई०पी०आई०	46 90
6.	रिलोकेशन ऑफ डिवाइडिंग लाइन नं०-3 (106.3)	मेकन	21.20
			484.63

ई० पी० आई० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इडिया) लि०

बी० एच० पी० वी० भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल लि०

मेकन मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स (इंडिया) लि०

एच० ई० सी० हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ऑफ इडिया लि०

केन्द्रीय क्षेत्र से तमिलनाडु को बिजली का आवंटन

2747. **श्री बी० देवराजन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से राज्यों को बिजली का आवंटन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी है;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने और कमी को दूर करने हेतु राज्य की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की विद्युत का आबंटन करने के लिए बर्तमान मानदण्डों के बारे में विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) से (घ) अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र तथा अखिल भारत आधार पर क्रमशः 12.1% एवं 10.1% बिजली की कमी की तुलना में तमिलनाडु में 2.3%

बिजली की कमी रही। तमिलनाडु में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्रतापूर्वक चालू करना, अल्प अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों की कार्यकुशलता में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों को कम करना, मांग प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से अल्पता वाले क्षेत्रों में बिजली का अन्तरण करना आदि शामिल है।

विवरण

(क) **केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को बिजली के आबंटन हेतु वर्तमान मानदण्ड :**

(1) कुल उत्पादित विद्युत क्षमता का 15% भाग "अनावंटित" भाग के रूप में केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा ताकि समग्र आवश्यकता के आधार पर इसे संबंधित क्षेत्र में अथवा उससे बाहर वितरित किया जा सके।

(2) विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित बिजली में से 12% बिजली क्षेत्र के उन राज्यों (वह राज्य सहित जिसमें जल विद्युत परियोजना अवस्थित है) को निःशुल्क वितरित की जाएगी जिनमें परियोजना को अधिष्ठापित किए जाने के कारण जलमग्नता, जनसंख्या के विस्थापन, जैसी विशिष्ट परेशानियां पैदा हो जाती हैं और बिजली का आबंटन इन परेशानियों की व्यापकता के अनुपात में किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ "उत्पादित ऊर्जा" के आंकड़ों की गणना बस बार पर (अर्थात आनुषंगिक उपभोग को कम करने तथा पारेषण हानियों को सम्मिलित किए बिना, (की जाएगी। 12 प्रतिशत निशुल्क विद्युत का आबंटन करने के सन्दर्भ में उक्त परेशानियों की व्यापकता का निर्धारण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों के परामर्श से किया जाएगा।

(3) शेष (73 प्रतिशत) विद्युत को संबंधित क्षेत्र के राज्यों में, विगत के पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय आयोजना सहायता तथा विगत पांच वर्षों में उन राज्यों में बिजली की खपत के आधार पर, दोनों पहलुओं को समान महत्व देते हुए, वितरित किया जाएगा।

(ख) **केन्द्रीय क्षेत्र के ताप/परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत का आबंटन करने के लिए मानदण्ड :**

(1) 15 प्रतिशत को राज्य विशेष की समय-समय पर आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में अनाबंटित रूप में रखा जाता है।

(2) 10 प्रतिशत बिजली उस राज्य को आवंटित की जाती है जिसमें विद्युत केन्द्र अवस्थित है, तथा

(3) शेष 75 प्रतिशत बिजली को क्षेत्र के सभी राज्यों (होम स्टेट सहित) में, उनके द्वारा विगत के पांच वर्षों के दौरान उपभोग की गई बिजली की मात्रा तथा उन्हें प्रदत्त केन्द्रीय आयोजना

सहायता के आधार पर आबंटित किया जाता है। संघ-राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी समुचित आबंटन की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरसंचार सेवाएं

2748. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में और अधिक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के दौरान जिन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है, उनके नाम इस प्रकार हैं :

1. करिटारी 2. टाण्डुआ 3. चुरचू 4. सुल्तान 5. बहराडूचनगर 6. गिड्डी 7. पाण्डू 8. बरकाठा 9. तेनुघाट 10. गण्डे 11. जामुआ 12. देवरी 13. बिरनी 14. गावन 15. इटखोरी 16. मरकायो 17. पिरटारन 18. सदगामा 19. बदाम 20. कोलाबिटर 21. बानी 22. बारिया 23. रायडीह 24. चैनपुर 25. बिशनपुर 26. घाघरा 27. महुआद नगर 28. मारू 29. तांतनगर 30. माघगांव 31. कूचई 32. ईयागढ़ 33. जलडीह 34. महूदा-35 कारोन 36 महेश मुण्डा 37. नौनीहाट 38. महागमा 39. नवाडीह 40. महराजपुर 41. चकई 42. घोसी 43. इस्लामपुर 44. धनौरा 45. कूर्था 46 सिलाओ 47. रूपौली 48. आजमनगर 49, चौसा 50. नारायणपुर 51. बिहपुर 52. माजरगे 53. घोरई 54. कटैया 55. सिघा 56. घेंघ 57. भठनाहा 58. बाजपट्टी 59. सिमरी 60. लड़ानिया।

2. जिन ग्राम पंचायतों में एक्सचेंजों का होना न्यायसंगत नहीं है वहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना हेतु जापान से सहायता

2749. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम विद्युत परियोजजना हेतु जापान की सरकार ने 77 करोड़ रुपये की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता से किन-किन कार्यों को शुरू करने का विचार है तथा विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम बांया तट पावर हाउस (900 मेगावाट) के लिए ओ० ई० सी० एफ० जापान में फरवरी, 1988 में हस्ताक्षर किए गए ऋण समझौते के अन्तर्गत 26,101 मिलियन येन (वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग 548 करोड़ रुपये) ऋण प्रदान किया है। इस सहायता का समुपयोजन विद्युत उत्पादन यूनिटों का प्रापण तथा अन्य संबंधित उपस्करों तथा सेवाओं, सुरंग तथा पावर हाउस के सिविल कार्यों की लागत तथा परामर्शी सेवाओं के लिए किया जाएगा।

श्रीसैलम विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना को भी 1992-93 के दौरान ओ० ई० सी० एफ० की सहायता के लिए भेजा गया था और जून, 1992 में पेरिस में आयोजित भारत सहायता सघ (एड इंडिया कन्सोर्टियम) की बैठक में जापान सरकार ने इस परियोजना के लिए 3806 मिलियन येन की ऋण सहायता देने का अनुरोध किया था।

दिल्ली में यमुना नदी के सुधार की योजना

2750. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के सुधार की कोई योजना बनायी गयी है और क्या केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे से यमुना नदी के सुधार के बारे में अध्ययन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी का नहरीकरण करने के वास्ते भौतिक मॉडल अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे ने से अनुरोध किया है केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे अन्तरिम ड्राफ्ट रिपोर्ट ही प्रस्तुत की है, जिसमें यमुना की निम्न पहुंच शामिल है। केन्द्रीय जल आयोग ने इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिल्ली प्रशासन को सुझाव दिया है। अभी तक दिल्ली प्रशासन से व्यापक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नई पुनर्वास नीति

2751. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री एन० जे० राठवा :
श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बड़े और मझौले बांधों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का विभिन्न राज्यों में समुचित एवं समान पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के निर्णयाधीन नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत पुनरुत्पादन, बाढ़ नियंत्रण (घरेलू और औद्योगिक प्रयोग) आदि जैसे बहु-उद्देश्यीय लाभ प्राप्त करने के लिए देश में कई नदी घाटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें जलाशयों, नहरों आदि का निर्माण सम्मिलित है, जिसमें परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनस्थापना की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में जिसमें भौतिक, सामाजिक आर्थिक, भू-भौतिकी, जलवायु, सांस्कृतिक परिस्थितियों आदि में काफी भिन्नताएं हैं, सभी क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनस्थापन पैकेज को एक समान रूप से लागू करना व्यवहार्य नहीं है। पुनर्वास और पुनस्थापना की नीतियां विभिन्न राज्यों और विभिन्न परियोजनाओं में भिन्न-भिन्न है। स्थिति की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय नीति दस्तावेज का प्रारूप इस समय विचाराधीन है, जिसमें केवल मोटे तौर पर कुछ मार्गनिर्देशों का उल्लेख किया गया है और पुनर्वास और पुनस्थापना पैकेज के विवरण तैयार करने का कार्य राज्य/परियोजना प्राधिकारियों पर छोड़ दिया गया है।

प्रस्तावित पुनर्वास और पुनस्थापना नीति में अभिज्ञात मार्गदर्शी सिद्धांतों में मोटे तौर पर निम्न विषय सम्मिलित किए गए हैं :

(क) एक व्यापक पुनर्वास और पुर्नस्थाना योजना में परियोजना की स्वीकृति पूर्व शर्त के रूप में रखी जानी चाहिए।

(ख) एक आकर्षक पुनर्वास और पुनस्थापना पैकेज तैयार करना और अधिक संवेदनशीलता और तत्परता के साथ इसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध करना। इससे प्रत्येक परिवार के लिए मकान, कृषि भूमि अथवा अन्य आय प्रदान करने वाला व्यवसाय, पुनस्थापना स्थल पर व्यक्तियों को पहुंचाने और सामग्री ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) इस योजना के निष्पादन के साथ ही सरकारी अधिकारियों, स्वतन्त्र तकनीकी विशेषज्ञों, विधिक विशेषज्ञों, सामुदायिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि निकाय सम्मिलित किए जाने चाहिए।

(घ) पुनर्वास और पुनस्थापना पैकेज में अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक वर्ष

पहले भूमिहीन किसानों, वन क्षेत्रों में अधिक्रमण करने वाले अथवा परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे स्वयं नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना चाहिए ।

(च) सामुदायिक सम्पत्ति, संसाधन आधार, सुख सुविधाओं, सेवाओं सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के नुकसान को पुनर्स्थापना स्थलों पर पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए ।

अन्य शब्दों में योजना में प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए प्रतिपूरक उपायों की सुविधा प्रदान की जाती है ।

(छ) पुनर्स्थापना स्थलों पर पेयजल आपूर्ति, पशुओं के लिए जल आपूर्ति, चराई भूमि और चारा, प्राथमिक पाठशालाएं, पंचायत घर, मुख्य सड़क से पहुंच सड़क और अन्तः सड़क, प्रत्येक घर में विद्युत कनैक्शन और सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तान और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों की वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो पहले पुर्नस्थापित गांवों में मौजूद थी ।

(ज) योजना में आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

राष्ट्रीय जल बोर्ड की उप समिति, जो इसी उद्देश्य के लिए गठित की गयी थी, द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के पश्चात् तैयार किया गया नीति दस्तावेज विचाराधीन है । राष्ट्रीय जल बोर्ड की चौथी बैठक में इस नीति दस्तावेज पर विचार-विमर्श किया गया था, उन पर टिप्पणियां दो माह की अवधि के भीतर प्राप्त होने की संभावना है । इसको अन्तिम रूप देने के लिए आगे विचार विमर्श करने हेतु बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा । राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा दस्तावेज को अन्तिम रूप दे दिए जाने पर उसे राष्ट्रीय जल ससाधन परिषद्, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री और सदस्य कुछ केन्द्रीय मन्त्री और सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री हैं, के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।

[अनुवाद]

मिजोरम में लेंगपुई में विमान क्षेत्र

2752. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में लेंगपुई में विमान क्षेत्र का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्वतीय अवरोधों और ऊंची लागत की की दृष्टि से, लेंगपुई पर हवाई अड्डे का निर्माण करना एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को घाटा

2753. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से अब तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घाटे के कारणों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन० टी० पी० सी०) को 1980 से अब तक कोई घाटा नहीं हुआ है। 1982-83 में जब से इसकी पहली यूनिट शुरू की गई, एन० टी० पी० सी० तब से प्रतिवर्ष लाभ में ही रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा

2754. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने हेतु चुना गया है; और

(ख) इन स्थानों पर यह सुविधा कब तक प्रदान दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी एक्सचेंज में संसाधन उपलब्ध होने पर उत्तरोत्तर रूप से एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

संचार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2755. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में सचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम, जिन्होंने भारत में टेलीकाम उपस्कर बनाने के लिए उत्पादन यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा है, इस प्रकार है—मैं फुजीत्सू आफ जापान, एन० ई० सी० आफ जापान, फ्रांस की सी० आई० टी० अलकाटेल, संयुक्त राज्य अमेरिका की मोटोरोला जर्मनी की सीमेंस, स्वीडन की इरिक्सन, संयुक्त राज्य अमेरिका की ए० टी० एण्ड टी० यू० के० की जी० पी० टी० फिनलैंड की नोकिया।

[अनुवाद]

अनपारा-बी ताप विद्युत परियोजना

2756. श्री जगत बीर सिंह द्रोण :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनपारा-बी० ताप विद्युत परियोजना जिसकी वर्ष 1993-94 में चालू होने की सभावना है, से उत्पादित ऊर्जा के पारेषण हेतु कोई पारेषण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस पारेषण परियोजना के निर्माण की योजना स्वीकृति हेतु सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अनपारा "बी" ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मेगावाट) से बिजली का निष्क्रमण करने की पारेषण प्रणाली को उ० प्र० रा० बि० बोर्ड के सातवीं योजना के दौरान पारेषण सम्बन्धी कार्यों में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की सातवीं योजना के दौरान पारेषण कार्यों (220 किलोवाट तथा उससे अधिक) सम्बन्धी स्कीम को के० वि० प्रा० ने मार्च, 1988 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस स्कीम को योजना आयोग द्वारा अप्रैल 1989 में "सिद्धांत रूप" में स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना आयोग ने वाराणसी स्थित अनपारा-आजमगढ़ 400 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन के अनुवर्ती एल० आई० एल० ओ० को सितम्बर, 1989 में निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की थी। वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण स्कीम के शेष कार्यों के संबंध में निवेश संबंधी औपचारिक निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

बिहार में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य

2757. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य में कहां देरी हो रही है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1992 के दौरान किन-किन स्थानों पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, लेकिन निम्नलिखित दो स्थानों में, उनके आगे दिए कारणों से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित नहीं किए जा सके—

(i) चक्रधरपुर—उपस्कर में तकनीकी खराबी के कारण।

(ii) डालमियानगर—अभी निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) 60 स्थानों में, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्थानों की सूची जहां 1992 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

1. करितारी
2. टांगवा
3. चुरचू
4. सुल्ताना
5. बहराइचनगर
6. गिड्डी
7. पांडू
8. बरकठा
9. तेमुघाट
10. गंडई
11. जमुवा
12. देवरी
13. बिरनी
14. गवन
15. इटखोरी
16. मरकाचू
17. पिरतारन
18. सेदगामा
19. बादाम
20. कोलावीरा
21. बानू
22. बेसमा
23. रायडीह
24. चैनपुर
25. बिशुनपुर
26. घाघरा
27. महुकदानगर
28. गारू
29. तंतनगर
30. माघगांव
31. कुचाई
32. ईचागढ़
33. जालीडीह
34. महुदा
35. करोन]
36. महेशमुण्डा
37. नौनीहाट
38. महागामा

39. नवाडीह
40 महाराजपुर
41. चकाई
42. घोसी
43. इस्लामपुर
44. घनोरा
45. कुरठा
46. सिलाव
47. रूपौली
48. आजमनगर
49. चौसा
50. नारायणपुर
51. बीहपुर
52. मजोरगे
53. घोराई
54. कटैया
55. सिधा
56. घेन
57. बठानाहा
58 पाजपट्टी
59. सिमरी
60. लेडानिया

हिमाचल प्रदेश में टी० वी० ट्रांसमीटर

2758. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति के कितने टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) राज्य में ऐसे ही और टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) हिमाचल प्रदेश में इस समय छः अल्पशक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर, पांच अति अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर और 2 ट्रांसपोजर (100 वाट) कार्यरत हैं।

(ख) इस समय हिमाचल प्रदेश के सुन्दर नगर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और अहजु फोर्ट तथा पालमपुर में एक-एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बोइंग विमान

2759. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग विमानों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) बोइंग एअरक्राफ्ट द्वारा प्रतिदिन कितनी उड़ानें भरी जाती हैं और देश में इन विमानों की संख्या कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विमान का उपयोग वाणिज्यिक संबंधी आवश्यकताओं और उसकी जांच तथा अनुरक्षण कराने की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों, द्विपक्षीय हकदारी आदि भी बेड़े के उपयोग पर प्रभाव डालते हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए, एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के बोइंग बेड़े का सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एअर इंडिया के बेड़े में ग्यारह बोइंग 747 विमान हैं और इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में 23 बोइंग 737 विमान हैं जबकि एअर इंडिया अपने वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, अपने बोइंग 747 विमानों के माध्यम से प्रति सप्ताह औसतन 34 उड़ानों का परिचालन करता है, इंडियन एयरलाइंस अपनी वर्तमान समयावली के अनुसार अपने बोइंग 737 विमानों के द्वारा प्रति सप्ताह औसतन 566 उड़ानों का परिचालन करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय

2760. **श्री जी० माडेगौडा :**
प्रो० के० वी० थामस :
श्री शंकर सिंह वघेला :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) यह प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

एअर इंडिया द्वारा किराये पर लिए गए विमान

2761. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने विदेशों से विमान किराए पर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक विमान के किराये तथा उनके लिए किए गए विदेशी मुद्रा के भुगतान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने ऐरोफ्लोट से एक आई० एल०-62 एम० विमान वेट लीज पर लिया है। एअर इंडिया ने कार्गो सेवा के परिचालन के लिए ऐरोफलोट से एक आई० एल० 76 माल-वाहक विमान भी किराये पर लिया है। वेटलीज/किराये की अदायगी भारतीय रुपए में की जाती है। एअर इंडिया के पास विमान क्षमता में कमी के कारण विमानों को वेट लीज/किराये पर लेना आवश्यक हो गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सहित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2762. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की गयी है; और

(ख) उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां पर 1992-93 के दौरान ऐसे टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिलेवार स्थान जहां 1990-91 और 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० युक्त पी० सी० ओ० लगाए गए हैं और जिन स्थानों पर ६992-93 के दौरान यह सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तव प्रदेश दूरसंचार सर्किल की जिलावार स्थिति

क्रम स०	जिले का नाम	जिन स्थानों पर निम्न वर्ष के दौरान एस० टी० डी० पी० सी० ओ० के स्थापना की गई उनकी संख्या 1990-91	1991-92	1992-93 के दौरान एस० टी० डी० पी० सी० ओ० के लिए प्रस्तावित स्थानों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आगरा	22	90	120
2.	अलीगढ़	4	51	10

1	2	3	4	5
3.	इलाहाबाद	1	84	162
4.	अलमोड़ा	1	शून्य	9
5.	आजमगढ़	3	5	2
6.	बहराइच	2	1	3
7.	बलिया	2	10	2
8.	बांदा	शून्य	शून्य	5
9.	बाराबंकी	6	9	9
10.	बरेली	27	21	10
11.	बस्ती	2	1	3
12.	बिजनौर	शून्य	4	10
13.	बदायूं	1	4	10
14.	बुलन्दशहर	शून्य	22	38
15.	चमोली	2	5	10
16.	देहरादून	4	21	60
17.	देवरिया	1	1	2
18.	एटा	1	3	10
19.	इटावा	2	12	5
20.	फैजाबाद	6	22	5
21.	फर्रुखाबाद	1	3	16
22.	फतेहपुर	शून्य	2	1
23.	फिरोजाबाद	शून्य	2	28
24.	गाजियाबाद	शून्य	153	120
25.	गाजीपुर	2	9	3
26.	गोंडा	शून्य	1	2
27.	गोरखपुर	13	49	3

1	2	3	4	5
28.	हमीरपुर	शून्य	शून्य	5
29.	हरदोई	शून्य	2	5
30.	हरिद्वार	शून्य	6	10
31.	जालौन	शून्य	शून्य	5
32.	जौनपुर	2	8	5
33.	झांसी	3	27	30
34.	कानपुर	9	72	200
35.	कानपुर (ग्रामीण)	शून्य	शून्य	शून्य
36.	लखीमपुर खीरी	शून्य	2	5
37.	ललितपुर	शून्य	शून्य	5
38.	लखनऊ	65	255	153
39.	महाराजगंज	शून्य	2	10
40.	मैनपुरी	2	3	8
41.	मथुरा	3	24	10
42.	मऊनाथभंजन	2	3	2
43.	मेरठ	10	110	128
44.	मिर्जापुर	3	4	3
45.	मुरादाबाद	4	27	9
46.	मुजफ्फरनगर	7	37	25
47.	नैनीताल	शून्य	10	10
48.	पौड़ीगढ़वाल	2	1	13
49.	पीलीभीत	शून्य	8	10
50.	पिथौरागढ़	शून्य	शून्य	10
51.	प्रतापगढ़	शून्य	शून्य	3
52.	रायबरेली	5	3	3

1	2	3	4	5
53.	रामपुर	1	5	9
54	सहारनपुर	10	5	19
55.	शाहजहांपुर	शून्य	13	20
56.	सिद्धार्थनगर	2	शून्य	2
57.	सीतापुर	शून्य	5	5
58.	सोनभद्र	शून्य	7	3
59.	सुल्तानपुर	8	12	2
60.	टिहरी गढ़वाल	शून्य	2	7
61.	उन्नाव	शून्य	12	35
62.	उत्तरकाशी	शून्य	1	5
63.	वाराणसी	15	106	142
	योग	256	1357	1574

महाराष्ट्र में सी डॉट एक्सचेंज

2763. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर सी-डॉट 512 बोर्ड/एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में ऐसे बोर्ड/एक्सचेंज स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये बोर्ड/एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1. नवापुर

2. साहापुर

3. उमरेड

4. तुलजापुर

(ख) जी हां।

(ग) जिलावार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

जिला	स्थान
1. जलगाव	चोपड़ा
2. जलगांव	रावर
3. सांगली	तसगांव
4 पुणे	नारंगांव

(घ) मार्च, 1993 तक।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनायें

2764. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रेटर नौएडा, शाहजहांपुर तथा सुल्तानपुर में गैस पर आधारित परियोजनाओं के लिए गैस लाइन स्वीकृत की है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की अनापरा-बी परियोजना के लिए स्वीकृत की गई धनराशि दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। एच० बी० जे० पाइपलाइन के साथ-साथ अन्य लिंकेज हेतु गैस उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृत 127 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता, अनपारा "ख" परियोजना से संबंधित उपस्करों एवं अन्य माल सामग्री जो कि अपेक्षित शुल्कों का भुगतान न किए जाने के कारण विभिन्न बन्दरगाहों पर रुकी हुई है, के संबंध में सीमा-शुल्क एवं ब्याज प्रभारों का भुगतान करने के लिए जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

शेयर अन्तरण टिकट

2765. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में शेयर अन्तरण टिकटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के किन-किन स्थानों में मांग के अनुरूप शेयर अन्तरण टिकटें उपलब्ध हैं; और

(ग) मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) देश में कुछ ही डाकघरों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ही राज्य सरकार की ओर से एक एजेंसी-कार्य के रूप में

शेयर ट्रांसफर टिकट रखे जाते हैं व उनकी बिक्री की जाती है। राजस्थान में कोई डाकघर न तो इन टिकटों को रखता है और न ही उनकी बिक्री करता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

2766. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस सम्बन्ध में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ जिलावार उत्तर प्रदेश के कितने गांवों का चयन किया गया और गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ग) 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में आई० ई० सी० तथा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में लक्ष्य एवं उपलब्धि इस प्रकार है :

	लक्ष्य	उपलब्धि
ग्राम विद्युतीकरण	750	744
पम्पसैट	12500	21361

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण हेतु लक्षित गांवों और विद्युतीकरण गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण सलग्न है।

(ग) राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्यों के बारे में योजना आयोग द्वारा तथा जिलेवार प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम निर्णय किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 980 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जिलेवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र०स०	जिला	1991-92 के दौरान विद्युतीकृत गांव	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	सहारनपुर }	3	4
2.	हरिद्वार }		
3.	मुजफ्फर नगर }		—
4.	मेरठ		—
5.	गाजियाबाद		—
6.	बुलन्दशहर		—
7.	अलीगढ़	1	6
8.	मथुरा		—
9.	आगरा }	1	
10.	फिरोजाबाद }	1	8
11.	मैनपुरी	5	8
12.	एटा	6	11
13.	बिजनौर	10	10
14.	मुरादाबाद	5	4
15.	रामपुर	5	6
16.	नैनीताल	10	18
17.	अल्मोड़ा	30	31
18.	पिथौरागढ़	50	50

1	2	3	4
19.	देहरादून	5	5
20.	उत्तरकाशी	14	5
21.	चमोली	24	30
22.	पौढ़ी (गढ़वाल)	60	60
23.	टिहरी (गढ़वाल)	30	31
24.	बरेली	10	10
25.	बदायूं	10	13
26.	शाहजहांपुर	21	21
27.	पीलीभीत	10	10
28.	फर्रूखाबाद	4	4
29.	इटावा	10	11
30.	कानपुर (नगर)	7	24
31.	कानपुर (देहात)	9	
32.	झांसी	5	10
33.	ललितपुर	7	6
34.	जालौन	7	10
35.	हमीरपुर	7	4
36.	बांदा	10	21
37.	इलाहाबाद	10	19
38.	फतेहपुर	6	9
39.	प्रतापगढ़	11	14
40	लखनऊ		
41.	रायबरेली	15	—
42.	उन्नाव	25	20
43.	सीतापुर	20	13

1	2	3	4
44.	हरदोई	10	13
45.	खेड़ी	10	7
46.	फैजाबाद	23	14
47.	गोण्डा	12	12
48.	बहराईच	2	2
49.	सुल्तानपुर	23	19
50.	बाराबंकी	21	12
51.	वाराणसी	20	
52.	मिर्जापुर }	17	5
53.	शोनभद्रा }		
54.	जौनपुर	6	13
55.	गाजीपुर		
56.	बलिया	4	5
57.	गोरखपुर }	15	
58.	महाराजगंज }	12	27
59.	देवरिया	26	25
60.	बस्ती }	39	
61.	सिद्धार्थनगर }	30	61
62.	आजमगढ़ }	5	
63.	मऊ }	4	11
	जोड़	750	744

[अनुवाद]

फिल्म "सिटी ऑफ जॉय"

2767. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ माह पूर्व अमरीका में प्रदर्शित फिल्म "सिटो आफ जॉय" का भारत में प्रदर्शन कों अनुमति देने से पूर्व पूर्वालोकन किया था;

(ख) क्या फिल्म में कलकत्ता की गरीबी, गन्दगी और सामाजिक वातावरण को बहुत ही विकृत रूप से दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां । इंग्लैंड स्थित हमारे भारतीय उच्चायोग द्वारा फिल्म का पूर्वावलोकन किया गया था ।

(ख) उच्चायोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में देश का बुरा चित्रण नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) भारत में फिल्म का प्रदर्शन केवल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा इसे प्रमाणित किए जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

एयर इंडिया द्वारा नये मार्गों पर उड़ानें शुरू करना

2768. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का 1992-93 के दौरान कुछ नये विदेशी मार्गों पर उड़ानें शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी आय होने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एयर इंडिया द्वारा 1992-93 में कोई नया विदेशी मार्ग शुरू करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में जल संसाधन

2769. **श्री दिलीपभाई संघानी :** क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्रों में जल संसाधन के उपभोग हेतु हाल ही में कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यबाही कर रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मार्च, 1991 में गुजरात सरकार ने लघु सिंचाई कार्यों के लिए सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के वास्ते मास्टर योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में जल संसाधनों के पुनरूत्थान के लिए उपयोगी समझे गए चैक बांधों और परकोलेशन टैंकों के सुधार जैसे कार्य शामिल हैं।

(ख) जल संसाधनों के पुनरूत्थान के लिए 95.69 करोड़ रुपए और 13.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के सौराष्ट्र में 5824 कार्य तथा कच्छ में 1006 कार्य थे।

(ग) जांच के बाद, बाह्य सहायता के लिए ई० ई० सी०, यू० एस० ए० और कनाडा को प्रस्तुत करने के वास्ते इन स्कीमों को व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र

2770. **श्री रामेश्वर पाटीदार** क्या **इस्पात मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) उनमें लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन संयंत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई नया ग्रीन फील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से "लोहे और इस्पात" को हटा लिया गया है तथा कतिपय स्थानीय प्रतिबन्धों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं से भी छूट दे दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनेक उद्यमियों ने मध्य प्रदेश में कच्चा लोहा/स्पंज लोहा/इस्पात परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई है। इन उद्यमियों में ये शामिल हैं—मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्स भानु आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, मैसर्स हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट्स, मैसर्स जिन्दल स्ट्रीप्स लिमिटेड, मैसर्स प्रकाश पाइप्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, मैसर्स नोवा स्टील, मैसर्स मुकन्द लि०, मैसर्स जे० के० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एस० एम० डाइसिब लिमिटेड, मैसर्स नेको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेट कुछ इकाइयां चालू होने तथा कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं जबकि कुछ उत्तमी अपने परियोजना प्राचलों को तैयार कर रहे हैं। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश के बोराई, मालानपुर, पिथमपुर, चम्प' और सिलतारा जैसे विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना

2771. **प्रो० रासा सिंह रावत** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से पर्यटन विकास संबंधी कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1992-93 में आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक यात्रा परिपथ के विकास के संबध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

राजस्थान से वर्ष 1992-93 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिनमें पर्यटक परिसर, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जन-सुविधाएं, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन और मार्गस्थ सुख-सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं, 179 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान आए विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार हैं।

वर्ष	उत्तद प्रदेश	राजस्थान
1989	141794	414572
1990	124651	417641
1991	90810 (लगभग)	494150

पर्यटन से होने वाली आय

2772. **श्री केशरी लाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पर्यटन के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी आय हुई; और

(ख) सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्यटन के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित करने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार को पर्यटन से हुई कुल आय के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पर्यटन से पिछले तीन वर्षों में हुई विदेशी मुद्रा आय और चालू वित्त वर्ष में होने वाली आय का अनुमान नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रु० में)
1989-90	2456.49
1990-91	2444.00
1991-92	3318.00
1992-93	3900.00 (लगभग)

बिहार में बिजली की आवश्यकता

2773. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी सहायता की है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन वर्षों के दौरान सहायता का पूरी तरह से उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार में 1992-93 के दौरान प्रत्याशित ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता लगभग 8170 विलियन यूनिट होगी।

(ख) से (घ) 1989-90 से 1991-92 तक पूर्वी ग्रिड और उत्तरी ग्रिड से बिहार को उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है :—

से सहायता	1989-90	1990-91	1991-92 आंकड़े मि० यू० में
पूर्वी ग्रिड	1506.8	1375.6	2023.2
उत्तरी ग्रिड	234.3	741.4	876.0
जोड़	1741.1	2117.0	2901.2

उपरोक्त सहायता का पूरी तरह समुपयोजन किया गया है।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन संबंधी समिति

2774. **श्री अन्नारासु इरा :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु एक संयुक्त विनियम समिति गठित करने के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राज्य सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, इसके कार्यान्वयन के प्रबोधन की जिम्मेदारी बेसिन राज्यों के सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग को सौंपने का सुझाव दिया गया। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने भी सामान्यतः ऐसा ही सुझाव दिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया और रूपात्मकता की जानकारी के बिना, सुझाव को स्वीकार करने पर अपनी असमर्थता प्रकट की। तमिलनाडु और केरल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में भूजल अध्ययन

2775. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने केरल में भूजल स्रोतों का उपयोग करने हेतु हाल ही में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने केरल में वामनपुरम, अथिक्कारा, कल्लादा, पम्बा, मीनाचिल, मुवात्तुपुझा, पेरियार, चालाकुदी, करूवन्नूर-कैचेरी (कोलेलैण्ड), पोन्नानी और कलालुन्दी की 11 जल निकास बेसिनों के भूजल संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए हाल में परियोजना अध्ययन किए हैं। इस अध्ययन के अनुसार इन बेसिनों के लिए कुल भूजल संसाधन क्षमता 4665.05 मिलियन घन मीटर होने का अनुमान है, जिसमें से 5.25 लाख खुदाई कुंओं, 10,000 फिल्टर पाइंट कुंओं तथा 400 नलकूपों के माध्यम से और विकास के लिए 3830.04 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है।

निजी संचार केन्द्र खोलना

2776. **श्री मोहन रावले : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस (मुम्बई संस्करण) में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा नियमों के उल्लंघन के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुम्बई में दादर तार घर के निकट निजी संचार केन्द्र स्वीकृत किए जाने का क्या औचित्य है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ)

(i) दादर तार घर, दादर के निकट 2 फ्रैन्चाइज्ड एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन, एक वैभव संचार केन्द्र और दूसरा साईं संचार केन्द्र के नाम से स्वीकृत किए गए थे। इस संबंध में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

(ii) एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने संबंधी उदारवादी नीति और मार्गनिर्देशों के अनुसार नए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजूरी के लिए दूरी से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

वायुदूत सेवाओं का विस्तार

2777. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई नीति बनायी गई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दोरान वायुदूत सेवाओं का कितना विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(घ) किन-किन मार्गों पर वायुदूत सेवाएं शुरू की जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) वायुदूत का विमानों तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, कुछ स्टेशनों के लिए सेवाएं आरम्भ करने का इरादा है।

गुजरात में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2778. **डॉ० अमृत लाल कालीदास पटेल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) जिलावार इन एक्सचेंजों की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान शेष जिलों में कुछ नए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 30-6-92 की स्थिति के अनुसार 985 आटोमैटिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन एक्स्चेंजों की सज्जित क्षमता के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी जिलों में आटोमैटिक एक्सचेंज हैं। तथापि, शेष जिलों में सभी मैनुअल एक्स-चेंजों को 1992-93 के दौरान आटोमैटिक बनाया जाना है।

(घ) 1992-93 के दौरान कुल 65 नए एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम (एस० एस० ए०)	30-5-1992 को सज्जित क्षमता
1	2	3
1.	अहमदाबाद (गांधीनगर सहित)	179407
2.	बड़ौदा	45896
3.	राजकोट	37188
4.	सूरत	60877
5.	कैरा (नाण्डियाद)	28670
6.	जूनागढ़	20442
7.	अमरेली	5612
8.	मेहसाना	23497
9.	बलसाड	17196
10.	जामनगर	17862
11.	भुज	15170

1	2	3
12.	भावनगर	18267
13.	साबरकांठा (हिम्मत नगर)	9987
14.	बनासकांठा (बालमपुर)	8940
15.	सुरेन्द्रनगर	8440
16.	पंचमहल (गोधरा)	8992
17.	भड़ौच	13513

विद्युत स्थिति में सुधार

2779. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राम सिंह कच्वां :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की स्थिति में सुधार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 1990-91 तथा 1991-92 वर्षों के दौरान हुई बिजली की कमी संलग्न विवरण में दी गई है।

देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:—विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, पारेषण तथा वितरण संबंधी हानियां कम करना, प्रभावी भार प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्धन आदि।

विवरण

1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार/ प्रणालीवार बिजली की कमी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ प्रणाली का नाम	कमी की प्रतिशतता	
	1990-91	1991-92
1	2	3
चंडीगढ़	0	0
दिल्ली	0.7	1.0

1	2	3
हरियाणा	2.9	2.0
हिमाचल प्रदेश	1.1	0.7
जम्मू और कश्मीर	10.8	10.8
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब	1.1	6.2
राजस्थान	2.1	1.4
उत्तर प्रदेश	10.6	10.3
गुजरात	4.1	4.3
मध्य प्रदेश	2.5	5.6
महाराष्ट्र	3.9	4.5
गोवा	0	0
आन्ध्र प्रदेश	7.0	6.7
कर्नाटक	22.9	23.6
केरल	0.5	3.3
तमिलनाडु	6.4	4.8
बिहार	28.7	29.7
दामोदर घाटी निगम	18.1	18.4
उड़ीसा	22.0	7.0
पश्चिम बंगाल	9.2	9.0
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	4.6	8.8
अखिल भारत	7.9	7.8

सतारा में आकाशवाणी केन्द्र

2780. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सतारा में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो काम में क्या प्रगति हुई है और इस केन्द्र को कब से काम करना आरम्भ कर देने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सतारा में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा चुका है तथा इसके शीघ्र चालू हो जाने की आशा है ।

असम के बरक घाटी में बिजली की कमी

2781. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :**
श्री द्वारकानाथ दास :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम की बरक घाटी में बिजली की सप्लाई की स्थिति गम्भीर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या बरक घाटी में गैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और इसके कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय) : (क) राज्य के भीतर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों में विद्युत का विवरण संबंधी कार्यों का विनियमन राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अप्रैल-91 जून-92 की अवधि के दौरान असम तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् थी—

(आंकड़े सकल मि० यू० में)

	असम	उ० पू० क्षेत्र
आवश्यकता	644	946
उपलब्धता	455.9	657
कमी	188.1	289
प्रतिशतता	29.2	30.5

(ख) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण तथा वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुन्दरगढ़ में माइक्रो-वेव प्रणाली

2782. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुन्दरगढ़ जिले में लाठीकटा में माइक्रो-वेव सम्पर्क सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) जी हां। उड़ीसा में अनेक माइक्रोवेव/यू एच एफ स्कीमों का प्रस्ताव है। तथापि, लाठीकटा में माइक्रोवेव स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वहां के मैदानी क्षेत्र को देखते हुए लाठीकटा में माइक्रोवेव स्कीम व्यवहार्य नहीं है। तथापि, लाठीकटा को आधुनिक आप्टिकल फाइबर केबिल स्कीम द्वारा राउरकेला से जोड़े जाने का प्रस्ताव है जो सम्भवतः 8वीं योजना के दौरान चालू हो जाएगी।

पुणे में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

2783. **श्री अन्ना जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पुणे में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम आरंभ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। शनिवारवाड़ा, पुणे में ध्वनि व प्रकाश-कार्यक्रम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से सरकार को एक प्रस्ताव मिला है।

(ख) इस परियोजना के राज्य सरकारों के हिस्से से संबंधित मदों की लागत पूरा करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है।

दूरदर्शन द्वारा अमरीका तथा ब्रिटेन की फिल्मों का प्रसारण

2784. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका तथा ब्रिटेन को कितनी फिल्मों को प्रसारित किया;

(ख) उपर्युक्त देशों से आयात की जाने वाली प्रस्तावित फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन फिल्मों में चालू वर्ष के दौरान प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ने गत 3 वर्षों में अमरीका की 28 और ब्रिटेन की 29 फिल्में प्रसारित कीं।

(ख) विदेशी फिल्मों के प्रसारण के प्रस्तावों पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी समग्र आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

(ग) फिल्मों के प्रसारण के कार्यक्रम मासिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। दूरदर्शन ने अगस्त, 1992 में अस्थायी आधार पर निम्नलिखित विदेशी फिल्मों के प्रसारण का कार्यक्रम बनाया है :

1. शार्ट सर्किट

2 दि माडर्न्स

3. डायल एम० फार मर्डर

फिल्मों का वास्तविक प्रसारण अच्छी क्वालिटी के प्रिंट की उपलब्धता और अन्य औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर निर्भर करता है।

देहली टेलीफोन्स के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय

2785. **श्री छेदी पासवान :** क्या संचार मंत्री 6 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 6196 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राधिकारियों द्वारा न्यायालय का निर्णय लागू करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपनी परेशानियों के निदान के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने वाले कर्मचारियों के कारण जानने के लिये कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 6 अप्रैल, 1992 को प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली टेलीफोन्स के विरुद्ध निर्णीत 8 मामलों में से 7 (सात) मामलों में न्यायालय का निर्णय लागू कर दिया गया है। शेष एक मामले में कानूनी सलाह पर पुनरीक्षा आवेदन दर्ज कर लिया गया है और वह न्यायालय में लंबित है।

(ख) कर्मचारियों की शिकायतों को संतोषजनक ढंग से हल करने के लिए विभाग द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान (6 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार) न्यायालयों द्वारा निर्णीत 39 मामलों में से केवल 8 मामलों में विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया गया। इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन न तो किया गया है और न ही अभी विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर

2786. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर्स लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय लेह, फाजिल्का, बाड़मेर, जैसलमेर, भुज, रामेश्वरम, लुंगलेई, मीकोंकचुंग, चुरा चांदपुर और गंगटोक में 10 उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर सीमावर्तीक्षेत्रों में अनूपगढ़ (राजस्थान) चेरापूंजी (मेघालय) और लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की भी परिकल्पना है। आठवीं योजना के दौरान देश में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के लिए और स्थानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार में नेशनल डिजिटल ट्रान्समिशन नेटवर्क

2787. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के जिला मुख्यालयों को नेशनल डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क के अधीन लाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार राष्ट्रीय डिजिटल संचारण नेटवर्क के अधीन ला दिया जाएगा—

20 जिला मुख्यालय :	पहले से ही चालू कर दिए गए हैं ।
2 जिला मुख्यालय :	1992-93 के दौरान
7 जिला मुख्यालय :	1993-94 के दौरान
17 जिला मुख्यालय :	1994-95 के दौरान
2 जिला मुख्यालय :	1995-96 के दौरान
2 जिला मुख्यालय :	1996-97 के दौरान

फिल्मों का निर्माण

2788. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान देश में फिल्मों के निर्माण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान देश के भाषा-वार कितनी व्यवसायिक और गैर-व्यावसायिक फिल्में बनाई गई हैं;

(घ) उक्त वर्ष में भाषा-वार कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई हैं; और

(ङ) फिल्म निर्माण के संबंध में भारत की विश्व में क्या स्थिति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) चूंकि भारत में फिल्मों का निर्णय मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में होता है अतः बनाई गयी फिल्मों की कुल संख्या और उनकी संख्या में गिरावट यदि कोई हो, के कारणों के बारे में सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती । तथापि 1981 से 1991 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या सलग्न विवरण-I में दी गयी है । वर्ष 1991 के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

(घ) सरकार ऐसी सूचना नहीं रखती ।

(ङ) सरकार के पास अन्य देशों में निर्मित फिल्मों की संख्या के बारे में सूचना नहीं है ।

विवरण-I

1981 से 1991 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या इस प्रकार से है—

1981	737
1982	763

1983	741
1984	833
1985	912
1986	840
1987	806
1988	773
1989	781
1990	948
1991	910

विवरण-II

1991 के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का भाषावार ब्यौरा इस प्रकार है—

भाषा	प्रमाणित फिल्मों की संख्या
1	2
हिन्दी	215
तमिल	186
तेलुगु	174
मलयालम	94
कन्नड़	91
बंगला	51
मराठी	29
गुजराती	16
उड़िया	11
असमियां	9
पंजाबी	9
भोजपुरी	8

1	2
नेपाली	8
राजस्थानी	5
अंग्रेजी	1
मणिपुरी	1
हरियाणवी	1
नगमीज	1
कुल	910

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तार घरों का आधुनिकीकरण

2789. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नये तार घर स्थापित करने तथा मौजूदा तार घरों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण के लिए चुने गये तार घरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान 50 नये तार घर खोलने का प्रस्ताव है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर है और वाराणसी में स्टोर और फारवर्ड संदेश स्विचों की संस्थापना करने का प्रस्ताव है। देहरादून में 32 लाइनों की क्षमता वाली ऐसी ही एक प्रणाली पहले से कार्य कर रही है और 128 लाइनों का एक बड़ा स्विच लखनऊ में चालू किया जा रहा है।

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान, कम गति वाली मोर्स प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक कुंजी पटल कन्सन्ट्रेटर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) आधुनिकीकरण के लिए चुने गये तार घरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

तार घरों की सूची जहां आधुनिकीकरण योजना के अधीन एस० एफ० टी०/ एस० एफ० एम० एस० टर्मिनल प्रदान किये जाने हैं

1. बाराबंकी
2. बस्ती
3. बहराइच
4. इटावा
5. गोंडा
6. हरदोई
7. कानपुर नयागंज
8. कानपुर अनवरगंज
9. कानपुर छावनी
10. कानपुर अरसापुर
11. कानपुर किदवई नगर
12. कानपुर रोजगार कार्यालय
13. ललितपुर
14. लखीमपुर खीरी
15. लखनऊ अमीनाबाद
16. लखनऊ चौक
17. लखनऊ दिलकुशा
18. लखनऊ महानगर
19. लखनऊ आलमबाग
20. हमीरपुर
21. महाराजगंज
22. उरई
23. सीतापुर
24. सिद्धार्थनगर
25. उन्नाव
26. अयोध्या
27. बिजनौर
28. नजीबाबाद
29. आगरा जौहरीबाजार
30. आगरा फाउन्ड्रीनगर
31. अलीगढ़
32. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
33. कासगंज
34. हाथरस
35. एटा
36. मऊ
37. वाराणसी कार्माच्छा
38. वाराणसी-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
39. मोदीनगर
40. साहिबाबाद
41. बांदा
42. फतेहपुर
43. रेणुकूट
44. राबर्ट्सगंज

विवरण-II

केन्द्रों (केन्द्रीय तार घर/विभागीय तार घर) की सूची जहां इलेक्ट्रानिक कुंजी पटल कन्सन्ट्रेटर संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

1. आगरा
2. हाथरस
3. मथुरा
4. कासगंज
5. एटा
6. मैनपुरी
7. इटावा
8. वाराणसी
9. जौनपुर
10. गाजीपुर
11. देवरिया
12. बलिया
13. आजमगढ़
14. लखनऊ
15. रायबरेली
16. गोरखपुर
17. अलीगढ़
18. झांसी
19. मुरादाबाद
20. नैनीताल
21. शाहजहांपुर
22. प्रतापगढ़
23. सीतापुर
24. लखीमपुर खीरी
25. फैजाबाद
26. हरदोई
27. बाराबंकी
28. गोंडा
29. बस्ती
30. बहराइच
31. बरेली
32. पिथौरागढ़
33. रामपुर
34. नजीबाबाद
35. बिजरौर
36. बदायूं
37. पीलीभीत
38. अल्मोड़ा
39 सहारनपुर
40. देहरादून
41. हरिद्वार
42. श्रीनगर गढ़वाल
43. मुजफ्फरनगर
44. मेरठ
45. हापुड़
46. बुलंदशहर
47. इलाहाबाद
48. मिर्जापुर
49. चुर्क
50. रेणुकूट
51. सुलतानपुर
52. कानपुर
53. फर्रुखाबाद
54. फतेहपुर
55. हमीरपुर
56. उरई
57. बांदा

[अनुवाद]

दूरदर्शन के विज्ञापनों संबंधी समिति

2790. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
श्री रामनरेश सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 16-3-2992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों सम्बन्धी मोहालिक समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ख) समिति की सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा भारत छोड़ो आन्दोलन का स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाना

2791. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भारत छोड़ो आन्दोलन का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख)

आकाशवाणी

इस विषय पर, देश में फैले आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएगे। इन कार्यक्रमों में 'भारत छोड़ो आंदोलन'' के दौरान लोकप्रिय गीतों के प्रसारण पर जोर दिया जाएगा। साक्षात्कार, वार्ताएं, रेडियो फीचर आदि प्रसारित किए जाएंगे। अभिलेखागारों में उपलब्ध सामग्री का भरपूर उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में इन घटनाओं की व्यापक कवरेज की जाएगी। इसके अलावा, भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ के संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी।

दूरदर्शन

दूरदर्शन इस विषय पर फिल्म, धारावाहिक, फीचर, वार्ताएं इत्यादि प्रसारित करेगा। यह भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित महत्वपूर्ण समारोहों को भी कवर करेगा।

वर्ष के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाएंगे।

फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित "क्विट इंडिया" नामक वृत्तचित्र दूरदर्शन द्वारा पहले ही 16 जुलाई, 1992 को प्रसारित किया जा चुका है।

बोइंग 747 की क्षमता का उपयोग

2792. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया के पास इस समय कितने बोइंग 747 हैं;

(ख) क्या बोइंग 747 विमानों का पूरा बेड़ा पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके फलस्वरूप एअर इंडिया को कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के कारण एअर इंडिया के उड़ान समय में अक्सर बाधा उत्पन्न होती है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय एअर इंडिया के पास ग्यारह बोइंग-747 विमान हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी विमान उड़ने योग्य हैं परन्तु सामान्यतः किसी भी एक समय पर दो विमान बारी-बारी से अनिवार्य जांच/रखरखाव के लिए ग्राउंड किए जाते हैं। जांच/रखवार के लिए विमानों को ग्राउंड किये जाने के कारण कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, जब कभी किसी विमान को अनुसूचित सेवाओं से हटाया जाता है, तो एअर इंडिया द्वारा यात्रियों को अन्य उड़ानों पर भेजने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का नवीकरण

2793. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और दर्जा बढ़ाने पर कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का नवीकरण/आधुनिकीकरण/दर्जा बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है और सरकार इसका खर्चा किस प्रकार पूरा करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपनी होटल संपत्तियों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण/स्तरोन्नमन पर 31.96 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय किया था।

(ख) और (ग) होटलों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन की योजना भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर शुरू की जाती है। वर्ष 1992-93 के लिए 5.00 करोड़ रुपए के योजनागत आवंटन में से भारत पर्यटन विकास निगम का उक्त कार्यों पर 1.75 करोड़ रुपए खर्च करने का विचार है।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2794 **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास/आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना प्रस्तावों में आठवीं योजना के दौरान गुजरात में निविल स्विचिंग क्षमता में 7 लाख से अधिक लाइनें जोड़ने और 2 लाख से अधिक लाइनों को अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर द्वारा बदलने/स्वचालित करने का कार्य शामिल है। दूरसंचार सेवाओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आठवीं योजना प्रस्तावों में निम्नलिखित कार्य शामिल है—

—नेटवर्क का पूर्ण स्वचलीकरण।

—मियाद समाप्त उपस्कर को अधिकतर डिजिटल किस्म के इलेक्ट्रानिक उपस्कर द्वारा बदलना।

—सभी नए उपस्कर जिन्हें आठवीं योजना अवधि के दौरान लगाने का प्रस्ताव है अधिकतर डिजिटल किस्म के होंगे।

—डायरेक्ट्री पूछताछ, बिलिंग प्रणाली, मैनुअल ट्रंक सेवाएं जैसी दूरसंचार सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

—सभी स्ट्रोजर मैक्स III एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

—सभी एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा की व्यवस्था करना ।

कर्नाटक की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2795. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की कितनी परियोजनाए केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) कितने संयंत्रों के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कर्नाटक को निम्न-लिखित विद्युत परियोजनाए विभिन्न स्वीकृतियों के लिए भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं—

1. रायचूर ताप विद्युत केन्द्र चरण-3 (1 × 500 मेगावाट)

2. विजयनगर ताप विद्युत केन्द्र (1 × 500 मेगावाट)

3. चमालपुरा ताप विद्युत केन्द्र (1 × 500 मेगावाट)

4. सरापड़ी (जल विद्युत) (3 × 30 मेगावाट)

परियोजनाओं की स्वीकृतियां विभिन्न निवेशों/सांविधिक स्वीकृतियों, जैसे कोयला लिंकेज, पर्यावरण एव वन मन्त्रालय की स्वीकृति, जल की उपलब्धता के सबंध में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति, नागर विमानन व पारेषण प्रणाली इत्यादि अपेक्षित तकनीकी-आर्थिक सम्बन्धी स्वीकृति, जो कि प्रतीक्षित है, पर निर्भर करती है। कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन निगम से इन निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) कर्नाटक की जिन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता का अनुरोध किया गया है वे निम्न हैं :

क्र० सं०	परियोजना का नाम/ क्षमता (मेगावाट में)	वित्तपोषक एजेंसी/ देश	सहायता राशि (मिलियन दाता देश की मुद्रा में)
1	2	3	4
1.	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-1 (270)	विश्व बैंक	330 मिलियन अमरीकी डालर
2.	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-2 (240)	विश्व बैंक	260 मिलियन अमरीकी डालर

1	2	3	4
3.	येलाहांका डी० जी० सेट (128)	फ्रांस	310 मिलियन एफ० एफ०
4	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-2	कुवैत	7.0 मिलियन कुवैती दीनार
5.	रायचूर (यूनिट-4) 210	जापान	23142 मिलियन येन

लक्षद्वीप में विद्युत कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

2796. **श्री पी एम सईद** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप में विद्युत कर्मचारियों के वेतनमानों में सशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) से (ग) लक्षद्वीप प्रशासन ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की कुछेक श्रेणियों के वेतनमान में विसगतियों का पता लगाया है। वेतनमानों में संशोधन, यदि कोई है तो वर्तमान वेतनमानों में विसंगतियो को दूर करने से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत

2797. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के उपभोग के अखिल भारतीय औसत की तुलना में वर्ष 1989-90 से उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के हिस्से में वृद्धि करने का है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय पूल से कितनी बिजली सप्लाई की गई; और

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कितनी धनराशि बकाया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत का औसत 157.39 किलोवाट घटा थी जबकि अखिल भारत आधार पर यह औसत 237.95 किलोवाट घंटा थी।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का वितरण संबंधित क्षेत्र के लाभभोगीं राज्यों में आवंटन सम्बन्धी केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार किया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय पूल से 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्रमशः 7171 मि० यू०, 8517 मि० यू० तथा 11119 मि० यू० थी।

(घ) 30-6-1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 222.84 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली अदालत

2798. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु गठित बिजली लोक अदालतों की वर्ष 1991 के दौरान कितनी बैठकें हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान लोक अदालत के विचारार्थ कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने मामलों को निपटाया गया; और

(ग) बिजली लोक अदालत की अगली बैठक कब होगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) वर्ष 1991 के दौरान डेसू द्वारा छः बिजली अदालतें आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान प्राप्त 942 प्रार्थना पत्रों में से 440 प्रार्थना पत्रों को विचारार्थ स्वीकार किया गया और बिजली अदालतों द्वारा 230 मामले निपटाए गए थे। शेष मामलों को डेसू के विभिन्न मण्डलों में निपटाए जाने हेतु भिजवा दिया गया था। डेसू द्वारा विभिन्न परिमण्डल कार्यालयों में अप्रैल 1992 के दौरान छः और बिजली अदालतों का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

मुंबई दिल्ली उड़ान मार्ग की समय सारणी से जोधपुर की उड़ान सेवाएं समाप्त करना

2799. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-औरंगाबाद-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली तथा दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-

उदयपुर-औरंगाबाद-मुम्बई के मार्ग पर चलने वाली आई० सी० 491 तथा आई० सी० 492 उड़ान सेवाओं की वर्तमान सारणी में से जोधपुर की उड़ान सेवाएं समाप्त करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदनों में यह सुझाव दिया गया था कि जोधपुर सैक्टर को आई० सी० 491/492 से स्थायी रूप से हटा दिया जाएं। जोधपुर को उड़ानों से स्थायी रूप से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे दिल्ली-जोधपुर और बम्बई-जोधपुर के यात्रियों को सुबह और शाम की सेवा की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। तथापि, परिचालनात्मक कठिनाइयों के कारण 1-8-1992 से जोधपुर को आई० सी०-491/492 से अस्थायी रूप से हटा लिया जाएगा।

कृष्णा घाटी प्राधिकरण को सहायता

2800. **श्री० एच० डी० देवगौड़ा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा बेसिन परियोजना को 2000 ई० तक पूरा करने के लिए कृष्णा घाटी प्राधिकरण बनाया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में देश के बाहर से संस्थागत धन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए किस प्रकार की तथा कितनी धनराशि की सहायता मांगी गयी है; और

(घ) केन्द्र सरकार इसे कब तक स्वीकृति देगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ कृष्णा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल के कर्नाटक के हिस्से का शीघ्र उपयोग करने के लिए मार्च, 1992 में "कर्नाटक कृष्णा बेसिन विकास प्राधिकरण विधेयक, 1992" पास किया है ताकि सिंचाई विद्युत और अन्य परियोजनाओं का शीघ्रता से निष्पादन और अनुरक्षण कार्य किया जा सके।

(ख) से (घ) अपर कृष्णा परियोजना सोपान-1 के लिए वर्ष 1986 तक 117.64 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त हुई है। अपर कृष्णा परियोजना सोपान-II के लिए 247.5 मिलियन अमेरिकी डालर की और सहायता प्राप्त की गयी है, जो 31-12-1996 तक प्रभावी रहेगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लिए विमान सेवा

2801. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में शिमला, भुंटर (कुल्लू) और गागल (कांगड़ा) स्थित वर्तमान तीन हवाई अड्डों का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन स्थानों के लिए वायुदूत के किरायों में कटौती करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कब से प्रभावी होंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूत, हिमाचल प्रदेश में शिमला, भुन्तर (कुल्लू) तथा गगल (कांगड़ा) के लिए सेवाएं परिचालित कर रहा है। इस समय इन हवाई अड्डों के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) इस सैक्टर में कम दूरी के परिचालनों, गैर-किफायती विमानों तथा पेलोड पेनल्टी जैसे कारणों से परिचालनों की लागत अन्य स्थानों से संभवत: अधिक है। वाणिज्यिक कारणों से इन सेवाओं के लिए किरायों में कटौती करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ऊर्जा बचत कार्यक्रम

2802. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय ऊर्जा बचत कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों आदि के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित किए जाने और संगठन सम्बन्धी दृष्टिकोण अपनाए जाने के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बचत विशेष रूप से पैट्रोलियम एवं बिजली की खपत में लक्षित बचत प्राप्त करना है। उक्त कार्यक्रम में ये कार्यकलाप निहित हैं—नीति सम्बन्धी पैकेज तैयार करना, समुचित वित्तपोषण की व्यवस्था, तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रौद्योगिकी का विकास करना, उपयुक्त विधान की व्यवस्था करना और उपयुक्त सांस्थानिक एवं आधारभूत सहायता की व्यवस्था करना।

(घ) इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले, ऊर्जा की सप्लाई एवं इसका उपयोग करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय रखते हुए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

नये टी० वी० रिले ट्रांसमीटर

2803. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए टी० वी० रिले ट्रांसमीटर्स लगाने के स्थानों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ये ट्रांसमीटर्स कहां-कहां लगाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के अनुसार लगाए जा रहे/लगाए जाने वाले टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थानों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। आठवीं योजना के अंतर्गत टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के लिए अतिरिक्त स्थानों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस समय लगाए जा रहे/लगाए जाने के लिए परिकल्पिता टी० वी० ट्रांसमीटर

उ० श० ट्रां० : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ० श० ट्रां० : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ० अ० श० ट्रां० : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	ट्रांसमीटर
1	2
आंध्र प्रदेश	उ० श० ट्रां०—राजामुंदरी
	कुरनूल
	नन्दीयाल
	अ० श० ट्रां०—भीमावरम
	हिन्दुपुर
	जगतियाल
	कुप्पम
	आत्माकुर
	अल्गाड्डा
	गिवल्लूर
	कावली
	सिद्दीपेट
	तंदूर
	येलेन्दू
	मेदनापल्ली
	गड़वाल
	अ० अ० श० ट्रां०—पडेरू
	श्रीसालेम
असम	उ० श० ट्रां०—तेजपुर
	अ० श० ट्रां०—बोंगईगांव
	गोलाघाट
	नार्थ लखिमपुर
	अ० अ० श० ट्रां०—दिम्बोई
बिहार	उ० श० ट्रां०—गया
	जमशेदपुर

1	2
बिहार	अ० श० ट्रां०—औरंगाबाद
	गोडा
	लोहारदगा
	गम्बला
	नवाड़ा
	रक्सोल
	हजारीबाग
गुजरात	उ० श० ट्रां०—भुज
	वडोदरा
	सूरत
	अ० श० ट्रां०—खम्बाट
	मारवी
	ध्रंगध्रा
	महुआ
	नखतराना
	रापड़
हरियाणा	उ० श० ट्रां०—हिसार
हिमाचल प्रदेश	उ० श० ट्रा० शिमला
	धर्मशाला
	अ० श० ट्रां०—सुंदरनगर
	अ० अ० श० ट्रां०—आहजू फोर्ट
	पालमपुर
जम्मू और कश्मीर	उ० श० ट्रां०—लेह
	पत्नीटाप
	अ० श० ट्रां०—रियासी
	थानामण्डी

1	2
जम्मू और कश्मीर	अ० अ० श० ट्रां०—किलोतरम
	दरस
	शंकू
	तिम्सोगम
	तिथवाल
	उरी
	ट्रांसपोजर नगरोता
केरल	उ० श० ट्रां०—कालीकट
	कन्नानौर
कर्नाटक	उ० श० ट्रां०—धारवाड़
	मैसूर
	रायचूर
	अ० श० ट्रां०—गंगावती
	मंदीया
	बागलकोट
	पावगड़े
	रामदुर्ग
मध्य प्रदेश	उ० श० ट्रां०—जहालपुर (शक्ति बढ़ाना)
	अम्बिकापुर
	गुना
	अ० श० ट्रां—दत्तिया
	जोरा
	अ० अ० श० ट्रां०—कुकडेश्वर
	पैराशिया

1	2
मेघालय	उ० श० ट्रां०—चेरापुंजी
	अ० श० ट्रां०—विलियमनगर
महाराष्ट्र	उ० श० ट्रां—हाथीखम्बा
	जलगांव
	अ० श० ट्रां०—हिंगनघाट
	खामगांव
	अकलुज
	कंकोली
	वसिम
	आकोट
मणिपुर	उ० श० ट्रां०—चुराचांदपुर
	अ० अ० शा० ट्रां—मोर्चे
मिजोरम	उ० श० ट्रां०—लुंगलाई
नागालैण्ड	उ० श० ट्रां०—मोकाकचुंग
	अ० अ० श० ट्रां०—फेक
उड़ीसा	उ० श० ट्रां०—बालेश्वर
	मल्कानगिरी
पंजाब	उ० श० ट्रां०—फाजिल्का
राजस्थान	उ० श० ट्रां०—बाड़मेर
	जैसलमेर
	बूंदी
	अनूपगढ़
	अजमेर
	जोधपुर
	उदयपुर/नाथवाड़ा

1	2
राजस्थान	अ० श० ट्रां०—गंगापुर
	श्रीडुंगरगढ़
	सुजानगढ़
	भद्रा
	चिरवा
	करनपुर
	कोटपुतली
	रायसिंगनगर
	रतनगढ़
	वल्लाहनगर
	अ० अ० श० ट्रां०—चौमहल
	देवगढ़
	फतेहपुर
	कुम्लागढ़
	लक्ष्मणगढ़
सिक्किम	उ० श० ट्रां०—गंगटोक
तमिलनाडु	उ० श० ट्रां—रामेश्वरम
	कुंभकोणम
	अ० श० ट्रां०—नागपत्तिनम
	आर्कोट
	मूयूरम
	राजपलायम
उत्तर प्रदेश	उ० श० ट्रां०—बरेली
	बांदा
	मऊ
	लखीमपुर

1	2
उत्तर प्रदेश	अ० श० ट्रां०—सिंकदरपुर
	चंपावत
	कोटद्वार
	मोहम्मदाबाद
	रोसरा
	अ० अ० श० ट्रां०—चौखुटिया
	डीडीहाट
	जोशीमठ
पश्चिम बंगाल	उ० श० ट्रां०—खड़कपुर
	अ० श० ट्रां०—झारग्राम
	कोन्टई
	पुलिया
	राणाघाट
	अ० अ० श० ट्रां०—झाल्दा
	इगरा
	ट्रांसपोजर टाईगर हिल
त्रिपुरा	अ० अ० श० ट्रां०—धरमनगर
पांडिचेरी	उ० श० ट्रां०—पांडिचेरी
	अ० श० ट्रां०—कराईकल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अ० अ० श० ट्रां०—ग्रेट निकोबार

केरल को केन्द्रीय पूल से विद्युत की सप्लाई

2804. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से केरल को कितनी मात्रा में विद्युत दी गई तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी विद्युत आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य की समस्त आवश्यकताएं पूरी करने हेतु आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1991-92 तथा अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के दौरान केरल द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से आहरित की गई बिजली की वास्तविक मात्रा तथा उसकी हकदारी का विवरण निम्न प्रकार है :—

रामागुण्डम/एम० ए० पी० पी०/नेवेली-2

	हकदारी (मि० यू०)	वास्तविक आहरण (मि० यू०)
1991-92	2037.8	1922.1
1992-93 (अप्रैल-जून)	538.8	329.7

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत रखे गए अनाबंटित बिजली के कोटे में से आबंटन किए जाने के बारे में, क्षेत्र में कमी संबंधी घटकों को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार किया जाता है और स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक समझा गया है, अनाबंटित बिजली के आबंटन में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

उड़ीसा में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

2805. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र उड़ीसा से प्रसारित कार्यक्रमों का स्तर घटिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। तथापि, दूरदर्शन का निरंतर यह प्रयास रहता है कि उसके कार्यक्रमों के रूप और उनकी विषय वस्तु में समय-समय पर गुणात्मक सुधार लाया जाए ताकि दर्शकों में उसके कार्यक्रमों के प्रति रुचि बनी रहे।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना

2806. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने देश में विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ये संयंत्र कहां-कहां पर हैं;

(ग) क्या इन संयंत्रों द्वारा उपजाऊ भूमि पर अपशिष्ट पदार्थ बहाए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैंग ग्लाईडिंग के लिए क्षेत्र का विकास

2807. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र का विकास करने का है जहां प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हैंग ग्लाईडिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विभिन्न स्थानों जिनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हैंग ग्लाईडिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विजयनगर इस्पात संयंत्र

2808. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के विजयनगर इस्पात संयंत्र के सह संवर्धक अपने वादे से मुकर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या विकल्प निकाले जाएंगे ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त क्षेत्र के भागीदार ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं तथा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के बाद से अब स्थिति भिन्न है। कर्नाटक सरकार ने यह भी सूचित किया है कि संयुक्त क्षेत्र की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नया भागीदार तलाश करने हेतु उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इच्छुक और सक्षम पार्टियों से निविदा (बिड्स) आमंत्रित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

राज्यों की राजधानियों में दूसरा टी० वी० चैनल

2809. **श्री सूरज मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों का दूसरा चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

पंजाब में एस० टी० डी० सुविधा

2810. **श्री कमल चौधरी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में एस० टी० डी० सुविधा से युक्त शहरों और कस्बों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान पंजाब में एस० टी० डी० सुविधा से युक्त किए जाने वाले शहरों और कस्बों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सूची संलग्न विवरण फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(क) में दी गई है।

(ख) सूची संलग्न विवरण (ख) में दी गई है।

विवरण (क)

पंजाब में एस० टी० डी० सुविधा वाले शहरों और कस्बों के ब्यौरे

अमृतसर, राया, तरन-तारन, जंडियाला, गोइदवाल, पट्टी, राजा सांसी, बाबा बकाला,

भटिंडा, भुचू, गुनियाना, चंडीगढ़, जीरकपुर, खरार, फिरोजपुर, अबोहर, मोगा, फाजिल्का, फरीदकोट, जीरा, होशियारपुर, रोपढ़, नांगल, जालंधर, करतारपुर, कपूरथला, फगवाड़ा, फिल्लौर, गोराया, लुधियाना, जगरांव, खन्ना, गुज्जरवाल, साहनेवाल, पटियाला, राजपुरा, नाभा, पठानकोट, गुरदासपुर, धारीवाल, संगरूर, धुरी, भिवानीगढ़, तापा, लोंगोवाल ।

विवरण (ख)

पंजाब के उन शहरों और कस्बों के ब्यौरे जिन्हें 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है ।

अजनाला, चबाल, मनसा, फूल मंडी, डेरा बास्सी, गिद्दड़ बाहा, माखू, जैतू, बाग पुराना, आनन्दपुर साहिब, दसूया, गर शंकर, मोरिंडा, तलवारा, कुराली, बांगा, सुलतानपुर, लोधी, भोगपुर, दोराहा, मुल्लनपुर, रायकोट, समराला, धारीवाल, बटाला, वास्सी पठाना, समाना, मंडी गोविंदगढ़, अमलोह, अहमदगढ़, मलेर कोटला, लहरागयगा, बालाचौर, बरनाला, फतेहगढ़, साहिब, मुक्तसर, नवां शहर, नकोदर, सुनाम, तलवंडी साबू ।

गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का लक्ष्य

2811. **श्री हरिन पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	30	35
1991-92	30	45
1992-93	65	8

(30-6-1992) तक

(ग) (i) वर्ष 1999-91 और 1991-92 के दौरान लक्ष्य हासिल कर लिया गया था ।

(ii) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाएंगे ।

मध्य प्रदेश में डोलोमाइट, अग्निसह मिट्टी, चीनी मिट्टी तथा क्वार्टजाइट के भण्डार

2812. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में डोलोमाइट, अग्निसह मिट्टी, चीनी मिट्टी तथा क्वार्टजाइट के लगभग कितने भन्डार हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उनका समुचित पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1-4-1990 को मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में डोलोमाइट, फायरक्ले, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट के अनुमानित भंडार इस प्रकार थे :—

(भंडार मिलियन टन में)

	डोलोमाइट	फायरक्ले	चीनी मिट्टी	क्वार्टजाइट
मध्य प्रदेश	1667	105	15	16
उड़ीसा	1171	108	157	7
बिहार	47	52	34	317

(ख) खनन पट्टे, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार दिए जा रहे हैं । 1-4-1990 को इन राज्यों में डोलोमाइट, फायरक्ले, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट के कुल खनन पट्टों की संख्या इस प्रकार है :—

	डोलोमाइट	फायरक्ले	चीनी मिट्टी	क्वार्टजाइट
मध्य प्रदेश	134	87	68	10
बिहार	8	122	77	17
उड़ीसा	12	86	29	31

आंध्र प्रदेश में छोटी और बड़ी पनबिजली परियोजनायें

2813. **श्री बोल्ली बुल्ली रामय्या : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में छोटी और बड़ी कितनी पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है, कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितनी परियोजनाओं का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में औसतन 2559 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली तेरह लघु बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और वे प्रचालनाधीन हैं। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। 1109 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली छः जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 254 मे०वा० क्षमता वाली तीन जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति पहले ही प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। दो जल विद्युत परियोजनाओं नामशः नागार्जुन सागर टेल पूल बांध (50 मेगावाट) तथा लोअर जुराला (147.6 मेगावाट) को राज्य प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश की पूर्व-निर्मित तथा प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम		अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	मचकुन्द	3 × 17 + 3 × 21.25	= 114.75
2.	अपर सिलेरू	2 × 60	= 120
3.	लोअर सिलेरू	4 × 115	= 460
4.	तुंगभद्रा	4 × 9	= 36
5.	हम्पी	4 × 9	= 36
6.	नागार्जुन सागर	1 × 110 + 7 × 100	= 810
7.	श्रीसैलम	7 × 110	= 770
8.	नागार्जुन सागर—आर०बी०सी०	2 × 30	= 60
9.	नागार्जुन सागर—आर०बी०सी० विस्तार	1 × 30	= 30
10.	नागार्जुन सागर—एल०बी०सी०	2 × 30	= 60
11.	दोनकराई	1 × 25	= 25
12.	पोचम्पाड़	3 × 9	= 27
13.	निजाम सागर	2 × 5	= 10
			जोड़ = 2558.75

विवरण-II

आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन तथा निर्णय हेतु प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	चालू किए जाने की संभावित तिथि	वर्तमान स्थिति
स्वीकृत परियोजनाएं				
1.	पेन्ना अहोबिलम	2 × 10 = 20	1992-93	निर्माणाधीन
2.	अपर सिलेरू चरण-2	2 × 60 = 120	1993-94	निर्माणाधीन
3.	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.	6 × 150 = 900	1996-99	निर्माणाधीन
4.	बालीमेला में ए० पी० पावर हाउस	2 × 30 = 60	1997-98	उड़ीसा के साथ अंत:राज्यीय विवाद के कारण कार्य रोक दिया गया है।
5.	गुंटुर ब्रांच नहर	2 × 2 = 4	1995-96	स्कीम को निजी क्षेत्र में लिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।
6.	गुंटूर ब्रांच नहर	2 × 2.25 = 4.5	1995-96	स्कीम को निजी क्षेत्र के लिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।
		उप जोड़ = 1108.5		
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें				
1.	सिंगूर	2 × 7.5 = 15	1995-96	स्कीम निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई है।
2.	जलापुट बांध (आंध्र प्रदेश/उड़ीसा)	3 × 6 = 18	1997-98	उड़ीसा के साथ अन्त:राज्यीय विवाद को निपटाया जाना।
3.	प्रियदर्शिनी जुराला	6 × 36.9 = 221.4	2000-2002	स्कीम के० वि० प्रा० द्वारा 10-3-92 को स्वीकृति बशर्ते कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाए।
	उप जोड़	254.4		
	जोड़	1362.9		

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

2814 **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा में कुछ सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए योजनायें क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यूरोपीय समुदाय की सहायता से पुनर्वास योजनाओं को लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) पुनर्वास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किन अन्य संसाधनों के आधार पर धन उपलब्ध और निर्धारित किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अलग स्कीमों के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य मुख्य परियोजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और इसको परियोजना की कुल लागत में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) राज्य में विद्यमान पुरानी लघु सिंचाई स्कीमों को पुनः बहाल करने के लिए उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता हेतु सूची में है।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

यह परियोजना प्रारम्भिक तौर पर पुरी (मुख्य रूप से), गंजम और फूलबनी जिलों में 7 बड़ी स्कीमों का पुनः स्थापना करेगी जिसमें 8,127 हेक्टेयर कुल अयाकट सम्मिलित होगा। लाभान्वित होने वाले अयाकट का निवल क्षेत्र 4,888 हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। यह कार्य 6 वर्षीय परियोजना के 1-3 वर्षों के दौरान प्रारम्भ किया जाएगा। इस कार्य के सफल होने पर इस कार्यक्रम को उड़ीसा के अन्य जिलों में भी कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 हेक्टेयर के कुल अयाकट सम्मिलित होंगे। इन बाद वाली स्कीमों का यथार्थ रूप से अभिनिर्धारण करना परियोजना प्रबन्ध का उत्तरदायित्व होगा किन्तु यह सम्भव है कि ये क्षेत्र उड़ीसा के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी जिलों में स्थित होंगे, जिनमें अत्यधिक सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र स्थित हैं।

लागत अनुमान—1990 के स्थिर मूल्यों पर 6 वर्षीय परियोजना की कुल अनुमानित लागत, जिनमें प्रत्येक स्कीम के लिए 15% की दर से और अन्य सभी मदों पर 10% की दर से सामान्य आकस्मिक व्यय सम्मिलित है, 246 मिलियन (11.2 मिलियन ई० सी० यू०) है। मूल्य वृद्धि के साथ ही इन आंकड़ों में 292 मिलियन रुपए (13.3 मिलियन ई० सी० यू०) तक की वृद्धि हुई। कुल मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) को ई० सी० यू० मूल्य पर वार्षिक 5% की दर पर लिया गया है और बाद में इसे रुपए में परिवर्तित किया गया है। चूंकि स्थानीय लागत घटक इतना अधिक है (एफ० ई० सी० 21%) कि इसको विनिमय दरों में संभावित सामान्य परिवर्तन के साथ जोड़ने पर (अर्थात् ई० सी० यू० की तुलना में रुपएं की सापेक्ष गिरावट) ई० सी० यू० के रूप में कुल लागत में कुछ ही अन्तर होगा। परियोजनाओं की लागतों का विवरण निम्न प्रकार है—

परियोजना घटक	मिलियन रुपए	ईसीयू ई०ई०सी० (हजारों में)	भारत सरकार	कुल ई०सी०यू०	एफ०ई०सी %	%
पुनर्वास स्कीम	174.2	6,418	1,502	7,920	80.8	10
तकनीकी सहायता	27.9	1,270	0	1,270	1.6	25
कार्यालय	1.8	82	0	82	0.8	10
वाहन	3.4	156	0	156	1.6	25
प्रबोधन और मूल्यांकन	3.9	177	0	177	1.8	5
प्रशिक्षण	3.2	145	0	145	1.5	5
अनुसंधान	1.2	55	0	55	0.5	10
स्कीम की लागत	215.7	8,303	1,502	9,805	100.0	21
आकस्मिक व्यय	30.3	1,170	207	1,377		21
मूल्य वृद्धि	46.3	1,766	338	2,104		21
कुल योग	292.3	11,239	2,047	13,286		21

[हिन्दी]

वाराणसी में डाक और तार विभाग में अनियमितताएं

2815. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1992 में वाराणसी में डाक और तार विभाग में तथाकथित अनियमितताओं की कतिपय घटनाओं का पता चला है, जिसमें जाली डाकघर खोले जाने तथा जाली मनीआर्डर जारी किए जाने के कारण लाखों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने लोगों को जिम्मेदार पाया गया है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वाराणसी में औद्योगिक क्षेत्र हरहुआं, काजी-सरिया आदि में भी ऐसी अनियमिततायें पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) मार्च, 1992 के दौरान वाराणसी में फर्जी डाकघर खोलने और फर्जी मनीआर्डर जारी करने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। तथापि अक्टूबर/नवम्बर, 1991 में वाराणसी में 3,61,600 रुपये की रकम के फर्जी मनीआर्डरों के भुगतान की घटनाओं का पता लगाया गया।

(ख) फर्जी मनीआर्डरों के भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न गलतियों के लिए 137 कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया। 14 कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस को भी इस मामले की रिपोर्ट कर दी गई है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरहुआं और काजी-सराय में फर्जी डाकघर खोलने और फर्जी मनीआर्डर जारी करने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। तथापि, धोखाधड़ी से किए गए मनीआर्डरों के भुगतान की निम्नलिखित घटनाएं ध्यान में आई हैं :—

(i) इंडस्ट्रियल एस्टेट पोस्ट आफिस
रकम—4,080 रुपये

(ii) करहुआं डाकघर, जिसका लेखा बी०एच०यू० उप-डाकघर के साथ है
रकम—73,560 रुपये।

(iii) काजी-सराय डाकघर, जिनका लेखा हरहुआं उप-डाकघर के साथ है :—
मनीआर्डरों का धोखाधड़ी से किए गए भुगतान का कोई मामला नहीं है।

(ङ) (i) इंडस्ट्रियल एस्टेट—मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है। इस मामले में शामिल पाए गए एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ii) कुरहुआं शाखा डाकघर—मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है। एक विभागीय कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया है और एक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी को ड्यूटी से हटा दिया गया है। पांच कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 9,320 रुपये वसूल कर लिए गए हैं।

(iii) काजी-सराय—धोखाधड़ी से किए गए भुगतान का कोई मामला नहीं है।

हरहुआं नाम कोई डाकघर नहीं है। मनीआर्डरों का धोखाधड़ी से भुगतान रोकने के लिए पर्यवेक्षण कार्य को चुस्त-दुरुस्त बना दिया गया है।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का अन्यत्र स्थानांतरण

2816. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच वर्ष पहले दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय कलकत्ता से बिहार स्थित मैथन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था जिसके लिए वहां कार्यालय भवन भी तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्यालय का कार्य कलकत्ता में ही चलते रहने के क्या कारण हैं जिससे अपरिहार्य व्यय हो रहा है;

(ग) दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता से मैथन कब तक स्थानांतरित कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंडियन एयर लाइंस की उड़ानें

2817. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर हवाई अडडों का निर्माण किया गया तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) किन-किन स्थानों पर सरकार का नये हवाई अड्डों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) इन हवाई अडडों के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान 790 लाख रुपए की लागत पर पांडिचेरी, तूतीकोरीन और सेलम हवाई अड्डे का निर्माण किया गया।

(ख) इस समय किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन की राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि

2818. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1992 को राज्यवार राज्य विद्युत बोर्डों पर नेशनल थर्मल पांवर कारपोरेशन की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को बकाया धनराशि की वसूली कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार की राज्य सरकार को देय धनराशि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्यों एवं राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया जाता रहा है कि साख-पत्र की सीमा बढ़ाए जाने आदि के माध्यम से वे अपनी बकाया राशियों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार के प्रयासों के बावजूद बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से वसूली किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

31-5-92 की स्थिति के अनुसार एन० टी० पी० सी० की बकाया राशियां

(करोड़ रुपये में)

क्र०स०	रा० बि० बोर्ड/संगठन	बकाया राशि	अधिभार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.77	16.98
2.	बिहार	285.89	86.16
3.	गोवा	0.20	0.02
4.	गुजरात	54.87	32.08
5.	हरियाणा	109 94	62.90
6.	हिमाचल प्रदेश	10.74	6.74
7.	जम्मू और कश्मीर	42.77	7.03
8.	कर्नाटक	22.43	16.34

1	2	3	4
9.	केरल	38.47	9.74
10.	मध्य प्रदेश	198 49	111.29
11.	महाराष्ट्र	59.56	34.93
12	उड़ीसा	16.48	12.62
13.	पंजाब	28.13	1.05
14.	राजस्थान	116.17	124.65
15.	सिक्किम	0.32	0.04
16	तमिलनाडु	60.46	29.06
17.	उत्तर प्रदेश	162.44	202.51
18.	पश्चिम बंगाल	52.51	26.71
19.	चंडीगढ़	—1.35	0.24
20.	दादर और नागर हवेली	0.45	0.09
21.	दमन और दीव	—0.47	0.00
22.	डेसू	58.45	45.67
23.	दामोदर घाटी निगम	93.84	20.80
24.	पांडिचेरी	—1.87	0.02
	जोड़—	1433.09	848.87

पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

2819. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में विद्युतीकृत ग्रामों की जिलावांर सख्या क्या है;

(ख) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्डों को इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवंटित किया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) : पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बताए अनुसार 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल के विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) शेष गांवों का विद्युतीकरण संबंधी समग्र कार्यक्रम संसाधनों तथा आठवीं एवं अनुवर्ती योजना अवधियों में किये जाने वाले वार्षिक आयोजना आबंटन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पश्चिमी बंगाल को 430 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 2670 करोड़ रुपये की राशि के आबंटन को अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार पश्चिमी बंगाल में विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या

क्र०सं०	जिला	31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	बांकुरा	2137
2.	बीरभुम	2213
3.	बर्दवान	2401
4.	कूचबिहार	1118
5.	दार्जिलिंग	499
6.	हावड़ा	755
7.	हुगली	1874
8.	जलपाइगुड़ी	725
9.	माल्दा	1596
10.	मुर्शिदाबाद	1779
11.	मिदनापुर	4715
12.	नादिया	1254
13.	24 परगना (उत्तरी)	1482
14.	24 परगना (दक्षिणी)	1727
15.	पुरूलिया	1376
16.	पश्चिमी दिनाजपुर	2369
	जोड़	28020

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

2820. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में मानवचालित एक्सचेंजों सहित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) ये टेलीफोन एक्सचेंज कब तक चालू हो जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1566 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 1000 एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक हैं 26 मैनुअल एक्सचेंजों को मार्च, 1993 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है और शेष 524 टेलीफोन एक्सचेंजों को मार्च, 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है।

[अनुवाद]

गोवा में टेलीफोन प्रणाली

2821. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोवा में विशेष रूप से राजधानी पणजी में टेलीफोन प्रणाली पिछले एक माह से कार्य नहीं कर रही है और लगभग पचास प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गोवा में टेलीफोन प्रणाली का सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद अनेक केबिलों में दोष उत्पन्न हो जाते है। पणजी को छोड़कर गोवा के अन्य भागों में टेलीफोन प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है।

(ख) अधिकांश केबिल दोष, अन्य सेवा एजेंसियों द्वारा सड़कों की खुदाई किए जाने के कारण भूमिगत केबिलों में दोष आ जाने के कारण उत्पन्न हुए थे।

(ग) और (घ) खराबियों को तत्काल ठीक करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और अपेक्षित

सामान गोवा भेज दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में केबिल डक्टिंग का कार्य भी उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है।

बिहार में कच्चा लोहा संयंत्र की स्थापना

2822. **श्री रामदेव राम** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कच्चा लोहा संयंत्रों की सख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में ऐसे और संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कच्चा लोहा तैयार करने की कोई पृथक इकाई नहीं है, फिर भी बोकारो और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में कच्चा लोहा बनाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) कच्चे लोहे उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है तथा यह निजी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे अपनी परियोजनाओं से सबंधित प्रस्ताव पर विचार करें तथापि बिहार सरकार द्वारा यह बताया गया है कि पांच निजी उद्यमियों और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट क्रेडिट और इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि० तथा बिहार स्पंज आयरन लि० ने राज्य में कच्चे लोहे के संयंत्र स्थापित करने के लिए एस० आई० ए० पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हेलीकाप्टर सेवा

2823. **श्री चित्त बसु** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में हेलीकाप्टर सेवा आरंभ करने का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी

2824. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में उत्तरी क्षेत्र में बिजली के संकट के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र में जून, 1992 माह के दौरान बिजली की सप्लाई की स्थिति तथा ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

1. बिजली की सप्लाई की स्थिति (मिलियन यूनिट)

आवश्यकता	—	8127
उपलब्धता	—	7523
कमी	—	604 (7.4%)

2. ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)

	ताप विद्युत	नाभिकीय विद्युत	जल विद्युत	जोड़
लक्ष्य	5539	327	2505	8371
वास्तविक	5484	0	2471	8015

(ग) उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना पारेषण एव वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, मांग प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना तथा बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करना।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर पर दूरदर्शन धारावाहिक

2825. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर पर दूरदर्शन धारावाहिकों को प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनका प्रसारण कब से किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली

2826. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषपूर्ण प्रेषण नेटवर्क के कारण गत वर्ष इसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीग्रामों की सख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। पिछले वर्ष की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय तारों की संख्या में कमी होने का कारण दोषपूर्ण संचारण नेटवर्क नहीं है बल्कि यह कमी उपभोक्ता द्वारा फैक्स सुविधा का अधिकाधिक प्रयोग करने की वजह से है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में तृपूणित्तरा में स्टाक यार्ड

2827. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृपूणित्तरा, कोचीन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए स्टॉक यार्ड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्टॉक यार्ड कब तक चालू हो जायेगा और इस पर कुल कितना खर्च आएगा ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1993 तक यार्ड को चालू करने के लिए तैयार कर लिए जाने की संभावना है और इसकी कुल अनुमानित लागत 5.65 करोड़ रुपये है।

पनबिजली परियोजनाएं

2828. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संबंधी कारणों से रद्द की गयी पनबिजली परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरणीय आधार पर अथवा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय आंकड़े तथा कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण कुल 95 जल विद्युत परियोजनाओं को अस्वीकृत सिया गया है। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से अस्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	सिंगुर जल विद्युत परियोजना
2.	पुलीचिन्ताला जल विद्युत परियोजना
3.	नैलाकाला इरिगेशन कम पॉवर प्रोजेक्ट
4.	टेल पोण्ड डैम, नागार्जुन पी० एस० सच०
5.	पुलींचिताला एच० ई० स्कीम
6.	सोमासिला परियोजना एच० ई० एस०
असम	
7.	पागलादिया बांध परियोजना
8.	कोपिली जल विद्युत परियोजना
9.	दिहांग एवं सबन्सरी जल विद्युत परियोजना
10.	लोंगित स्माल जल विद्युत परियोजना (चरण-1 एवं 2)
11.	कारबी लोंग्पी जल विद्युत परियोजना (अपर चरण)
बिहार	
12.	सांख जल विद्युत परियोजना
हिमाचल प्रदेश	
13.	नियोगल जल विद्युत परियोजना (संशोधित)

1	2
14	वास्पा जल विद्युत परियोजना, चरण-2
15.	धामवाड़ी परियोजना
हरियाणा	
16.	दादुपुर मिनी जल विद्युत परियोजना, चरण-I
जम्मू एवं कश्मीर	
17.	किरथोई-नौनातु-नायगड जल विद्युत स्कीम
18.	हीरापोड़ा माइक्रो जल विद्युत स्कीम
19.	हुंसवाड़ नाल्लाह जल विद्युत परियोजना
20.	दाचीगाम माइक्रो जल विद्युत स्कीम
22.	पाकल दुल जल विद्युत परियोजना
22.	सिवा जल विद्युत चरण-3
23.	न्यू गैंडरवल जल विद्युत परियोजना
24.	घुमखार जल विद्युत स्कीम
25.	पारनोई जल विद्युत परियोजना
26.	किशनगंगा जल विद्युत परियोजना
कर्नाटक	
27.	शिवा सामुद्रम सीजनल पॉवर स्कीम
28.	सारापाडी बैराज जल विद्युत परियोजना
29.	महादायी जल विद्युत परियोजना
केरल	
30.	काराप्पारा कुरीकुट्टी (एम० पी० पी०) स्कीम
31.	चाला कुडी रासिन चरण-2 (अदिरापल्ली)
32.	पाल्लीवासाल रिप्लेसमेंट स्कीम
33.	साइलेंट घाटी में विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्ताव

1	2
34.	अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना
35.	चम्बुक्कादावा स्माल जल विद्युत परियोजना चरण-2
36.	पाम्बर जल विद्युत स्कीम
37.	भवानी जल विद्युत स्कीम
मध्य प्रदेश	
38.	मन्तार जल विद्युत परियोजना
39.	कुटरू-1 जल विद्युत परियोजना
40.	कुटरू-2 जल विद्युत परियोजना
41.	भोपालपट्टनम जल विद्युत परियोजना
42.	सिकसार जल विद्युत परियोजना
43.	गोपाड जल विद्युत परियोजना
महाराष्ट्र	
44.	कोनाल जल विद्युत परियोजना
45.	पिम्पलगांव जोगे पम्पड स्टोरेज स्कीम
मणिपुर	
46.	टुइपाकी माइक्रो जल विद्युत परियोजना
47.	खोजारी लोक माइक्रो जल विद्युत परियोजना
48.	थाउवल मल्टी परपज परियोजना
49.	गैलजांग माइक्रो जल विद्युत स्कीम (रिकास्ट)
50.	नुंग शांग खोंग माइक्रो एच० एस०
51.	गैलनैल माइक्रो जल विद्युत स्कीम
52.	मैथलमान्वी माइक्रो एच० एस०
53.	लोक चाव माइक्रो जल विद्युत स्कीम
54.	सिंगदा माइक्रो जल विद्युत स्कीम
55.	तिपईमुख हाई डैम परियोजना

1	2
मेघालय	
56.	गैनल माइक्रो जल विद्युत स्कीम
मिजोरम	
57.	[illegible]री जल विद्युत परियोजना
नागालैंड	
58.	लिकिम्रो जल विद्युत परियोजना
उड़ीसा	
59.	भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना
पंजाब	
60.	सवरांव ब्रांच जल विद्युत परियोजना चरण-1
61.	अबोहर कैनाल जल विद्युत परियोजना चरण-2
62.	कुंजर जल विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम में कर्मचारियों की संख्या

2829. **श्री शिबू सोरेन** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम में प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियी और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियो की संख्या (श्रेणीवार) निम्नानुसार है—

श्रेणी	दामोदर घाटी निगम में कर्मचारियो की कुल संख्या	अनु० जाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या	अनु० जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
समूह "क"	1,889	65	17
समूह "ख"	10,611	437	207
समूह "ग"	7,012	1,061	562
	19,512	1,563	796

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड का कारोबार

2830. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तात स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने वर्ष 2992-93 के लिए कुल कितने रुपये के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह कितना अधिक है; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य अब तक किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा कारोबार का लक्ष्य 288 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 1991-92 में प्राप्त 265 करोड़ रुपए के अनन्तिम कारोबार की तुलना में लगभग 9% अधिक है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 1992-93 की प्रथम तिमाही के 57 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 53 करोड़ का कारोबार किया।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण

2831. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों के दूरदर्शन पर प्रसारण के संबध में टेलीफिल्मों के अलावा अन्य कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों में से किन-किन भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं;

(ग) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है लेकिन उनका अभी तक प्रसारण नहीं किया गया है; और

(घ) इन्हें कब तक प्रसारित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) इस प्रकार का ब्यौरा संकलित रूप में एक स्थान पर नहीं रखा जाता।

देश में डाक सुविधाएं

2832. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में, बिहार में विशेष रूप से उसके अररिया, किशनगंज तथा पुरनिया जिलों में 31 मार्च, 1992 को ग्रेडवार कुल कितनी डाक सुविधाएं उपलब्ध थीं; और

(ख) 1992-93 के दौरान देश में, बिहार में और उक्त जिलों में कितने अतिरिक्तों डाकघर स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार समूचे देश में, बिहार में और अररिया, किशनगंज तथा पूर्णिया जिलों में डाकघरों की श्रेणी-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में समूचे देश में 3000 शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में वर्ष-वार और सर्किल-वार ब्यौरा एक के बाद एक वर्ष की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद ही उपलब्ध होगा।

विवरण

समूचे देश में, बिहार में और उसके तीन जिलों अर्थात् अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में डाकघरों का श्रेणी-वार ब्यौरा

क्र० सं०	डाकघर की श्रेणी	अखिल भारतीय	बिहार	अररिया जिला	किशनगज जिला	पूर्णिया जिला
1.	प्रधान डाकघर	834	42	शून्य	शून्य	1
2.	विभागीय उप डाकघर	24669	1415	13	7	20
3.	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	2853	127	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	121990	9815	144	77	156
	कुल	150346	11399	157	84	177

दूरदर्शन में समाचार सेवा प्रभाग

2833. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी समाचार सेवा की तरह ही दूरदर्शन समाचार सेवा प्रभाग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विद्युत शुल्क बोर्ड

2834. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत शुल्क में समानता लाने के उपायों का सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय विद्युत शुल्क बोर्ड और क्षेत्रीय विद्युत शुल्क बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये बोर्ड कहां-कहां स्थापित किए जाने हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के परामर्श एवं राज्य की बिजली बोर्डों/विद्युत युटिलिटियों की सहमति से अखिल भारत आधार पर क्षेत्राधिकार वाले राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड और दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता एवं शिलांग में पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड का मुख्य कार्य टैरिफ निर्धारण के मामले में सभी क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सिद्धांत एवं मार्गदर्शी निदेश तैयार करना और विद्युत के अन्तर्राज्यीय एव अन्तः क्षेत्रीय अन्तरण हेतु टैरिफ का निर्धारण करना होगा। क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों द्वारा वित्तीय एवं आर्थिक घटकों के आधार पर विशिष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाएंगे और राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत युटिलिटियों द्वारा विभिन्न विद्युत उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई विद्युत के लिए इन घटकों के आधार पर टेरिफ के निर्धारण हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को सिफारिशें की जायेंगी। विद्युत टैरिफ बोर्डों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत युटिलिटियों के टैरिफ सम्बद्ध कार्यनिष्पादन के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी सम्बन्धित सरकारों को प्रस्तुत की जायेगी। इन बोर्डों द्वारा अगले तीन महीनों में अपना कार्य आरंभ कर दिए जाने की सम्भाना है।

सुवर्ण रेखा की बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना

2835. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) परियोजना को नौवीं योजना में आगे लाये जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) योजना आयोग के कार्यकारी दल ने परियोजना के लिए आठवीं योजना (1992-97) में 510 करोड़ रुपए और वार्षिक योजना (1992-93) में 100 करोड़ रु० के परिव्यय की

सिफारिश की है जो वही है जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है। साथ ही योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि अवश्य अलग रखी जानी चाहिए।

विवरण

क्र० सं०	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के घटक	सूचित की गई कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)
1.	चन्दिल बांध	93
2.	इचा बांध	27
3.	गलुदीह बराज	93
4.	खरकई बराज	शुरू नहीं किया गया
5.	चन्दिल बायां मुख्य नहर	62
6.	इचा बायां मुख्य नहर	28
7.	इचा दायां मुख्य नहर	50
8.	गलुदीह बायां मुख्य नहर	69
9.	खरकई दायां मुख्य नहर	24
10.	खरकई बायां मुख्य नहर	शुरू नहीं किया गया
11.	गलुदीह बायां मुख्य नहर	अन्वेषण के अधीन
12.	चन्दिल दायां मुख्य नहर	अन्वेषण के अधीन

टिप्पणी— (क) परियोजना की 1428.89 करोड़ रु० की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1992 तक 548.35 करोड़ रु० के व्यय होने का अनुमान है।

(ख) निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, चन्दिल जलाशय के नीचे रेलवे लाइन बदलने तथा वन भूमि के सम्बन्ध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

बिजली परियोजनाओं से बिजली की सप्लाई में राजस्थान का हिस्सा

2836. **श्री राम नारायण बेरवा :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों खास कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को बिजली की सप्लाई में कुल कितना हिस्सा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राजस्थान को बिजली की सप्लाई में उचित हिस्सा नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र में स्थित राज्यों में से किसी भी राज्य में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को सामान्यतया उस क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों के बीच केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार आवंटित किया जाता है।

राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत का निम्नानुसार हिस्सा आवंटित किया गया है—

विद्युत केन्द्र का नाम और क्षमता	राजस्थान का % हिस्सा
1	2
सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2050 मे० वा०)	15%
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (440 मेगावाट)	100%
रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1000 मेगावाट)	9.5%
औरेया गैस विद्युत केन्द्र (552 मेगावाट)	9.2%
अंता गैस विद्युत केन्द्र (413 नेगावाट)	19.8%
नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना (470 मेगावाट)	9.6%
दादरी गैस विद्युत केंद्र (817 मे० वा०)	9.18%
टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मे० वा०)	9.17%

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत का आवंटन, निम्नलिखित बातों के आधार पर किया गया था क्योंकि 1976 में उक्त आबंटन के समय आबंटन सम्बन्धी फार्मूला विद्यमान नहीं था––

1. 1983-84 तक उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की प्रक्षिप्त मांग।

2. कोयला खानों से दूरी।

3. विद्युत उत्पादन के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता।

4. विद्युत के विकास हेतु संसाधनों के निवेश के सम्बन्ध में स्वयं राज्य द्वारा किए गए प्रयास।

5. जल-विद्यत ऊर्जा की कमी की स्थिति से निपटने हेतु ताप विद्युत की आवश्यकता।

इसके अलावा, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का शत-प्रतिशत उत्पादन, विशेष मामले के रूप में राजस्थान को आबंटित किया गया था।

तथापि, अन्य केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का आबंटन, विद्युत के आबंटन सम्बन्धी केन्द्रीय फार्मूले के आधार पर किया गया था।

केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राजस्थान को विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु बरसिंहसर स्थित नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजना के प्रथम चरण विद्युत उत्पादन यूनिटों (लगभग 240 मेगावाट) से उत्पादित समस्त विद्युत में से नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विद्युत संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के बाद समस्त विद्युत को राजस्थान राज्य को आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निश्चित आबंटन के अलावा, उत्तरी क्षेत्र के संघटकों में विद्युत की सापेक्ष प्रतिशत कमी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के 15% अनाबंटित हिस्से में से भी राजस्थान को सहायता प्रदान की जाती है।

अप्रैल-जून, 1992 के दौरान, राजस्थान द्वारा उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से अपनी 1162.7 मि० यू० की कुल हकदारी की तुलना में 1301.4 मि० यू० विद्युत प्राप्त की गई थी जो कि उनकी हकदारी से 138.7 मि० यू० अधिक है।

[हिन्दी]

टाटा ग्रुप को बिहार में खानें पट्टे पर देना

2837. **श्री ललित उरांव :**
श्री रामदेव राम :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में टाटा उद्योग समूह को पट्टे पर दी गई खानों की संख्या व ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को उपकर तथा रायल्टी के रूप में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र के मुख्यालय का स्थानान्तरण

2838. **श्री संदीपन भगवान थोरात :** क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र के मुख्यालय का स्थानांतरण करने अथवा इसे बंद करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना पर अब तक कितना खर्च हुआ है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार का नागपुर स्थित ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र के मुख्यालय को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इसे मितव्ययी कारणों से हाल ही में किराए के आवास से भारत सरकार के विद्युत इजीनियर्स सोसायटी काम्पलैक्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

नागपुर में संस्थान को स्थापित करने पर 30 जून, 1992 तक 20.51 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था।

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

2839. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय बूंदी, बाड़मेर तथा जैसलमेर में मौजूदा अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर एक-एक अर्थात् कुल तीन उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। अजमेर, अनूपगढ़, जोधपुर तथा उदयपुर (नाथद्वारा) में भी प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए मौजूदा अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की परिकल्पना है।

(ग) बाड़मेर, जैसलमेर तथा बूंदी के लिए प्रस्तावित उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के लिए उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं तथा अजमेर और जोधपुर के उच्चशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के उपकरण के लिए आर्डर दे दिए गए हैं बूंदी, जैसलमेर तथा बाड़मेर के ट्रांसमीटरों की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बूंदी तथा जैसलमेर में टावर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अजमेर तथा अनूपगढ़ के प्रस्तावित उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों को लगाने के स्थान को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन

2840. **श्री राम नाईक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या इसका चेयरमैन एक स्थायी अधिकारी हैं;

(ग) सरकार ने सदस्यों का चयन करने के लिए क्या मानक अपनाए है; और

(घ) राष्ट्रीय फिल्म नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश, जिनका केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुपालन किया जाता हैं, का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वर्तमान संरचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) समाज विज्ञान, कानून, शिक्षा, कला इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो केन्द्र सरकार की राय में फिल्मों का लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकने की योग्यता रखते हैं, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

(घ) 6-12-91 को जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वर्तमान संरचना

1. श्री शक्ति सामंत	अध्यक्ष
2. श्री एन० डी० कोठारी	सदस्य
3. श्रीमती प्रनयिनी मुंशी	सदस्य
4. श्रीमती के० एच० भंसाली	सदस्य
5. श्रीमती देवकी मुतैया	सदस्य
6. श्री ए० वी० एम० वालासुब्रामणियम	सदस्य
7. श्री वी० आर० वेंकटाचलम	सदस्य
8. श्रीमती हेमा चौधरी	सदस्य
9. श्री सविताव्रता दत्ता	सदस्य
10. श्री हर्ष कुमार नेवतिया	सदस्य
11. श्री सेवाव्रता गुप्ता	सदस्य
12. श्रीमती पौली अय्यप्पा	सदस्य
13. श्री सी० वी० एल० शास्त्री	सदस्य
14. श्री बशीर एम० पिचा	सदस्य
15. श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी	सदस्य
16. श्री जे० भास्कर राव	सदस्य
17. श्री के० एल जैन	सदस्य
18. श्री लछमन सिंह	सदस्य

19. श्रीमती सारा मोहम्मद	सदस्य
20. श्रीमती उर्वशी तलवार	सदस्य
21. श्री अमर सिंह	सदस्य
22. श्री जुबेर खान	सदस्य
23. नवाब जफर जंग	सदस्य
24. श्रीमती कमला मानकेकर	सदस्य
25. प्रो० वी० वी० दास	सदस्य

मार्गदर्शी सिद्धान्त

[भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपखंड (2) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

सा० का० 1836 (ई) नि०केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 5-ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 9(क) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि—

1. हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

2. अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाकउ ड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाएं;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को क्रम से रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए।

(11) काम-विकृतियों दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत. धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्याष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या—ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाए।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किंतु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि वे शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन न करते हों।

पाद टिप्पण—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) तारीख 7-1-78 में का० आ० 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ० सी० जिसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

1. भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17-2-79 में का० आ० 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ० (सी)

2. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3; उपखंड (2) तारीख 7-5-83 में का० आ० 356 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ० (सी)

3. भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 9-9-89 में का० आ० सं० 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8-89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ० (सी)

का० संख्या 805/4/89—एफ० (सी)

(एस० लक्ष्मीनारायणन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 383857

सेवा में,

प्रबन्धक, भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को घाटा

2841. **श्री गुरूदास कामत** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे अब तक कितना घाटा हो चुका है; और

(ग) घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को कुल 755 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई। पुरानी प्राद्योगिकी, उपस्करों, का पुराना पड़ना, पुरानी कार्य पद्धति कच्चे माल की खराब क्वालिटी, अधिशेष श्रम शक्ति, स्पन पाइपों के लिए पर्याप्त आर्डर न मिलना, कोयला खदानों आदि में घटिया प्रचालनों के कारण हानि हुई।

(ग) बर्नपुर इस्पात कारखाना, कम्पनी की एक प्रमुख इकाई है। कम्पनी की सक्षम कार्य

प्रणाली इसके वित्तीय निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। संयंत्र तब तक यथावांछित प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि इसका आधुनिकीकरण नहीं किया जाता संयंत्र के आधुनिकीकरण के बारे में समय तथा लागत प्रभावी को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित नीति/योजना की इस समय समीक्षा की जा रही है ताकि आठवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर बोझ न पड़े।

उड़ीसा में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

2842. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ मध्यम दर्जों की सिंचाई परियोजनाएं यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से चलायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

करनाल दूरसंचार जिले में स्थापित किया गया बबैन एक्सचेंज

2843. **श्री राजेश कुमार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बबैन एक्सचेंज (दूरसंचार जिला करनाल, हरियाणा के अंतर्गत आने वाले) को दिल्ली से जोड़ने के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण पाल-घाट इलेक्ट्रॉनिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अम्बाला एक्सचेंज का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और बबैन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) क्या बबैन एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं;

(ङ) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपेक्षित यू० एच० एफ० की मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इंडियन टेलीफोन

इन्डस्ट्रीज, पालघाट द्वारा अम्बाला में टी० ए० एक्स० के रूप में काम करने के लिए एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान किया गया है। अम्बाला टी० ए० एक्स० को पहले ही टी० ए० एक्स० के साथ जोड़ा जा चुका है।

(ख) संस्थापना कार्य चल रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, तथापि दूरसंचार विभाग ने बबैन और लदावा के बीच एक केबिल पी० सी० एम० प्रणाली संस्थापित करने की योजना बनाई है, जो यू० एच० एफ० प्रणाली के समान ही सुविधा प्रदान करती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम महाराष्ट्र में सिंचाई की प्रतिशतता में वृद्धि

2844. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समन्वय करके पश्चिम महाराष्ट्र में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भूमि सिंचाई की प्रतिशतता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 तक सिंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है तथा चालू वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान कितनी वृद्धि की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान पश्चिम महाराष्ट्र में 4 वृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि भूमि के सिंचाई प्रतिशत में बढ़ोतरी की जा सके।

(ख) जून, 1991 तक सृजित क्षमता 33.02 हजार हेक्टेयर थी। वर्ष 1991-92 के दौरान क्षमता में प्रत्याशित बढ़ोतरी 4.54 हजार हेक्टेयर है, जो कि लगभग 14 प्रतिशत है। आठवीं योजना (1992-97) तथा वर्ष 1992-93 के दौरान प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता क्रमशः 35.06 हजार हेक्टेयर और 4.56 हजार हेक्टेयर है।

पेइंग गेस्ट आवास योजना

2845. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :
डा० आर. मल्लू :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ शहरों में कोई "पेइंग गेस्ट आवास योजना" तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जायेंगी और यह योजना कहां-कहां शुरू कर दी गई है एवं किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस स्कीम को अखिल भारतीय आधार पर शुरू किया है ताकि स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए आवास की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

पर्यटक आवास के लिए अतिरिक्त उपयुक्त कमरों वाले मकानों के मालिकों को इस स्कीम के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों को सस्ता, स्वास्थ्यकर और साधारण आवास उपलब्ध कराया जा सके।

चार क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है जिनमें केन्द्र एवं राज्य के पर्यटन विभागों, यात्रा व्यवसाय तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को रखा गया है और ये समितियां मानदण्ड, टैरिफ एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिनमें उपयुक्तता, गम्य मार्ग उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं, आदि जैसी बातें शामिल हैं, पेइंग गेस्ट के लिए आवास का पंजीकरण करने के लिए सक्षम है, कुछेक राज्य सरकारों को भी इस व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है जिनकी ऐसी ही स्कीमें हैं।

इस आवास की उपलब्धता का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए टी० वी० सेट हेतु यूनेस्को से सहायता

2846. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-दराज के क्षेत्रों विशेषतः, जनजातीय बहुलक्षेत्रों में, टेलीविजन सेट लगाने के लिए 33 करोड़ रुपये के अनुदान को अन्तरिम रूप देने के लिए यूनेस्को का एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल हाल ही में दिल्ली आया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) देश में मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क से कवर न होने वाले क्षेत्रों, पहाड़ी/अगम्य क्षेत्रों तथा जनजातीय विकास खण्डों में सामुदायिक अवलोकन के लिए टी० वी० सेट लगाने की स्कीम के निधिकरण की व्यवहार्यता पर चर्चा करने और इसकी छानबीन करने के लिए यूनेस्को का एक शिष्टमंडल नई दिल्ली आया था। लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ।

[हिन्दी]

वृत्त चित्र के लिए धन

2847. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) श्रमजीवी वृत्तचित्र निर्माताओं को मिलने वाली ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फिल्म निर्माताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम वित्त पोषण अपने उप नियमों और विनियमों के अनुसार, किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी सगठन द्वारा प्रायोजित वृत्त चित्रों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता की राशि का निर्णय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के निदेशक मण्डल द्वारा लिया जाता है। किन्तु यह राशि फिल्म की बजट लागत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और वृत्तचित्र फिल्म के मामले में प्रायः यह 1.50 लाख रुपये तक होती है।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अब तक 58 वृत्तचित्रों/गैर फीचर फिल्मों के निर्माण में वित्तीय सहायता दी है।

(ग) सरकार को ऐसे किसी असंतोष की जानकारी नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) निर्माता वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से अनुरोध कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने वित्तीय सहायता दी है। बशर्ते कि प्ररियोजनाएं प्रायोजित की गई हों।

[अनुवाद]

वृत्त चित्रों/न्यूज मैग्जीनों का प्रदर्शन

2848. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सिनेमा, थियेटरों में प्रदर्शन के लिए फिल्म प्रभाग को प्राप्त वृत्तचित्र/न्यूज मैग्जीन की औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या फिल्म प्रभाग ने सिनेमा, थियेटरों में इसके प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी रखी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1991-

92 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 46 वृत्त चित्रों और 26 न्यूज मैंगजीनों का स्वयं निर्माण किया और 5 वृत्तचित्र बाहरी निर्माताओं से खरीदे/चन्दे के रूप में प्राप्त किए। इसके अलावा प्रभाग को सिनेमा थियेटरों में प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 14 वृत्तचित्र और 48 न्यूज मैंगजीन प्राप्त हुए। प्रभाग ने वर्ष के दौरान सिनेमा थियेटरों को 97 वृत्तचित्र और 73 न्यूज मैंगजीन रिलीज की।

(ख) फिल्म प्रभाग अपने वितरण शाखा कार्यालयों के जरिए प्रदर्शन के लिए केवल अनुमोदित फिल्में सिनेमा थियेटरों को दिए जाने की व्यवस्था करता है और प्रभाग के पास यह जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि फिल्में/वृत्तचित्र वास्तविक रूप से सिनेमा थियेटरों में दिखाई जा रही हैं अथवा नहीं। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे सिनेमा थियेटरों में अनुमोदित फिल्मों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करें क्योंकि यह चलचित्र अधिनियम, 1952 की अपेक्षा के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों और विनियमों के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्त होती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

डिजीटल स्विचों का विकास

2849. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सभी चारों मेट्रो गेटवेजों पर डिजीटल स्विचों के विकास के लिए क्या योजना बनायी गई है और इसकी कुल लागत कितनी है;

(ख) इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या मद्रास में "क" श्रेणी का अर्थ स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में विदेश सचार निगम लिमिटेड ने बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्थित अपने मौजूदा चार डिजीटल अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे टेलीफोन स्विचों का नीचे लिखे अनुसार विस्तार करने की योजना बनाई है :

केन्द्र	अंतर्राष्ट्रीय लाइनों की संख्या जिनको जोड़ने की योजना है
बम्बई	3420
नई दिल्ली	2910
मद्रास	3630
कलकत्ता	1230
कुल	11190

उपर्युक्त विस्तार कार्य पर 72 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत आएगी। यह कार्य 1993-94 के दौरान पूरा करने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावित मानक "ए" इन्टलसेट भू-केन्द्र में लगभग 2 हजार उपग्रह सर्किटों की क्षमता होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 34 करोड़ रुपये हैं और इसे 1994 के मध्य तक पूरा करने की योजना है।

मुम्बई में टेलीफोन में डाइपोलेराइजर उपकरण लगाना

2850. **श्री राम कापसे : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा "डाइपोलेराइजर" (जिसका लोकप्रिय नाम "पापड़" मशीन है) नामक एक उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है ताकि टेलीफोन से की गई कॉलें मीटर में नहीं आये;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जन शिकायतों और प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से कुछ ऐसे मामले जानकारी में आए हैं जिनमें काल करने वाले व्यक्ति के टेलीफोन मीटर बंद करने के लिए डिपोलराइजर नामक किसी उपकरण का प्रयोग करने का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) ऐसी शिकायतों की जांच करने पर पाया गया कि टेलीफोन उपकरणों में ऐसा कोई यन्त्र नहीं लगा हुआ था। तथापि, एक्सचेंजों में आवश्यक तकनीकी संशोधन किए गए हैं ताकि ऐसे यन्त्रों के प्रयोग को निष्क्रिय किया जा सके।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में नौकरियां

2851. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) उन विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिली है;

(ग) इन व्यक्तियों को अब तक नौकरी नहीं देने के क्या कारण हैं;

(घ) सभी विस्थापितों को कब तक नौकरी दी जायेगी;

(ङ) क्या विस्थापित व्यक्तियों को इस संयंत्र के सहायक एककों में नौकरी देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की नामावली में दर्ज कुल 13959 गैर-कार्यपालकों में से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में रोजगार प्रदत्त विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 5690 है। विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिशत कुल संख्या का 40 प्रतिशत बैठता है।

(ख) से (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की श्रमिक शक्ति की आवश्यकता के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि लगभग 5000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। सभी विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की परिकल्पना कभी नहीं की गयी थी। तथापि, उन्हें सरकारी भूमि के लिए 1270 रुपए प्रति एकड़ की तुलना में 17,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के शेयर के रूप में विस्थापित परिवारों को 1750 रुपए प्रति परिवार भी दिए गये हैं।

(ङ) से (छ) इस प्रकार के मामले पर जब भी कभी ऐसा होगा अनुषंगी इकाइयों के प्रबंधन द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की विद्युत परियोजनाएं

2852. **डा० लाल बहादुर रावल :**
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत यूनिटें कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) राज्य में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं और अन्य निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) राज्य में 1992-93 के दौरान विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना सलग्न विवरण I तथा II में दी गई है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान एन० टी० पी० सी० द्वारा क्रियान्वयनाधीन एवं अन्य निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	चालू करने का निर्धारित कार्यक्रम
एन० टी० पी० सी०		
राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (ताप विद्युत) यूनिट-2	210	9/92
दादरी गैस विद्युत परियोजना (ताप विद्युत) यूनिट-3 व 4	2 × 131	6/92, 9/92
अन्य		
टांडा (ताप विद्युत) यूनिट-4	110	9/92
सोवला (जल विद्युत) यूनिट-1 एवं 2	2 × 3	1/93, 2/93

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 47720 मि० यू० के ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत एवं न्यूक्लीय विद्युत केन्द्र

केन्द्र	यूनिटों की संख्या	ह्रासित क्षमता (मे० वा०)
1	2	3
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड		
ताप विद्युत		
ओबरा	13	1482(5 × 40 + 3 × 94 + 5 × 200)
पनकी	4	274(2 × 32 + 2 × 105)
हरदुआगंज क	3	90(3 × 30)
हरदुआगंज ख एवं ग	7	425(2 × 40 + 4 × 60 + 1 × 105)
परिछा	2	220(2 × 210)
अनपारा	3	630(3 × 210)
टाण्डा	3	330(3 × 110)

1	2	3
आर पी एच कानपुर	(स्माल यूनिट्स)	65
अन्य (उत्तर प्रदेश)	(स्माल यूनिट्स)	33.5
जोड़ ताप विद्युत (उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड		3549.5
एन टी पी सी		
सिंगरौली	7	2050.0(5 × 210 + 2 × 500)
रिहन्द	2	1000.0(2 × 500)
औरैया (जी टी)	6	652.0(4 × 112 + 2 × 102)
ऊंचाहार	2	420(2 × 210)
दादरी (एनसीटीपीपी)	1	210(1 × 210)
दादरी (जीटी)	2	292 (2 × 131)
जोड़ (एन टी पी सी) ताप विद्युत		4594
न्यूक्लीय		
नरोरा एटोमिल पॉवर स्टेशन	2	440.0(2 × 220)

विवरण-II

क्र० सं०	जल विद्युत केन्द्र	केन्द्रों की संख्या	यूनिटों की संख्या	यूनिट क्षमता (मे० वा०)	केन्द्र क्षमता (मे० वा०)
1	2	3	4	5	6
1.	रिहन्द	1	6	50	300
2.	ओबरा	1	3	33	99
3.	धाकरानी (यमुना चरण-1)	1	3	11.25	33.75
4.	कुल्हल (यमुना चरण-4)	1	3	10	30
5.	धालीपुर यमुना चरण-1	1	3	17	51

1 2	3	4	5	6
(यमुना चरण-1)				
6. छिब्रा	1	4	60	240
(यमुना चरण-2)				
7. खोदरी	1	4	30	120
(यमुना चरण-2)				
8. रामगंगा	1	3	66	198
9. चिल्ला	1	4	36	144
10. माताटिला	1	3	10	30
11. मनेरीभाली	1	2	30	90
12. खातिमा	1	3	13.8	41.4
13. पाथरी	1	3	6.8	20.4
14. मोहनादपुर	1	3	3.1	9.3
15. निरगाजानी	1	2	2.5	5
16. खारा	1	3	24	72 (रोलड)
17. टनकपुर (एनएचपीसी)	1	3	40	120
जोड़	17	56		1603.85

लम्बित पड़े दूरदर्शन धारावाहिक

2853. श्री गया प्रसाद कोरी :
श्री प्रबीन डेका :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्रों विशेषकर असम और त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्रों की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े दूरदर्शन धारावाहिकों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सूची में "शान्तिदूत गौतम बुद्ध" शीर्षक वाला टेलीविजन धारावाहिक भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इसे स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) नई प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था जबकि दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को 403 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध चयन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नई प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए प्राप्त 3544 प्रस्तावों में "शान्तिदूत बुद्ध" भी एक है। इन प्रस्तावों के अंतिम परिणामों की सूचना, इस विषय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिए गए मामले की जांच पूरी होने तक, स्थगित कर दी गई है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स का कार्य निष्पादन

2854. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में इंडिनन एयरलाइन्स के कार्य निष्पादन के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस में औद्योगिक असंतोष/आन्दोलन की घटनाओं, कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, विभागों के बीच समन्वय का अभाव, विमान पुर्जों की कमी, विमान अनुरक्षण और यात्री संचालन में खामियों तथा उड़ानों में विलम्ब की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग को सलाह दी गई है कि वे इन खामियों को दूर करने लिए उपयुक्त कदम उठाएं और कार्यचालन में सुधार लाएं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

2855. **श्री एन० डेनिस :**
श्री वी० वेंकटराजन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या ये सभी दूरदर्शन केन्द्र, रिले केन्द्रों अथवा स्वतंत्र कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्वतंत्र कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों को कहां-कहां स्थापित किया जायेगा और ये कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय तमिलनाडु में रामेश्वरम के मौजूदा अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति, (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम के अलावा नागपत्तिनम, अर्काट मयूरम तथा राजपलायम में एक-एक अर्थात् कुल 4 अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। राज्य में दूरदर्शन सेवा को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के अनुसार कुंभकोणम में भी एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है।

(ख) इन प्रसारण केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधा प्रदान करने की कोई परिकल्पना नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत पर्यटन विकास निगम का विदेशी होटलों के साथ संयुक्त उद्यम

2856. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री रवि राय :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी होटल श्रृंखला के साथ इस आशय की बातचीत की गई है कि वे भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर भारत में चार होटल चलाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन होटलों के प्रबन्ध में विदेशी होटल श्रृंखला की क्या भूमिका रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम कम्पनियां स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ बातचीत की जा रही है। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में डाकघर

2857. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को गुजरात के कितने गांवों में डाकघर नहीं थे;

(ख) वहां डाकघर की सुविधा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) राज्य में आठवीं योजना के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात के ऐसे गांवों की कुल संख्या 10779 है, जिनमें डाकघर नहीं हैं। हालांकि, देश के सभी गांवों में, जिनमें ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं, डाक वितरण सहित मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान गुजरात में 79 नए शाखा डाकघर और 3 विभागीय उप डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में तीन हजार शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। गुजरात राज्य में डाक के विकास की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां भी उचित संख्या में डाकघर खोले जाएंगे।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की जिला-वार संख्या इस संबंध में गुजरात सर्किल को आबंटित लक्ष्यों के अनुसार एक-के-बाद एक वार्षिक योजनाओं के दौरान निश्चित की जाएगी। 1992 से 1977 तक की एक-के-बाद एक वार्षिक योजनाओं पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही सम्बद्ध विवरण उपलब्ध होगा।

विदेश भेजे जाने वाले पार्सल

2858. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 के दौरान दिल्ली डाक क्षेत्र के उत्तरी मण्डल में स्थित जवाहर नगर डाकघर में विदेश भेजे जाने वाले पार्सलों पर नेपाल की टिकट लगाये जाने के किसी मामले का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या छोटे डाकघरों में विदेशों को पार्सल भेजने की सुविधा मौजूदा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे डाकघर विदेश भेजे जाने वाले पार्सल किस आधार पर स्वीकार करते हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय जांच-पड़ताल करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के लिए "स्टेटिक-वार कंपेंसेटर" की खरीद

2859. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
श्री राजेंद्र कुमार शर्मा :
श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टेटिक-वार कंपेंसेटर" के चार सेट फ्रांसीसी फर्म से तथा दो सैट मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से खरीदने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) मैसर्स भेल से दो तथा मैसर्स सी० ओ० जी० ई० एल० ई० एक्स से चार स्टेटिक वार कम्पनसेटर सेट के खरीदने हेतु आर्डर दिए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत विभाग द्वारा जांच की गई तथा वित्त मंत्रालय को इसकी सिफारिश कर दी गई है।

हैदराबाद विमानपत्तन पर माल उतारने की सुविधा

2860. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर माल उतारने की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हैदराबाद विमानपत्तन पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वहां सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) हैदराबाद हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

2861. **श्री रामलखन सिंह यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में वहां पर उपलब्ध खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उद्योग अब तक किन-किन राज्यों में स्थापित किए गये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) खनिज स्रोतों के विकास के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे दिए जा रहे हैं। 1-4-1992 को पूरे देश में 66 प्रधान खनिजों से सम्बन्धित कुल खनन पट्टों की संख्या 10,946 थी। इन खनन पट्टों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार मंजूर खनन पट्टों की संख्या 1-2-92 को

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के नाम	खनन पट्टों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1273
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	आसाम	19
4.	बिहार	657
5.	गोवा	526
6.	गुजरात	1678
7.	हरियाणा	49
8.	हिमाचल प्रदेश	43
9.	जम्मू व कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	976

1	2	3
11.	केरल	92
12.	मध्य प्रदेश	1401
13.	महाराष्ट्र	259
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	19
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	857
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	2270
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	511
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	194
25.	पश्चिम बंगाल	105
26.	दिल्ली	5
27.	अंडमान व निकोबार	—
28.	चण्डीगढ़	—
29.	दादर व नागर हवेली	—
30.	दमन व द्वीप	—
31.	लक्ष्यदीप	—
32.	पांडिचेरी	—
		जोड़ : 10,946

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना।

2862. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान राज्य के वर्तमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश में 1991-92 के दौरान किसी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 1992-93 के दौरान किसी डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वरदन समिति की रिपोर्ट

2863. **श्री देवी बक्स सिंह** :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** 9 मार्च, 1992 का तारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इलैक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित वरदन समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सरकार ने पहले कदम के रूप में दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूरदर्शन के चार मैट्रो चैनलों और वहां पर आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों पर निजी निर्माताओं को समय आबंटित करने का निर्णय ले लिया है।

विवरण

इलैक्ट्रानिक माध्यमों में स्पर्धा शुरू करने के बारे में अन्तर-विभागीय समिति की मुख्य सिफारिशें

1. समिति इलैक्ट्रानिक माध्यमों में स्पर्धा शुरू करने की आवश्यकता स्वीकार करती है।

2. समिति ने स्पर्धा शुरू करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का उल्लेख किया है जो अग्रता क्रम में इस प्रकार है :—

(क) परिचालनों की अर्थक्षमता और अंतर क्षेत्रीय नेटवर्क को उपयुक्त रूप से जोड़ने की व्यवस्था के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय प्रसारण के लिए नये टी० वी०/रेडियो चैनलों की स्थापना करने की अनुमति दी जाए।

(ख) चार महानगरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल और एफ० एम० केन्द्रों सहित अतिरिक्त रेडियो चैनल, जब भी उपलब्ध हो, उपयुक्त कानून पारित करने के बाद उपयुक्त लाइसेंस धारियों को एक साथ पट्टे पर दे दिए जाएं।

(ग) निजी एजेंसी या कंसोर्टियम को देश में ट्रांसमीटर श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विकल्प का क्रम ऊपर (क) पर दिए गए विकल्प के बाद होगा।

(घ) मौजूदा टी० वी०/रेडियो चैनलों पर समय विशेष को पट्टे पर दिए जाने की सिफारिश नहीं की जाती।

(ङ) विकासात्मक या शैक्षिक प्रसारण के लिए लाइसेंसधारी को उपग्रह ट्रांसपोंडर पट्टे पर देने का विकल्प उपयुक्त है और उपग्रह पर अतिरिक्त खंड उपलब्ध होने पर सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाए।

3. लाइसेंस मंजूर करने के लिए एजेंसियों का चयन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए जिसे प्रसारण परिषद कहा जा सकता है और इसमें सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जिनकी ईमानदारी पर कोई संदेह न हो।

4. लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र संगठन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां होनी चाहिए जिनके प्रबंध में प्रसारण में रुचि रखने वाले मुख्य ग्रुपों का प्रतिनिधित्व हो और जिनके शेयर जनता द्वारा खरीदे जा सकते हों।

5. सूचना स्रोतों पर एकाधिकार से बचने के लिए अन्य मीडिया पर प्रतिबंध (क्रास मीडिया रिस्ट्रिक्शन्स) लगाने का सुझाव दिया गया है।

6. विश्वविद्यालयों, सहकारी संस्थानों, इत्यादि जैसे सार्वजनिक निकायों को लाइसेंस मंजूर करने के मामले में उनके परिचालन क्षेत्र में तरजीह दी जा सकती है।

7. कार्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश बताये गए जैसे विज्ञापन, आकाशवाणी/दूरदर्शन की विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों, कोई कार्यक्रम किसी समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला न हो, किसी कार्यक्रम से भारत की प्रभुसत्ता और एकता आदि को ठेस न पहुंचती हो अथवा न ही किसी कार्यक्रम से कापीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

8. गुणवत्ता निर्धारण और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है।

9. भारतीय प्रसारण परिषद को उपयुक्त कानून के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करने और शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा जाए।

10. अतिरिक्त प्रसारण चैनलों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए नया कानून बनाया जाए।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दी गई धनराशि

2864. **श्री हाराधन राय : क्या विद्युत मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, कितनी-कितनी धनराशि दी है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ग) 1992-93 में गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य आयोजना सहित राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1989-90, 1990-91, 1991-92 के दौरान क्रमशः 14414, 10219 तथा 6044 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान 4240 गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र० सं० राज्य	आबटन		
	1989-90	1990-91	1991-92
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	4857	5470	3096
2. अरुणाचल प्रदेश	750	935	1000
3. असम	3173	2850	1750
4. बिहार	5020	4466	1485
5. गोवा	80	30	50
6. गुजरात	3267	3340	2756
7. हरियाणा	2008	2105	2221
8. हिमाचल प्रदेश	989	900	395
9. जम्मू एवं कश्मीर	1150	970	460

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	2309	1769	2583
11.	केरल	1115	1355	930
12	मध्य प्रदेश	9638	11562	8830
13	महाराष्ट्र	11085	13080	11792
14.	मणिपुर	1231	1438	1180
15.	मेघालय	900	681	630
16	मिजोरम	450	500	700
17.	नागालैंड	180	240	385
18.	उड़ीसा	3731	3390	3506
19.	पंजाब	2103	2550	1653
20.	राजस्थान	4247	3177	3687
21.	सिक्किम	340	303	265
22.	तमिलनाडु	3322	3685	2987
23.	त्रिपुरा	660	927	562
24.	उत्तर प्रदेश	14489	8100	7532
25.	प० बंगाल	3893	4957	3317
	जोड़ (राज्य)	80987	78780	63707

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

2865. **श्री राजवीर सिंह :**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्तार किये गये टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने की वर्तमान मांगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में 1992-93 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का क्या कार्यक्रम है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिये गए हैं।

(ग) 64 टेलीफोन एक्सचेंज जैसा कि संलग्न विवरण II में उल्लेख किया गया है, 1992-93 में विस्तार/आधुनिक बनाने की योजना है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्तार किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा और इस समय उनके विस्तार की मांग का ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्तार किए जाने वाले एक्सचेंजों की कुल संख्या	इस समय टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए कुल मांग
1	2	3	4
1.	बांका	01	43
2.	भागलपुर	06	955
3.	गोड्डा	—	36
4.	मुंगेर	06	05
5.	जमुई	05	50
6.	दुमका	04	58
7.	देवघर	02	236
8.	साहेबगंज	02	67
9.	सिंहभूम (पूर्व)	10	2224
10.	सिंहभूम (पश्चिम)	12	537
11.	नालंदा	06	935
12.	पटना	13	730+304
13.	बेगूसराय	00	100

1 2	3	4
14. दरभंगा	04	317
15. खगड़िया	04	—
16. मधुबनी	09	110
17. समस्तीपुर	07	172
18. औरंगाबाद	06	577
19. गया	10	1436
20. जहांनाबाद	04	223
21. नवादा	05	107
22. बोकारो	09	700
23. धनबाद	06	1025
24. गुमला	01	55
25. लोहरदगा	01	40
26. रांची	10	1957
27. छपरा	01	23
28. गिरिडीह	09	00
29. हजारीबाग	15	057
30. भभुवा	04	01
31. भोजपुर	06	240
32. बक्सर	02	108
33. रोहतास	00	274
34. गढ़वा	—	12
35. पलामू	10	147
36. अररिया	03	54
37. कटिहार	04	06
38. किशनगंज	05	09

1 2	3	4
39. पूर्णिया	07	297
40 मधेपुरा	04	69
41. सहरसा	07	47
42. सीतामढ़ी	00	410
43. सुपौल	04	35
44. मुजफ्फरपुर	06	1109
45. बैशाली	08	594
46. छपरा	09	113
47. गोपालगंज	04	48
48. सिवान	05	254
49. चंपारन (पूर्व)	09	59
50. चंपारन (पश्चिम)	06	38

विवरण II

वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम

1. इसरीबाजार
2. राजधनवार
3. सुरेया
4. कठारा
5. बारही
6. बांका
7. पिरपैन्टी
8. कहलगांव
9. सुल्तानगंज
10. साहेबगंज
11. राजमहल
12 तलसारी
13. तीनपहाड़
14. जामतारा
15 झारमुडी
16. मिहिजाम
17. मोहालपहाड़ी
18. जमुई
19. झाझा
20. शेखपुरा
21. बरियापुर
22. जमालपुर
23. मुंगेर
24. हवालीखागरपुर

25. घटशिता
26. जादूगोरा
27. नोवामुंडी
28. चाईबासा
29. वाराजामंडा
30. बिहारशरीफ
31. पटना
32. बिहटा
33. मशौदी
34. मानेर
35. बेनीपुर
36. दरभंगा
37. लहरीसराय
38. वेनीपट्टी
39. झंझारपुर
40. रोसड़ा
41. समस्तीपुर
42. निमाली
43. खगड़िया
44. औरंगाबाद
45. जहांनाबाद
46. नवादा
47. बालीडीह
48. धनबाद
49. चिरकुंडा
50. गुमला
51 लोहारदगा
52. छतरा
53. झुमरीतलैया
54. हजारीबाग
55. बक्सर
56. भभुवा
57. मोहानिया
58. डालमियानगर
59. सासाराम
60. आरा
61. डाल्टनगंज
62. नौगछिया
63. कटिहार
64. फोरबिसगंज

[अनुवाद]

कर्नाटक और राजस्थान में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग यूनिट

2866. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम की दो यूनिटें स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां। तो क्या सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में इसकी एक अन्य यूनिट स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का विनिर्माण करने वाली दो यूनिटें पहले से ही मौजूद हैं।

(ख) जी हां । औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसे राजस्थान सरकार की संस्तुति प्राप्त है ।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार, दूरसंचार उद्योग को लाइसेंस रहित घोषित किया गया है अतः प्राइवेट सेक्टर अथवा संयुक्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार से लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः तदनुसार राजस्थान सरकार को सूचित किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात के गोदामों में टेलीफोन के सामान की कमी

2867. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दूरसचार केन्द्रों के विभिन्न गोदामों में टेलीफोन उपकरण तथा अन्य वस्तुएं कम पायी गयीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कारंवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) जिन टेलीफोन उपकरणों/सामग्रियों की मात्रा हाल ही में कम पायी गई है वे इस प्रकार हैं :—

मद	मात्रा
पी वी सी केबल के 10 टुकड़े	1000 मीटर
केबल कटिंग वायर (स्क्रैप)	100 कि० ग्रा०
तांबे की तार	749 कि० ग्रा०
टेलीफोन उपकरण	485 अदद
पी वी सी ट्विन वायर	8.05 कि० मी०

वास्तव में टेलीफोन उपकरण और पी वी सी ट्विन वायर कम नहीं हैं, बल्कि संबंधित अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर करके इन्हें हेरा-फेरी से गोदामों से निकाला गया है ।

(ग) सभी मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और उनकी जांच-पड़ताल चल रही है ।

अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण

2868. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर, राजस्थान में हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वित्तीय परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से अजमेर में इस समय हवाई अड्डे का निर्माण करना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज

2869. **श्री केशरी लाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय एस० टी० डी० सुविधायुयत इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की जिलावार संख्या क्या है जिनमें यह सुविधा मौजूद नहीं है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान उत्तरोत्तर रूप से बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण

क्रम स०	जिले का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल सं०	एस० टी० डी० वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	बिना एस० टी० डी० वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंच
1	2	3	4	5
1.	आगरा	7	1	6
2.	अलीगढ़	13	1	12
3.	इलाहाबाद	21	17	4

1 2	3	4	5
4. अलमोड़ा	13	3	10
5. आजमगढ़	9	7	2
6. बहराइच	9	—	9
7. बलिया	21	4	17
8. बांदा	20	4	16
9. बाराबंकी	11	1	10
10. बरेली	8	1	7
11. बस्ती	6	—	6
12. बिजनौर	4	—	4
13. बदायूं	7	1	6
14. बुलंदशहर	27	6	21
15. चमोली	13	3	10
16. देहरादून	15	2	13
17. देवरिया	9	5	4
18. एटा	5	—	5
19. इटावा	9	3	6
20. फैजाबाद	18	4	14
21. फर्रुखाबाद	10	2	8
22. फतेहपुर	8	3	5
23. फिरोजाबाद	1	1	—
24. गाजियाबाद	22	11	11
25. गाजीपुर	4	2	2
26. गोंडा	9	1	8
27. गोरखपुर	18	15	3
28. हमीरपुर	12	4	8

1	2	3	4	5
29.	हरदोई	5	1	4
30.	हरिद्वार	6	2	4
31.	जालौन	10	6	4
32.	जौनपुर	6	—	6
33.	झांसी	10	2	8
34.	कानपुर	9	9	—
35.	कानपुर (ग्रामीण)	13	—	13
36.	लखीमपुर खीरी	12	1	11
37.	ललितपुर	6	1	5
38.	लखनऊ	19	9	10
39.	महाराजगंज	10	8	2
40.	मैनपुरी	7	—	7
41.	मथुरा	17	8	9
42.	मऊनाथ भंजन	7	2	5
43.	मेरठ	24	6	18
44.	मिर्जापुर	2	—	2
45.	मुरादाबाद	8	1	7
46.	मुजफ्फरनगर	17	3	13
47.	नैनीताल	27	8	20
48.	पौड़ी	10	4	9
49.	पीलीभीत	4	—	4
50.	पिथौरागढ़	9	1	8
51.	प्रतापगढ़	5	1	4
52.	रायबरेली	13	3	10
53.	रामपुर	1	—	1

1	2	3	4	5
54.	सहारनपुर	13	2	11
55.	शाहजहांपुर	9	1	8
56.	सिद्धार्थनगर	5	1	4
57.	सीतापुर	11	1	10
58.	सोनभद्र	6	4	2
59.	सुलतानपुर	20	17	3
60.	टिहरी	7	1	6
61.	उन्नाव	5	2	3
62.	उत्तरकाशी	6	1	5
63.	वाराणसी	19	12	7
	कुल	687	219	468

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए निर्धारित लक्ष्य

2870. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं—

वर्ष	लक्ष्य
1990-91	5.5 लाख
1991-92	7.0 लाख

(ग) से (ङ) वर्ष 1991-92 में 7.37 लाख की उपलब्धि रही, जो लक्ष्य से अधिक है। वर्ष 1990-91 में 4.85 लाख की उपलब्धि रही, जो लक्ष्य से कम है। यह कमी विनिर्माताओं से उपस्कर की कम और विलम्ब से आपूर्ति होने के कारण हुई।

(च) वर्ष 1992-93 के लिए 8.5 लाख नए कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सी-डॉट प्रौद्योगिकी का निर्यात

2871. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी राष्ट्र ने सी-डॉट द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में निर्यात हेतु देशों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1. वियतनाम 2. रूस

3. नेपाल 4. नाइजीरिया

5. चीन 6. सऊदी अरब

7. कुवैत 8. जॉर्डन

9. जिम्बाब्वे

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य पूर्वी देश, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और एशिया।

गुजरात में डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा

2872. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघरों और उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और ऐसे कितने डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) उनमें यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) गुजरात के प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में वर्ष 1992-93 के दौरान कितने डाकघर खोलने की योजना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क)

मद	टेलीफोन सुविधायुक्त	टेलीफोन सुविधा रहित
शाखा डाकघर और उप डाकघर	1827	6200

(ख) यद्यपि सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है, तथापि सरकार ने सभी पंचायत ग्रामों में 31-3-97 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। डाकघर एक ऐसा स्थान है, जहां इस प्रकार के टेलीफोन संस्थापित करने का सुझाव दिया गया है ।

(ग) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

राज्यों में वायुदूत सेवाएं

2873. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वायुदूत सेवा नेटवर्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में नए मार्गों पर, विशेष तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में वायुदूत सेवा शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) देश में वायुदूत सेवाओं के नेटवर्क के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) वायुदूत का बागडोगरा, पटना, वाराणसी, जम्मू और जामनगर को विमान सेवा से जोड़ने का विचार है ।

विवरण

इस समय वायुदूत द्वारा परिचालित स्टेशनों की सूची को दिखाने वाला विवरण

उत्तरी क्षेत्र

1. दिल्ली	2. लुधियाना	3. चण्डीगढ़
4. देहरादून	5. कुल्लू	6. शिमला
7. धर्मशाला		

पूर्वी क्षेत्र

1. कलकत्ता	2. कूच बिहार	3. जमशेदपुर
4. एजवाल	5. शिलांग	6. सिल्चर

दक्षिणी क्षेत्र

1. मद्रास	2. कोयम्बतूर	3. पांडेचेरी
4. तिरूपति	5. तूतीकोरीन	6. कोचीन
7. अगत्ती	8. हैदराबाद	9. विजयवाड़ा
10. राजामुंदरी		

पश्चिमी क्षेत्र

1. बम्बई	2. पूना	3. कोल्हापुर
4. नांदेड	5. बड़ौदा	6. पोरबंदर
7. केशोगढ	8. सूरत	9. भावनगर
10. कांडला	11. राजकोट	12. बेलगांव
13. इन्दौर		

असम में विद्युत संयंत्र

2874. **श्री प्रवीन डेका :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कुछ विद्युत उत्पादन एकक निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या इन एककों का निर्माण कार्य कार्यक्रमानुसार हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) असम में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्थान (जिला)	विलम्ब के कारण
1	2	3	4
1.	गैस आधारित लाक्वा ता० वि० परियोजना चरण-2 (3 × 20 मे० वा०)	शिवसागर	मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने में विलम्ब । ठेकेदार द्वारा कार्य रोका जाना । विद्युत घर भवन एवं ई० ओ० टी० क्रेन उपलब्ध होने में विलंब ।

1	2	3	4
2.	कारवी लांगपी ज० वि० परियोजना (2 × 50 मे० वा०)	कारवो अंगलोंग	एन० पी० सी० सी० द्वारा बांध से संबंधित कार्य धीमी गति से किया जाना, बारंबार "बन्द" तथा आन्दोलनों का आयोजन।
3.	धानसिरो मिनि हाइडल परियोजना (15 × 1.33 मे०वा०)	दारांग	सिविल कार्यों में धीमी प्रगति। कानून व व्यवस्था संबंधी समस्याएं।
4.	अम्गुरी सं० साइकिल गैस आधारित ता० वि० परि० (360 मे० वा०)	शिवसागर	मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु अभी आर्डर दिया जाना है।
5.	दलाएमा मिनी ज० वि० परियोजना (3 × 2 मे० वा०)	उत्तरी कछार हिल्स	
6.	कठलगुड़ी सं० साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना (नीपको) (291 मे० वा०)	डिबुगढ़	भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने में विलंब प्रारम्भ में टेंडर प्राप्त न होना और बाद में निविदादाता द्वारा अधिक कीमत उद्धृत किया जाना और साख-पत्र खोले जाने में विलम्ब।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समुचित रूप से मानीटरिंग की जाती है। संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और सुधारात्मक उपाय दिए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रमुख ठेकेदार के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सब-स्टेशनों में गैस इन्सुलेटेड स्विच गियर लगाना

2875. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री शरद यादव :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री साईमन मराण्डी :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर में विद्युत आपूर्ति से सुधार करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार अपने सभी सब-स्टेशनों में गैस इंसुलेटेड स्विच गियर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा नई दिल्ली नगर पालिका में ऐसे कितने सब-स्टेशन हैं जिनमें उक्त गियर लगाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या डच कम्पनी (नीदरलैण्ड्स की मैसर्स हैलाक्स) को 41 करोड़ रुपये का कोई ठेका किया गया था, जिससे गैस इन्सुलेटेड स्विच गियरों के लिए अपनी निविदा भरकर नहीं भेजी थी (30 जून, 1992 का इंडियन एक्सप्रेस);

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी से प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्तमान में, डेसू के पार्क स्ट्रीट एवं कश्मीरी गेट स्थित उपकेन्द्रों में 220 मे० वा० इन्सुलेटेड स्विच गीयर्स तथा नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूल लेन एवं विद्युत भवन स्थित उपकेन्द्रों में 66 के० वी० गैस इंसुलेटेड स्विच गीयर्स की प्रतिष्ठापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (च) स्कूल लेन तथा विद्युत भवन स्थित उपकेन्द्रों में 66 के० वी० गैस इन्सुलेटेड स्विच गीयर्स की प्रतिष्ठापन हेतु डेसू द्वारा आमंत्रित निविदाओं के उत्तर में मैसर्स एस० ई० जी० (पश्चिमी जर्मनी), मैसर्स मरूबेनी कारपोरेशन (जापान), मैसर्स मर्लिन जेरिन (फ्रांस) और मैसर्स मित्सुई एण्ड कम्पनी लिमिटेड (जापान) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैसर्स मरूबेनी कारपोरेशन के निम्नतम प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि वे तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करते थे और उनके द्वारा लागत में काफी अधिक मात्रा में वृद्धि सम्बन्धी अपेक्षा की गई थी। इस बीच, डेसू को मैसर्स होलेक, नीदरलैण्ड से भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिन्हें केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पूर्व में समान प्रकार के उपस्कर की सप्लाई हेतु ठेका किया गया था। उनके प्रस्ताव को तकनीकी एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के सन्दर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उपयुक्त पाया गया है। इस प्रकार के मामलों में आर्डर देने संबंधी निर्णय डेसू द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकता है।

एयरबसों के फालतू पुर्जे

2876. **श्री अन्ना जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की एयरबस कम्पनी, उससे खरीदे गए एयरबसों के फालतू पुर्जों की सप्लाई करने पर सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सहमति के अनुसार इनकी सप्लाई की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कारण हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, हां। कुल मिलाकर आपूर्ति करार के अनुरूप हैं। दिए गए आदेशों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और विलंब होने की स्थिति में मामला उचित स्तर पर उठाया जाता है।

दूरदर्शन पर फिल्में दिखाया जाना

2877. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो महीने के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण हेतु किन-किन फिल्मों का चयन किया गया है; और

(ख) प्रसारण हेतु फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अगले दो महीने में प्रसारण के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई अग्रिम सूची तैयार नहीं की गई है।

(ख) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फीचर फिल्मों के चयन के मापदंड मोटे तौर पर ये हैं :—

(क) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त फिल्म

(ख) विषय-वस्तु के महत्व वाली फिल्म

(ग) सिनेमैटिक महत्व वाली फिल्म

(घ) मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म

(ङ) परिवार के साथ देखने योग्य फिल्म

(च) निर्माण का वर्ष

(छ) वाणिज्यिक दृष्टि से फिल्म को पहले कितनी सफलता मिली है,

(ज) दूरदर्शन पर यह फिल्म कितनी बार दिखाई जा चुकी है और किन-किन केन्द्रों से दिखाई जा चुकी है।

[हिन्दी]

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

2878. **श्री छेदी पासवान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत तक लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जो राज्य ग्राम विद्युतीकरण के मामले में लक्ष्य से पीछे हैं, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सातवीं योजना के आरंभ में 65% से कम ग्राम विद्युतीकरण संबंधी स्थिति वाले राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उदार शर्तों पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो कि ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु किए जाने वाले सामान्य आबंटन के अतिरिक्त है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

बिहार में पंचायत मुख्यालयों में घटिया टेलीफोन उपकरण

2879. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पंचायत मुख्यालयों को घटिया टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप में एस० टी० डी० तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2880. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में एस० टी० डी० केन्द्रों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन के लिए लम्बित आवेदनों की दीवार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान लक्षद्वीप में द्वीपवार कितने-कितने एस० टी० डी० तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान लक्षद्वीप में कितने डाकघरों में यह सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) लक्षद्वीप में कावरथी में एस० टी० डी० पी० सी० ओ० और स्थानीय पी० सी० ओ० के आबंटन के लिए एक आवेदन लम्बित है। मिम्न शेष 10 द्वीपों में कोई आवेदन लंबित नहीं है—

अगाथी, अन्द्रोढ़, बगारम, मिनीकाय, कलपेनी, किल्टान, अमिनी, कदामत, चेटलेट एवं बिटरा।

(ख) 1992-93 के दौरान निम्नलिखित स्थानीय/एस० टी० डी०-पी० सी० ओ० खोले जाने का प्रस्ताव है—

कवारथी	—	1
कलपेनी	—	1
किल्टान	—	1
अमिनी	—	1
चेटलाट	—	1
बिटरा	—	1
कदामत	—	1

(ग) शून्य

बाढ़ के कारण गाद जमा होना

2881. **डा० वसंत पवार :**
श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई नदियों में गाद जमा होने से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आती है;

(ख) क्या बाढ़ लाने वाली नदियों का पता लगाने और नदियों की गहराई कम होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नही, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा सर्वेक्षण कराने का हैं; और

(ङ) प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाने वाली नदियों से गाद निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अत्याधिक वर्षापात और गाद जमा होने तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बाढ़े आती हैं।

(ख) से (घ) बाढ़ प्रबन्ध के लिए गाद की मात्रा, जल स्तरों और गहराइयों का पता लगाने के वास्ते नदियों का लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ङ) बाढ़ को कम करने के लिए नदी तल से गाद निकालना तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण भूमि से बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास

2882. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण भूमि से बेदखल किये गये लोगों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) कितने मामले अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) बेदखल किये गये सभी व्यक्तियों को कब तक रोजगार दिलाया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार अब तक 4468 विस्थापित व्यक्तियों/विस्थापित व्यक्तियों के आश्रितों को भिलाई इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया गया है ।

(ख) से (ग) लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को भर्ती में तरजीह देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है । इसलिए भिलाई इस्पात संयंत्र के पास कोई मामला लम्बित नहीं है ।

त्रिवेन्द्रम-दिल्ली उड़ान को बहाल करना

2883. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की त्रिवेन्द्रम-दिल्ली उड़ान को बन्द करने के क्या कारण है;

(ख) क्या इस उड़ान को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक बहाल किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विमान-क्षमता की कठिनाई के कारण 9 मई, 1992 से त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं बन्द कर दी गई थीं ।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स का इस सेवा को 1 अगस्त, 1992 से पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा में लौह अयस्क भंडार

2884. **श्री के प्रधानी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह-अयस्क का लगभग कितना भंडार है;

(ख) राज्य में लौह-अयस्क खानों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या लौह-अयस्क की कुछ खानें बन्द कर दी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन खानों में फिर से काम शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उड़ीसा राज्य में 1-4-1985 को 1407.65 मिलियन टन पुष्ट, 538.47 मिलियन टन संभावित तथा 656.22 मिलियन टन संभव श्रेणी के लौह-अयस्क के खनन योग्य भंडार थे।

(ख) खानों का वैज्ञानिक और आर्थिक आधार विकास सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। लौह अयस्क स्रोतों का तेजी से विकास करने के लिए लौह अयस्क के पट्टे सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद, गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के कुद्रेमुख में लौह अयस्क के भंडार

2885. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख के निकट लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी मात्रा होने का अनुमान है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नेल्ली बेरू तथा गंगारिकल के आसपास कुद्रेमुख के विस्तार क्षेत्र में प्राथमिक खोज की है। नेल्लूबेरी क्षेत्र में 34.40-67.48% लौह युक्त 1055 मिलियन टन तथा गंगारिकल में 15-40-42.00% लौह युक्त 340 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2886. **श्री कमल चौधरी** :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में, विशेषकर होशियारपुर जिले टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) (I) जी, हां।

(II) पंजाब में सभी मेनुअल एक्सचेंजों को मार्च, 1993 तक आटोमेटिक एक्सचेंज बनाए जाने की योजना है।

(III) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी इलेक्ट्रो मेकेनिकल एक्सचेंजों का विस्तार और/या आधुनिजीकरण करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और एक्सचेंजों की निर्धारित मियाद समाप्त हो गई हो।

(IV) होशियारपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1992-93 और 1993-94 के दौरान पंजाब के होशियारपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण संबंधी योजना के ब्यौरे

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	मौजूदा एक्सचेंज की किस्म एवं क्षमता	92-93 के लिए विस्तार/प्रतिस्थापन (आधुनिकीकरण) योजना	93-94 के लिए विस्तार/प्रतिस्थापना (आधुनिकीकरण) योजना
1	2	3	4	5
1.	होशियारपुर	4.5 हजार सी-डॉट मुख्य	1 हजार लाइनों द्वारा विस्तार किया जाना है।	1.5 हजार लाइनों द्वारा विस्तार किया जाना है।
2.	मुकेरियन	सी० बी० एम० 309	1 हजार लाइनों के सी-डॉट द्वारा बदला जाना है।	—
3.	दसूया	सीज बी० एम० 309	1 हजार लाइनों के सी-डॉट द्वारा बदला जाना है।	—
4.	मोरिण्डा	सी० बी० एम० 360	1 हजार लाइनों के सी-डॉट द्वारा बदला जाना है।	—
5.	आनंदपुर साहिब	सी० बी० एम० 200	आई० एल० टी० 512 फोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
6.	रोपड़	एम० ए० एक्स-II 1700 लाइनें	3.5 हजार लाइनों के सी-डॉट द्वारा बदला जाना है।	—

7.	गढ़ शंकर	सी० बी० एन० 384	1 हजार सी-डॉट लाइनों द्वारा बदला जाना है।	—
8.	कुराली	आई० एल० टी० 512 पोर्ट	आई० एल० टी० 515 पोर्ट (दूसरी यूनिट) द्वारा विस्तार किया जाना है।	—
9.	उड़मार टाण्डा	सी० बी० एम० 300	सी-डॉट 512 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
10.	बालाचौर	सी० बी० एम० 200	सी-डॉट 512 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
11.	तलवाड़ा	आई० एल० टी० 512 पोर्ट	आई० एल० टी० 512 पोर्ट (दूसरी यूनिट) द्वारा विस्तार किया जाना है।	—
12.	बस्सीकलां	एम० ए० एक्स-III	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
13.	नसरेला	एम०आई०एल०टी० 64 पोर्ट	64 एम०आई०एल०टी० (दूसरी यूनिट) द्वारा विस्तार किया जाना है।	—
14.	गढ़बीवाला	एम० ए० एक्स०-III	सी-डाट 128 पोर्ट (दो यूनिट) द्वारा बदला जाना है।	—
15.	हरियाणा	एम० ए० एक्स०-III	सी-डॉट 128 पोर्ट (दो यूनिटों) द्वारा बदला जाना है।	—

1	2	3	4	5
16.	बागपुर स्पाटुर	एम०आई०एल०टी 64 पोर्ट	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
17.	जटियां कलां	एम० ए० एक्स०-III	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
18.	बहिलपुर	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
19.	बांगल कलां	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
20.	कोटफतूही	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
21.	चालना	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
22.	[illegible]पुर	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
23.	रोपड थर्मल प्लांट	एम०आई०एल०टी० 64 पोर्ट	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
24.	घनौली	एम०आई०एल०टी० 64 पोर्ट	—वही—	—
25.	चमकौर साहिब	एम० ए० एक्स०-III	सी-डॉट 128 पोर्ट (दो यूनिटों) द्वारा बदला जाना है।	—
26.	भटियाना	एम०आई०एल०टी० 64 पोर्ट	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
27.	किरतपुर साहिब	एम० ए० एक्स०-III	सी-डॉट 128 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—

28.	मोना कलां	एम० ए० एक्स०-III	एम०आई0एल०टी० 64 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
29.	कमानी देवी	एम० ए० एक्स०-III	एम०आई०एल०टी० 64 पोर्ट द्वारा बदला जाना है।	—
30	माखूपुर	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—
31.	चुनी	एम० ए० एक्स०-III	—वही—	—

प्राइवेट पार्टियों द्वारा तारों की बुकिंग

2887. **श्री हरिन पाठक :** क्या **संचार मन्त्री** 29 अगस्त, 1091 के तारांकित प्रश्न सं० 618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह योजना को हब तक लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, इस स्कीम को महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर प्रयोजनात्मक आधार पर शुरू किया गया है ।

दिल्ली में टेलीफोनों की मरम्मत

2888. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोनों की अनेक शिकायतों पर टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा 45 दिनों से भी अधिक समय तक ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित टेलीफोन एक्सचेंजों में कितनी शिकायतें दर्ज हैं;

(ग) टेलीफोनों को ठीक करने में अत्यधिक समय लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की इस तरह की कोई नीति है कि 24 घंटों से अधिक समय तक खराब पड़े रहने वाले टेलीफोनों पर टेलीफोन किराया न लगाया जाए और ऐसे टेलीफोनों को निःशुल्क की सुविधा दी जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे प्रयोक्ताओं के खराब पड़े टेलीफोनों के बावजूद उनसे किराया लेने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं । दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोनों और बंद पड़े टेलीफोनों की शिकायतों को तत्काल निपटाया जाता है । वस्तुतः सूचित की गई खराबियों के औसतन 85% मामलों में खराबी की शिकायतों का निवारण अगले दिन तक कर दिया जाता है । तथापि, भूमिगत केबलों में खराबी आ जाने के कारण खराब हुए टेलीफोनों को ठीक करने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) विभागीय कारणों से सात दिनों या इससे अधिक समय तक लगातार बंद पड़े स्थानीय टेलीफोनों के लिए किराए में छूट देने के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं ।

आंध्र प्रदेश के जिला मुख्यालयों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

2889. **श्री गोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के सभी जिला और मंडल मुख्यालयों में वर्ष 1992-93 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न भाषाओं में टेलीफोन डाइरेक्टरी का प्रकाशन

2890. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन डायरेक्टरी अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य कई भाषाओं में प्रकाशित की जा जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ डायरेक्टरियों के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) टेलीफोन निर्देशिकाएं अंग्रेजी के अलावा अन्य विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। ये हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उस दशा में प्रकाशित की जाती हैं, यदि उनकी पर्याप्त मांग हो। ऐसी मांग सामान्यतया टेलीफोन निर्देशिकाओं की कुल जरूरत का लगभग 15% होती है।

गुजरात और महाराष्ट्र सर्किलों में कतिपय गौण स्विचन क्षेत्रों में निर्देशिकाएं क्रमश: गुजराती और मराठी क्षेत्रीय भाषाओं में छापी गई हैं।

सिक्किम के बे-तार संचार सुविधा

2891. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में बे-तार संचार सुविधा देने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) कब तक यह सुविधा दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सिक्किम में माइक्रोवेव अलट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी (यू० एच० एफ०) रेडियो और उपग्रह माध्यम के रूप में बेतार संप्रेषण सुविधाए पहले से ही उपलब्ध हैं। सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी (गंगटोक)

विश्वसनीय यू० एच० एफ० रेडियो प्रणाली द्वारा जोड़ दिया गया है। सिक्किम में 101 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए आठवीं योजना के दौरान मल्टी ऐक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली (एम० ए० आर० आर०) की भी योजना बनाई गई है और यह टेलीफोन सुविधा मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दी जाएगी। एम० ए० आर० आर० के माध्यम से ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में प्रति टेलीफोन एक लाख रुपये की लागत आयेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की बुकिंग एजेंसियों का आवंटन

2892. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की बुकिंग एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एयरलाइन्स ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऐसी कितनी एजेंसियां आवंटित की हैं तथा देश में कुल कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेलूलर सिस्टम टेलीफोन परियोजना की स्थापना

2893. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेलूलर सिस्टम डिजाइन इंजीनियरिंग" सेवायें उपलब्ध कराने वाली अमरीका स्थित कम्पनी ने भारत में—"सेलूलर सिस्टम टेलीफोन परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावों पर विचार करके उन पर कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) क्या अनेक अनिवासी भारतीय फर्मों ने भी इस परियोजना में रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) भारत की पंजीकृत कंपनियों से सेलूलर सचल टेलीफोन सेवाओं की फ्रेंचाइजिंग के लिए निविदा मांगी गई थी। निविदा के उत्तर में 30 बोलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से 8 कंपनियों ने उल्लेख किया है कि उनका संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों के साथ विदेशी सहयोग है। बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसे सहयोग में अनिवासी भारतीयों की रुचि की जानकारी नहीं है।

देश में बिजली उत्पादन की मात्रा

2894. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सभी स्रोतों से राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार बिजली का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 92—जून, 92 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान 30538 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है, इसमें 9282 मेगावाट जल विद्युत, 20156 मेगावाट ताप विद्युत तथा 1100 मेगावाट नाभिकीय विद्युत शामिल है।

विवरण

अप्रैल-जून, 92 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली	विद्युत उत्पादन अप्रैल-जून, 1992
1	2
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (जल विद्युत)	3250
दिल्ली (ताप विद्युत)	1903
जम्मू एवं कश्मीर	
ताप विद्युत	2
जल विद्युत	944
जोड़	946
हिमाचल प्रदेश (जल विद्युत)	705
हरियाणा	
ताप विद्युत	800

1	2
जल विद्युत	61
जोड़	861
राजस्थान	
ताप विद्युत	1556
न्यूक्लीय	176
जल विद्युत	145
जोड़	1870
पंजाब	
ताप विद्युत	1692
जल विद्युत	750
जोड़	2442
उत्तर प्रदेश	
ताप विद्युत	9861
न्यूक्लीय	248
जल विद्युत	1138
जोड़	11247
गुजरात	
ताप विद्युत	6068
जल विद्युत	113
जोड़	6181
महाराष्ट्र	
ताप विद्युत	8614
न्यूक्लीय	230
जल विद्युत	1128
जोड़	9972

1	2
मध्य प्रदेश	
ताप विद्युत	7409
जल विद्युत	134
जोड़	7543
आन्ध्र प्रदेश	
ताप विद्युत	5432
जल विद्युत	1102
जोड़	6534
कर्नाटक	
ताप विद्युत	820
जल विद्युत	2310
जोड़	3130
केरल (जल विद्युत)	1373
तमिलनाडु	
ताप विद्युत	5241
न्यूक्लीय	629
जल विद्युत	987
जोड़	6857
बिहार	
ताप विद्युत	554
जल विद्युत	20
जोड़	574
उड़ीसा	
ताप विद्युत	383
जल विद्युत	595
जोड़	978

1	2
प० बंगाल	
ताप विद्युत	3650
जल विद्युत	20
जोड़	3670
दामोदर घाटी निगम	
ताप विद्युत	1175
जल विद्युत	29
जोड़	1204
सिक्किम (जल विद्युत)	9
असम	
ताप विद्युत	259
जल विद्युत	0
जोड़	259
मेघालय (जल विद्युत)	:240
त्रिपुरा	
ताप विद्युत	31
जल विद्युत	15
जोड़	46
मणिपुर (जल विद्युत)	37
अरुणाचल प्रदेश (जल विद्युत)	0
जोड़ अखिल भारत	
ताप विद्युत	55450
न्यूक्लीय	1285
जल विद्युत	15105
जोड़	71840

विमान उड़ानों की संख्या में कमी होना

2895. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता, रांची, पटना और दिल्ली से विमानों की उड़ानों की संख्या में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) कमी निम्नलिखित कारणों से हुई—

(1) विमानों तथा कर्मीदल की उपलब्धता में अवरोध;

(2) दिक्चालन साधनों जैसी हवाई अड्डा सुविधाओं की अनुपलब्धता/उन्हें हटाया जाना;

(3) खाड़ी-युद्ध, ईंधन संकट आदि जैसी असाधारण परिस्थितियां;

(4) निष्पादन की संवीक्षा के फलस्वरूप, उड़ानों की संख्या में परिवर्तन;

(5) प्रतिकूल मौसम स्थितियां।

अंडमान द्वीप समूह में पर्यटक स्थलों के लिए कृतिक बल

2896. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन स्थलों का पता लगाने और आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार द्वारा गठित पर्यटन कृत्रिक बल ने अंडमान द्वीप समूह के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम में स्थापित पर्यटन कृतिक बल ने अंडमान द्वीप समूह का सर्वेक्षण किया है ताकि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से द्वीप शिविर स्थापित करने के लिए एक द्वीप को चुना जा सके। शिविर को चलाने के तरीके और अन्य विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय शिष्टमंडल का विदेश दौरा

2897. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
कुमारी विमला वर्मा :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के एक शिष्टमण्डल ने हाल ही में विदेशों का दौरा किया था और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों से भारत में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के बारे में बातचीत की थी;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) दौरे के निष्कर्ष क्या हैं और इन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के बारे में इन विदेशी कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस दौरे पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमंडल द्वारा 24 मई से 9 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान यू० के०, यू० एस० ए० सिंगापुर का दौरा किया गया था। शिष्टमंडल ने वाशिंगटन, न्यूयार्क, सेन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर में एक-एक (कुल 4) सेमिनार में भाग लिया। इन सेमिनारों में विद्युत के विकास से सम्बद्ध विद्युत कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, विधिक फर्मों और भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकाश में रुचि रखने वाले उपर्युक्त देशों में रह रहे अनिवासी उद्यमियों ने भाग लिया था। इन सेमिनारों में, भारतीय विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित किए जाने संबंधी नीति के अवयवों के बारे में जानकारी दी गई थी और प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान नीति के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण दिए गए थे। शिष्टमंडल द्वारा उन संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया था जो भारत में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, शिष्टमंडल द्वारा विश्व बैंक, निजी क्षेत्र कंपनियों के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन, फारेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आफ मीगा तथा यू० एस० प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया था। यू० एस० ए० के दौरे के दौरान एजेंसियों द्वारा सिंगापुर के मिनिस्टर आफ पब्लिक युटिलिटीज से भी मुलाकात की गई।

(ग) शिष्डमंडल के दौरे के फलस्वरूप, उक्त देशों की विद्युत कंपनियों और वहां रह रहे कुछ अनिवासी भारतीय उद्यमियों के बीच भारतीय विद्युत क्षेत्र में निवेश संबंधी अवसर का उपयोग किए जाने की इच्छा पैदा हुई है। इन संगठनों के साथ परस्पर बातचीत के फलस्वरूप, विद्युत क्षेत्र के संबंध में अन्य देशों द्वारा अपनाई जा रही नीति की तुलना में भारतीय विद्युत क्षेत्र संबंधी नीति के प्रति अधिक उत्साह दर्शाया गया है। बातचीत के दौरान, कई कंपनियों द्वारा लगभग 4.4 बिलियन अमरीकी डालर की लागत से लगभग 5000 मे० वा० क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रति रूचि दिखाई गई थी। कुछ अन्य कंपनियों ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में भागीदारी हेतु सामान्य रुचि दिखाई थी। शिष्टमण्डल के साथ विचार-विमर्श के अनुक्रम में इनमें से कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भारत का दौरा किया था और एक कंपनी ने लगभग 2500 करोड़ रु० की लागत पर 1000 मे० वा० की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि 3 कंपनियों ने 10,165 करोड़ रुपये की लागत पर 6 राज्यों में 442 मे० वा० की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत किया है। विश्व बैंक/इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के फलस्वरूप, इन संगठनों को निजी क्षेत्र के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के विकास सम्बन्धी भारतीय नीति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली है।

(घ) शिष्टमंडल के सरकारी सदस्यों द्वारा हवाई यात्रा किराए, नकद भत्तों तथा आकस्मिक व्यय आदि मदों पर लगभग 6,80,000 रुपए की राशि व्यय की गई थी ।

विदेशी विमानन कंपनियों को प्रोत्साहन देना

2898. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी विमान कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाने हेतु अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उदार बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उदारीकरण का ब्यौरा क्या है और इस पर विदेशी विमान कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) द्विपक्षीय विमान सेवा करार के ढांचे के भीतर ऐसी विदेशी एयरलाइनों के अनुरोधों पर अनुग्रहपूर्वक विचार किया जाता है जो भारत को अधिक सेवाएं परिचालन करने के इच्छुक हों और जहां तक आवश्यक समझा जाता है वहां तक उन्हें हकदारी के अनुसार विमान-क्षमता की व्यवस्था की जाती है ।

बिहार में गंगा नदी से भूमि कटाव

2899. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के साहिबगंज जिले में मुख्य साहिबगंज-राजमहल सड़क, विशेष रूप से सरकंडा और बुधवरिया तथा कनैहया से राजमहल के बीच कई वर्षों से गगा नदी से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप अब तक हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में गगा नदी द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भूमि कटाव को कब तक पूर्णतः रोक दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार में मुख्य साहिबगंज-राजमहल सड़क पर कुछ पहुंचों में गंगा नदी से भूमि कटाव की सूचना प्राप्त हुई है । उनका पता लगाने और उनके लिए आवश्यक स्कीमों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण करने हैं । स्कीमों को पूरा किया जाना उनमें शामिल कार्य और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2900. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 15-5-92 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 1540 स्वचालित एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में 250 नए स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्तावित नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है—

(i) सी-डॉट-आई० एल० टी०-512 लाइनें—23

(ii) सी-डॉट-128 लाइनें रैक्स (आर० ए० एक्स०)—226

(iii) सी-डॉट—2500 लाइनें।

अपेक्षित धनराशि लगभग 2870 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं में विलम्ब

2901. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें तीन वर्षों से अधिक समय होने पर भी पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में कौन-सी कठिनाइयां सामने आ रही हैं;

(ग) इन्हें पूरा किए जाने में विलम्ब के फलस्वरूप इनको लागत में अनुमानित रूप से कितनी वृद्धि हो गयी है; और

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना जिसमें शुरू की गयी	परियोजनाओं की संख्या जो सातवीं योजना (1985-1990) से आगे लायी गयीं		
	वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4
I	2	2	4
II	5	—	5
III	16	4	20

1	2	3	4
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	5	1	6
IV	20	10	30
V	59	105	164
वार्षिक योजनाएं (1978-80)	13	31	44
VI	34	98	132
VII	17	41	58
कुल	171	292	463

टिप्पण—(1) वृहद और मध्यम परियोजनाओं को पूरा होने में औसतन क्रमशः लगभग 10-15 वर्ष तथा 5 वर्ष लग जाता है। इसलिए छठी योजना से पहले शुरू की गयी 120 वृहद परियोजनाएं तथा सातवीं योजना से पहले शुरू की गयी 251 मध्यम परियोजनाएं अनुसूची से पीछे चल रही समझी जा सकती हैं।

(2) इसमें गैर योजना परियोजनाएं भी शामिल है।

(3) परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण ये हैं—निधियों का अपर्याप्त आबंटन, क्रियान्वयन के दौरान आई तकनीकी समस्याएं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में आई समस्याएं, वनभूमि के अन्तरण दे देरी, कियान्वयन के दौरान परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा ठेके संबंधी समस्याएं। इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है। केन्द्रीय जल आयोग में हुए अध्ययन से पता चलता है कि कियान्वयन के दौरान मूल्यों में वृद्धि लागत में समग्र वृद्धि का केवल एक छोटा-सा अंश है।

(4) आठवीं योजना नीति में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान करने में सख्त प्राथमिकता का प्रावधान है। योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय अलग रखने की सख्ती से अनुपालना करने का निर्णय भी किया है।

विदेशी फिल्मों का आयात

2902. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से मई, 1992 की अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा की कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया; और

(ख) अनिवासी भारतीयों, भारत स्थित विदेशी कंपनियों, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित आयातकों के नाम क्या हैं, किन-किन देशों से उनका आयात किया गया, राष्ट्रीय फिल्म

विकास निगम को कितना सरणीकरण शुल्क दिया गया तथा सरकार को कितने शुल्क/कर का भुगतान किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क)

एजेंसी का नाम	आयात की गई फिल्मों संख्या
एम० पी० ई० ए० ए०	13
निजी भारतीय पार्टियां	3
सोवेक्स पोर्ट फिल्म	1
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	10
अनिवासी भारतीय	शून्य
कुल	27

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	आयातकर्ता एजेंसी	आयातकर्ता का नाम	अंग्रेजी भाषा में फिल्म का नाम	देश	रा०फि०वि०नि० को अदा किया गया कैनेलाइजेशन शुल्क (रुपये)	सरकार को अदा किया गया शुल्क (रुपये)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनिवासी भारतीय	(जनवरी 1992—मई, 1992 की अवधि से किसी भी अनिवासी भारतीय ने फिल्मों का आयात नहीं किया)					
2	एम०पी०ई०ए०ए०	1. पैरामाउंट पि० कार्पोरेशन	"रिगार्डिंग हेनरी"	यू० एस० ए०	10,000/-		**
		2 यूनिवर्सल इंटर० फिल्म्स	"किंग राल्फ"	यू० एस० ए०	10,000/-		
		3. —तथैव—	"हाईवे"	यू० एस० ए०	10,000/-		
		4. पैरामाउंट पि० कार्पोरेशन	"गॉडफादर III"	यू० एस० ए०	10,000/-		
		5. 20 एथ सेंचुरी फाक्स	"प्वाइंट ब्रेक"	यू० एस० ए०	10,000/-		
					50,000/-		

एम० पी० ई० ए० ए० की सदस्य कंपनियों द्वारा इसी अवधि में निम्नलिखित फिल्मों के अतिरिक्त प्रिंट पहले से ही आयात कर लिए गए थे, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को यह आश्वासन दिया था कि यदि नई आयात नीति ऐसा कोई शुल्क अधिसूचित करती है तो एम० पी० ई० ए० ए० भारत सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा पर तसनुसार इन प्रिंटों के लिए शुल्क का भुगतान करेगा।

		6. वार्नर ब्रदर्स	"राबिनहुड—द प्रिंस आफ थीव्ज"	यू० एस० ए०	—		**
		7. ओरिआन पि० कार्पोरेशन	"साइलेंस आफ लैंब्स"	यू० एस० ए०	—		
		8. कोलंबिया—ट्राइस्टार पि०	"रेड हीट"	यू० एस० ए०	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
		9. वार्नर ब्रदर्स	"रन"	यू० एस० ए०	—		**
		10. —तथैव—	"टीन एजेंट"	यू० एस० ए०	—		
		11. —तथैव—	"पुलिस एकैडमी"	यू० एस० ए०	—		

एम० पी० ई० ए० ए० की सदस्य कंपनियों द्वारा इसी अवधि में निम्नलिखित फिल्मों के भी अतिरिक्त प्रिंट राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को दिए गए वचन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, के साथ आयात किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
		12. 20एथ सेंचुरी फाक्स	"हॉट शाटस"	यू० एस० ए०	—		
		13. यूनिवर्सल इन्ट० फिल्म्स	"प्राबलम चाइल्ड"	यू० एस० ए०	—		**
3.	निजी भारतीय पार्टियां	1. वीनस फिल्म्स इं०बम्बई	"बैडरूम आईज II"	यू० एस० ए०	1,80,000/-		
		2. आर०के० मल्होत्रा, न.दिल्ली	"लवलॉक"	फ्रांस	1,80,000/-		
		3. सुपरफाइन फिल्म्स, न.दिल्ली	"एंगल्स"	स्विटजरलैंड	1,80,000/-		
					5,40,000/-		
4.	सोवेक्सपोर्ट फिल्म	सोवेक्सपोर्ट फिल्म, बम्बई	"लिटल वेरा"	यू०एस०एस०आर०	—	(कैनेलाइजेशन शुल्क का अभी भुगतान नहीं किया गया)	
5,	एन.एफ.डी.सी.लि.	1. एन०एफ०डी०सी० लिमिटेड	"स्विचिंग चैनल्स"	ग्रेट ब्रिटेन	—	1,16,928/-	
		2. —तथैव—	"रा डील"	फ्रांस	—	76,292/-	
		3. —तथैव—	"स्टाइलेट्टो"	फ्रांस	—	76,292/-	
		4. —तथैव—	"वीकएंड विद काटे"	ग्रेट ब्रिटेन	—	82,063/-	
		5. —तथैव—	"लोनली इन अमेरिका"	यू० एस० ए०	—	68,139/-	
		6. —तथैव—	"शार्टटाइम"	ग्रेट ब्रिटेन	—	82,675/-	

7.	—तथैव—	"मार्शल ला"	यू० एस० ए०	—	64,868/-
8.	—तथैव—	"ब्लू आई"	ग्रेट ब्रिटेन	—	56,702/-
9.	—तथैव—	"गेलेक्सिना"	यू० एस० ए०	—	74,743/-
10.	—तथैव—	"अफ्रीकन सफारी"	यू० एस० ए०	—	1,36,317/-
					8,35,019/-

** राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयात करने के मामले में, सरकार को अदा किए गए शुल्कों/करों की राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इन एजेंसियों को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रस्तुत नहीं करनी होती ।

राज्यों में भू-जल का दोहन

2903. **श्री चित्त बसु : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने हाल ही में इस बात का अध्ययन किया है कि कई राज्यों के अनेक क्षेत्रों में उस मात्रा से अधिक भू-जल का दोहन किया जाता है जितना सामान्य रूप से प्रतिवर्ष एकत्र होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) भूजल संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए गठित कार्यदल ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान में ऐसे 124 ब्लाक अभिज्ञात किए हैं, जहां भूजल का दोहन वार्षिक पुनर्भरण से अधिक है। भूजल के अधिक दोहन की स्थिति का मुकाबला करने के लिए उपचारी उपायों में भूजल का नियंत्रित विकास और भूजल पुनर्भरण संवर्धन स्कीमें शुरू करना शामिल है। इस संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के चुनिन्दा क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम स्वीकृत की गयी है। राज्य सरकार को अपनी राज्य-योजना में भू-जल पुनर्भरण स्कीमें शुरू करने की भी सलाह दी गयी है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

2904. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी विश्व बैंक सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथराय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान सेवा पुनर्गठन समिति

2905. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवाओं का पुनर्गठन करने के लिए गठित किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पत्रकारों द्वारा सूचनाओं और समाचारों की वस्तुपरक प्रस्तुति

2906. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों से समाचारों और सूचनाओं का संतुलित और वस्तुपरक प्रस्तुतीकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए समाचार नीति संबंधी मार्गनिर्देश काफी समय से हैं। इस नीति के बुनियादी सिद्धांत ये हैं कि मुख्य रूप से समाचारिक मूल्य के आधार पर चुने गए समाचारों का तथ्यात्मक और सही-सही वस्तुपरक प्रसारण सुनिश्चित किया जाए और समाचारों में किसी प्रकार के झूठ-मूठ की रिपोर्टिंग न हो या कोई धार्मिक/भाषायी विचारों के पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो।

पत्रों की पावती

2907. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मन्त्री 2 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1589 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र एककों को पावती तथा अन्तिम उत्तर सीधे भेजने के लिए भेजे गए पत्रों की पावती तथा अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पत्र अंतिम उत्तर के लिए लम्बित हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा के समाचारपत्रों का पंजीकरण

2908. श्री श्रीकांत जेना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा से समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने समाचारपत्र पंजीकृत किए गए; और

(ग) शेष बचे समाचार पत्रों को कब तक पंजीकृत किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के आंकड़ों के अनुसार समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए उड़ीसा से 1989, 1990 तथा 1991 में क्रमशः 105, 77 तथा 66 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में जिले-वार सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) 1989 में 35, 1990 में 36 तथा 1991 में 17 समाचारपत्रों का पंजीकरण किया गया।

(ग) समाचारपत्रों का पंजीकरण, संबद्ध प्रकाशक द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही किया जाता है। तथापि, अधिनियम में इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

केरल की विचाराधीन पनबिजली परियोजनायें

2909. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के पास केरल की विचाराधीन पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : केरल की वे विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें आवश्यक स्वीकृतियों हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा गया, निम्नवत् हैं—

पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2 × 120 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जनवरी, 1984 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी थी और योजना आयोग द्वारा इसे अगस्त, 1986 में इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई थी कि राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त कर ले। स्कीम को जून, 1985 में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी, 1991 में इस स्कीम के लिए वन सम्बन्धी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जून, 1992 में सूचित किया कि उन्होंने मामले की पुनः जांच करने के बाद इस परियोजना को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया जैसा कि केरल प्राधिकारियों ने आग्रह किया था।

अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2 × 80 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट जून, 1989 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सही पाई गई थी। राज्य प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (सप्लाई) अधिनियम की धारा 29 (2) के अन्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदनों को निपटाए जाने तथा परियोजना के लिए पर्यावरणीय तथा वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जायेगा।

बूथानथाकेट्टू जल विद्युत परियोजना (3 × 10 मे० वा०) की संशोधित परियोजना रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों द्वारा मई, 1992 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजी गई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केरल की तीन जल विद्युत स्कीमों का नवीकरण व आधुनिकीकरण किए जाने सम्बन्धी परियोजना रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं, इन स्कीमों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन लागत (करोड़ रुपये)	अभ्युक्ति
1.	पोरिंगल-कुथू	4 × 8	9.545	जून, 92 में स्वीकृत
2.	नेरिया-मंगलम	3 × 15	9.58	जांच की जा रही है
3.	सकारीगिरी	6 × 50	54.5	—तदैव—

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

2910. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक रोजगार दे दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के कारण जो 14,279 व्यक्ति विस्थापित हो गए थे, उन्हें रोजगार दे दिया गया हैं। इनमें से 13,848 व्यक्ति इस समय बोकारो इस्पात संयंत्र की नामावली में हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का बदलना

2911. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, तक बदले गये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में कब तक बदला जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) बिहार में कुल 515 एक्सचेंजों में से 315 एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ग) मार्च, 1995 तक सभी एम० ए० एक्स-III स्ट्रोजर एक्सचेंजों और जिन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। इसके अति-

रिक्त मार्च, 1995 के पश्चात् कार्यकाल समाप्त हुए एक्सचेंजों के स्थान पर उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाएंगे।

[अनुवाद]

आस्ट्रिया के सहयोग से विद्युत संयंत्र की स्थापना

2912. श्री के० पी० सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रिया के सहयोग से कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विद्युत परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस० टी डी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2913. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आवंटित किए गए एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर गढ़वाल में पिछले वर्ष के दौरान कितने एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किए जाने वाले विशिष्ट प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान खोले गए एस० टी० डी० सुविधा वाले पी० सी० ओ० की राज्यवार संख्या सलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एस० टी० डी० सुविधा वाले पी० सी० ओ० की संख्या निम्नानुसार है—

जिले का नाम	प्रदान किए गए एस० सी० डी० सुविधा वाले पी० सी० ओ० संख्या
टिहरी	2
उत्तर काशी	1
पौड़ी	1
गोपेश्वर (चमोली)	5

(ग) इन क्षेत्रों में एस० टी० डी० सुविधा वाले पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने के लिए इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज, एम० ए० आर० आर० (मल्टी एक्सेस रेडियो रिले), उपग्रह और वी० एच० एफ०/यू० एच० एफ प्रणाली की योजना बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक पर्वतीय और दुर्गम स्थानों को सम्मिलित किया जा सके।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान खोले गए एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन
आन्ध्र प्रदेश	822
असम	43
बिहार	1371
गोआ	109
गुजरात	1082
जम्मू और कश्मीर	25
कर्नाटक	722
केरल	673
मध्य प्रदेश	1233
महाराष्ट्र	2114
हरियाणा	273
हिमाचल प्रदेश	10
उड़ीसा	233
पंजाब	537
राजस्थान	519
तमिलनाडु	781
उत्तर प्रदेश	1357
पश्चिमी बंगाल	340
उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा)	76
दिल्ली	310
जोड़	11630

[अनुवाद]

बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन

2914. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**
श्री हाराधन राय :

क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) एक अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्यवार कितनी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा था;

(ख) बिहार में इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं का मूल्यांकन कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त हुई नयी वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है ।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त हुई बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा सलग्न विववरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

1-4-92 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मूल्यांकन चरणों के अंतर्गत नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

राज्य	वृहद परियोजनाओं की संख्या	मध्यम परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	3	6
2. असम	1	2
3. बिहार	13	7
4. गुजरात	1	8
5. हरियाणा	9	0
6. हिमाचल प्रदेश	1	0
7. जम्मू व कश्मीर	1	4
8. कर्नाटक	5	0

1	2	3
9. केरल	1	1
10. मध्य प्रदेश	14	4
11. महाराष्ट्र	14	18
12. मणिपुर	1	2
13. मेघालय	0	0
14. नागालैण्ड	0	0
15. उड़ीसा	5	7
16. पंजाब	5	0
17. राजस्थान	3	5
18. सिक्किम	0	0
19. तमिलनाडु	3	2
20. त्रिपुरा	1	0
21. उत्तर प्रदेश	16	1
22. प० बंगाल	2	0
23. अरुणाचल प्रदेश	0	0
24. गोवा, दमन, दीव	0	0
	99	67

विवरण-II

(लाख रुपये)

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत
1	2	3	4
(क) बृहद/बहुप्रयोजनी परियोजनाएं			
I. तकनीकी आर्थिक जांच पूरी, सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयीं, बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए			
1.	पुनासी जलाशय परियोजना	10/89	2609.00
2.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	7/89	48090.00

1	2	3	4
	3. सिकतिया बराज	1/88	11076.00
	4. कोसी बराज की मरम्मत	2/86	1242.00
	5. सोन नहर आधुनिकीकरण	8/83	24700.00
	6. उत्तरी कोयला जलाशय स्कीम	3/86	43903.00
	II तकनीकी आर्थिक जांच पूर्ण परन्तु सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श आस्थगित		
	1 कोनार सिंचाई परियोजना	8/88	9361.46
	2. तिलैया धाधर परियोजना	10/74	4674.00
	III. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है।		
	1. सुकसेन घाट पम्प नहर	11/89	2061.65
	2. कोसी परियोजना चरण-II	12/90	8164.40
	3. गण्डक परियोजना चरण-II	12/90	7802.85
	4. जमानिया पम्प नहर	11/90	9487.40
	5. बुरहई जलाशय स्कीम	12/90	11249 60
(ख) मध्यम परियोजनाएं			
	1. तकनीकी आर्थिक जांच पूर्ण, सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।		
	1. सलैया जलाशय स्कीम	8/83	595.24
	2. रामरेखा जलाशय स्कीम	8/88	686.00
	3. धनसिंहटोली जलाशय स्कीम	8/88	476.20
	4. सतपोटका जलाशय स्कीम	8/90	595.00
	5. कत्री जलाशय स्कीम	8/90	718.34
	6. कुण्डघाट जलाशय स्कीम	11/82	560.94
	7. केशो जलाशय स्कीम	8/88	1169.43

टिप्पणी : परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें, कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करती हैं, पर्यावरण वन एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं पर पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है और योजना में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करती हैं।

[हिन्दी]

दमन में पर्यटन को बढ़ावा देना

2915. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दमन में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष कितने पर्यटकों के दमन आने की संभावना है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(ङ) वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। दीव के सम्बन्ध में पर्यटन हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पर्यटन कृतिक बल को कहा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्भावित पर्यटक आगमन के अनुमान दमण प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और आपसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देता है। तथापि, दीव में पर्यटन के विकास के लिए विशेष सहायता इस वर्ष रिलीज करने के लिए निर्धारित की जाएगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

2916. **श्रीधर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता देने पर सहमति हुई थी तथा अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में किए जाने वाले वैकल्पिक प्रबंध क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह परियोजना कार्यों (पुनर्स्थापन को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति के लिए दावे उस समय तक प्रस्तुत न करें जब तक कि निम्नलिखित निर्णय और कार्रवाइयां नहीं कर ली जाती :

(1) श्रीराम सागर परियोजना में आबंटन सिद्धान्त, और जल के वितरण के लिए सम्बद्ध कानूनी ढांचा, संशोधित जल सन्तुलन, और संशोधित परियोजना व्याप्ति क्षेत्र, डिजाइन तथा निर्माण कार्यक्रम के बारे में बैंक को सलाह दी जानी चाहिए।

(2) श्री सेलम दायां तट नहर में कृष्णा बेसिन (आन्ध्र प्रदेश में और अधिकरण नियमों के ढांचे के अन्दर) के लिए संशोधित जल संतुलन सहमत सिद्धान्तों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। श्रीसेलम दायां तट नहर में आबंटन का पता लगाया जाना चाहिए तथा इस बेसिन में अन्य परियोजनाओं (विद्यमान तथा प्रस्तावित) के लिए इन विवक्षाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

(3) दोनों परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार बांध सुरक्षा पुनरीक्षण दल के साथ सहमत हो, मामलों पर विचार करने तथा उनको हल करने के लिए एक अनुसूची, उनकी हाल की रिपोर्टों में दी गई है।

(ग) श्रीराम सागर परियोजना विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आ० प्र० सिंचाई परियोजना-II की एक उप-परियोजना है। आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II के अन्तर्गत 215.110 मिलियन अमेरिकी डालर (31-5-92 को) के कुल क्रेडिट के मुकाबले, 30 जून, 1992 तक 48.504 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है।

(घ) विश्व बैंक द्वारा उठाये गये मुद्दों पर जल संसाधन मंत्रालय में हाल ही में आयोजित की गयी एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। इस बैठक में आन्ध्र प्रदेश प्रदेश राज्य सरकार और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

श्रीराम सागर परियोजना के अन्तर्गत सिंचित गीले (वेट) क्षेत्र को सिंचित शुष्क क्षेत्र में बदलने तथा मद्रास जल आपूर्ति परियोजना और श्रीसेलम दायां तट नहर परियोजना के लिए श्रीसेलम जलाशय से पर्याप्त जल छोड़ने को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से पत्र प्राप्त होने पर इस मामले को विश्व बैंक के साथ उठाया जायेगा।

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता से विद्युत संयंत्र

2917. **श्री राम नाईक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में डाभोल के निकट 2000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु मैसर्ज इनरान पावर कारपोरेशन और जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों की शेयर प्रतिशतता कितनी होगी;

(ग) क्या संयंत्र हेतु स्थल का चयन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) महाराष्ट्र में वर्तमान विद्युत उत्पादन लागत की तुलना में विद्युत उत्पादन लागत कितनी होगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र में डाभोल के समीप

2000/2400 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए मैसर्स एन्रोन पावर कारपोरेशन तथा जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने रुचि दिखाई है।

(ख) से (ङ) इनके बारे में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड/महाराष्ट्र सरकार द्वारा मैसर्स एन्रोन पावर कारपोरेशन, यू० एस० ए० तथा जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, यू० एस० ए० के साथ बातचीत करके अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़े उड़ीसा के विद्युत संयंत्र

2918. **श्री सुवास चन्द्र नायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ब्यौरा निम्नवत् है—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ों में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	नाराज ताप विद्युत केन्द्र	2 × 250 = 500	1005.0	प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की अनुपालना की जानी है। नियमित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रतीक्षित है
2.	इब ताप विद्युत केन्द्र	2 × 500 = 1000	1613.4	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। जुलाई, 91 में राज्य से लम्बित निवेशों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया।

1	2	3	4	5
3.	तलचेर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	2 × 250 = 500	1014.0	केन्द्र तथा राज्य से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है, प्रथम दृष्टि में स्कीम की व्यवहार्यता को स्वीकार योग्य पाया गया था तदनुसार, 7-10-91 को राज्य को सूचना भेज दी गई थी तथा अनुरोध किया गया था कि अद्यतन अनुमानों सहित डी० पी० आधिक्षक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में छः महीनों के अन्दर भिजवा दिया जाए।
4.	धुवुरी ताप विद्युत केन्द्र	2 × 250 = 500	1300.0	एक विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में अभी प्रतिष्ठित किया जाना है।
5.	बारगढ़ नहर	3 × 3 = 9	29.3	10-12-91 को मूल्यांकन रिपोर्ट उचित पाई गई। औपचारिक स्वीकृति, धारा 29 की अनुपालना किए जाने तथा अन्य स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

महाराष्ट्र में डिजीटल ट्रांसमिशन नेटवर्क

2919. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों को नेशनल डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को इस नेटवर्क के अन्तर्गत लाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष के दौरान किन-किन जिलों को इसके अन्तर्गत लाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं की प्रगति के आधार पर निम्नलिखित पांच जिलों को राष्ट्रीय डिजिटल संचारण नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया है—

1. बम्बई 2. थाणे

3. पुणे 4. नागपुर

5. भंडारा

(ग) चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान निम्नलिखित जिलों को राष्ट्रीय डिजिटल संचारण नेटवर्क के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है—

(क) चालू वर्ष के दौरान = 1992-93

1. नासिक 2. धुले

(ख) अगले वर्ष के दौरान = 1993-94

1. वर्धा 2. यवतमाल

[हिंन्दी]

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में घाटा

2920. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या भारत गोल्ड माईस लिमिटेड अभी भी घाटे में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो घाटे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को हुआ कुल घाटा इस प्रकार है—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	घाटा
1989-90	36.37
1990-91	35.25
1991-92	41.25 (अनन्तिम)

(ख) जी हां।

(ग) घाटे को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—

(1) कोलार गोल्ड फील्ड में अलाभप्रद तीन खानों को क्रमशः बंद करना।

(2) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना कार्यान्वित करके फालतू श्रमिक कम करना; इसके अन्तर्गत अब तक 1183 श्रमिक सेवा-निवृत्ति हो चुके हैं।

(3) खनन कार्य और इंजीनियरी वर्कशाप आरम्भ करने के लिए परियोजना व ठेका प्रभाग के कार्यकलापों का विकास करना।

(4) उथले स्वर्ण निक्षेपों को विकसित करने की संभावनाओं की जांच करना।

(5) पछोड़न से स्वर्ण प्राप्त करने की संभावना का पता लगाना।

[अनुवाद]

नहरों और बांधों की सुरक्षा

2921. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उग्रवादियों द्वारा भाखड़ा मुख्य लाइन नहर के तटबंध को हाल ही में पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्र तथा अन्य महत्वपूर्ण नहरों तथा बांधों को आतंकवादियों की विध्वंसकारी गतिविधियों से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भाखड़ा मुख्य लाइन को क्षति पहुंचाने के तीन प्रयास किए गए। पहला प्रयास 30/31 मई, 92 को किया गया जब रोपड़ के निकट नहर के तटबंध को 0.46 मीटर चौड़ा और 1.22 मीटर गहरा काटा गया और आर० डी० 30325/आर पर अस्तर को नष्ट किया गया। दूसरा प्रयास 6/7 जून, 1992 को किया गया, जब रोपड़ के निकट 1.37 मीटर गहरी खाई खोदी गई और 7 वर्गमीटर लम्बे अस्तर को आर० डी० 17350/आर पर उड़ाया गया। तीसरा प्रयास 11/12 जून, 1992 को किया गया जब मोरिन्दा के निकट आर० डी० 1410/आर० पर 1.07 मीटर चौड़ा और 1.22 मीटर गहरा कटाव किया गया। उक्त सभी क्षतियों की शीघ्र मरम्मत कर दी गई।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा स्थिर और चल सुरक्षा प्रबन्ध पहले ही उपलब्ध कराये गये हैं। अब गश्ती दल द्वारा चौकसी और बढ़ा दी गई है।

लद्दाख की विद्युत परियोजनाएं

2922. **प्रो० राम कापसे** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इन परियोजनाओं का विद्युत उत्पादन कितना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्ताकना जल विद्युत परियोजना (4 मेगावाट) पहले ही पूरी की जा चुकी है। विद्युत उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े तथा इस परियोजना पर किए गए व्यय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में करगिल जल विद्युत परियोजना (3 × 7 मेगावाट) अभी निर्माणाधीन है। इस परियोजना पर मार्च, 1991 तक किया गया कुल व्यय 9.66 करोड़ रुपये बताया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत संयंत्र

2923. श्री राम टहल चौधरी :
श्री छेदी पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य में नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार की स्वीकृत/निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्र० सं० परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	जिला
राज्य क्षेत्र		
1. तेनुघाट थर्मल प्रोजेक्ट, चरण-1	2 × 210	गिरिडीह
2. तेनुघाट थर्मल प्रोजेक्ट,-चरण-2	3 × 210	गिरिडीह
3. उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना	2 × 12	पलामाऊ
4. पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना	3 × 5	प०चम्पारन
5. सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना	6.6	रोहतास
6. सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना	3.3	औरंगाबाद
7. चांडिल जल विद्युत परियोजना	2 × 4	सिंहभूम
केन्द्रीय क्षेत्र		
1. बोकारो "ख" चरण-2 ताप विद्युत	2 × 210	गिरिडीह
2. कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना	4 × 210	भागलपुर
3. कोयल कारो जल विद्युत परियोजना	4 × 172.5 + 1 × 20	रांची

लोहे का उत्पादन

2924. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 1992 तक लोहे का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कुल उत्पादन में से देश में लोहे की घरेलू मांग कितनी है;

(ग) लोहे अयस्क की कितनी मात्रा निर्यात की जा रही है; और

(घ) इन निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में लौह अयस्क का उत्पादन निम्नानुसार है—

(दस लाख टन)

वर्ष	उत्पादन
1989-90	55.4
1990-91	54.9
1991-92 (अनन्तिम)	57 1

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान लोह अयस्क की घरेलू खपत 256 लाख टन थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 298 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया जिससे 1465.96 करोड़ रुपग की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

[अनुवाद]

पर्यटकों के लिए कम बजट वाले आवास

2925. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यात्री निवासों के समान कम बजट वाले पर्यटकों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिसके अंतर्गत दिल्ली स्थित यात्री निवास कीशैली पर कम बजट के पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराए जाएं। तथापि, पर्यटन विभाग ने देश में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर 41 यात्री निवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी है ताकि निर्धन और बजट पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अतिरिक्त तीर्थ स्थानों पर 17 यात्रिकायों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है।

इंडियन एयरलाइन्स में अतिरिक्त पुर्जों की कमी

2926. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री विजय नव लपाटील :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण उड़ानों के समय में कोई व्यवधान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

गुजरात में बिजली की सप्लाई

2927. **श्री काशीराम राणा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को उसकी मांग से कम बिजली सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिजली की मांग और सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात को कम बिजली उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार गुजरात को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है—

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	
	(मि० यू०)	(मि० यू०)	मि० यू०	प्रतिशतता
1989-90	21565	20823	742	3.4
1990-91	23305	22358	947	4.1
1991-92	25505	24417	1088	4.3

मि० यू० = मिलियन यूनिट

(ग) गुजरात में विद्युत की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान अखिल भारत आधार पर विद्युत आपूर्ति में 7.9 प्रतिशत की कमी थी, जबकि 1991-92 में यह 7.8 प्रतिशत थी जो कि गुजरात में कमी से अधिक है।

(घ) गुजरात में विद्युत उपलब्धता में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं —विद्यमान विद्युत उत्पादन केंद्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार, प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण आदि। ऐसे स्थानांतरण के लिए जब भी प्रणालीगत परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, गुजरात को पड़ौसी प्रणालियों से भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों का पंजीकरण

2928. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश से गत तीन वर्षों में वर्ष-वार समाचार पत्रों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने समाचार पत्रों का पंजीककरण किया गया; और

(ग) शेष समाचार पत्रों का पंजीकरण कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान समाचार-पत्रों के पंजीकरण के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है—

राज्य	1989	1990	1991
बिहार	418	213	167
उत्तर प्रदेश	396	351	540

(ख) उक्त अवधि में बिहार में 344 तथा उत्तर प्रदेश में 644 समाचारपत्रों का पंजीकरण किया गया।

(ग) समाचारपत्रों का पंजीकरण, सम्बन्धित प्रकाशक द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही किया जाता है। तथापि, अधिनियम में इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र

2929. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम इस्पात संयंत्र की योजना कब बनाई गई थी, परियोजना पर काम कब आरम्भ हुआ और उसे कब पूरा किया गया; और

(ख) संयंत्र की आरंभिक अनुमानित लागत कितनी थी और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकार ने जून, 1979 में विशाखापटनम इस्पात संयंत्र (वी० एस० पी०) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी। इस

परियोजना का कार्य फरवरी, 1982 में आरम्भ हुआ था। संशोधित युक्तिसंगत अवधारणा के अनुसार यह परियोजना जून, 1990 तक पूरी की जानी थी।

(ख) सरकार द्वारा जून, 1979 में अनुमोदित परियोजना की मूल अनुमानित लागत 2256 करोड़ रुपए थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर जुलाई, 1982 में लागत अनुमान को 3897.28 करोड़ रुपए (1981 की चौथी तिमाही के मूल्य आधार पर) संशोधित करने के लिए जुलाई, 1982 में मंजूरी दी गई तथा जून, 1988 में दुबारा 6849.70 करोड़ रु० संशोधित किया गया। विशाखापटनम इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा सरकारी मंजूरी के लिए प्रस्तुत नवीनतम लागत अनुमान 8349 करोड़ रु० (1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य आधार पर) है। मई, 1992 के अन्त तक इस परियोजना पर कुल 7491.55 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना

2930. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना में क्या प्रगति की गई है;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इस परियोजना के निर्माण कार्य पर कितने व्यक्ति कार्यरत हैं; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) परियोजना के आधारभूत कार्य जिनमें भूमि का अधिग्रहण, निर्माण पूर्व जांच, परियोजना सड़कों, आवासीय व गैर-आवासीय भवनों, प्रवेश सुरंगों, 22 के० वी० की उच्च प्रतिबल (हाई टेंशन) लाइनों तथा 220/66/22 के० वी० सब स्टेशनों का निर्माण, शामिल हैं, प्रगति पर हैं। इन कार्यों में से अधिकांशतः को वर्तमान वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान पूरे कर दिए जाने की संभावना है ताकि मुख्य सिविल कार्यों का निर्माण वर्ष 1993-94 में शुरू किया जा सके।

(ख) जून, 1992 तक परियोजना पर व्यय की गई राशि अनुमानतः 155.37 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना के निर्माण के लिए कुल 2659 (1591 नियमित + 1068 नैमित्तिक) कर्मचारियों को रोजगार पर लगाया गया है।

(घ) परियोजना को जून, 1998 तक चालू कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

बिहार की कोयल कारो परियोजना

2931. **श्री ललित उरांव :**
श्री राम देव राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयलकारो परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बिहार के कम क्षेत्रों के कितने गांव प्रभावित होंगे;

(ख) इसके कारण कितने परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है;

(ग) ऐसे परिवारों के पुनर्वास हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत तथा संशोधित लागत कितनी है;

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(च) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(छ) इस परियोजना से बिहार तथा अन्य राज्यों को कितने-कितने प्रतिशत आबंटित की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बिहार का कोई वन्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुनर्वास स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं सहित लगभग 7100 विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास कालोनी की स्थापना किया जाना शामिल है—पहुंच सड़क, अखारा, समुदाय केन्द्र, पीने के पानी का कुंआ, गहरा नलकूप, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्कूल, पार्क और खेल का मैदान, चरागाह एवं विद्युतीकरण । पुनर्वास : पैकेज में ये भी शामिल हैं—डेयरी विकास, सुअर-वाड़े का विकास, अम्बेर चरखा, माइक्रो औद्योगिक पार्क, तथा परियोजना में रोजगार उपलब्धि कराने के संदर्भ में आवश्यक योग्यता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से जनजातीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाना । विस्थापितों के पुनर्वास हेतु एन० एच० पी० सी० द्वारा कुल 20.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसमें विस्थापित परिवारों को अनुदान देने हेतु 1.75 करोड़ रुपए की राशि शामिल है । इसके अलावा, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत, उपलब्धता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक उपयुक्त सदस्य को परियोजना में अथवा बिहार राज्य सरकार के अन्तर्गत श्रेणी-3 या 4 पदों, जिनका प्रतिशत परियोजना में 25 प्रतिशत तथा राज्य सरकार में 75 प्रतिशत है, में रोजगार प्रदान किया जाएगा ।

(घ) मार्च, 1980 के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 439.9 करोड़ रु० (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) थी । मार्च, 1991 के मूल्य स्तर पर संशोधित अनुमानित लागत 1338.81 करोड़ रु० निर्माण के दौरान ब्याज सहित है ।

(ङ) जून, 1992 तक परियोजना पर 10.47 करोड़ रु० व्यय किए जा चुके हैं ।

(च) परियोजना को 8 वर्ष में चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

(छ) इस परियोजना से प्राप्त विद्युत को बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों में हिस्सेदारी सम्बन्धी फार्मूले के अनुसार आबंटित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार व्यवस्था की गई है—उस राज्य/राज्यों जिनमें परियोजना की स्थापना के परिणामस्वरूप भूमि जलमग्न होने एवं लोगों के विस्थापित होने जैसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, को 12% विद्युत निःशुल्क आधार पर प्रदान किया जाना, 15% विद्युत अनावंटित रूप में केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना, शेष 73 प्रति शत विद्युत को सम्बन्धित क्षेत्र के राज्यों के बीच, पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान की गई केन्द्रीय योजना सहायता और इसी अवधि में विद्युत की खपत के आधार पर (दोनों पहलुओं को समान महत्व देते हुए) वितरित किया जाना ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक एजेंसियां

2932. **श्री राजवीर सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी डाक एजेंसियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण इलाकों में डाक एजेंसियों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस समय, उत्तर प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों की संख्या 14 है।

(ख) से (घ) लाइसेंस प्राप्त नए डाक एजेंट नियुक्त करना 13/7/1987 से बंद कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंसी स्कीम में सशोधन करने या इसे समाप्त करने के बारे में अंतिम रूप में कोई विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्थान को टिहरी बांध से पानी

2933. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री** 8 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध के पानी में राजस्थान की हिस्सेदारी का मामला इस समय किस चरण में है; और

(ख) इस मामले को जल्दी निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 8 अगस्त, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2279 के उत्तर में दी गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ख) इसी दौरान, नर्मदा जल विकास अभिकरण, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक अंतर्राज्यीय सोसाइटी है, ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक पर अध्ययन शुरू किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के जल का दिक्परिवर्तन राजस्थान की ओर करने की परिकल्पना की गयी है। आठवीं योजना के अन्त तक अध्ययनों के निष्कर्ष प्राप्त होने की आशा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में नए डाकघर

2934. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में कितने नए डाकघर खोलने और कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों पर नए भवनों का निर्माण किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। डाकघर खोलने के लिए अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त होने और निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनका औचित्य पाये जाने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर डाकघर खोले जाते हैं। उनक दर्जा बढ़ाया जाता है। राज्यवार लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। 1992-93 के लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) खोले जाने वाले या दर्जा बढ़ाए जाने वाले डाकघरों के लिए भवन का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम तटीय राज्यों में पर्यटन योजना की समीक्षा

2935. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :
श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिम तटीय राज्यों ने पर्यटन क्षमता के विकास हेतु केन्द्र सरकार से अत्याधिक सहायता प्राप्त योजना की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने पर्यटन योजना की समीक्षा हेतु अनुरोध किया है;

(ग) इन राज्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) जी, नहीं। केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों ने ही पर्यटन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना में गहन विकास के लिए अपने-अपने राज्यों मे पर्यटक परिपथों/गंतव्य स्थलों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर रही है।

असम में दूरदर्शन प्रसारण

2936. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के सभी जिलों में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से जिले अभी तक दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत नहीं आते;

(ग) क्या इन जिलों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो असम के समस्त क्षेत्र को दूरदर्शन के प्रसारण-क्षेत्र में कब तक लाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) असम के सभी जिले पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य के मौजूदा टी० वी० ट्रांसमीटर नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र में आते हैं।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(घ) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए चरणों में किया जा रहा है। इस समय राज्य की करीब 80.8 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है जिसमें किनारे के उन क्षेत्रों की जन संख्या भी शामिल है जहां संतोषजनक टी० वी० सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टीनों और बूस्टरों की आवश्यकता होती है। राज्य की समूची जनसंख्या को कब तक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होगी यह निश्चित रूप से बता पाना संभव नहीं है।

मुम्बई में प्राइवेट हवाई टैक्सी दुर्घटना

2937. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्टीनैन्टल एवियेसन प्राइवेट लिमिटेड की प्राइवेट हवाई टैक्सी के यात्री 17 जून, 1992 को सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर बाल-बाल बच गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निवारणात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) कान्टीनेंटल एविएशन एफ-27 विमान वी० टी० ई० आर० जैड जब बम्बई-गोवा मार्ग पर 17-6 92 को परिचालन में था, पोर्ट इंजिन के खराब होने के कारण बम्बई हवाई अड्डे पर वापस उतर गया था।

(ग) विमान और इसकी प्रणालियों की अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रमों/मैनुअलों में निर्धारित विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है वहा पर खराबी को ठीक किया जाता है तथा पुर्जों को बदला जाता है। इस तरह किए गए कार्य का निरीक्षण किया जाता है और उपयुक्त रूप से लाइसेंस-शुद्धा ए० एम० ई० के द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा नागर विमानन महानिदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर विमान को उड़ान के लिए रिलीज किया जाता है।

समुद्र तटों पर होटलों का निर्माण

2938. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों के निर्माण हेतु दिए गए समुद्र तटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ समय के दौरान समुद्र तटों पर कई होटलों का निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) तटीय क्षेत्रों में होटलों का निर्माण, तटीय विनियम क्षेत्रों से संबंधित पर्यावरण और वन-मंत्रालय की दिनांक 20-2-91 की अधिसूचना द्वारा विनियमित किया जाता है। इन विनियमों में उच्च ज्वार क्षेत्र से दूरी निर्धारित की गई है जिसके भीतर होटलों के निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अनुमोदित होटलों को यह शर्त पूरी करनी होती है।

[हिन्दी]

लक्षद्वीप में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2939. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में द्वीप-वार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोग शामिल हैं; और

(ख) इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 30-6-92 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की द्वीपवार स्थिति निम्नानुसार है—

अगाथी-29, आमिनी-82, अंद्रोह-8, चेतलात-29, कदामाठ-85, कलपेनी-61, कावारथी-34, किलतान-53, मिनिकाय-77

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 150 टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर वास्तविक रूप से टेलीफोन प्रदान करने के आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से परवर्ती वर्षों में क्रम से शेष टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

विद्युत उपकरणों का क्रयादेश

2940. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या विद्युत मंत्री 23 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी सभा पटल पर कब रखी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आश्वासन को पूरा करने के लिए सभा पटल पर रखे जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जा रही सूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दसवीं लोक सभा का तृतीय सत्र, 1992

विद्युत मन्त्रालय

आश्वासन को पूरा करने की तारीख———

क्र०सं०, दिनांक तथा सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
दिनांक 23-3-92 को श्री बासुदेव आचार्य द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 4056.	**विद्युत उपकरणों का क्रयादेश** **जिसमें** यह पूछा गया था कि : (क) क्या इस तथ्य के बावजूद की तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत उत्तरी मद्रास विद्युत परियोजना तथा कर्नाटक विद्युत निगम के अंतर्गत रायचूर स्थित उच्च ताप विद्युत परियोजना एकक-4 के लिए विद्युत उपकरणों की सप्लाई करने हेतु एम०ए० एम०पी० लिमिटेड की दरें निम्नतम थीं, क्रयादेश किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दे दिए गए हैं; (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच कराने का विचार है; और	(क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।	(क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना के लिए आन्तरिक कोल हैंडलिंग प्रणाली हेतु तमिलनाडु अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई० सी० बी०) की प्रक्रिया के अनुसार मैसर्स एम०ए०एम०सी० को न्यूनतम बोली लगाने वाला नहीं आंका गया था। ओ० ई० सी० एफ० की सहायता से कर्नाटक सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्नाटक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा	सम्बद्ध सगठनों से सूचना प्राप्त न होने के कारण आश्वासन को पहले पूरा नहीं किया जा सका ।

1	2	3	4	5
	(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?		स्थापित की जा रही रायचूर ताप विद्युत परियोजना यूनिट-4 (210 मेगावाट) के बारे में कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स एम० ए० एम० सी० को प्रस्ताव कोल हैंडलिंग सिस्टम के लिए स्टेकर रिक्लेमर टेंडर के मामले में मात्र न्यूनतम था। तथापि कर्नाटक प्राधिकारितों द्वारा एम० ए० एम० सी० को इसके लिए आर्डर नहीं किए गए क्योंकि पुन-निवेशन संबंधी कार्यकुशलता के परि-दृश्य में विद्युत क्षेत्र में इनसे पूर्व उनके द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के मामले में इनके डिलीवरी तथा कार्य-संपूर्ण संबंधी कार्य असंतोषजनक पाए गए थे। ओ० ई० सी० एफ० जापान ने सहायता प्राप्त परियोजना के हित में कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में जांच करना आवश्यक नहीं समझा।	

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

2941. श्री छोटू भाई गामीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों को दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों को अब तक कितनी धनराशि दी गई है तथा अपेक्षित धनराशि प्रदान न करने के कारण क्या है; और

(ग) पूरी धनराशि कब तक दे दी जाएगी और इस संबंध में सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1988 में अनुमोदित 6406 करोड़ रुपए की परियोजना लागतों के अनुसार, लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के संबंध में राज्यवार अंश लागत निम्न अनुसार तैयार की गई है—

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	नाम प्राप्त करने वाले राज्य	अद्यतन अनुमानित परियोजना लागत 1986-87 सिंचाई	विद्युत	कुल
1.	गुजरात	4655	243	4903
2.	मध्य प्रदेश	—	888	885
3.	महाराष्ट्र	—	419	419
4.	राजस्थान	199	—	199
		4854	1552	6406

(ख) से (ग) सरदार सरोवर परियोजना पर 31 मार्च, 1992 को व्यय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का हिस्सा और 31 मार्च, 1992 को प्रत्येक राज्य द्वारा प्रदान की गई अंश लागत निम्न अनुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	सहभागी राज्य	31-3-92 तक व्यय का हिस्सा	31-3-92 को राज्यों से प्राप्त राशि	31-3-92 को शेष अंशदात
1.	मध्य प्रदेश	326.20	225.32	100.88
2.	महाराष्ट्र	154,52	100.45	54.07
3.	राजस्थान	89.46	—	89.46
	कुल	570.18	325.77	244.41

नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार, सहभागी राज्यों को बजट में निर्धारित की गई राशि के आधार पर परियोजना लागत का अपना हिस्सा अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष भुगतान करना अपेक्षित है, सहभागी राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना की अंश लागत का भुगतान करने से सबंधित मामले पर समय-समय पर सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठक में विचार विमर्श किया जाता है और राज्यों से विवादास्पद दावों को शीघ्र निबटाने और गुजरात सरकार को बकाया शुल्कों के शीघ्र भुगतान करने हेतु अनुरोध किया जाता है

[अनुवाद]

नर्मदा सागर परियोजना

2942. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात की नर्मदा सागर परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बाड़मेर और जालौर ज़िलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना से 05 एम० ए० एफ० जल देने का भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या परियोजना का कार्य रोका जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है तथा नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। इन परियोजनाओं को केन्द्र सरकार ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

(ख) और (ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार, राजस्थान को नर्मदा का 0.5 मि० एकड़ फुट जल लेने का हक है। राजस्थान में बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई करने के लिए राजस्थान सरकार ने गुजरात में नर्मदा मुख्य नहर की नहर से नहर के निकासी स्थल से जल का अपना हिस्सा लेने का प्रस्ताव किया है तथा नहर कार्य योजना के अनुसार चल रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

नागार्जुन सागर नहरें

2943. **श्री के० चोक्का राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बछावत पंचाट के अन्तर्गत नागार्जुन सागर की बाईं तथा दाईं नहरों के लिए पानी का मूल आबंटन कितना-कितना किया गया था; और

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उक्त नहरों में कितना पानी छोड़ा गया और कितने पानी का उपयोग किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कृष्णा जल विवाद अधिनियम ने, जल के आबंटन पर विचार करते समय, नागार्जुन सागर परियोजना से 281 हजार मिलियन घन फुट जल के उपयोग का हिसाब लगाया है। परन्तु नागार्जुन सागर को बायीं और दायीं नहरों के लिए अलग-अलग मात्रा नहीं बताई गई है।

(ख) इन नहरों में पानी छोड़े जाने का विवरण केन्द्रीय सरकार नहीं रखती है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि इन वर्षों के दौरान नागार्जुन सागर नहरों में पानी छोड़े जाने तथा उपयोग किये जाने का सही विवरण उपलब्ध नहीं है।

छोटे और मझौले समाचार-पत्रों को सुविधाएं

2944. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे और मझौले समाचार-पत्रों को वे सुविधाएं देने का निर्णय किया है जो छोटे उद्योगों को दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके लिए किन-किन सुविधाओं के बारे में विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) वास्तव में समाचार-पत्र प्रकाशन को औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक कार्यकलाप के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, जो छोटे तथा मझौले समाचार-पत्रों की इकाइयां लघु उद्योग इकाइयों के लिए निर्धारित निवेश मानदंड को पूरा करती हैं, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए पात्र हैं। इस प्रकार की इकाइयां लघु उद्योग इकाइयों की तरह ब्याज दर तथा मार्जिन राशि में रियायतों के लिए पात्र हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की सुरक्षा

2945. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मियों द्वारा आतंकवाद प्रवण राज्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की सुरक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर जैसे आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रतिष्ठानों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है।

कोयले का आयात

2946. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्मियों के दौरान बिजली की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक विद्युत उत्पादन हेतु ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई में वृद्धि के लिए आस्ट्रेलिया मे 10 मिलियन टन कोयला आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयात में कितनी विदेशी मुद्रा के रूप में पूंजी परिव्यय शामिल है;

(ग) क्या ऐसे आयात की आर्थिक, व्यवहारिकता पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) भारत को अपनी कोयला खानों से ही कोयला नहीं लेने का क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) कोयले की घरेलू कमी को पूरा करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों हेतु उच्च ऊष्मोत्पादकता वाले कोयले का आयात करने सम्बन्धी प्रस्ताव, सभी सुसंगत दृष्टिकोणों से जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

12.05 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री वक्तव्य देंगे।

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद उन सबके मानस को उद्वेलित करता आ रहा है जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली में विश्वास रखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर में तेजी से घटनाएं घटित हुई हैं। हाल के घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच का 15 जुलाई का आदेश एक विभाजक था। उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में पक्षों द्वारा उस 2.77 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया था। कोर्ट ने यह निदेश भी दिया कि यदि उस भूमि पर कोई निर्माण करना आवश्यक हो तो कोर्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

2. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार व राष्ट्रीय एकता परिषद को बार-बार यह विश्वास दिलाया कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाएंगे, फिर भी राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य जारी रहा।

3. उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने से लोगों में आशंका उत्पन्न हुई। यह मामला एक रिट याचिका के जरिए उच्चतम न्यायालय में विचार के लिए पेश हुआ। 22 जुलाई, 1992 को याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने अधिग्रहीत भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य को स्थगित करने को कहा।

4. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1992 को उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए एक और हलफनामे में राज्य सरकार ने बिना शर्त उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि 22 जुलाई, 1992 को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों ने राज्य सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चल रहे विचार विमर्श को एक नया आयाम दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कि सम्बन्धित सभी पक्षों में समझौता हो जाए ताकि न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ मेरे द्वारा धार्मिक ग्रुपों के नेताओं को 23 जुलाई, 1992 को विचार-विमर्श के लिए दिए गए निमंत्रण का जिक्र भी किया गया।

5. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई सोमवार, 27 जुलाई, 1992 तक स्थगित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि इस समस्या का हल खोजना राष्ट्र के व्यापक हित में है।

6. मुझे विश्वास है कि सही सोच वाले सभी लोग इस समस्या का कोई मैत्रीपूर्ण हल ढूंढ़ने की केन्द्रीय सरकार की चिन्ता में उसका साथ देंगे। केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि पहले मैत्रीपूर्ण समाधान खोजने के सभी अवसरों का सच्चे मन से पता लगाया जाना चाहिए। अतः हमारा प्रयास रहा है कि स्थिति को शांत बनाया जाए, विवाद की स्थिति से बचा जाए, और विभिन्न सम्बन्धित पक्षों के बीच वैचारिक सामंजस्य लाई जाए। ऐसा करते हुए हम न्यायिक प्रणाली की गरिमा और कानून के शासन के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के प्रति अत्यधिक सजग रहे हैं। इसी आधार पर ही हमने उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य सभी सम्बन्धित पक्षों से आग्रह किया कि वे सच्ची भावना से न्यायालय के निदेशों का पालन करें और ऐसा कुछ भी न करें जिससे संविधान के मूलभूत सिद्धांत कमजोर पड़ें।

7. जैसा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था, हम इस मसले की बातचीत के जरिए कोई ऐसा हल ढूंढ़ निकालने के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे दोनों समुदायों की भावनाओं का पूरा-पूरा सम्मान हो। यदि ऐसा कोई हल न निकल सके तो सभी पक्षों को न्यायालय के आदेश तथा उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस मन्दिर निर्माण के पक्ष में है, लेकिन मस्जिद को गिराया नहीं जाना चाहिए।

8. यह सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन हो तथा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य बंद हो। तथापि, स्थिति को इतना गम्भीर होने दिया गया कि राज्य सरकार ने उसे ठीक करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा वास्तव में यह अनुरोध किया गया है कि या तो गृह मन्त्री या मैं निर्माण कार्य को रोकने के लिए सन्तों तथा महन्तों को मनाए। अयोध्या में उत्पन्न हुई नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने 23 जुलाई, 1992 को धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक की। विचार-विमर्श के दौरान मैंने

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर प्रतिनिधि मण्डल का ध्यान आकर्षित किया। मैंने प्रतिनिधिमण्डल को यह भी बताया कि निर्माण-कार्य रोक दिए जाने के बाद ही मैं बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर सकूंगा। अन्त में मैंने धार्मिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निर्माण कार्य रोक दिया जाए ताकि उसके बाद समयबद्ध तरीके से राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद, आदि का हल ढूंढने के प्रयास शुरू किए जा सकें। मैंने उन्हें यह भी कहा कि एक बार कार्य रोक दिया जाए तो मैं पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को, जो अधूरे ही रह गए थे, फिर से चालू करूंगा और इस दिशा में अपने प्रारंभिक प्रयासों को आगे बढ़ाऊंगा। इस सबका प्रयोजन बातचीत के जरिये मैत्रीपूर्ण हल निकालना है। यदि जरूरी हुआ तो विभिन्न न्यायालयों में इस विषय पर लम्बित मामलों को एक साथ मिलाकर उन पर एक ही न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है जिसके फैसले को सभी पक्षों को मानना होगा, इस सबके लिए सरकार के स्तर पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी और न्यायालयों के विचारार्थ उपयुक्त निवेदन प्रस्तुत किए जाने होंगे। मैंने अपना विश्वास जताया कि सरकार के स्तर पर इस काम को तेज किया जा सकता है और इसे 4 महीने के समय में पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण पर मुझे सहमति प्राप्त हुई।

9. बताया गया है कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य 26 जुलाई से रुक गया है। मुझे आशा है कि इससे समस्या का कोई स्वीकार्य हल ढूंढ निकालने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों और जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे धार्मिक सहिष्णुता के परम्परागत मूल्यों को सुदृढ़ बनाने और अमनशांति तथा साम्प्रदायिक सद्‌भाव कायम करने में मदद करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या सभा को इस वक्तव्य पर चर्चा करने अथवा स्पष्टीकरण मांगने का कभी कोई अवसर प्रदान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यदि इस सभा के सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो आप लोग कल 12 बजे इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : चर्चा नहीं बल्कि स्पष्टीकरण मांगने की इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कल 12 बजे स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय ··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी हम इसके बिना भी अपना काम चला सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नोएडा में पर्यटन विभाग का जो डिप्लोमा इंस्टीचूट स्थापित है, उसको ग्वालियर ले जाया जा रहा है। हमारे संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया

था कि हम इसको सदन में रखेंगे। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न कोई सदन को जवाब दिया गया है। आपकी व्यवस्था के विरुद्ध यह कार्यवाही हो रही है।··· (व्यवधान) ···आपकी व्यवस्था का सवाल था, आपने व्यवस्था दी थी। दस दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसका जवाब सदन में ही दिया जाना चाहिए।··· (व्यवधान) · अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री बैठे हैं इस मामले की गम्भीरता से लिया जाए क्योंकि वह पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का सवाल है।···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, देखिए मन्त्री जी जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, आप इसका उत्तर दिलवाएं। ये उत्तर प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मन्त्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : हमने सिविल एवं टूरिज्म मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने इस विषय में कहा है कि एक-आध दिन में वे डिटेल लेटर लिखेंगे।··· (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि इस विषय को कई सदस्यों ने यहां पर उठाया था और मैंने आपको जानकारी दी थी कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र बहुत एजिटेटेड हैं और उनको एजिटेशन के मार्ग पर जाने से रोकना है तो इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ है वे इसके लिए कोई रेशनल उत्तर नहीं है। आप राजवीर सिंह जी को या किसी भी एक माननीय सदस्य को चिट्ठी लिख देंगे तो इससे समाधान नहीं होगा यहां पर इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि मन्त्री जी आ करके स्वयं उसके बारे में बयान देंगे, तो जवाब दिया गया था, मैं जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, मेरे पास परसों ही ये सारे छात्र इकट्ठे होकर के आए थे और कहते थे कि कोई हमारी बात को सुनता नहीं, हमको मन्त्री मिलते नहीं, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं हम बात करने कहां जायें और इसीलिए हम संसद में आए हैं, संसद में अगर इसकी चर्चा नहीं होगी और केवल मात्र संसदीय कार्य मन्त्री कहेंगे कि हम माननीय सदस्य को चिट्ठी लिख देंगे तो इससे समाधान नहीं होगा।···(व्यवधान)···इस मामले में मेरी जानकारी यह थी कि नोएडा में इसी उद्देश्य से जमीन खरीदी गई और आज अचानक तय किया जा रहा है कि नोएडा में इंस्टीट्यूट न जाकर के ग्वालियर में जाएगा, जबकि ग्वालियर में यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही है।

मैं बहुत विस्तार से इस बारे में जानता हूं और सबको बता सकता हूं, मैं समझता हूं कि यह निर्णय बहुत ही गलत है और यह जो निर्णय है यह वहां के छात्रों के साथ अन्याय है और इसका परिमार्जन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इस मामले पर पहले ही विचार-विमर्श कर चुका हूं और उन्होंने कहा है कि वह माननीय सदस्य के लिए एक विस्तृत पत्र लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैं यह बात मन्त्री महोदय को नोटिस में लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पत्र लिखा जाएगा अथवा वक्तव्य दिया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, ऐसे सदन नहीं चलेगा। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जो मामला विरोधी दल के नेता ने उठाया है उसके सम्बन्ध में आपका क्या निर्देश है।—(**व्यवधान**) इस सदन में यह मामला उठाया गया है, यह कोई प्रेम पत्र से हल होने वाली चीज नहीं है। सदन में यह मामला उठा है इसलिए सदन में इसका उत्तर मिलना चाहिए।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बार मंत्री जो कुछ कहना चाहेंगे, उसे मैं सुनूंगा और तब ही मैं अपना सुझाव दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मंत्री से बोलने के लिए कहिए ?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने इस मामले पर मंत्री से बातचीत कर ली है और उन्होंने कहा है कि वह इसके बारे में माननीय सदस्य को एक विस्तृत पत्र लिखेंगे। (**व्यवधान**) चूंकि विपक्ष के नेता ने कहा है कि यह संसद् के किसी एक सदस्य का प्रश्न नहीं है। जो इसके बारे में चिन्तित है बल्कि इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता है इसलिए मैं इस बात को नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के नोटिस में लाऊंगा कि किसी एक सदस्य को लिखने के बजाए वह इस मामले के सम्बन्ध में वक्तव्य देने पर विचार करें। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज नियम 184 के अंतर्गत रेजोल्यूशन दिया है, कल की जो डिबेट के बाबत कहा है, उस रेजोल्यूशन के संबंध में सभी लोगों से बात करके, सभी लोगों ने विचार करके उस पर यदि बहस कराई जाए तो यह एक कारगर बहस होगी। पिछले एक महीने से हम सब लोग तनाव में हैं, इसलिए मैंने जो रेजोल्यूशन दिया है, इसको कंसीडर करके बहस चलाएंगे तो यह एक पोजोटिव बहस होगी। इसलिए मैंने जो अयोध्या-बाबरी मस्जिद के मामले पर रेजोल्यूशन दिया है, उस पर मैं समझता हूं कि बहस करने के लिए सभी लोग सहमत होंगे, इसलिए इसको कल के लिए रखा जा सकता है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर चैम्बर में बातचीत करूंगा। ऐसे मामलों पर सभा में चर्चा नहीं होती है।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, केरल के अंदर आर एस एस की शाखा पर इस्लामिक सेवा संघ द्वारा हमला किया गया था, वहां पर दंगे हुए थे। इस संबंध

में एक कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, मेरी जानकारी में है कि केरल सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों की अध्यक्षता मे एक ममेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। स्टेट होम मिनिस्टर साहब ने यह आश्नासन दिया था कि इस बारे में हाउस में स्टेटमेंट देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि यह स्टेटमेंट कब होगा, यह बताया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह निर्णय किया गया था कि मंत्री महोदय उन दंगों के बारे में सभा में वक्तव्य देंगे। मालेगांव के दंगों ने बड़ा गम्भीर मोड़ ले लिया है और विधान सभा के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया गया था। अनेक घटनाएं हुई हैं परन्तु मंत्री महोदय की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। आप मालेगांव और केरल के बारे में कब वक्तव्य देंगे? आप मालेगांव और केरल के संबंध में वक्तव्य देने से क्यों कतरा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : दूसरे हाउस में, राज्य सभा में स्टेटमेंट दिया जा रहा तो यहां क्यों नहीं दिया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था कि मालेगांव, डोडा और अयोध्या के बारे में मन्त्री महोदय स्टेटमेंट देंगे, यह एक हफ्ते पहले बताया था, लेकिन एक हफ्ते से आपने हाउस चलने ही नहीं दिया तो स्टेटमेंट कहां देते। स्टेटमेंट तो हाउस में दिया जा सकता है, बाहर तो नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में दिल्ली की कानून-व्यवस्था का मामला उठाया था। जनता दल के नेता श्री कलीराम तोमर पिछले एक सप्ताह से गायब हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया है, यह मामला बहुत गंभीर है, अखबारों में आ रहा है, सरकार की जानकारी में यह बात होगी, इससे पहले भी हमारे एक कार्यकर्ता को अलीपुर थाने में रखकर मार देने का काम किया गया है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता दल के जनरल सेक्रेट्री का एक सप्ताह पहले अपहरण कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस अभी तक चुपचाप बैठी हुई है, इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कार्यवाही करने का इस सदन को आश्वासन देती है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात कही है, इसके बावजूद सरकार चुप है। इस बारे में चेयर की तरफ से क्या आदेश है, क्योंकि पोलीटिकल पार्टी के लीडर का अपहरण किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चेयर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब लोग एक साथ बोल रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 7 दिन से जनता दल के जनरल सेक्रेट्री जो दिल्ली प्रदेश के हैं, श्री कलीराम तोमर पूर्वी दिल्ली से हैं, गायब हैं, इस बारे में अखबार में भी आया है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इस बारे में उनके परिवार के लोग और जनता दल के सभी लोग चिंतित हैं। कमिश्नर आफ पुलिस से बात हुई है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारत सरकार के अंतर्गत आता है,

[हिन्दी]

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी है, यदि नहीं है तो क्या सरकार जानकारी हासिल करके सदन को बताने का काम करेगी ?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इस बात को गृह मंत्री महोदय को नोटिस में लाऊंगा···

अध्यक्ष महोदय : सभा को भी सूचित करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) **:** मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास और वित्त मंत्री महोदय—उनमें से कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है—का ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसमें आपकी भी रुचि है। यह समस्या आगनवाड़ी-बालवाड़ी सेविका और अध्यापकों के भत्तों के बारे में है।

आपको याद है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल में इस सभा में मुझे यह विश्वास दिया था कि इनके संबंध में कुछ कार्यवाही की जाएगी और प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। मैंने वर्तमान मंत्री महोदय श्री अर्जुन सिंह जी का पहले भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। परन्तु दुर्भाग्य है कि इस समस्या पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आंगनवाड़ी और बालवाड़ी श्रमिकों को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं। मैंने सुना है कि राज्य सरकारों में से किसी एक ने इनके भत्तों में कुछ वृद्धि की है।

क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके भत्तों में वास्तविक रूप से वृद्धि की जाएगी ताकि वे अपनी भारी जिम्मेदारियों को निभा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) **:** जब भी आंगनवाड़ी और बालवाड़ी श्रमिक मानव संसाधन विकास मंत्री से मिले हैं उन्होंने उन्हें यही आश्वासन दिया है कि वह उनके लिए कुछ करेंगे। जब उनका शिष्टमंडल प्रधान मंत्री महोदय से मिला था तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि उनके लिए कुछ किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) **:** अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए खुशकिस्मती से वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर हाउस में हूं, एक जरूरी मुद्दे की तरफ मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यमुना वाटर शेयर के संबंध में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग मंत्री जी ने बुलायी। अफसोस की बात है कि पंजाब को उस मिटिंग में बुलाया नहीं गया। हालांकि यमुना नदी पंजाब से गुजरती है और री-आर्गेनाइजेशन से पहले पंजाब के खेतों को उसका पानी लगता था। पंजाब गवर्नमेंट नें, पंजाब के चीफ मिनिस्टर नें, पंजाब के इरीगेशन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेटर, जो अखबारों में छपा हैं, इनके नोटिस में होगा, जिसमें कहा गया है कि पंजाब को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। आलरेडी पंजाब में इस वक्त 15.5 मिलियन एकड़ फीट का डैफिसिट है और हमारे 117 में से ऐटलीस्ट 90 ब्लांक ब्लैक हो चुके है और कैनाल इरीगेशन के लिए पंजाब की मालवा बैल्ट तरस रहीं हैं।

मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अगली मीटिंग करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उसमें पंजाब को इनवाइट करें। क्योंकि इस मीटिंग में अगर पंजाब को इनवाइट नहीं किया जाता तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रीपेरियन राईट के ऊपर अगर पंजाब को यमुना वाटर में शेयर के लिए नहीं बुलाया जाता तो सतलज-यमुना लिंक नहर, जिसके जरिए हरियाणा और राजस्थान पानी ले रहे हैं उनका मुकम्मिल अधिकार उस पानी पर नहीं रहेगा तथा सतलुज-यमुना लिंक नहर नहीं निकल पाएगी। राजस्थान को जो पानी जा रहा है, उसको भी बहुत नुकसान होगा।

क्या मन्त्री जी ने रिपेरियन राईटस जो पंजाव का है, उसको मान लिया है पंजाब को न इनवाइट करके कि यमुना में हमारा कोई हक नहीं? मन्त्री जी हाउस में मौजूद हैं, मैं विनती करूंगा कि जो स्टेट क्राइसिस से गुजर रहा है और इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, जैसे हमारा पूर्ण हिस्सा बनते हुए भी बनता है।

"हम चूर-चूर हो गए थक थे के ऐ नदीम।
मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे।"

हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। पंजाब एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 70% व्हीट सैंट्रल पूल ने दिया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके पंजाब को अगली मीटिंग में, जो यमुना के पानी की हिस्सेदारी के बारे में है, बुलाया जाए ताकि पंजाब को उसका वाजिब हक प्राप्त हो सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबंधित एक मैडिकल कालेज और अस्पताल, सर सुन्दर लाल अस्पताल और मैडिकल कालेज है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐसी बड़ी संस्था स्वास्थ्य के मामले में है जिसमें करीब 5 करोड की आजादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर उत्तरी बिहार की दवा और इलाज के सिलसिले में वहां जाती है। लेकिन पिछले एक-डेढ़ महीने से लगातार उसमें डाक्टरों और प्रोफेसरों की हड़ताल होने के नाते सारी स्वास्थ्य सेवा बाधित है। मरीजों के सामने और इलाज के लिए आने वालों के समक्ष एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गयी है। उस अस्पताल और मैडिकल कालेज की दुश्वारी यह है कि वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्ध है और वहां प्रोफेसरों और अध्यापकों का वेतनमान जो यू० जी० सी० का स्केल है उसके जरिए निर्धारित होता है। नतीजा यह है कि इतने कम वेतन पर वे काम करने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी समस्या वहां की यह है कि जिस तरह की स्वास्थ्य सेवा के लिए सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए, चूंकि वह मानव संसाधन मन्त्रालय के अन्तर्गत है, इसलिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अपना जो सीमित बजट प्रावधान है उसके तहत वांछित मात्रा में जितनी सुविधा मुहैया करनी चाहिए वह देने की स्थिति में नहीं है।

भारत सरकार से मेरी मांग है कि उस मेडिकल कालेज के महाविद्यालय को और अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए और वहां अस्पताल चालू किया जाए। वहां के कुलपति ने महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान न कर पाने की स्थिति में इस्तीफा देने के लिए कहा था। किन्हीं परिस्थितियों में आश्वासन देकर भारत सकार ने तात्कालिक तौर पर एक समाधान निकाला है और उनका त्याग पत्र वापिस कराया है और अभी भी मेडिकल कालेज समुचित स्थिति में चलने की स्थिति में नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उस मेडिकल कालेज की हालत को सुधारने

के लिए तत्काल एक कमेटी का गठन करें जो एक या दो महीनों के अंदर प्रतिवेदन दे और उसे मानव संसाधन मंत्रालय से अलग करके स्वास्थ्य मंत्रालय में लाया जाए। उसकी स्थिति में सुधार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में रहने वालों के लिए राहत की व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, मानव का एक सिर लज्जा से झुक जाए, ऐसी भयंकर घटना उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रीक्ट में हुई······(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं। यह पंजाब के लोगों के लिए अत्यंत गंभीर मामला है।······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बाद में बात करें।

(व्यवधान)

श्री सुबाष चंद्र नायक (कालाहांडी) : जो बात श्री नायक कर रहे हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूं। वह मेरा चुनाव क्षेत्र है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वहां के गांव के सरपंच का छाया-चित्र टाईम्स आफ इंडिया में आया हुआ है। उसे नग्न रूप में रास्ते पर लाया गया है। उसका दोष इतना है कि वह वहां का जन-प्रतिनिधि है और उसको नंगा करके रास्ते पर लाया गया है जिसके कारण किसी को भी गुस्सा आ सकता है। वह आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र होते हुए इतना असभ्यता का व्यवहार करने के कारण मेरे ख्याल में नहीं आते हैं। कोई भी सभ्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। केवल जनता दल की सरकार ऐसा कर सकती है और वहां का जो सरपंच है वह भारतीय जनता पार्टी का सरपंच है इसलिए हुआ है। चालीस हजार रुपए की वहां कुछ सिक्योरिटी डिपाजिट मांगी है। मेरी मांग है कि इस गंभीर घटना के बारे में सरकार ब्यान दे और सदन को अवगत कराए कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में सरकार निवेदन करें ऐसी मेरी मांग है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुबाष चंद्र नायक : मान्यवर, मैं आपके सूचनार्थ उड़ीसा की वर्तमान सरकार के निर्दय प्रशासन के अधीनस्थ पुलिस की निरंकुशता और बर्बरता का उल्लेख करना चाहता हूं। 18-7-92 के **टाइम्स आफ इंडिया**, 17-7-92 के **नवभारत टाइम्स** (हिन्दी दैनिक), 15-7-92 के **प्रगतिवादी** (उड़िया दैनिक) में प्रकाशित रिपोर्टों को सत्यापित किया जा सकता है जिसमें उड़ीसा पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यकलापों को देखा जा सकता है। उड़ीसा की पुलिस संसद सदस्यों, स्थानीय निकायों के सदस्यों जैसे जनप्रतिनिधियों का सम्मान कभी नहीं करती। 11-6-92 को भी बर्बर उड़ीसा पुलिस अप्राधिकृत रूप से भवानीपट्टन, कालाहांडी, उड़ीसा स्थित मेरे घर में घुसी और इसीलिए मैं 15-7-92 को लोक सभा में शून्य काल के दौरान एक भावानात्मक स्वर में बोलने के लिए विवश हुआ।

आगे मैं, 18-7-92 के **टाइम्स आफ इंडिया** (अंग्रेजी दैनिक) में एक लोक प्रतिनिधि और धर्मगढ़ पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि श्री घनश्याम अग्रवाल को अमानवीय

ढंग से प्रतारणा दिए जाने से संबंधित समाचार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पुलिस ने उन्हें बन्दी बनाया और 25-7-92 को उन्हें निर्वस्त्र करके दिन दहाड़े पूरे शहर में घुमाया और अन्त में उन्हें और कुछ अन्य लोगों को उसी अवस्था में दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसे कई मामले रोज हो रहे हैं। उड़ीसा में पुलिस पूरे कालाहांडी में लोगों को प्रताड़ित और आतंकित कर रही है।

मान्यवर, क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि कालाहांडी पुलिस को आंतक फैलाने का अनुज्ञापत्र मिल गया है और जिस प्रकार से कालाहांडी, उड़ीसा में प्रशासन व्यवस्था ठप्प पड़ गई है तो अब इस आतंकवादी दंगों को रोकने के लिए इस संबंध में समुचित कदम उठाये जाने चाहिए, अन्यथा कालाहांडी के लोगों को गहन संकट से जूझना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। आप सब एक ही बार नहीं बोल सकते। मैंने श्री रवि राय को बोलने की अनुमति दी है। नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीर मसले की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार के अधीन सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन फेयरग्रोथ कम्पनी के बारे में कर्नाटक सरकार को बहुत दिनों से लिखकर रिक्वेस्ट कर रही है कि इसकी जांच करने की इजाजत दी जाए। आपको ताज्जुब होगा कर्नाटक सरकार ने इसको जानबूझकर रोके रखा है। कारण यह है कि लिक्वर मेंगनेट के नाम, में नाम नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप उसकी इजाजत नहीं देंगे। एक शराब का ठेकेदार जो कि डायरेक्टर आन दी बोर्ड आफ फेयरग्रोथ एजेंसीज में काम करता है वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री के नजदीक है। उनके 2 लाख 50 हजार शेयर है इस कम्पनी में। अराक बाटलिंग के लिए उनको चार जिलों का लाइसेंस दे दिया गया है, एक डिस्टलरी बंगलौर में खोलने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसलिए उन पर जांच कराने के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं, जबकि विजया बैंक के बारे में इन्वेस्टीगेशन के लिए इजाजत दे दी है। कोई हैदराबाद कम्पनी ने 23 करोड़ रुपया लिया है उसके बारे में कर्नाटक सरकार ने इजाजत दे दी है। सी० बी० आई० प्रधान मंत्री के अधीन है इसलिए कर्नाटक का मुख्य मंत्री कांग्रेस का है और यह जो शराब का ठेकेदार है यह खुद डायरेक्टर है फेयरग्रोथ कम्पनी में इसलिए इस पर जांच करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि सी० बी० आई० की जांच करानी चाहिए और केन्द्र सरकार इस पर वक्तव्य दे और सदन को विश्वास में ले। सी० बी० आई० प्रधान मंत्री के अधीन है, बाकायदा वहां एक डिप्टी डॉयरेक्टर माधवन को रखा गया है कि वह छानबीन करें। फेयरग्रोथ कम्पनी के सिलसिले में एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर जो शराब का ठेकेदार है उसके पूरे डायरेक्टर बोर्ड में हैं।*······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के इस भाग को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इसीलिए यह डिस्क्रीमीनेशन क्यों हो रहा है। विजया बैंक के बारे में जांच करने की इजाजत दे दी गई, लेकिन इस केस के लिए नहीं दी जा रही है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आप कहें कि सरकार इस बारे में बयान दे।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मान्यवर, कल रात के दूरदर्शन समाचार को आपने अवश्य सुना होगा जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में आये चक्रवात के संदर्भ में था।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना में जो गेम चल रहे हैं उस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर गेम शुरू हो गये हैं। काफी समय के बाद दूरदर्शन और रेडियो को मौका मिला कि वह अन्य माध्यमों से या अपने नेटवर्क से वहां के प्रोग्राम ले सके, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम उनसे वंचित हैं। हम लोग हाकी का मैच भी नहीं देख पा रहे हैं। कल भारत और जर्मनी के बीच हाकी का मैच था। हमने कई बार दूरदर्शन को फोन किया कि वह किसी अन्य देश से बात करके इसका सीधा प्रसारण करे, यह बड़ी दयनीय बात है कि हमारे दूरदर्शन पर मामूली से प्रोग्राम की बात है। वहां पर 30 कंट्रीज को मौका मिला है और हम लोग आज हाकी नहीं देख पा रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि कम से कम अब आने वाले मैचों में हम लोग देख सकें। चाहे कहीं से भी, किसी भी मुल्क से हो, उसको करके अपने नेट वर्क में शामिल करें। चाहे पड़ोसी मुल्क से या फिर किसी स्टार टी० वी० या बी० बी० सी० से हो यह हमारी दरख्वास्त है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यही सवाल हम उठाना चाहते थे और हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। यह गंभीर मामला है। सरकार किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ पल प्रतीक्षा करें, आपको समय दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, आप तो कह सकते हैं, सदन को विश्वास में लिया जाये, यह क्यों नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : पहले चौहान साहब को सुनेंगे, स्पोर्ट्समैन को सुनेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि जिस खेल में जीतेंगे, टी० वी० पर उसको दिखलायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चह्वाण स्वयं एक खिलाड़ी हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि चार साल के बाद ओलम्पिक आता है और करीब एक साल पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया को आफर दिया गया था लेकिन अभी तक सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। अभी भी देर नहीं हुई है। काफी मैचेज बाकी हैं और इन गेम्ज में 17 दिन बाकी हैं। मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि इसका अरेंजमेंट किया जाए और कम से कम जो अच्छे मैचेज हैं, जहां पर हमको गोल्ड मैडल मिलने की आशा है, कम से कम वे गेम्ज दिखाए जायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : संसद सदस्यों की भावनाएं निश्चित रूप से माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : और वे वापस आएंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : उन्होंने स्वयं उत्तर देने का संकेत किया था। चूंकि मैंने उनसे पहले कहा था कि यह मुद्दा उठेगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : कल सायंकाल उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में आए चक्रवात से संबंधित समाचार आया था। बालासोर जिला के ठंडबली में अल्प दबाब का क्षेत्र बन गया था। कल रात बालासुर, कटक, पुरी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आया। कल रात मैंने समाहर्त्ता से सम्पर्क किया। उन्होंने बताया कि ठंडबली की स्थिति बहुत गंभीर है। आज सुबह मैंने कटक से संपर्क किया। सुबह में कटक की स्थिति काफी गंभीर थी। इसके फलस्वरूप काफी नुकसान हुआ है, मकान ढह गए, खारा पानी हर जगह भर गया, मवेशियों को क्षति हुई और फसलों का नुकसान हुआ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय चक्रवात से हुई क्षति का ब्यौरा दें और बताएं कि राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ कह सकने की स्थिति में है ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : इतनी जल्दी नहीं, मान्यवर, मैं जरा पता कर लूं।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : हमने आयुर्विज्ञान शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर अपनी चिन्ता 1987-89 में ही व्यक्त कर दी थी। यद्यपि, यह समवर्ती सूची में है, किन्तु अब तक संयुक्त प्रवर समिति देश के कौने-कौने का दौरा कर चुकी है और लब्धप्रतिष्ठ लोगों से साक्षातकार कर चुकी फिर भी शलाधिक निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। मैं वाणिज्यीकरण के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु हमें जवाहर लाल नेहरू द्वारा सदन में कही गई उस बात का स्मरण करना चाहिए कि आयुर्विज्ञान और अभियन्त्रण शिक्षा में देश के अत्यन्त प्रतिभावान छात्र-छात्राएं जाएं। अभियंता स्थायी आधारशिला रखता है, आधारभूत संरचना प्रदान करता है और चिकित्सक मानव जीवन की रक्षा करती है। आयुर्विज्ञान संस्थाओं के वाणिज्यीकरण द्वारा वे लोग प्रति छात्र पांच से सात लाख रुपए प्रवेश शुल्क और एक से दो लाख रुपए तक शिक्षा-शुल्क लेती है।

अतः यदि सरकार और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने में समर्थ नहीं है, तो इसके लिए निजी संस्थानों को बेहिचक आने दिया जाना चाहिए। किंतु लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त प्रवर समिति, संसद के माननीय सदस्यगण, ने कई स्थानों का दौरा किया है। अतः सरकार को संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर अध्यादेश निकालना चाहिए। मैं मानता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर इस सभा में वाद-विवाद होंगे और इस सभा द्वारा यह भी विचार किया जाएगा कि इस विधान के लिए क्या रक्षा कवच प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही, सरकार भी चिकित्सकों को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाने जा रही है। मैं इससे इनकार नहीं करता। किन्तु साथ ही, हमें देखना है कि क्या आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम को कोई सुविधाजनक मार्ग प्रदान किया जा सकता है जैसा कि चार्टर्ड आकाउटेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। जब हम बीमार होते हैं, हमें अच्छे डाक्टर की चिन्ता होती है। **(व्यवधान)**··· अतः मैं आपके माध्यम से यह यह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन संस्थानों की अनियन्त्रित वृद्धि और शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाने के लिए अविलम्ब एक अध्यादेश निकाले।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय अध्यक्ष जी' मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति-महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि 24 जुलाई, 1992 को अहमदाबाद में आधुनिकतम शस्त्र पकड़े गये हैं और वे इतने भयंकर शस्त्र हैं कि जिनसे पूरी एक बिग्रेड को खत्म किया जा सकता है। पकड़े गये शस्त्रों में राकेट लांचर्स, हैंड ग्रेनेड सबसे ज्यादा मात्रा में थे। इनके अलावा ए० के०—47 राईफल्स भी 50 से अधिक संख्या में पकड़ी गयी हैं। अभी तक कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों को हमारी सरहद से जितने आधुनिक हथियार सप्लाई किये जाते थे, उन सीमाओं के सील हो जाने से, अब हथियारों की सप्लाई के लिए गुजरात होकर एक नया रास्ता निकाला गया है। अब पाकिस्तान की ओर से, गुजरात की सरहद से होकर, इस देश के आतंकवादियों को आधुनिक शस्त्र सप्लाई करना शुरू कर दिया है।

हमारे यहां गुजरात में, अहमदाबाद के जुहापुरा और पालड़ी स्थित दो मकानों से ये शस्त्र, शस्त्रों का भण्डार पाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात सरकार इसे रोकने में बिल्कुल फेल सिद्ध हुई है। अभी इससे भी ज्यादा और शस्त्र होने का अन्दाज हैं।

मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है, यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि पकड़े गये शस्त्रों की पैंकिंग पर एम-5 लिखा हुआ पाया गया है, अब वह कैसे लिखा गया, उसका क्या तात्पर्य है, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं करायी गयी हैं। आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई में जो भी पुलिस अधिकारी इन्वौल्व पाया गया है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उसके विरुद्ध आपने क्या एक्शन अभी तक लिया। इसके अलावा जिन्होंने इस अवैध शस्त्रागार को पकड़ने में सहायता की है, मेरी मांग है कि ऐसे अधिकारी को पुरस्कार देकर उन्हें नैतिक हिम्मत दी जाए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में फिर इस साल वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। समूचा मध्य प्रदेश अकाल की चपेट में, वर्षा न होने के कारण, आ गया है, वहां अकाल की स्थिति शुरू हो गयी है। अभी तक ऐसा होता था कि जब

अकाल पड़ता था तो अनाज की कमी होती थी लेकिन इस साल जो भयंकर अकाल पड़ा है, उसमें पीने के पानी की भयंकर कमी हो गयी है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 35 जिले ऐसे हैं, जो अकाल की चपेट में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज ही डिस्कशन कर रहे हैं, अकाल पर।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : वह तो ठीक है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आज वहां पीने का पानी का अकाल है, दूसरी तरफ बिजली का अकाल है। इस तरह हमारे यहां तीन प्रकार का अकाल इस बार पड़ रहा है—एक तो अनाज की कमी, दूसरे बिजली की कमी और तीसरे पीने के पानी का अभाव। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार जल्द से जल्द वहां आवश्यक व्यवस्था और राहत के लिए केन्द्रीय टीम भेजे—एक टीम छत्तीसगढ़ में जाए, दूसरी टीम महाकौशल क्षेत्र में जाये, तीसरी टीम विन्ध्य प्रदेश में जाए और चौथी टीम मध्य-भारत में जाए। इस तरह से चार टीमें भेज कर जल्द से जल्द स्थिति का पता कराया जाए और राहत उपलब्ध करायी जाए।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, गुजरात का मामला बहुत गम्भीर है, गुजरात के जरिये अब शस्त्रों की सप्लाई आतंकवादियों को की जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, अभी हम यहां एक-दो सवालों पर इतना अधिक फंसे हुए थे कि देश की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके। गुजरात में जो आधुनिक किस्म के हथियार, एके—47 राईफलें आदि का भंडार एक ही जगह पर इतनी मात्रा में पकड़ा जाना, वह भी हमारे आरक्षी बलों द्वारा नहीं, बल्कि एक अभियुक्त ने जब उनको कहा, उस आधार पर वह भण्डार पकड़ा गया, इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का देश में कत्ले-आम न हो, यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके सरकार से इस पर वक्तव्य दिलवाइये ताकि सारे सदन को विश्वास में लिया जा सके क्योंकि यह मामला किसी एक दल का नहीं है, बल्कि दलों से ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि मामला काफी गंभीर है, मैं इस बात को माननीय गृह मंत्री के सामने रखूंगा जो तत्काल ही तथ्यपरक बयान देंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके सम्बन्ध में एक समस्या उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर के थाने कांठ के ग्राम जमौर में पहली जुलाई को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी थी। उस गांव के एक अनुसूचित जाति के लड़के ने उस मूर्ति को दो-

तीन दिन पहले लाकर गांव में अपने घर के सामने एक खाली स्थान पर, जहां उस मूर्ति का शिलान्यास होना था, वहां रख दिया। मान्यवर पहली जुलाई से पूर्व और 30 जून की रात्रि में उस मूर्ति को उस गांव के सवर्णों ने तोड़कर खंड-खंड कर दिया। जब वहां के दलितों ने उस मूर्ति को तोड़ने से बचाने की कोशिश की तो, वहां पर सवर्णों ने गोलियां चलाई जिसके कारण वहां दर्जनों लोग घायल हो गए और ईश्वर प्रसाद के नाम का व्यक्ति मारा गया। मान्यवर मैंने स्वयं वहां जाकर देखा, वहां की पुलिस और प्रशासन ने सिर्फ दो आदमियों की नामजद रिपोर्ट लिखकर उनको कोर्ट में पेश कर के ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली।

मान्यवर मध्य उत्तर प्रदेश में आज हालत यह है कि उस गांव के दलित चाहते हैं कि उस गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना हो, लेकिन वर्तमान सरकार और प्रशासन उन अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहा है और वहां पर आतंक छाया हुआ है तथा हरिजनों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुर कायस्थ (सिल्चर) : महोदय, 1980-81 से भारतीय खाद्य निगम के राम नगर डिपो से परिवहन क्षति के नाम पर अधिकतर वर्षों में 5 से 7 प्रतिशत तक तथा कुछ वर्षों में 10% तक की भी भारी क्षति हुई थी। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह सब अनाज चोरी हो गया था। डिपो के या अन्य जगहों के अधिकारियों को इसमें गुप्त रूप से सहयोग करने को मजबूर किया गया तथा जिन्होंने ऐसा करने से मना किया उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इस माफिया अपराध के पीछे सिल्चर के पूर्व सांसद का होना बताया जाता है जो वर्तमान मंत्रिमडल के एक मंत्री के विश्वस्त भी हैं।

1980-81 से 1990-91 की अवधि में 15.65 करोड़ रुपए की कीमत के चावल तथा गेहूं 'परिवहन क्षति' के तौर पर दिखाया गया था। यह घोटाला श्री एन० आर० घोष के जिला प्रबंधक का कार्य भार संभालने के बाद प्रकाश में आया। परिणामस्वरूप उनको घातक परिणाम भुगतने की धमकी दी गई जिसमें असफल होने पर माफिया ने उन्हें रिश्वत देकर खरीदने का प्रयत्न किया। वह प्रयास भी व्यर्थ साबित हुआ। फिर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में श्री घोष का स्थानांतरण करने के लिए सिल्चर के पूर्व सांसद की ओर से 10 लाख का प्रस्ताव दिया गया।

सूत्रों का आरोप है कि इस घोटाले में एक केन्द्रीय मंत्री को भी लाभ पहुंचा है हालांकि मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अपने लिप्त होने की बात से इंकार किया। भारतीय खाद्य निगम की पहल पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। घोटाले की जांच करने वाले एक सी० बी० आई० अधिकारी का कहना है "शक्तिशाली व्यक्ति तथा उनके संरक्षक सब सिल्चर के हैं।"

यह सत्य है कि सरकार तथा सी० बी० आई० को सफलता मिलना आसान नहीं होगा जबकि ऊच्च राजनीतिक हस्तियों का इसे संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही न करने से उत्तर-पूर्व में भारतीय खाद्य निगम के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा केन्द्र पर सारा दोष थोपा जाएगा। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।

डा० असीम बाला (नबद्वीप) : महोदय, हमारे देश में विशेषत: पूर्वी रेलवे में मजदूरों को

परेशानी उठानी पड़ रही है। आप जानते ही हैं कि विशेषतः आजकल के बुरे दिनों में रोजगार नहीं हैं तथा लोग बेरोजगार हैं लोग रेलों में फेरी लगाना प्रारम्भ कर देते हैं। स्टेशन तथा कम्पार्टमेंट बुरी हालत में हैं किंतु रेलवे अधिकारी बहुत कठोर हैं वे कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं चाहे मांग रेलवे स्टेशनों और रेलों में लाइसेंस की अनुमति की ही क्यों न हो, इसलिए यह मेरी मांग है तथा निवेदन है कि रेलवे अधिकारियों को लाइसेंस के रूप में अनुमति देनी चाहिए। जिससे लाखों लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिलेगा। मैं इस मांग के लिए रेलवे अधिकारियों तथा सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैंने सदन में बार-बार उल्लेख किया है कि मैं उड़ीसा के अत्यन्त पिछड़े जिले फूलबनी से आया हूं। मेरे जिले में यह एक दीर्घकालीन मांग रही है कि फूलबनी तथा सोनपुर में टी० वी० रिले केन्द्र खोला जाए। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण एंटीना प्रणाली इत्यादि जैसी तकनीक को अपनाने की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। उन सुविधाओं की समाप्ति के तुरन्त बाद से मेरे क्षेत्र के लोग अत्यधिक दुखी हैं क्योंकि मेरा जिला आर्थिक तथा शैक्षणिक दोनों रूप से पिछड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप संबंधित मंत्री को उन सुविधाओं को शीघ्र प्रदान करने के निर्देश देंगे।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान त्रिपुरा में आदिवासियों द्वारा भुखमरी का सामना करने की प्रमुख समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले भी सभा में यह प्रश्न बार-बार उठाया गया था किन्तु इन लोगों का जीवन बचाने के लिए अब तक कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। वी लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। 500 से अधिक लोगों भी पहले ही मृत्यु हुई है लेकिन सरकार खाद्य, दवाईयों या विकास कार्यों के रूप में कोई सहायता नहीं कर रही है। विशेषत: उस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इसलिए वो लोग भुखमरी तथा भुखमरो से संबंधित बीमारियों में शिकार हैं वे मक्खियों की तरह मर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमने देखा है कि इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को राहत देने के लिए मानवीय कदम उठाने के बदले वहां भी मिली-जुली सरकार दूसरे कठोर कदम उठा रहीं है। जो अमानवीय हैं। जब ये आदिवासी भुखमरी से तड़प रहे हैं उनके विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत-सी आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है उनमें से कुछ महिलाओं की हत्या की गई। पूरे राज्य में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू किया गया तथा निर्दोष आदिवासी युवकों को जो हिरासत में हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। तथा बुरी तरह यातनाएं दी जा रही हैं। साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है। कि आदिवासी क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। इन सब बातों से पता चलता है कि त्रिपुरा की मिली जुली सरकार आदिवासी लोगों के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध छेड़ने जा रही है। आदिवासी लोगों के अधिकारों के समर्थन में खड़े होने बजाए वे उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा उनसे इस क्षेत्र से निकाल बाहर करने की भी मांग की गई है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह आदिवासी लोगों की सहायता करे तथा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम तथा दूसरे दमनकारी कदमों को वापस लेने के उपाय उठाए। अगर उन्हें राहत दी जाती है तो लोकतंत्र रहेगा, राज्य में आदिवासी तथा गैर आदिवासी लोगों में एकता बनी रहेगी। मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से इस संबंध में कुछ कदम उठाने का निवेदन करता हूं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सदस्य ने अपशब्दों का प्रयोग किया है। मैं उनसे कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन तथ्यों का पता लगाए। त्रिपुरा में किसी बीमारी के कारण कुछ मौतें हुई थीं। जब यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो त्रिपुरा सरकार ने कुछ कार्यवाही की। जब यह मामला सदन में उठाया गया था तब प्रधानमंत्री ने मुझे उस क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। मैंने सूदूर क्षेत्रों का हेलीकोप्टर से दौरा किया। मैंने उन्हें चिकित्सा सहायता दिलवाने के लिए सुधारक कदम उठाए। मैंने लौटकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी। तब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वहां दौरा करने तथा वहां फैल रही बीमारियों का पता लगाने के लिए एक दल भेजा। भारत सरकार ने राज्य सरकार को 125 लाख रुपए की दवाइयां दीं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने इन लोगों को 84 लाख रुपए विवेक निधि से आवंटित किए। ऐसी बीमारियों की पुनर्रावृक्ति रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

ऐसा आरोप लगाया गया है कि ये मौतें भुखमरी से हुई हैं। ये मौतें भुखमरी से नहीं हुई हैं। ये किसी बीमारी की वजह से हुई हैं। दुर्भाग्य से त्रिपुरा सरकार पर कुछ लांछन लगाया जा रहा है तथा मैं इसका कड़ा विरोध करता हू। यदि आप अब भी बहस या इस तरह का और कुछ चाहते है। निर्णय आपको करना है लेकिन मैं कहना चाहता हू कि त्रिपुरा में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है। बीमारी से हुई मौत को राजनीतिक रूप से भुखमरी से मौत का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। यह वांछनीय नहीं है।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम के बदरपुर-भैरवी सेक्शन में मुख्य रूप से हैलाकंडी जिले में रेल सेवा कतई समयानुसार नहीं चल रही है। पुराना घिसापिटा भाप का इंजन पुराने कोचों के साथ अवर्धित मीटर गेज लाइन पर प्रति घण्टे 15 से 20 किलोमीटर की गति से चलता है। इस सेक्शन में 24 घण्टों में मात्र दो गाड़ियां चलती है वो भी बहुत अधिक अनियमित रूप से चलती हैं। इसलिए वहां लोग यह कहने लगे हैं। "इस तरह की सेवा से मच्छा तो सेवा विहीन होना अच्छा है।" पूरी बराक घाटी में रेल सेवा में किंचित मात्र भी सुधार नहीं हुआ है। बदरपुर-भैरवी सेक्शन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

इसलिए मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को देखें तथा बराक घाटी विशेषतः बदरपुर-भैरवी सेक्शन में सेल सेवा में सुधार करने के लिए उत्तर सीमांत क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दें।

12.57 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल में वर्षाकाल अर्थात् जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर के महीने जनसाधारण के दैनिक कार्यकलाप के लिए कठिन समय माना जाता है। इस समय आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। देश में केरल कीं मात्र ऐसा राज्य है, जहां राशन प्रणाली है। निश्चय ही केरल में चावल का उत्पादन कम होता है, वर्तमान में केरल को 1,50,000 मीट्रिक टन चावल प्रतिमाह आवंटित किया जाता है। केरल को राष्ट्रीय उत्सव सितंबर में आता है केरल के सभी लोग ओणम को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आवश्यक वस्तुजों के दाम इस अवधि में खुले बाजार में चढ़ जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखकर इस उत्सव के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्रभावकारी

उपाय किए जाने चाहिए। पहले की तरह, राज्य सरकार को विशेष चावल प्रति राशन कार्ड 5 रु० प्रति किलो की दर से देना पड़ेगा। राज्य में 50 लाख राशन कार्ड हैं तथा राज्य में एक माह में 25,000 मीट्रिक टन विशेष चावल की आवश्यकता होती है।

1 00 म० प०

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस राज्य के लिए चावल के आवंटन को जुलाई 1992 से अक्तूबर 1992 तक चार मास की अवधि के लिए 1,50,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,65,000 मीट्रिक टन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करें तथा अगस्त-सितंबर, 1992 के दौरान पड़ने वाले ओणम के लिए चावल की विशेष कोटा 25,000 मीट्रिक टन आवंटित करें। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य के लोग चावल खाने के आदी हैं और विशेषतः मानसून के समय केरल में कच्चे चावल खाने के कारण कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए मैं अपनी सरकार की ओर से निवेदन करता हूं कि हमारे लिए आंध्र के उबले चावल का पूरा कोटा आवंटित करने की व्यवस्था की जाय।

गेहूं का जहां तक संबंध है, राज्य वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मास में 1,73,113 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया जाना चाहिए जबकि वास्तव में केवल 30,000 मीट्रिक टन आवटित किया जाता है। गत कुछ मासों के दौरान इस 30,000 मीट्रिक टन के न्यूनतम आवंटन को भी घटाकर 15,000 अथवा 18,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 10,000 मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन मैदा और सूजी के उत्पादन हेतु आटा मिलों को भी किया जाना है। हमारे यहां के लोगों की कठिनाइयों पर, विशेषतः जुलाई, 1992 से अक्तूबर 1992 के चार कठिनाई युक्त महीनों के दौरान के समय के बारे में विचार करते हुए हमारे राज्य के लिए गेहूं का केन्द्रीय आबंटन 30,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन करने की कृपा करें।

चीनी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केरल में ओणम जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य को 5,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी आबंटित की जाए ताकि प्रति कार्डधारी व्यक्ति को ओणम के लिए एक किलो विशेष चीनी वितरित की जा सके।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय एक महीने में प्रति व्यक्ति 450 ग्राम चीनी वितरित की जाती है इससे प्रत्येक स्तर पर काफी कठिनाइयां आती हैं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इसको बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 500 ग्राम कर दिया जाए। चीनी की वास्तविक मांग 12,038 मीट्रिक टन है।

मैं एक बार फिर भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में ये खाद्यान्न आबंटित किए जाएं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मान्यवर कुछ दिन पूर्व किसी राष्ट्रीय दैनिक में एक बहुत बुरी खबर छपी थी रिपोर्ट में कहा गया था कि सांसदों की गतिविधियों पर आसूचना ब्यूरो के चार अधिकारियों द्वारा संसद भवन परिसर में ही निगरानी रखी जा रही है; रिपोर्ट के अनुसार संसद कार्यालय से सम्बद्ध वाच एण्ड वार्ड में कार्यरत एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि आसूचना ब्यूरो के चार अधिकारियों को पास निर्गत किए गए हैं।

यदि यह सत्य है कि सांसदों और विधायकों पर इस प्रकार की निगरानी रखी जा रही है तो यह अत्यंत खतरनाक और आपत्तिजनक है। यह संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का सीधा हनन है।···(**व्यवधान**)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मान्यवर, यह अत्यन्त गंभीर मामला है।···(**व्यवधान**)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : श्रीमन्, यह अत्यन्त गंभीर मामला है। यह सांसदों के अधिकारों का हनन है। आपको सांसदों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को अध्यक्ष के नोटिस में ले आए हैं।

(**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। इससे सांसदों के विशेषाधिकार का हनन होता है। यह सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। सभा को आसूचना ब्यूरो की निगरानी में नहीं रखा जा सकता है। हमें आसूचना की निगरानी में नहीं रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : निःसंदेह, सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। वास्तव में, यह महत्वपूर्ण मामला है। चूंकि, पूरा सदन माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए अच्छा यह होगा कि इस मामले को माननीय अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाए और उनके साथ चर्चा की जाए ताकि वे इस बारे में प्रभावी कदम उठा सकें।

श्री गुमानमल लोढा : यह उल्लंघन गृह तन्त्री द्वारा किया गया है। यदि आसूचना ब्यूरो के अधिकारी निगरानी रखने के लिए यहां आते हैं, तो गृह मन्त्री द्वारा किया गया उल्लंघन है क्योंकि यह विभाग गृह मन्त्री का है।

श्रीमन्, वे लोग बिना अनुमति आए हैं, इसलिए इन्हें अवश्य बरखास्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुखोणध्याय जी, मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे रहे हैं

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह बात बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि संसद भवन का परिसर अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार किसी भी अधिकारी को इस परिसर में घुसने की अनुमति नहीं देती है क्योंकि यह परिसर अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अध्यक्ष की अनुमति से ही यहां पर कोई आ सकता है इसलिए यह बात अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लायी जानी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : आंध्र प्रदेश में खमाम जिला के मनुगुरु में एक गुरुजल संयम का कारखाना है। उस क्षेत्र के दो मन्त्री हैं। विगत 13 दिनों से वहां के कामगार हड़ताल पर हैं। वहां पर गैस रिसने की सभावना है। और यदि गैस रिसी है तो दूसरी भोपाल गैस त्रासदी की पुनरावृत्ति होगी। जिले के आस-पास के गांवों पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं।

माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यहां पर मौजूद हैं, और यह प्रधान मन्त्री के विभाग के अधीन भी है। मैं प्रधान मन्त्री और संबद्ध मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले

में अविलम्ब हस्तक्षेप करें और मामले की छानबीन करें जिससे कि भोपाल गैस त्रासदी जैसी अन्य त्रासदी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जब आप मन्त्री के ध्यान में कोई महत्वपूर्ण मामला लाते हैं तो उसको विस्तारपूर्वक कहना आवश्यक नहीं। किसी को दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि हर कोई अपनी बात एक या दो मिनटों में कह ले तो चर्चा में कई सदस्य भाग ले सकते हैं। जो शुरू में बोलते हैं वे दूसरों का समय ले लेते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

दत्तात्रेय जी, आप इसको तीसरी बार कह रहे हैं। इसे बार-बार दोहरायें नहीं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम दोनों साथ बैठेंगे और मुझे विश्वास है कि समस्या का समाधान निकल आएगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा घोषित एक रैंक-एक-पेंशन योजना की विभिन्न खामियों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह योजना अभी लागू भी नहीं हो पायी है कि भूतपूर्व सैनिकों में इसके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों का शून्यकाल के दौरान यह कर्त्तव्य है कि महत्वपूर्ण मामलों को सरकार के ध्यान में लाएं किंतु सरकार से उसी वक्त उत्तर की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि और दूसरे सदस्य भी इसमें भाग लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना का प्रभाव कुछ ही सैनिकों पर पड़ा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं—एक, बारह लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों में से चार लाख को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। यह स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। दो, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तीन, जो भूतपूर्व सैनिक दो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी इस योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 20 हजार से अधिक है तथा इनमें से 90 प्रतिशत भूतपूर्व सिपाही सैनिक के रैंक के हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : खंडूरी जी, इस मामले का उल्लेख नियम 377 के अन्तर्गत किया गया है। शून्य काल का समय एक विशेष काल है जिसमें आपको जो कहना है उसे एक या दो मिनट में कहना है। इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : मान्यवर, मैं इसे पढ़ रहा हूं, कहीं कुछ रह न जाए।

[हिन्दी]

इस योजना से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के सम्बन्ध में भी इस योजना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय, रक्षा मंत्री जी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि इस योजना को लागू करने में अभी काफी खामियां हैं। मेरा आग्रह है कि उपरोक्त प्रकार की सभी विसंगतियों को दूर करते हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना का लाभ दिया जाए। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी आग्रह है कि इस योजना के कार्यान्वयन में सैनिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी तत्सम्बन्धी इस समिति में रखा जाए।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : सहकारिता निकायों के चुनाव कराने में तमिलनाडु में बरती जा रही अनियमितताओं को मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। उदाहरण के लिये, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चोक्कापुडूर नाम का एक गांव है जिसमें 2,047 सदस्यों वाली सहकारी समिति है। स्थानीय अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम् के विधायक ने एक ही बार में 1047 सदस्यों का नामांकन करा दिया। इससे उन्होंने अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों को सदस्यता न देने को भी सुनिश्चित कर दिया। इस तरह की अनियमिता तमिलनाडु में बहुत हो रही है। अतः मैं सरकार का ध्यान सहकारिता समितियों में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, मैं एक विशिष्ट समिति का सदस्य हूं और मुझे पता चला है कि समिति के रजिस्टरों में से मेरा नाम हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा मेरे जैसे सदस्य के साथ किया जा रहा है जोकि इस सदन में जनता का प्रतिनिधि है और समिति का एक निर्वाचित पदधारी (सदस्य) है। और वास्तविक कृषकों, किसानों और दूध विक्रेताओं को हटाया जा रहा है जोकि यहां लगभग 25 वर्षों से रह रहे हैं और जो लोग इस क्षेत्र के नहीं हैं उन्हें पहले से इसका सदस्य बनाया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन अनियमितताओं की जांच कराई जाए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार न्यायपालिका का बड़ा सम्मान कर रही है। अभी तीन-चार दिन पहले बाम्बे हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जो महाराष्ट्र की सरकार ने वहां पर करोड़ों रुपए का प्लाट्स का स्कैंडल किया है और उस स्कैंडल के बारे में हाई कोर्ट के निर्णय में टिप्पणी की गई है कि महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने अनियमितताएं की और बड़े-बड़े अधिकारी उस सोसायटी में शामिल थे, जिस सोसायटी को वह बहुमूल्य जमीन दी गई है वह कोड़ियों के भाव दी गई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो उस समय के मुख्य मन्त्री और दूसरे लोग जिम्मेदार थे, जिनके भ्रष्टाचार के कारण वह जमीन कोड़ियों के भाव दी गई, न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उल्बेरिया) : मैं सभा का ध्यान पटसन उद्योग की विशेष रूप से

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पश्चिम बंगाल में निरंतर चली आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस उद्योग को जीवित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय नियमित रूप से प्रति माह लगभग 50,000 पटसन की गांठें खरीदेगा। परन्तु इस विभाग को बंद करने के सरकार के निर्णय के कारण इसने पटसन के बोरों की खरीद बंद कर दी। भारतीय खाद्य निगम ने भी 5,000 टन बोरों की खरीद कम कर दी है।

पैंकिग के लिए बोरों का अनिवार्य प्रयोग वर्ष 1987 में संसद के अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था लेकिन मात्र इस अधिनियम का ही उल्लंघन नहीं किया गया है अपितु सीमेंट, उर्वरक, चीनी जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मदों को भी सिंथेटिक बैगों में पैक किया जा रहा है। इससे पटसन उद्योग और इसमें कार्यरत व्यक्तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल में क्रयादेयों में कमी आने के कारण अधिकांश पटसन मिलें बंद हो गई हैं। 70 प्रतिशत जूट करघे एवं 10 प्रतिशत टाट करघे बंद कर दिए गए हैं। लगभग 50,000 बादली श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मंगलभाई, न्यू और नार्थ जूट मिलें तथा डेल्टा जूट मिलें और अन्य कई मिलों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

यदि केन्द्र सरकार सिन्थेटिक बेगों के इस्तेमाल को कड़ाई से बंद नहीं करवाती और पटसन के बोरों की खरीद पर जोर नहीं देती तो बहुत सी पटसन मिलें बंद हो जायेंगी। मात्र ऐसा करने से पटसन उद्योग को जीवित रखा जा सकता है।

केन्द्र सरकार को तुरन्त इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तथा इसे बंद होने से रोकने हेतु अनुचित उपाय करने चाहियें।

मैंरा सरकार से अनुरोध है कि वह सभी सरकारी विभागों और नियमों को पैकिंग हेतु बोरों का इस्तेमाल करने को कहे तथा जूट पैकेजिंग अधिनियम, 1987 का अनिवार्य प्रयोग कड़ाई से लागू करे।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा पैंकिग हेतु सिंथेटिक बोरों के प्रयोग एवं सिन्थेटिक गेन्यूल्स के आयात को बंद करे, और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पटसन मिल बंद न हो किसी भी श्रमिक की छटनी न हो तथा सभी नैमेत्रिक श्रमिकों को उनका रोजगार वापिस दिलाया जाए।

महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि बी० आई० एफ० आर० की सिफारियों को भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोनाड़िया पटसन मिल को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है, उन्होंने वित्तीय संस्थानों से एक महीने के भीतर मिल को धन मुहैया कराने के लिए कहा है। परन्तु 16 महीनों का समय बीत चुका है। वित्तीय संथान झगड़ रहे हैं और पटसन मिलों की मदद नहीं कर रहे हैं। पटसन मिलों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पटसन श्रमिक गंभीर संकट में हैं। पटसन हमारे देश के लिये काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है और इस प्रकार सिंथेटिक बैगस उत्पादकों की मिली-भगत से इस उद्योग को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार इन मांगों को पूरा करे और पटसन उद्योग को बचाए। कपड़ा मंत्री को इस संबंध में सभा में तुरन्त वक्तव्य देना चाहिये।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी प्रकार की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र के पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण व्याप्त है और जिसके कारण वाणिज्य और उद्योग सम्बन्धी विकास रुक गया है तथा श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों विशेषत: लुधियाना, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित उद्योग इससे अत्यधिक प्रभावित हैं तथा क्षमिकों का संरक्षण करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकार अधिक रियायतें देने को कहे और यह भी सुनिश्चित करे कि इस कारण से किसी भी उद्योग को बंद न होना पड़े।

सरकार को अन्य वित्तीय और औद्योगिक मसलों के अतिरिक्त ऋण तथा ब्याज की अदायगी की स्थिति पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार वित्तीय संस्थानों को इस आशय के निर्देश जारी करे कि इन क्षेत्रों के उद्योगों को विशेष मामले के रूप में लेकर अलग से पूरी-पूरी मदद करें।

यह भी अनुरोध है कि छोटे उद्योगों की देखभाल करने के लिए सरकार एक समिति का गठन करे और वह समिति तुरंत सम्पूर्ण मामले की जांच करवा सकती है तथा इन औद्योगिक एककों को वर्तमान असामान्य और मुश्किल हालातों से उबारने हेतु रियायती पैकेजों का सुझाव दे सकती है।

इसकी शीघ्र एवं अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, पंजाब और कश्मीर पूर्व में पहले शांति थी। लेकिन अब विशेष रूप से पंजाब के आतंकवादियों के उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में आ जाने से, वहां औद्योगिक विकास असम्भव हो गया है। अत: सरकार को इन पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंततः मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : और मैं भी आपका धन्यवाद करूंगा यदि आप समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री बी बल्लभ पाणिग्रही : महोदय, उड़ीसा में एक गम्भीर एवं विक्षुब्ध करने वाली घटना हुई है। उड़ीसा लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 1970, जिसे 1971 में राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जार करके उड़ीसा सरकार द्वारा इसे अचानक निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि आपको ज्ञात है पिछली 15 तारीख को—यह बात ध्यान देने योग्य है—राज्य विधान सभा के भंग होने से दो दिन पूर्व राज्य विधान सभा की बैठक 11 और 13 जुलाई को हुई थी। राज्य विधान सभा के भंग होने के दो दिन के भीतर ही अध्यादेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम को निरस्त किया गया था।

लोकपाल के समक्ष 11 भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लम्बित हैं, जिनमें तीन कैबिनेट मन्त्री भी शामिल हैं और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी प्रकार के गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोप लम्बित हैं। सम्पूर्ण राजनैतिक नेतृत्वता एवं जो लोग सत्ता में हैं, लोकपाल के कर्त्तव्य निर्वहन के निष्पक्ष तरीके से परेशान थे। अधिनियम को इस प्रकार निरस्त करना अनैतिकता और

अलोकतांत्रिक है। मैं समझता हूं कि चूंकि यह संवर्ती सूची का विषय है इसलिए इसे भारत सरकार के पास भेजे बिना ही राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाए।

राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इस अधिनियम को निरस्त करना असंवैधानिक और अवैध है। इस प्रकार यह बड़ा नापाक इरादा है। मेरा भारत सरकार विशेषतः संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री से, जो यहां उपस्थित हैं, अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें। उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में संवैधानिक औचित्य और लोकतांत्रिक सिद्धांत बने रहें। **(व्यवधान)** यह एक गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : यह गम्भीर मामला है। लोकपाल की संस्था बहुत महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह बड़ा गंभीर मामला है। मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्यों ने जो मामला उठाया वह गम्भीर है। मैं संबंधित मन्त्री से इसकी जांच करने और सूचना प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से कहूंगा। तत्पश्चात हम यह पता करेंगे कि क्या यह संवैधानिक अनौचित्य है अथवा अवैधता है या जो कुछ भी है हम उन्हें सूचित करते रहेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं सरकार का ध्यान इस प्राप्त सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कर्नाटक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों से वापस जाने के लिए कहा गया है। मंत्री महोदया, श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने, जो प्रशासनिक सुधारों की प्रभारी भी हैं, एक व्यक्तव्य दिया है। उन्होंने बताया है कि अनेक अधिकारियों ने वापस चले जाने के लिए कहा है। प्रशासनिक तंत्र चरमरा गया है। विकास कार्य रुक गए हैं। इसका एक कारण है। तत्कालीन मुख्य सचिव* जो......थे।

उपाध्यक्ष महोदय : धनंजय कुमार जी, कृपया आप नाम मत लीजिए। संक्षेप में अपनी बात कहिए। 1.20 म० प० पहले ही हो चुके हैं। यदि आपको अवसर नहीं दिया जाता है, तो आप व्यग्र हो जाते हैं और यदि आपको अवसर मिल जाता है तो आप व्यग्र नहीं होते हैं। यह उचित बात नहीं है। आपको सीमाएं जाननी चाहिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। पहले तत्कालीन मुख्य सचिव का स्थानान्तरण किया गया और तत्पश्चात् उन्हें निलम्बित कर दिया गया। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनकी दलील सुनी और कर्नाटक सरकार को उन्हें मुख्य सचिव के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने निर्देश दिया था, परन्तु इसका पालन नहीं किया गया। उन्हें यथावत सेवानिवृत्त कर दिया गया। उसके बाद नए व्यक्ति की नियुक्ति की गई। नए अधिकारी के सेवानिवृत्त होने में ठीक दो महीने का समय था। परन्तु इन दो महीनों से पहले उससे छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया। विधि सचिव के सेवानिवृत्त होने में दो महीने थे। **(व्यवधान)** यह कर्नाटक का मामला है। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तैनात करना राज्य का मामला है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : वे वापस जाने के लिए कह रहे हैं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे दिल्ली वापस आना चाहते हैं ।

श्री वी० धनंजय कुमार : ईमानदार अधिकारियों को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जाता है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि प्रशासन चरमरा रहा है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : विधि सचिव का दो महीने का समय रह गया था और उनसे छुट्टी पर चले जाने के लिए कह दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से किस प्रकार के उत्तर की आशा करते हैं ?

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं उस बात का भी उल्लेख करूंगा । **(व्यवधान)** मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय श्री रंगराजन कुमारमंगलम को इसके बारे में पता है अथवा नहीं । हाल ही में मुख्य मन्त्री, श्री बंगारप्पा दिल्ली आए थे और प्रधान मन्त्री ने उनसे पूछा था···* इसे समाचार पत्र में बॉक्स में छापा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । श्री धनंजय कुमार आप यह बताइए कि केन्द्रीय सनकार क्या करे । इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा···

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे 101 मामले हैं । आप कहते हैं कि कर्नाटक का प्रशासन चरमरा गया है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं । ऐसा मुख्य मन्त्री के, जो अभी विश्वव्यापी दौरे पर हैं, सनकी रवैये के कारण हो सकता है । मैं नहीं जानता ।

उपाध्यक्ष महोदय : धनंजय कुमार जी, आप अप्रसांगिक बातें कह रहे हैं ।

श्री वी० धनंजय कुमार : जिस व्यक्ति से राज्य के प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी होने की अपेक्षा की जाती है, वह बिना किसी उचित प्रबन्ध के विश्व-व्यापी दौरे पर चला जाता है । **(व्यवधान)** कर्नाटक के शिक्षा मन्त्री ने हाल ही में बयान दिया है कि*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । श्री धनंजय कुमार आप अप्रसांगिक बातें कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि कर्नाटक का प्रशासन चरमरा रहा है । इतना ही पर्याप्त है । आपको इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा मन्त्री ने क्या कहा

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

है। यह गलत बात है। आखिरकार आपको नियमों और विनियमों की सीमाओं के अन्दर कार्य करना है।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मन्त्री महोदय, श्री कुमार मंगलम यहां मौजूद हैं। मंत्री महोदया, श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने वक्तव्य दिया है कि जहां वरिष्ठ अधिकारियों से वापस चले जाने को कहा जा रहा है, वहां गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा है कि कर्नाटक में प्रशासन चरमरा रहा है। आपने बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया है कि इस बात को केन्द्रीय सरकार के नोटिस में लाये।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : जब कर्नाटक सरकार असफल हो गई है तो हमारी सहायता के लिए केन्द्र सरकार को आना पड़ेगा। केवल केन्द्र सरकार ही कर्नाटक को बचा सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की जनता को बचाने के लिए और कौन आएगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। आप काफी हद तक इस मामले को सरकार के नोटिस में लाए हैं।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं इस बात की मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री अपना दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट करें कि क्या वह कर्नाटक को बचाना चाहते हैं अथवा नहीं। (व्यवधान)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, कर्नाटक के हितों की देखभाल करने के लिए कर्नाटक के और भी सदस्य तथा कैबिनेट मन्त्री हैं। (व्यवधान) वह मुख्य मन्त्री के विरुद्ध ऐसे व्यर्थ के आरोप लगा रहे है। यह सही बात नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, यदि मैं सभा को एक बजे स्थगित कर देता तो अनेक सदस्यों में असंतोष पैदा हो जाता। आप 3-4 दिनों तक भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब मैं निर्धारित से थोड़ा-सा हटकर सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं तो आपको इसका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी इसे गलत नहीं समझना चाहिए। यदि अवसर दिया जाता है तो सदस्य बोलते चले जाते हैं। जैसे ही 12.00 बजे प्रश्न काल समाप्त हुआ, वैसे ही ठीक एक बजे अगला विषय शुरू किया जा सकता था। आपको अपनी सीमाएं जाननी चाहिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अपना वाक्य पूरा हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसी तरह बहुत समय तक बोलने वाले सदस्य कई बार बोलने का अवसर चूक जायेंगे और कम समय में अपनी बात कहने वालों को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे यह नहीं पता कि मुख्य मन्त्री उन्हें पसन्द हैं या नहीं।

श्री वी० धनंजय कुमार : आपकी पसन्द मायने रखती है। मेरी पसन्द का ध्यान नहीं रखा गया है। एक भ्रष्ट अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है, जिसके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। उसके खिलाफ आरोप लंबित पड़े हैं। (व्यवधान) यह मेरी नहीं, बल्कि भारत सरकार और माननीय प्रधान मन्त्री की पसन्द है। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि क्या वे कर्नाटक की स्थिति में सुधार करने जा रहे हैं या नहीं और क्या वे कर्नाटक की सहायता करेंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें। आपने इस मुद्दे पर काफी बहस कर ली है।

अब श्री वी० एस० विजयराघवन

(व्यवधान)*

** **श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। पालघाट जिले में किसाकंचेरी पंचायत में 5 जुलाई को एक भीषण भूस्खलन हुआ था। कुल 70 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। पालाक्कुज्जली, टेंडिलस और आटंकालकुंड में 3 किलोमीटर के व्यास में 12 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे भारी क्षति हुई है। 7 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 22 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। 30 से भी अधिक परिवारों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया। कृषि विभाग में अनुमान लगाया है कि 150 हेक्टेयर में विभिन्न फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन फसलों में केला, धान, नारियल, रबड़, अदरक और इलायची शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पुल और पुलियायें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूस्खलन के कारण यह क्षेत्र अलग-थलग पड़ गया था। इससे प्रभावित लोगों की तुरन्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि तुरन्त केन्द्रीय सहायता भेजी जाए और मौके पर जाकर वस्तु-स्थिति का पता लगाने के लिए वहां पर एक अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रम गंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मन्त्री का ध्यान गया और बनारस के बीच चल रही गाड़ियों की अनियमितताओं की ओर खींचना चाहता हूं। जो यात्री गाड़ी गया और बनारस के बीच चलती हैं, कभी समय पर नहीं पहुंचतीं हैं। बहुत दिनों से दो सवारी गाड़ियां चलती हैं, फलस्वरूप यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए गया-बनारस के बीच एक इलेक्ट्रिक मोटिव यूनिट जैसे कयोल और बनारस के बीच चलती है, उसी तरह से एक गाड़ी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

चले ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। दोनों धार्मिक स्थान हैं और व्यापारिक महत्व के भी हैं। परन्तु सरकारी गाड़ियों के अभाव से इस क्षेत्र के यात्रियों को काफी परेशानी होती है और वे लाचार होकर ग्रांड ट्रंक रोड से यात्रा करते हैं जो काफी खर्चीली है। अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि गया और बनारस के बीच ई० एम० यू० चलाने की कृपा करें।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष जी, बिहार में रांची शहर की आबादी 9 लाख है। रांची से होकर लोग कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में जाते हैं, परन्तु इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी वहां पर कोई बाईपास नहीं है। हमने बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, केवल आश्वासन ही मिले हैं। अभी तक उस शहर में बाईपास रोड नहीं बनने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इससे अनेकों बार कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। मैं सरकार से चाहूंगा कि यथाशीघ्र रांची में बाईपास रोड बनाने का कष्ट करें।

राज्य सभा से संदेश

1.28 म० प०

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा से प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 16 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992' की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित 'भारतीय पुनर्स्थापन परिषद विधेयक 1992' की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित 'कोयल खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन निधेयक, 1992' की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

1.29 म० प०

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्न विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992।

(2) भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक, 1992 ।

(3) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1992 ।

1.30 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

सत्तरहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय और विज्ञान और प्रोद्योगिकी (इलेक्ट्रानिकी और महासमा विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

1.31 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सम्बलपुर एक्सप्रेस कोउ ड़ीसा में कालाहांडी जिले, में केंसिगा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सुबाष चन्द्र नायक (कालाहांडी) : पश्चिमी उड़ीसा कई रेल सुविधाओं से वंचित है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार ने पिछले 1 जुलाई से हजरत निजामुदीन और सम्बलपुर के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई है । तथापि, जब तक रेलगाड़ी को कसिंगा तक नहीं चलाया जाता तब तक कालाहांडी, बोलनगिर और फूलबनी के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा । यदि इस रेलगाड़ी को केंसिगा तक चलाया जाता है तो बरगट जोकि पश्चिमी उड़ीसा का वाणिज्यिक केन्द्र है और बोलनगीर के तितलगढ़ सहित सम्बलपुर जिले का पूरे क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा । यदि इस रेलगाड़ी द्वारा केंसिगा को सीधे दिल्ली से जोड़ दिया जाता है तो फूलबनी विशेषरूप से वौहृद क्षेत्र के लोगों का काफी फायदा होगा ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि निजामुद्दीन से चलने वाली सम्बलपुर एक्सप्रेस को दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आने वाले उड़ीसा में कालाहांडी जिले के केंसिगा तक चलाया जाए ।

(दो) जालन्धर से प्रकाशित "दैनिक अजीत" के प्रबन्धकों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की घटनाओं की छानबीन किए जाने की आवश्यकता

श्री जगजीत सिंह बार (फरीदकोट) : यह मान्य तथ्य है कि कुछ समाचार पत्र सरकार की आलोचना करते हैं । भारत में लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण के लिए प्रेस की स्वतन्त्रता आवश्यक है । जालन्धर से प्रकाशित होने वाला 'दैनिक अजीत' भी सरकार के खिलाफ लिखता रहा है जिसके कारण पुलिस समाचार पत्र के प्रबन्धकों को परेशान करती रही है और उनके साथ भेदभाव बरतती रही है ।

यहां तक कि जो समाचार यू० एन० आई० और पी० टी० आई० ने दिया है उसे भी इस समाचार पत्र में न छापने पर मजबूर किया जाता है ।

सरकार के खिलाफ समाचार छापने वाले किसी विशेष समाचार पत्र के साथ भेदभाव बरतना दुर्भाग्यपूर्ण है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी समाचार पत्रों के लिए समान नीति सुनिश्चित करे और प्रशासन के विरुद्ध लिखने वाले साहसी समाचार पत्रों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को रोके ।

(तीन) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में और अधिक गैस की एजेन्सियां खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उ० प्र० के जनपद झांसी ललितपुर में ललितपुर क्षेत्र में एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) का संकट व्याप्त है । संकट व्याप्त होने का मुख्य कारण यह है कि झांसी, ललितपुर में होम डिलीवरी की प्रथा तो केवल नियम से चालू है, लेकिन जितनी व्यवस्थित और समय पर होना चाहिए उसका पूरा अभाव है । इस कारण संकट है । मऊरानीपुर, जनपद झांसी में होम डिलीवरी के अन्तर्गत गैस वितरित नहीं की जाती है, जिससे सभी लोगों को कुकिंग गैस प्राप्त नहीं होती है । अतः झांसी, ललितपुर और मऊरानीपुर में होम डिलीवरी के नियम को कठोरतापूर्वक लागू किया जाये । इसके अतिरिक्त झांसी में 15000, ललितपुर में 5000 और मऊरानीपुर में 2500 नये एल० पी० जी० गैस कनेक्शन दिए जाएं जो कि पिछले 10 वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं तथा एजेन्सीज की संख्या में वृद्धि की जाये क्योंकि आबादी के मानक के अनुसार कमी है । इस संकट पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि चिरगांव रानीपुर, बरूआ सामर, गुरसराय तथा ललितपुर जिले में महरौनी ओर तालवेहट में नयी एजेसियां खोली जायें ।

(चार) राजस्थान को गंगा-यमुना से उसके हिस्से के जल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (भरतपुर) : राजस्थान में कई शहरों में एवं कस्बों में पीने के पानी की भयंकर समस्या काफी समय से बनी हुई है । भरतपुर जिले में जमीन के अन्दर का पानी खारा होने के कारण वहां यह समस्या बहुत अधिक बढ़ गयी है ।

राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले में गुडगांवा नहर सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु तैयार करायी गयी थी । इस नहर में गंगा जमुना के पानी का हिस्सा राज्य सरकार को न मिलने के समस्या का उचित समाधान अभी तक नहीं हो पाया है । साथ-साथ उ० प्र० को आगरा नहर से भरतपुर जिले को मिलने वाले पानी की मात्रा सही समय पर न मिलने से डीग कुम्हेर एवं भरतपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या ने भयंकर रूप ले लिया है । कुम्हेर एवं डीग क्षेत्र में तो पीने के पानी की समस्या कभी भी घातक सिद्ध हो सकती है ।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय महत्व के मामले में अति शीघ्र राहत दिलाने में सहयोग करे जिससे यमुना गंगा का पानी का हिस्सा राजस्थान को शीघ्र मिले ।

(पांच) बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजमहल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता

श्री साईमन मरांडी (राजमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार

का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राजमहल, जिला साहिबगंज (बिहार) के गंगा नदी के किनारे पर निवास करने वाले लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राजमहल, साहिबगंज पाकड़ तथा कई प्रखंडों से होकर गंगा नदी भागलपुर की ओर जाती है। इस कारण गंगा नदी के तटीय इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है और अनेक स्थानों पर गंगा नदी में तट पर स्थित भूमि का कटाव तेजी से हो रहा है। बाढ़ के पानी भरने की वजह से अनेक गांवों में भंयकर महामारी फैल रही है और वहां के निवासी बहुत परेशान हैं तथा बाढ़-पीड़ित लोगों को जान-माल के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस क्षेत्र में अभी हाल में दौरे पर गया था तो वहां के निवासियों ने केन्द्र सरकार से निरीक्षणार्थ एक केन्द्रीय टीम भेजकर क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं पर रिपोर्ट मंगाने हेतु अनुरोध किए हैं।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से साग्रह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजमहल में केन्द्रीय टीम भेजकर वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं पर एक रिपोर्ट मांगे तथा शीघ्र गंगा नदी के द्वारा तटवर्तीय भूमि के कटाव पर रोक लगाने, बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक एवं अन्य राहत पहुंचाने तथा मवेशियों के लिए चारे आदि की व्यवस्था कराये तथा इस क्षेत्र में फैल रही महामारियों की रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की कृपा करे।

(छः) बिहार के रोहतास जिले में टिहरी पन-बिजली संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि बिहार राज्य के रोहतास जिला में केन्द्र सरकार द्वारा एक पनबिजली का प्लांट टिहरी में बनाया जा रहा है। उक्त योजना से कुल 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है जिसका निर्माण कार्य 1987 में प्रारम्भ किया गया था। इस प्लांट को मार्च, 1991 में बन जाना था। इस योजना से रोहतास और भभुआ जिलों को बिजली की आपूर्ति होनी है। इन जिलों में बराबर बिजली का संकट बना रहता है किन्तु उक्त योजना अभी तक नहीं बन सकी है। इस देरी के फलस्वरूप काफी धनराशि का अपव्यय हो रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के बिजली मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि जनहित में उक्त योजना को अविलम्ब चालू कराने का आदेश दिया जाए।

(सात) उड़ीसा में तेल संबंधी अन्वेषणात्मक कार्य जारी रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर), महोदय, ऑयल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जिसने भुवनेश्वर में खाड़ी अन्वेषण परियोजना स्थापित करने के साथ पेट्रोलियम का अपतट अन्वेषण जून 1979 में शुरू किया था तब से अपतट और अभितट दोनों प्रकार की अन्वेषक छिद्रण कार्यकलाप किया जाता रहा है और 1988 के मध्य तक कुल 18 कुएं खोदे गए। बाद में, कई अपतट भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए जिसमें देश विदेश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। प्रतिपादित डेटा का पूर्वानुमान अनुकूल निकला तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दो और कुओं का खुदाई कार्यक्रम चालू रखने का निर्णय लिया और उसे अनुमोदनार्थ भारत सरकार के समक्ष रखा किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चार वर्षों तक कोई भी छिद्रण कार्य नहीं किया जा सका

अब, जैसा कि परियोजना के बन्द किए जाने से प्रतीत होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी करने का विचार कर रहा है।

यह सब ऐसे समय में किया जा रहा है जब हमारा देश कच्चे तेल का भारी पैमाने पर आयात कर रहा है और इसलिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने पेट्रोलियम भंडार के संवर्धनार्थ क्रमागत अन्वेषण कार्यकलाप जारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

खासकर ऐसे समय में, जब सर्वेक्षण किए गए अभितट और अपतट क्षेत्रों में भूगर्भीय पूर्वानुमान से हाइडोकार्बन के मौजूद होने का पता चलता है, खाड़ी अन्वेषण परियोजना का बन्द करना देश और उड़ीसा के हित पर निश्चित ही एक प्रहार होगा।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा में अन्वेषण कार्यकलाप जारी रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.48 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.48 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

2.49 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय मैं तेल और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2303/92**]

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) महोदय निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे की प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

2. उपरोक्त (1) में वर्णित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2304/92]

उपाध्यक्ष महोदय : अब संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुझे एक आपत्ति प्रकट करनी है। मैंने इसके लिए एक नोटिस भी दिया है। मैं पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करता हूं क्योंकि जो अधिसूचनाएं यहां दर्शायी गई हैं वे 21 मई, 1992 और 27 मई, 1992 तथा 10 जून 1992 के संबंध में हैं। मैं 21 मई और 27 मई की अधिसूचनाओं का विरोध कर रहा हूं क्योंकि नियमतः और भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 7 जिसके अनुसार इसे सभा पटल पर रखा जा रहा है, उस धारा के अनुसार; अधिसूचना को अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और यदि उस समय सदन का सत्र न चल रहा हो तो उसे यथा शीघ्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। अब चूकि सभा का सत्रारंभ हों चुका है तो उसे पहले, दूसरे या तीसरे दिन रखा जाना चाहिए था। मैं आपका ध्यान कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 572 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, इसके अनुसार :

> "वे नियम, विनियम, आदि जिन अधिसूचनाओं में हों, उन्हें उनके गजिट में प्रकाशन की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा के पटल पर रखना आवश्यक है। यदि लोक सभा का सत्र न हो रहा हो तो उसको यथाशीघ्र सभा पटल पर रखना आवश्यक है, परन्तु किसी भी दशा में अगले सत्र के आरंभ होने के पन्द्रह दिन के भीतर तक सभा पटल पर अवश्य ही रखा जाना चाहिए।"

यहां तक कि 15 दिन बीत चुके हैं और उसे सभा पटल पन नहीं रखा गया है। यह विशेष अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानीय कालों की समय सीमा घटाकर 5 मिनट कर दी गई है। अब तक स्थानीय कॉलों के लिए ऐसी कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। सरकार द्वारा अचानक समय सीमा घटा देने से सरकार को राजस्व प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्हें इसे संसद में लाना चाहिए था और अनुमति लेनी चाहिए थी और तत्पश्चात् ही इसके संशोधित या अस्वीकृति किया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : संसद को एक सप्ताह तक भी नहीं चलने दिया गया था।

श्री राम नाईक : इसको चलाना आपका दायित्व है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आप हर चीज़ को नष्ट करने में इतने व्यस्त थे··· (व्यवधान) प्रत्येक मिनट की लागत 90,000 रुपये आती है, फिर भी आप यही करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : यदि आपने इसे कार्य सूची में 10 या 15 दिन पहले दिखाया होता, मैं

इसे समझ सकता था। किन्तु समय सीमा घटाकर संसद की उपेक्षा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिक विभाग और महःसागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : क्या आप पल भर के लिए चुप रहेंगे ?

श्री राम नाईक : मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : नियम भी है, आप पूरा नहीं कर सकते। कृपया मेरी बात सुनिये। यह व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न हो ही नहीं सकता। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। उसके बाद मंत्री जी को बोलने दें।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम् : प्रश्न है कि क्या आप इसे उठा भी सकते हैं। इसके लिए नियम हैं। आप नियम 305 (ग) देखें। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यदि कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहें···(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, आप कृपा करके पहले मेरी बात सुनें, फिर इनकी सुनें। वह व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए नियम 305 (ग) पढ़ता हूं :

> "यदि कोई सदस्य नियम 305(ख) को उपनियम (1) से उल्लिखित किसी मुद्दे को उठाना चाहते हों तो वह उसे समिति को भेजेगा न कि उसे सभा में उठायेगा।"

आप इसे क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राम नाईक : सिर्फ इसी के बारे में मैं कह रहा हूं···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री राम नाईक : कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 573 के अनुसार यह कहा गया है—

> "जब कभी किसी अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ हो, तो सम्बद्ध मन्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिसूचना के साथ-साथ विलम्ब होने के कारण दर्शाने वाले विवरण की प्रति भी सभा पटल पर रखें। तथापि कतिपय परिस्थितियों में······"

अतः मन्त्री जी स्पष्ट करें कि अधिसूचना को सभा पटल पर, रखने में विलम्ब के क्या कारण हैं। उसे यहां पर नहीं रखा गया है। यदि आप विभिन्न मन्त्रालयों की बाद की अधिसूचनाएं देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनमें प्रत्येक के बारे में कहा गया है कि विलम्ब होने के क्या-क्या कारण रहे हैं। इस विशेष मामले में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसीलिए मैंने आपत्ति उठाई है। इसे सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् मैं इस पर सभा में चर्चा करने के लिए नोटिस दूंगा।

पहले मैं आपत्ति उठाना चाहता हूं क्योंकि सरकार इसमें बिलम्ब कर रही है, और सभा की परंपरा का अनादर कर रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं कह रहा हूं कि सामान्यतः मैं अपने विद्वान् मित्र श्री नायक की बात में व्यवधान नहीं डालूंगा, परन्तु एक बात उनके ध्यान में अवश्य लाई जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वह नियम 305 ग देखें। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई सदस्य कागज सभा पटल पर रखने में हुई देरी से संबंधित मामले को उठाना चाहता है। तो वह इस मामले को सभा पटल पर पत्रों को रखने सम्बन्धी समिति की बैठक में उठाएगा और इसे सभा में नहीं उठायेगा।

यहां पर जब कोई स्पष्ट नियम है जिसमें कहा गया है कि कोई सदस्य इसे सभा में नहीं उठायेगा तो सामान्यतः यह आशा नहीं की जाती है कि सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर सभा में ऐसा कोई मुद्दा उठाएंगे जिसे उठाने की अनुमति नियम में नहीं दी गई।

समिति में इसे उठाने की एक प्रक्रिया है। मैं उनके यही अनुरोध कर रहा था किंतु अब उन्होंने इसे उठा ही दिया है तो मैं उन्हें बतांना चाहता हूं कि जिसे अनुचित विलम्ब माना जाता है। उसके बारे में पक्ष तथा प्रतिपक्ष में स्पष्ट मतभेद है, युक्ति संगत है इसकी व्याख्या के सम्बन्ध में हमेशा मतभेद रहा है।

अधिसूचित की जाने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में मेरे विचार से कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसा सभा के आरम्भ होने के दिन था; उसके 15 दिनों के अन्दर नहीं किया गया। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में हमने क्या-क्या किया है।

श्री राम नाईक : आपने सभा की स्वीकृति पहले से ही मान रखी है।

श्री रंगराजन कुमारमगलम : नहीं हम सभा की स्वीकृति पहले से ही मानकर नहीं चल रहे हैं।

श्री राम नाईक : आप इसे सभा की कार्य सूची में दिखा सकते थे।

श्री रंगराजन कुमारमगलम : सामान्यतः हम विपक्ष की बात को शांतिपूर्वक सुनते हैं तथा हम उनसे भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। या यह मात्र सत्तापक्ष का ही कर्तव्य है कि वह विपक्ष की बात शांतिपूर्वक सुने, मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें कोई अनुचित देरी नहीं हुई है हमने इसे बारे में पटल कार्यालय (टेबल आफिस) को बता दिया है। हमने इसे माननीय अध्यक्ष को भी बता दिया है तथा जैसे ही हमें अवसर मिला हम इन्हें सभा पटल पर रखने के लिए ले आए हैं। यही कारण है कि पत्र सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्तियों को सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के सामने उन्हें रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए अब यहां सभापटल पर रखे गए पत्रों से संबंधित समिति के बारे में स्पष्ट है तथा यह कि नियम संख्या 305(क) का सम्बन्ध संविधान से है; नियम संख्या 305(ख) का सम्बन्ध कार्यों से है और नियम संख्या 305(ग) में कहा गया है :

> "यदि कोई सदस्य नियम 305ख के उपनियम (1) से संबंधित किसी मामले को उठाना चाहता हो तो वह इसे समिति को भेजेगा तथा सदन में नहीं उठाएगा।"

यह व्यवस्था दी हुई है ।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री राजेश पायलट की ओर से मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1992, जो 21 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 543(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 27 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 560(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 10 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 587(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2305/92]

राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी संपर्क मार्गों के विकास तथा रखरखाव के बारे में भारत के राष्ट्रपति और असम के राज्यपाल के बीच हुए दूसरे अनुपूरक करार तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत 14 जून, 1978 के मूल करार में आंशिक संशोधन करने हेतु भारत के राष्ट्रपति और असम के राज्यपाल के बीच दूसरे अनुपूरक करार, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के शहरी सम्पर्कों के रख-रखाव के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 2306/92]

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के बीच 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2307/92]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो) संशोधन नियम, 1992, 4 अप्रैल,

1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 161 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2308/92]

लक्षद्वीप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1989 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग] में राज्य मत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उपभोक्त संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत लक्षद्वीप उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1989, जो 25 नवम्बर, 1991 के लक्षद्वीप राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 15/7/88-डब्ल्यू एम की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 2309/92]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :

(एक) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1992, जो 27 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या का० आ० 298(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1992, जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या का० आ० 332(अ) में प्रकाशिन हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 2310/92]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा दिल्ली में पुलिस हिरासत से खतरनाक अपराधियों के भाग जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9488 के 7 मई, 1992 को दिखाए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत लोक मनोरंजन (सिनेमा को छोड़कर) के स्थानों का अनुज्ञापन और नियंत्रण तथा लोक मनोरंजन कार्य निष्पादन (संशोधन) विनियम, 1991, जो 26 सितंबर, 1991 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 645/विशेष प्रकोष्ठ/पीएचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2311/92]

(2) (एक) दिल्ली में पुलिस हिरासत में खतरनाक अपराधियों के भाग जाने के बारे में श्री मदन लाल खुराना द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9488 के बारे में 7 मई, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए, संख्या एल० टी० 2312/93]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1992 जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 496(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उससे संलग्न सारणी में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं का विखण्डन किया गया।

(तीन) सा० का० नि० 497(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 के प्रवर्तन से ऐसे व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण करते हैं, तब तक के लिए छूट देना जब तक कि उक्त माल पर प्रभार्य शुल्क की दर शून्य रहती है या जब तक वह माल जिस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त रहती है के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 498(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना ऐसी सूती फैब्रिकों के प्रसंस्करण में लगे व्यक्तियों जिन्हें उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 के परिचालन से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 499(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उन सभी व्यक्तियों को जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन उत्पाद-शुल्क माल का विनिर्माण करते हैं, को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1941 के नियम 144 के परिचालन से छूट देने के बारे में हैं।

(छह) सा० का० नि० 549(अ), जो 22 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/186-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 590(अ), जो 11 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी कारखाने में विनिर्मित और बंधित रूप से प्रयुक्त विनिर्दिष्ट जिग्स और फिक्सचर्स जैसे माल को उपलब्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से सम्पूर्ण छूट को, ऐसे माल के लिए भी प्रदान करना चाहें, जिनका उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में प्रयोग किया जाता हो, बशर्ते कि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय-दस की प्रक्रिया का पालन किया गया हो।

(आठ) सा० का० नि० 594(अ), जो 17 जून. 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 162/86- के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 595(अ), जो 17 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय को इन उपक्रमों द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए सरकारी क्षेत्र के विनिर्दिष्ट उपक्रमों की ओर से उजरती कामगारों द्वारा विनिर्मित माल को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 2313/92]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० नि० नि० 623(अ), जो 22 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45-79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि बल्क औषध "स्लिएडमाइसिन" के साल्ट तथा एस्टरों को सीमा-शुल्क से पूरी छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 624(अ), जो 22 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 64/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि गैंप गार्ड के ऊपर के रूप में प्रयुक्त मेटा-बाई-सल्फाइड से लेपित एकल पेपर को आयात शुल्क से पूरी छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 625(अ), जो 22 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 271/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि विनिर्दिष्ट औषध

मध्यस्थों पर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार से 35 प्रतिशत मूल्यानुसार मूल सीमा शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 638(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1000 सी० सी० से कम की क्षमता वाले मोटर वाहनों के इंजनों के निर्माण के लिए आयात किए गए संघटकों पर 40 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 639(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1000 सी० सी० कम की क्षमता वाले मोटर वाहनों के इजनों के विनिर्दिष्ट संघटकों के निर्माण के लिए आयात किए गए माल (कच्ची सामग्री को छोड़कर) पर 40 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 640(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 मई, 1992 अधिसूचना संख्या 194/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 641(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रक्षा मन्त्रालय के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए आयातों पर 31 दिसम्बर, 1992 तक सीमा-मुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 654(अ), जो 1 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 158/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 656(अ), जो 2 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इलैक्ट्रोनिक परियोजनाओं के लिए हिस्से पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 657(अ), जो 2 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिए ग्लास शैलों तथा ग्लास पार्ट्स का निर्माण करने के लिए आयातों पर 25 प्रतिशत की दर से मूल सीमा-शुल्क तथा मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से उपषंगी शुल्क निर्धारित करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 659(अ), जो दो जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मूल्यानुसार 35 प्रतिशत के रियायती मूल सीमा-शुल्क पर गैस डिसचार्ज ट्यूब के निर्माण में विनिर्दिष्ट कच्ची

सामग्री तथा पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 664(अ), जो 3 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या 219/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 665(अ), तथा सा० का० नि० 666(अ), जो 3 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो, विशिष्ट किस्म की लकड़ी की लुगदी को उस दशा में जब यदि उनका प्रयोग समाचार-पत्र, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज के निर्माण के लिए किया जाए सीमा-शुल्क की मूल, अतिरिक्त तथा अनुषंगी शुल्क से पूर्ण रूप से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 2314/92]

लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नियम 1991 और राष्ट्रीय औद्योगिक सरकारी परिसंघ लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो पी० जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं---

(1) लक्षदीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1990 की धारा 40 के अन्तर्गत लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, 1991, जो 14 अगस्त, 1991 के लक्षदीप राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 1/10/91-सामान्य में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2315/92]

(2) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सरकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5316/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दूध और दुग्ध पदार्थ आदेश, 1992, जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 405 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० आ० 406(अ), जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायक आयुक्त-I, सहायक आयुक्त-II को पशुपालन तथा डेरी विभाग के डेरी प्रभाग, कृषि मन्त्रालय में रजिस्ट्री प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) दिल्ली (दुग्ध और पदार्थ) नियंत्रण आदेश, 1992 जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 407 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) राजस्थान (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1992, जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० अ० 408 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) गुजरात (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1992, जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 409 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) मध्य प्रदेश (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1992 जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 410 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) का० आ० 411 (अ), जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सयुक्त सचिव, भारत सरकार को 9 जून, 1992 से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियंत्रक की नियुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, नियत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पशुपालन और डेरी विभाग में डेरी विभाग का प्रभारी प्राधिकृत किया गया है।

(आठ) गुजरात (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1992, जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 469 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) हरियाणा (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1992, जो 26 जून 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 470 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) हरियाणा (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1992, जो 26 जून, 1992 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 471 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2317/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रानिक विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) का० आ० 376 जो 29 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1991 की अधिसूचना संख्या का० आ० 259 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1992 जो 29 मई, 1992 के भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या का० आ० 377 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का० आ० 967 (अ) जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीमती शांता शीला नायर को 28 जनवरी, 1992 से कृषि मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर० एम० सेठी के स्थान पर उर्वरक नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2818/92]

सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अन्तर्गत अधिसूचना और संगमेश्वर ग्रामीण बैंक महबूबनगर का वर्ष 1990-91 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे इत्यादि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (श्री राजीव गांधी की स्मृति में निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपए के सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1992, जो 7 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2319/92]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :

(एक) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2320/92]

(दो) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानी पटना (उड़ीसा) के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2321/92]

(तीन) कामराज ग्रामीण बैंक सोपोर (जम्मू-कश्मीर) के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2322/92]

(चार) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2323/92]

(पांच) राजगढ़ सेहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेहोर (मध्य प्रदेश के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2324/92]

(छह) इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2325/92]

(सात) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षाक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2326/92]

(आठ) गुगड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरियाणा) के वर्ष 1991-92 प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2327/92]

(नौ) श्री सथावन ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आंध्र प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2328/92]

(दस) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच (गुजरात) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2329/92]

(ग्यारह) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक बरहामपुर, जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिमी बंगाल) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालल में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2330/92]

(बारह) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2331/92]

(तेरह) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर (महाराष्ट्र) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2332/92]

(चौदह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उ० प्र०) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2333/92]

(पन्द्रह) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खेरी (उ० प्र०) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2334/92]

(सोलह) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2335/92]

(सत्रह) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उ० प्र०) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2336/92]

(अठारह) रीवा सिंधि ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2337/92]

(उन्नीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2338/92]

(बीस) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2339/92]

(इक्कीस) विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उ० प्र०) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2340/92]

(बाइस) सबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर (गुकरात) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2341/92]

(तेइस) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर (पंजाब) के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2342/92]

पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991 इत्यादि

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं पंजाब राज्य विधानमडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991 (राष्ट्रपति का 1991 का अधिनियम संख्या 4), जो 11 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2343/92]

(दो) पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें (अस्थायी अधिक्रमण) संशोधन अधिनियम, 1992 (राष्ट्रपति का 1992 का अधिनियम संख्या 1), जो 9 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2444/92]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : श्री पी० के० थुंगन की ओर से मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2345/92]

पेटेंट (संशोधन) नियम, 1992

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से पेटेंट (अधिनियम), 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम,

1992, जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 468 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2346/92]

चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 328 के दिनांक 13 दिसम्बर 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं (एक) चावल तथा अन्य खाद्यानों के निर्यात के बारे में श्री गंगाधरा सानीपल्ली द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 328 और उस पर डा० परशुराम गगवार द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के बारे में 13 दिसम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2347/92]

2.59 म० प०

राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जगदीश टाईटलर द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। अब श्री रमेश चेन्नित्तला बोलेंगे।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री, श्री जगदीश टाईटलर द्वारा पुरःस्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, उचित परिवहन व्यवस्था हमारे देश के विकास में एक प्रमुख बाधा रही है। इसलिए, अन्तर्देशीय जलमार्ग के उचित विकास से इस बाधा को दूर करने में सहायता मिलेगी। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बे नौवहन योग्य जल मार्ग हैं।

3.00 म० प०

दुर्भाग्यवश, कई वर्षों से इनको अनदेखा किया गया था। परन्तु हाल ही में जल-भूतल परिवहन मंत्री ने इस देश में पर्याप्त रुचि ली है तथा इस संबंध में एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया था। अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस कार्य को शुरू किया है और उन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। सड़क परिवहन के दबाव को कम करने के लिए इन अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करना होगा।

पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि से हम सभी वाकिफ हैं। अतः इन अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास से परिवहन लागत सस्ती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि हम अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करते हैं तो हम अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकेंगे। इससे रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं।

हमारे देश में समेकित परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रेल, सड़क तथा वायु और अन्तर्देशीय तटीय नौवहन परिवहन को एक प्रभावी व्यवस्था में समेकित करना होगा।

एक प्रभावी नौवहन तथा अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रणाली जिसको गत वर्षों में अनदेखा किया गया था, तैयार करने हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है। दुर्भाग्यवश पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। केरल में 1900 किलोमीटर लम्बा जलमार्ग है जिसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड को प्रस्तावित कोचीन-एल्लेप्पी-क्विलोन जल मार्ग के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। मुझे यह बताया गया था कि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा नेशनल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड रिसर्च सेंटर, त्रिवेन्द्रम भी इस सम्बन्ध में यातायात सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया था कि यह अध्ययन जारी है।

पश्चिमी नहर के प्रस्तावित कोलम-कोट्टपुरम खंड को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी तथा त्रिवेन्द्रम से संसद सदस्य श्री ए० चार्ल्स ने हाल ही में अपने भाषा में ठीक ही कहा था, इस नहर के विस्तार के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। यदि केरल में 1900 किलोमीटर जलमार्ग का उचित विकास तथा उपयोग किया जाता है तो यह केवल केरल के विकास के लिए ही सहायक नहीं होगा अपितु पूरे देश के विकास में सहायक होगा। अब हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे है : परन्तु मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस जलमार्ग को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को अधिक प्रभावी यातायात उपलब्ध कराया जा सके।

कोचीन-एल्लेप्पी-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई, 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट में ही यह कहा गया है कि यह केरल का एक प्रमुख जलमार्ग है। केरल के लोगों की यह काफी पुरानी मांग है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वह इस पर सकारात्मक विचार करें।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की मई, 1980 की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने तथा उन्हें एक ही जगह नियन्त्रणाधीन करने और अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को पूरा सहायता देने की सिफारिश की गई है। इससे सहायता मिलेगी। वास्तव में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने में हो रहे विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए कई मांगें हैं। मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। इन मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने में विलम्ब करने से इस जलमार्गों के विकास में रुकावट आएगी। मंत्री जी धनराशि की अपर्याप्तता की बात हमेशा कहते आए हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि आदिवासी भारतीयों को इस क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि उन्हें इस क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे बहुत सहायता मिलेगी तथा तेजी से विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। यदि आप उन्हें वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु संचालन की अनुमति देते हैं तो भविष्य में हम सघन रूप से फ्लोटिंग रेस्तराओं, बगीचों तथा फ्लोटिंग घरों इत्यादि का विकास कर सकते है। भविष्य में इस जल मार्ग का इस तरह से विकास किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय

मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस ओर अधिक ध्यान दें तथा इस हेतु अधिक धनराशि प्रदान करें। यदि भारत सरकार अधिक धनराशि प्रदान नहीं कर सकती तो इस कार्य को आप्रवासी भारतीयों तथा अन्य लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिक धनराशि निवेश कर इस जलमार्ग को विकसित कर सकें।

3.06 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री वी० धनंजय कुमार (मगलौर) : महोदय, यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है, सरकार ने पश्चिमी तट नहर की कोल्लम-कोट्‌टापुरम खंड और चम्पाकारा और उद्योगमडल नहरों को तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है, इसके उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण में बताया गया है कि इसके कारण विशेष रूप से परिवहन प्रणाली में कुछ लाभ होगा क्योंकि इससे परिवहन की लागत कम आयेगी, ऊर्जा की बचत होगी, समुदाय आदि के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे, प्रदूषण के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं—कि इससे प्रदूषण कम होगा, उद्देश्य और कारणों संबंधी विवरण में यही कहा गया है। यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में कुल यातायात, जहां से यातायात शुरू होता है और जहां समाप्त होता है, 16.60 मिलियन टन होगा। इसमें से अन्तर्देशीय जलमार्ग के इस खंड का अनुमानित भाग लगभग 2 मिलियन टन का होना और धीरे-धीरे वर्ष 1994-95 तक यातायात 3.5 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। यह यातायात 15 टर्मिनलों में होगा, किन्तु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत भी बहुत अधिक है, 62 करोड़ रुपये खर्च करके यदि आप केवल दो मिलियन टन माल की ढुलाई ही सुनिश्चित कर पाये, तो यह कम खर्चीला कैसे हुआ, यह कैसे उचित है और क्या मैं जान सकता हूं कि हम वर्ष 1994-95 तक 3.5 मिलियन टन माल ढोने में सफल हो पायेंगे जैसाकि सोचा गया था ? इसके अतिरिक्त 5.28 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष संचालनात्मक लागत व्यय किया जायेगा।

अधिक लागत की इस परियोजना को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना उचित है ? इसे तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जायेगा, हम नहीं जानते कि पहले के दो प्रस्तावों का क्या हुआ। गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया खंड और ब्रह्मपुत्र नदी का सडीया छूबरी खंड दो अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, क्या इन दो प्रस्तावों पर कोई प्रगति हुई है ? अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है ? कितनी ऊर्जा की कम खपत हुई है ? रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं ? कम लागत की परिवहन व्यवस्था कितनी प्रभावी हो पायी है ? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विचारार्थ उठाया जाना चाहिए।

मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला केरल राज्य के लगभग 1,800 किलोमीटर के विशाल पश्चिमी तट क्षेत्र का उल्लेख कर रहे थे। मुझे केरल में सारे पश्चिमी तट तथा कर्नाटक में लगभग 300 किलोमीटर का तट और इसके बाद गुजरात के तट के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान दिलाये जाने का वास्तव में दुख है, सारे तटवर्ती क्षेत्र में तस्करी की अनेक गतिविधियां चल रही हैं। अब क्या हम इस अन्तर्देशीय क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके उनका मार्ग बदल रहे हैं ? सरकार तस्करी की गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हुई है। आज प्रातः भी एक माननीय महिला सदस्य ने अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी का उल्लेख किया था। हाल ही में समाचार पत्रों

में समाचार प्रकाशित हुआ है कि अत्याधुनिक हथियारों की प्रभावी तस्करी के लिए बंगलौर तट का उपयोग किया जा रहा है···(व्यवधान) मैं उनसे केवल पूछ रहा हूं। वह इस संबंध में हमें जानकारी दें।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : यह निश्चित कर लें कि वे आपके मुख्यालय में न पहुंचे।

श्री वी० धनंजय कुमार : मेरा निवेदन है कि मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये की इतनी अधिक लागत के प्रस्ताव को कार्यान्वित करना और फिर प्रतिवर्ष 5.3 करोड़ रुपये आवर्ती व्यय करना—क्या यह उचित है ? इस पर भी विचार किया जाये।

इसके बाद इतनी अधिक लागत का विचार संभवतया इसलिए किया गया होगा, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली लगभग सारी नदियां गांद से भरी रहती हैं। इन नहरों का माल परि-वहन के योग्य बनाने से पहले इनमें से गाद निकालना होगा, संभवतः यह नहर गाद से भरी हुई है, अतः इसे माल परिवहन और नौवहन के योग्य बनाने के लिए इससे अधिक लागत से गाद निकालने का कार्य आरंभ करना होगा।

मुझे एक शंका है, सारे पश्चिमी तट पर समुदाय का एक बड़ा वर्ग मछली पकड़कर अपना जीवन-यापन करता है···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : ऐसा इसलिए है क्योंकि आप त्रिवेद्रम में राष्ट्रीय जलमार्ग के विरुद्ध हैं ?

श्री वी० धनंजय कुमार : कुल मिलाकर मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, मैं अपने मन में उठ रही शंकाओं को माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार कोई प्राधिकरण गठित करें और एक बार अधिकार दें···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : आप केरल में कुछ विकास कार्यों, जिसका हम पिछले बीस वर्षों से वित्त-पोषण कर रहे हैं, के विरुद्ध बोल रहे हैं, वहां 50 वर्षों से पानी की नहरें हैं और आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह का वाद-विवाद मत कीजिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, वह ऐसा नहीं सोचें कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं किन्तु मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि इस जलमार्ग के खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे, वह किस प्रकार का विकास और उपलब्धि चाहते हैं।

महोदय, मछली पकड़ने का कार्य बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। हमारे अनुभव के अनुसार यदि एक बार कोई प्राधिकरण गठित कर दिया गया और जब यह अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, सम्भवतया तभी मछली पकड़ने के सारे कार्य में गतिरोध पैदा हो जायेगा और इसका मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। महोदय, इसलिए मैं कुल मिलाकर प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अब सरकार उचित निवेश करे और जहां तक सम्भव हो

सके, उपलब्धियों को शीघ्र प्राप्त करे। हमें 3.5 मिलियन टन की यातायात क्षमता की 'प्राप्ति के लिए 1994-95 तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें यह कार्य शीघ्र करना चाहिए। मेरे मित्र श्री रमेश धनराशि की कमी के बारे में मंत्री की अनिच्छा के बजाय मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख कर रहे थे। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए एक ही पंक्ति का उत्तर है कि 'धनराशि उपलब्ध नहीं है'। कम से कम इस मामले में वित्तीय कठिनाई नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय जलमार्ग का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिये। मुझे पक्का विश्वास है कि इस क्षेत्र का विकास किया जायेगा और वहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण में बताया गया है।

मैं एक अन्तिम शब्द के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही विचार क्यों नहीं किया जाता ? हम बड़े और छोटे पत्तनां में माल ढुलाई के कारण अक्सर होने वाली हड़तालों और बाधाओं के बारे में जानते हैं। उचित उपाय और संशोधन करके माल की ढुलाई को सम्भवतः आसान बनाया जा सकता है। एक बार यदि प्राधिकरण से उचित ढंग से कार्य करवाया जाय और इसके कार्यों को आसान बनाया जाय तो माल ढुलाई का सुविचारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है,। अतः मैं इस उपाय का समर्थन करता हूं और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार करें और सभा को इस बात से सन्तुष्ट करें कि उनका इन सभी समस्याओं से कैसे निपटने का विचार है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम अब इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा और इसका कार्यान्वियन किया जाएगा। यह विधेयक 1989 के अन्त में पुरःस्थापित किया गया था। यह आशा की गई थी कि यह परियोजना 1992-93 तक पूरी हो जाएगी, परन्तु 1992 से हम पुनः विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। पिछली बार जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया। उस समय परियोजना का अनुमानित खर्च 42 करोड़ रुपये था। अब यह खर्च बढकर 62 करोड़ रुपये तक हो गया है। किसी भी प्रकार के विलम्ब से तात्पर्य यह है कि खर्च में और अधिक वृद्धि होगी। उस क्षेत्र में जहाजरानी और नौवहन सेवाओं का विस्तार करना एक प्रशंसनीय बात है। इस क्षेत्र की बहुत अधिक क्षमता है और मैं यह कहना चाहती हूं कि इस परियोजना को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार केरल में कोट्टायम-कोट्टापुरम उद्योगमंडल क्षेत्र को ही राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में क्यों घोषित कर रही है। इस सेवा का क्विलन से कोट्टायम तक विस्तार करने हेतु एक सर्वेक्षण भी कराया गया था। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर खर्च अधिक आएगा परन्तु हमें तत्काल यह खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस खर्च को चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। कोवलम से माही तक के सेक्शन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने में क्या आपत्ति है ? मेरी राय में इसे नागरकोइल तक भी बढ़ाया जा सकता है और कासरगोड तक इसे विकसित करने की पर्याप्त संभावना है। कोवलम एक बड़ा पर्यटन केन्द्र है। इसी तरह वरकालई में एक ऐसी नहर और सुरंग है, जो पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करती है। मैं समझती हूं कि हम इस सुरंग को बढ़ायेंगे तो इस पर अधिक खर्च आएगा परन्तु इस सुरंग का वरकालई में विशाखन कर दिया जाए तो खर्च में कमी आएगी।' इस समय क्विलोन से कोवलम तक जलमार्ग के विस्तार की लागत 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सुरंग का अलग से विकास

किया जाना चाहिए। भूमि कटाव के कारण इस सुरंग को क्षति हुई है। यह नौवहन के योग्य नहीं है। जब मैं विद्यार्थी थी तो मैं वहां सुरंग से होकर नहर में तैरने जाया करती थी। यह बड़ा आकर्षक स्थान है और राज्य सरकार ने इस नहर के विकास के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।

वरकालई एक अच्छा पर्यटक केन्द्र और तीर्थ स्थान है। वहां जनार्दन मन्दिर और श्रीनिवास गुरू की समाधि है। इसलिए कोवलम-वरकालई सेक्शन के विकास की पर्याप्त सम्भावना है। मैं यह नहीं कहती कि आप इसका एक साथ ही विकास करें। आप यह कार्य चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। मेरे विचार से केरल में जलमार्ग के किसी एक सेक्शन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना सरकार की अदूरदर्शिता है। केरल में वहां इसकी पर्याप्त सम्भावना है। हम तेल की बचत कर सकते हैं और प्रदूषण कम होगा। ये सब बातें यहां स्पष्ट की गई हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि माही तक विकास करना बहुत आसान है।

मेरे विचार से माही और कासरगोट परियोजना की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। परन्तु यदि आप उचित ढंग से कार्य करेंगे तो इस लागत में निश्चित रूप से कमी आएगी। यह वास्तविकता है।

परन्तु सरकार को शुरू में कोवलम से माही तक की परियोजना को शुरू करने पर विचार करना चाहिए। उसके कुछ समय बाद वे इसको अधिक महत्व दे सकते हैं, ताकि इसका बड़े पैमाने पर विकास किया जा सके। जैसा कि श्री चेन्नित्तला ने अभी कहा है कि आप इस पश्चिम तटीय क्षेत्र के इस समूचे भाग का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास कर सकते हैं। जब हमारे सामने बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे निम्न आम वर्ग के लोगों की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। इसके माध्यम से आप पर्यटन, नौवहन, सिंचाई, मत्स्यन आदि को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

मेरे विचार से केरल सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है परन्तु वह धन के अभाव में इसे कार्यान्वित नहीं कर सकी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसका प्रयोग करने के लिए भी एक योजना बनाई गई थी। यदि इस योजना पर विचार किया जाए तो मैं सोचती हूं कि मद्रास क्षेत्र का विस्तार नागरकोइल तक किया जा सकता है जैसे कि इसे कर्नाटक तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे विकास को सहायता मिलेगी। वर्तमान योजना कम खर्चीली भी है। इसकी अनुमानित लागत 62 करोड़ रुपए के करीब है। परन्तु मेरे एक सहयोगी कह रहे थे कि इस योजना पर बहुत खर्च आएगा। उन्होंने इस जलमार्ग के महत्व को समझा नहीं है। मेरे विचार से इसलिए उन्होंने कहा है कि 62 करोड़ रुपए बहुत बड़ा खर्च है। मैं कहती हूं कि यह बहुत कम धनराशि है। यह योजना—यद्यपि हम बड़ा अनुमान लगा रहे हैं--विकास में भी सहायक होगी। अभी इससे 3.5 मिलियन टन का परिवहन करने के लिए है। जब यह वास्तव में प्रभावी हो जाएगी तो मैं समझती हूं कि और अधिक परिवहन होने लगेगा।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उन्हें कोवलम से माही तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर देना चाहिए और कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि सम्भव हो तो आप अभी भी कोवलम से वरकालई तक कार्य शुरू कर सकते हैं ताकि आप पर्यटन का बड़े पैमाने पर विकास कर सकें। इसका इस क्षेत्र पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और ऐसा करके हम अधिक धन भी कमा सकते हैं।

मुझे आशा है कि सरकार इन पहलुओं पर विचार करेगी और पर्यटन, नौवहन आदि के विकास में केरल सरकार की सहायता करेगी।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय इस चर्चा का जवाब देने और इस विधेयक को पारित कराने में जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरे कुछ शब्दों को समझेंगे जो मैं उनके लिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। केरल की जनता हमारे ओजस्वी मंत्री महोदय की आभारी रहेगी। क्योंकि जहां तक राज्य के विकास का संबंध है, यह एक महत्वपूर्ण दिन होगा। पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जा रहा है।

इस नहर का इतिहास महाराजाओं के अतीत मे शुरू होता है, जब ट्रावनकोर के महाराजा ने त्रिवेन्द्रम से कोलम तक नहर की खुदाई की थी। अब श्री टाईटलर इस शानदार अतीत में वृद्धि करने जा रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, भारी यातायात और अन्य अनेक समस्याओं के कारण केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण सड़कों तक सीमित हो गए हैं। इन पर यातायात काफी बढ़ गया है। सुचारू रूप से परिवहन कठिन हो गया है। इसलिए किसी वैकल्पिक मार्ग का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार जलमार्ग ही परिवहन का एक वैकल्पिक साधन है। इसलिए गत अनेक वर्षों से केरल में जलमार्गों का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बन गया है जैसा कि श्रीमती सुशीला गोपालन ने कहा है। विगत में केरल सरकार ने सभी तटीय शहरों, पत्तनों और सड़कों को जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। केरल सरकार के पास अनेक विचार हैं परन्तु इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इसके पास धन का अभाव है, क्योंकि हमारा राज्य एक गरीब राज्य है।

मैं श्री टाइटलर की इस बात के लिए हल्की-सी आलोचना करना चाहता हूं कि वह क्विलोन से कोचीन तक, अकेले इसी खंड को जलमार्ग घोषित करने जा रहे हैं। निःसंदेह मैं यह जानता हूं कि मन्त्री महोदय बड़े उदार हैं और उन्होंने केरल की तरफ विशेष ध्यान दिया है इसलिए हम उनके भाषण से कुछ और आशा करते हैं। परन्तु इसके बावजूद भी मैं आशा करता हूं कि त्रिवेन्द्रम से माही तक के क्षेत्र को, जिसके लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था, जलमार्ग के रूप में इस विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा, अन्यथा श्री टाईटलर को अन्य क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने के लिए दूसरा विधेयक पारित करना पड़ेगा ? यह व्यापक विधेयक हो जाएगा। उस हद तक मैं श्री धनंजय कुमार से भी सहमत हूं।

पश्चिम तटीय नहर सामान्य जलमार्ग नहीं है। यह कोई साधारण नहर नहीं है, परंतु इससे केरल राज्य की जनता की आशायें जुड़ी हुई हैं। अतः इस जलमार्ग को, जिससे समूचे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, प्रभावी बनाया जाए, उसके बाद माही तक के मार्ग को शुरू किया जाए। इस कार्य में वित्तीय अड़चनें भी हैं।

मुझे पता है कि सरकार अथवा मन्त्री की ओर से स्वेच्छा की कोई कमी नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो हमें ऐसी योजनायें विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से ऋण लेने पर भी विचार करना चाहिए।

जैसा कि श्रीमती सुशीला गोपालन ने उल्लेख किया है कि जब 1957 में मूल रूप से इस

कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी तब इस जलमार्ग और यातायात प्रणाली के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया। प्रतिवर्ष लागत में कितनी वृद्धि हुई ? हम एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन जीवन का यही सत्य है कि लागत में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए जिस परियोजना की लागत इस वर्ष 100 करोड़ रुपए है, उसकी लागत अगले वर्ष 120 करोड़ रुपए हो जाएगी। त्रिवेन्द्रम से माही तक के जलमार्ग की कल्पना काफी पहले की गई थी ; इस समय उसकी लागत में दस गुना वृद्धि हो गई होगी। हम इसमें जितना विलम्ब करेंगे लागत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस परियोजना की लागत को अभी भी वहन किया जा सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि हमें इसमें अधिक धन लगाना होगा क्योंकि यह एक व्यावहारिक योजना है। अनेक लोगों ने इस मुद्दे पर कार्य किया है और इसमें योगदान किया है। श्री टाइटलर निःसंदेह यह कानून बनाने की स्थिति में हैं परन्तु दुर्भाग्य से पिछली बार का लाया गया विधेयक रद्द हो गया था। अब यह दूसरा प्रयास है। इसलिए मुझे आशा है कि यह विधेयक पारित करने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि यह एक प्रभावी योजना है। इस योजना को फिलहाल कोचीन तक और क्रैंगनोर—प्रसिद्ध प्राचीन शहर, जहां संत थामस 52 ई० में आए थे—से होकर त्रिचूर तक लाया जा रहा है। क्रैंगनोर से यह होकर कनोली, जहां से पोन्नानी और वहां से माही तक लाई जाएगी। इसे वहां तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इस पर अधिक खर्च भी नहीं आयेगा। यह पूरा भाग प्रायः एक प्राकृतिक नहर है, जिसका 75 प्रतिशत भाग नौवहन के योग्य है। इसलिए इसे मात्र जोड़ना है और जहां आवश्यक हुआ खुदाई करनी है। अतः इतने कार्य से एक अत्यन्त लाभकारी यातायात नेटवर्क विकसित किया जा सकता है। यह जितना परिलक्षित होता है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। जहां तक केरल शहर के विकास का सम्बन्ध है यह एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। एक बार मैं पुनः माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उदार दृष्टिकोण अपनायें क्योंकि वे इस योजना का और विस्तार कर सकते हैं और उसे त्रिचूर और उसके आगे माही तक बढ़ा सकते हैं। तभी यह सपना पूरा होगा। इसलिए अभी भी हमें बड़ी आशा है। यद्यपि अस्थायी रूप से एक खंड तक ही सीमित है : मंत्री जी के लिए यह संभव है और हमें आशा है कि विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने जो बनाया था, अपने उत्तर में उससे और अधिक उदारता दिखायेंगे और इसमें माही तक का पूरा भाग और यदि संभव हुआ तो कासरगोड तक का पूरा तटीय मार्ग सम्मिलित कर लेंगे।

इस समय हेलीकोप्टर इत्यादि जैसे यातायात के नये साधन हैं, जो यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं। इन सारे परीक्षणों के लिए यहां संसाधनयुक्त क्षेत्र है। माननीय मंत्री, इस परियोजना को विशेष मामले के रूप में शुरू कर सकते हैं।

श्री चार्ल्स से इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोवलम तक बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्ण तर्क दिए हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे कोवलम से उत्तर की ओर माही अथवा कासरगोड तक बढ़ाया जाए। अन्तर्देशीय जल आयोग की भविष्य की योजनाओं में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं एक बार पुनः केरल की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और यह विधेयक लाने के लिए सक्रिय मन्त्री को बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे और अधिक व्यापक और उपयोगी बनाकर केरलवासियों के सपने को सरकार करें।

मैं अपने तन-मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे देश के भीतर जलपथ का अभी भी विकास बहुत ही असंतोषजनक है जिसमें इलाहाबाद-हलदिया, सदिया-धुबरी और पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मण्डल का हवाला भी किया हुआ है। इनका भी विकास नहीं हो सकता है। मेरा मंत्री जी से और विशेषकर सरकार से आग्रह है कि केवल इनको नाम के लिए स्वीकृत करे और विकास नहीं करे, उसी दृष्टिकोण से परिवर्तन की आवश्यकता है जैसा कि अंग्रेजी राज के जमाने से गंगा में स्टीमर समुद्र तट से लेकर प्रयाग तक वह सेवा चलती थी। इस बीच में उसमें बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है लेकिन इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि इसमें जो बालू का जमाव है, उसको साफ करने का काम सरकार को करना होगा। गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है और यही हाल सदिया-धुबरी का ब्रह्मपुत्र में है क्योंकि वहां भी सफाई नहीं होने से दिक्कत पैदा हो सकती है। यह ज्ञातव्य है कि गंगा पानी देने वाली एक सबसे बहुत महत्व की नदी है, उसमें सालाना सफाई होती रही है। कोसी नदी उसमें मिलती है जहां नेपाल सरकार से बांध बनाने की वार्ता हो रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि नेपाल की सरकार ने आग्रह किया कि इसमें स्टीमर चलेगा, लेकिन भारत सरकार ने उसका विरोध किया है कि इसमें इसको न लिया जाए कि यह भारत के हित के खिलाफ है। पता नहीं किस अधिकारी ने यह रुख लिया कि नेपाल का बुरा हो। अगर उसका बुरा है तो बुरा है, लेकिन हम दोनों का बुरा होगा। आज इलाहाबाद-हलदिया के लिए जलपथ है, वह उससे जाकर जुड़ता है जो आखिर में मुंगेर (भागलपुर) के बीच में जाएगा और यह दोनों के लिए अच्छी चीज होगी। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक में उन दोनों की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, उसमें इलाहाबाद हलदिया, सदिया (धुबरी) ब्रह्मपुत्र में और पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मण्डल नहरों के लिए किया जा रहा है, इनके विकास के लिए क्या करेंगे? हम विधेयक तो स्वीकृति कर देंगे, लेकिन इनके विकास के लिए क्या योजना बनाई है? इसके लिए मन्त्री जी के दिमाग में क्या है तो वास्तव में वह फलीभूत हो सकता है, केवल विधेयक जनकर नहीं रह सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र के सदिया (धुबरी) की विशेष जानकारी नहीं है लेकिन उसका विकास भी नहीं हो सकता है।

अब सबसे खतरनाक जो चीज है, जैसा मैंने अभी कहा कि नेपाल के साथ हुई वार्ता में भारत सरकार ने उसका विरोध किया था, हमें उस विरोध को तुरन्त वापस लेना चाहिए। नेपाल भी हमारा सहोदर देश है। इसके अलावा हमारे देश का हित भी इसमें है, नेपाल का हित भी इसमें है। बराह क्षेत्र तक—बराह एक पौराणिक क्षेत्र है, जहां बराह का रूप लेकर भगवान ने धरती को पानी से ऊपर लाया था क्योंकि बराह एक मुंह के समान है, एक मुंह के समान हिमाचल का स्वरूप है, इसीलिए मैंने उसे बराह कहा। यदि "सूअर" कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने उसे बराह क्षेत्र कहा।

उसका जो हमने पहले विरोध किया था, मैं चाहता हूं कि उसका अब संशोधन हो जाए और मन्त्री जी सदन में कोई आश्वासन दें कि उस विरोध को अब वापस लिया जाएगा, क्योंकि वह हम दोनों के हित में है। इतना ही कहकर, मैं राष्ट्रीय जलमार्ग बिल का समर्थन करता हूं, इसलिए

कि सफलता के साथ इसके उद्देश्यों को पूरा किया जाए और उस जलपथ को लेकर देश के भीतरी जलपथ का ठीक से विकास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैंने पाया कि उनमें से प्रत्येक सदस्य ने विधेयक का समर्थन किया है। माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल उठाये हैं और कुछ आशंकायें व्यक्त की है। मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय यातायात नीति समिति ने 1980 में राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में दस जलमार्गों की पहचान की थी। परन्तु इनकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अब मैं उनकी घोषणा करूंगा। वे इस प्रकार हैं—गंगा-भागीरथी-हुगली नदियां; ब्रह्मपुत्र नदी, सुन्दर वन, पश्चिम तटीय नहर; गोदावरी; कृष्णा; महानदी; नर्मदा, तारती; मंडोवी और जुआरी नदियां और गोआ में कुम्बर जुआ नहर।

राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की कुछ शर्तें हैं—

इसमें उचित आकार के यंत्रचालित पोतों के नौवहन की क्षमता हो।

जलमार्ग की चौथाई 45 मीटर और इसकी न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर होनी चाहिए।

50 कि० मी० का लगातार जलमार्ग होना चाहिए, जलमार्ग की लम्बाई में केवल नगर-समूहों और अन्तर्पत्तन यातायात में ही अपवाद किया जायेगा।

यह एकाधिक राज्यों से होकर जाता है और एकाधिक राज्यों के हितों की पूर्ति करता हो।

यह विस्तृत और समृद्ध पृष्ठ भाग और प्रमुख पत्तन को जोड़ता हो।

यह एक ऐसे सामरिक क्षेत्र से गुजरता हो जहां नौवहन का विकास आवश्यक समझा जाता हो।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1982 और 1988 में दो राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की : (i) गंगा-भागीरथी-हुगली का इलाहाबाद-हल्दिया खंड (1620 कि० मी०); और (ii) ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया-धुबरी भाग (891 कि० मी०)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और एक भी पैसा नहीं खर्च किया गया है। यह सत्य नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि···(**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविक विकास की बात कर रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाइटलर : क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर सकता हूं ? मेरे विचार से मेरा वाक्य पूरा हो जाने पर आपके प्रश्न के दूसरे भाग का भी जवाब मिल जायेगा।

आठवीं योजना में 240 करोड़ रुपये का प्रस्तावित खर्च है। यह 1991 के परिव्यय के

दुगुने से भी ज्यादा है। सातवीं योजना में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 पर कुल खर्च 27.55 करोड़ रुपये का था; और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 पर 3.75 करोड़ रुपये का था।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 पर कलकत्ता और पटना के बीच अक्तूबर 1991 से प्रोत्साहन आधार पर नियमित कार्गो सेवा शुरू की गई है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 पर कलकत्ता-पांडु (गुवाहाटी)और कलकत्ता करीमगंज (सिल्चर) के बीच नियमित सेवा चल रही है।

दो राष्ट्रीय जलमार्गों में विकास किया गया है। पटना और भागलपुर में पहले से ही अस्थाई टर्मिनल हैं। कलकता से बलिया तक नौवहन सुनिश्चित की गई है। पटना में 4.90 करोड़ रुपये की लागत के टर्मिनल को मंजूरी दे दी गई है। धुबरी, पांडु, करीमगंज में भी टर्मिनल लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार कार्य जारी है। (व्यवधान)

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : आपने नौवहन के प्रयोजनार्थ कुछ परियोजनायें जैसे हुगली-भागीरथी इलाहाबाद हल्दिया पर काम शुरू किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं से नौवहन कब तक शुरू कर दिया जाएगा।

श्री जगदीश टाईटलर : इस कार्य को 1988 से शुरू किया गया था और तभी से हमने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। रातों रात मैं यह नहीं बता सकता कि क्या किया जा रहा है। मैं उन माननीय सदस्यों की बातों का जबाव दे रहा हूं जो कहते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कार्य शुरू हो गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी राष्ट्रीय जलमार्गों का कार्य पूरा हो गया है। हमने जो कुछ किया है यह उसकी शुरूआत है। बजट में इस कार्य के लिए दो गुनी धनराशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है और शेष कार्य शुरू कर दिया जाएगा। (व्यवधान) यदि आप मुझे अपनी पूरी बात कहने देंगे तो शायद कुछ बातों का आश्वासन दिया जा सकता है क्योंकि मैंने उन माननीय सदस्यों की बातों को नोट किया है जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और मैं उनकी ही बातों का पहले जवाब देना चाहता हूं।

दक्षिण के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि पश्चिम तटीय नहर को त्रिवेन्द्रम से कासरगोड तक बढ़ाया जाना चाहिए। निस्संदेह पर प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसकी सम्भाव्यता के बारे में अध्ययन किया गया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार के कार्य केवल इस विस्तार कार्य तक ही सीमित नहीं हैं। मैं दक्षिण के ऐसे बहुत से माननीय सदस्यों विशेषत: श्री ए० चार्ल्स को जानता हूं जो इस मामले को पिछले दस वर्षों से उठा रहे हैं। भार ग्रहण करते ही मैंने कहा था कि इस कार्य को करना अत्यावश्यक है और इसे पूरा किया जाना चाहिए परन्तु मेरी अपनी मजबूरियां हैं। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि त्रिवेन्द्रम से कासरगोड तक सरकार के अधिकार में केवल कोलम से कोट्टापुरम तक का क्षेत्र है जहां पर जलमार्ग चौड़ा और गहरा है तथा पर्याप्त मात्रा में अर्थात् 3.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की जाती है। परन्तु जहां तक माही से कासरगोड तक का प्रश्न है, इस क्षेत्र में 54 कि० मी० तक कहीं पर भी निरंन्तर और इसके लिए नहर जलमार्ग उपलब्ध नहीं है। लैट राइट चट्टानों की बहुत अधिक कटाई करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : कोरापूजा से होकर माही से कोचीन तक बहुत सुन्दर जलमार्ग है जिसका अन्तर्देशीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्य के लिए एक परियोजना प्रारूप भी तैयार किया गया था।

श्री जगदीश टाईटलर : हम इस परियोजना को शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जब भी अवसर आएगा तो हम शेष परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में नए सिरे से जांच करेंगे। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि माही से कासरगोड तक के क्षेत्र में पर्याप्त माल की ढुलाई नहीं होती है। इस क्षेत्र में केवल 0.01 मिलियन टन माल की ढुलाई होती है और माही से कासरगोड तक की परियोजना पर 277.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी, कोट्टापुरम से माही तक, जो 242 किलो मीटर का क्षेत्र है, कुल लागत 507.50 करोड़ रुपये आएगी परन्तु 50 प्रतिशत जलमार्ग की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक नहीं है। इन क्षेत्रों में कोई नहर नहीं है। जलमार्ग की लम्बाई केवल 18 किलोमीटर है तथा माल ढुलाई की क्षमता भी अधिक नहीं हैं। त्रिवेन्द्रम से कोलम तक भी 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी केवल 26 प्रतिशत जलमार्ग की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक है। दो सुरगों की कुल लम्बाई 1 किलोमीटर है और माल ढुलाई की क्षमता बहुत कम है। वस्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इस संबंध में अपना विचार त्याग देगी ··(व्यवधान) माननीय महिला सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं हम उनकी जांच विशेषज्ञों से करायेंगे।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लम्बाई 205 किलोमीटर है। कोलम से कोट्टापुरम तक की लम्बाई 68 किलोमीटर है। चम्पाकारा नहर 14 किलोमीटर और उद्योगमंडल नहर 23 किलोमीटर लम्बी है।

मैंने इस संबंध में आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस समय अन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना क्यों सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों में नौवहन की बेहतर स्थिति को देखते हुए हम उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने जा रहे हैं। इनमें माल ढुलाई की क्षमता है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वहां पर ढुलाई के लिए माल भी उपलब्ध है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम राज्य सरकार को यह बताने वाले हैं कि उसको नहर के दोनों तरफ की भूमि को मकानों, होटलों के निर्माण और रेस्तराओं के निर्माण अथवा अन्य किसी प्रयोजनार्थ, जो भी सम्भव हो, वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति दे दे ताकि भविष्य में हम इस भूमि का वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद कार्यों के लिए प्रयोग कर सकें। केवल इतना ही नहीं बल्कि मैं राज्य सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि जलमार्ग से जोड़ने के लिए जो भी क्षेत्र बचा है उसे वह अपने अधिकार में ले ले ताकि जब भी समय आए हम इस पूरी नहर को अपना सकें।

भारत सरकार की वे जिस प्रकार से सहायता लेना चाहेंगे, हम देने को तैयार रहेंगे।

कोलम में अष्टमुडी, चवारा, कायमकुलम, अरट्टापुजा, त्रिक्कुन्नापुजा, अम्बालापुजा एलेप्पी गीचूर, शेरटाल्लइ, वैकोम, एरूकुट्टी, एर्णाकुलम, कोचीन और कोट्टापुरम में टर्मिनल बनाए जाने के प्रस्ताव हैं।

चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहर का जहां तक संबंध है, 5.46 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इनका सुधार कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है मेरा विचार है कि अधिकांश कार्य पूरा हो गया है परन्तु किसी भी कुछ कार्य बाकी है। इन दोनों नहरों में इतना कार्य बाकी नहीं रहेगा जिसको भविष्य में करने की जरूरत पड़ेगी।

1989-90 में परिवहन क्षमता 16.6 मिलियन टन थी और अन्तर्देशीय जल परिवहन का

हिस्सा 2 मिलियन टन था। मेरे विचार से 1994-95 तक इनका पूरा विकास हो जाएगा तो हमें आशा है कि इनमें 3.5 मिलियन टन माल की आवाजाही हो सकेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार माननीय सदस्यों के अनुरोध पर एक अच्छा प्रस्ताव ला रही है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं जैसा कि मैंने पहले भी दिया है कि आप के सुझावों के आधार पर एक नई सम्भावना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

इस दृष्टि से मुझे आशा है कि आप इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार : मत्स्यन आपरेशन में आने वाली सम्भावित बाधाओं को दूर करने के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : मत्स्यन का जहां तक संबंध है, अन्य दो राष्ट्रीय जलमार्गों में हमें कोई समस्या नहीं हुई थी। बजाए इसके मछुआरों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम उन्हें कुछ और सुविधाएं प्रदान करेंगे इसलिए मत्स्यन के लिए कोई बाधा नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : गंगा, भागीरथी और हुगली के विवाद के बारे में क्या विचार है ?

श्री जगदीश टाईटलर : यह हमारा विषय नहीं है। मैंने आपको उन दस जलमार्गों के बारे में बता दिया है जिनका चयन किया गया है और उन परियोजनाओं के बारे में भी बता दिया है जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने अंग्रेजी नाम क्विलन और कोलम के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

श्री जगदीश टाईटलर : आपने इस संबंध में एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है जिसके बारे में मुझे आशा है कि आप इसे वापस ले लेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह विधेयक 'कोलम' शब्द से प्रस्तुत किया गया है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ये नाम एक ही स्थान के हैं। केरल की राज्य सरकार ने इसका सरकारी नाम 'कोलम' रखा है। इसलिए संशोधन प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि केरल सरकार ने यह सरकारी नाम दिया है। (व्यवधान)

डा० असीम बाला : महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि गंगा-भागीरथी-हुगली के इलाहाबाद हल्दिया क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ क्षेत्र में गाद जमा हो रही है। पानी का स्तर भी बहुत कम है तथा गाद निकाले जाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि वह इस क्षेत्र में नौवहन के लिए कार्य शुरू करेंगे ? पानी का स्तर कम है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, जहां तक कलकत्ता बलिया सेक्शन का संबंध है, हम यह देख रहे हैं कि नौवहन के योग्य है। शेष परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वहां पर कार्य हो रहा है। गाद भी हमेशा निकाली जा रही है।

सभापति महोदय : जी हां। हमें विधेयक शीघ्र पारित करने का प्रयास करना चाहिए अभी समय नहीं है। हम 4 बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स, इस विधेयक को आप पारित करना चाहते हैं अथवा नहीं ?

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, 1988 में जब विधेयक पर विचार किया गया था तब तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि कोवलम तक अलग से अध्ययन कराया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि आश्वासन को पूरा किया जायेगा अथवा नहीं ? (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : सरकार उस आश्वासन को पूरा करेगी।

सभापति महोदय : प्रो० राणा सिंह रावत, क्या आप अपना संशोधन लाने पर जोर दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के आन्तरिक जलमार्गों का जहां-जहां विकास हो सकता है, वहां विकास का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जिस रास्ते का अभी उल्लेख हुआ, उस रास्ते से सब को सहमति है। यह बहुत अच्छी बात है। केरल के समुद्र तट पर और केरल की नहरों के अन्दर इस प्रकार का जलमार्ग प्रारम्भ हो जायेगा तो आसपास के क्षेत्रों का भली-भाँति विकास हो सकेगा। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है···(व्यवधान)·· उन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके वहां नौकाओं के द्वारा या जलयानों के द्वारा व्यापार हो सकता है। इस व्यापार की सुविधा को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये। हमारे यहां राजस्थान नहर बनकर तैयार होने वाली है। वह इतनी लम्बी-चौड़ी है कि जैसलमेर तक पहुँचेगी···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब प्रो० राजा सिंह रावत के संशोधन संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम- कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2—पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग-मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

8. पृष्ठ 2, पंक्ति 1

"कोलम" के स्थान पर,

"क्विलोन" प्रतिस्थापित किया जाना। (8)

माननीय मन्त्री ने यह कहकर अपनी ही बात का विरोध किया है। उनका कहना है कि केरल सरकार ने यह नाम दिया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : यह गलत है। मैंने ऐसा नहीं कहा है। केन्द्र सरकार अस्वीकृत नहीं कर सकती। (व्यवधान) एक बार जब हम इस विधेयक को सरकार के समक्ष ले जायेंगे तो इस पर विचार किया जायेगा अन्यथा मैं यहां विधेयक प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमने यह नाम इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि केरल सरकार ने इसे स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं यह कह सकता हूं कि गृह मंत्री ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। (व्यवधान) मैं इसे उससे नहीं जोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार सबके लिए जैसी हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं संशोधन का आग्रह कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री नाम नाईक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं अब खण्ड 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 3—केन्द्र द्वारा कुछ उद्देश्यों के लिए पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों कोलम-कोट्टपुरम खंड के नियंत्रण की आवश्यकता की घोषणा किया जाना

श्री राम नाईक : मैं प्रस्तुत करता हूं:—

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

'कोलम' के स्थान पर

क्विलोन प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

सभापति महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 9 रखी गई और अस्वीकृत हुई।

सभापति महोदय : मैं अब खण्ड 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

4.00 म० प०

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

श्री राम नाईक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि—

पृष्ठ 1, पंक्ति 5

"कोलम" के स्थान पर

"क्विलोन" को प्रतिरस्थापित किया जाये। (7)

सभापति महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत खण्ड 1 के संशोधन संख्या 7 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 1 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।

पूरा नाम

श्री राम नाईक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूरे नाम में "कोलम" के स्थान पर "किवलोन" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

सभापति महोदय : मैं अब श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं अब पूरा नाम सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्यां मुझे इस पर चर्चा की अनुमति है। मैं कुछ और समय दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अब, मैं सभा की अनुमति से इस पर दस मिनट का और समय दूंगा। श्री नीतीश कुमार अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, हम सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहते हैं। हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहेंगे कि जिस प्रकार ये यह केरल में नेशनल वाटरवेज बना रहे हैं, उसी तरह से प्रमुख नदियों पर, खास तौर पर एक अर्से से हमारी यह मांग रही है कि गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर बंगाल तक इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उसमें कितना समय लगेगा ?···(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.03 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति

सभापति महोदय : अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अर्थात् देश के विभिन्न भागों के सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा ।

श्री सुब्रत मुखर्जी—उपस्थित नहीं हैं ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय !

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, यद्यपि इस समय वर्षा थोड़ी बहुत प्रारम्भ हुई है, तथापि देश में आज सूखे की स्थिति है और वह यथावत बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है । देश के केवल पांच राज्यों के सात करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं । यह सूखे की स्थिति चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा हो और इसके साथ-साथ गोवा और अन्यान्य दूसरे प्रदेशों में भी इसकी विकराल छाया विद्यमान है । इस सम्बन्ध में यहां चर्चा उठाई गई थी और यहां केन्द्र सरकार की ओर से उत्तर दिया था कि यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं, सूखे से प्रभावित राज्यों को सहायता देने देने का । केन्द्र से जो सहायता दी गई है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और नगण्य है । मध्य प्रदेश में जहां 250 करोड़ रुपए की सहायता की मांग थी, वहां उसको केवल बीस करोड़ रुपया दिया गया है । ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र ने 138 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसके अनुपात में महाराष्ट्र को बहुत थोड़ा ही दिया गया है । बाकी भागों में भी वांछित सहायता केन्द्र द्वारा नहीं मिल पाई है और स्थिति वही बनी हुई है । वर्षा प्रारम्भ हुई है, लेकिन लोग सूखे के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं । सूखे से प्रभावित प्रदेशों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं । पशुओं को पीने के पानी का संकट यथावत बना हुआ है । चारे की स्थिति संकटपूर्ण बनी हुई है । आपने विभिन्न प्रदेशों को खाद्यान्न भी, गेहूं और चावल भी, जो दिया है, उसकी मात्रा इतनी थोड़ी थी कि उसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है । अभी यहां पर दो दिन पूर्व ही माननीय श्री नाईक ने उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र का प्रश्न उठाया था और जिसमें सूखे से प्रभावित होकर लोग किस प्रकार से वहां से पलायन करने लगे हैं या उनकी स्थिति दयनीय बन गई है । मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं उन प्रदेशों के बारे में भी कहना, चाहूंगा, जहां पर केन्द्रीय अध्ययन दल गए हैं । अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने के बाद भी राज्यों को वांछित सहायता नहीं दी गई है, इनमें प्रमुख मध्य प्रदेश है । प्रधान मन्त्री जी के दौरे के बाद सरगूजा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में केन्द्रीय टीम गई और उस दल को गए तीन महीने हो आए, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे बताएंगे कि उस दल ने आकर अपना क्या निर्णय दिया और उस निर्णय पर सरकार ने क्या कदम उठाए ? मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में उसके अनुरूप

सहायता नहीं पहुंची और उसके बारे में कोई चिंता की गई। सामान्यतः अब तक 25,30 से० मी० वर्षा हो जाती है लेकिन आज 5 से भी कम है।

4.05 म० प०

[**श्री पीटर औ० मरबनियांग** पीठासीन हुए]

मैं यहां पर हिन्दुस्तान समाचार का समाचार उद्धृत करना चाहता हूं—उड़ीसा के कालाहांडी जिले से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि लोग हर वर्ष काम की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष ने सूखा प्रभावित सरगूजा और झाबुआ जिलों से भारी पैमाने पर पलायन होने का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार इसका खंडन करती है। अगरतला से प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिपुरा के प्रशासनिक अधिकारी पलायन की बात स्वीकार नहीं करते, लेकिन बंगलादेश से लगी चटगांव पहाड़ियों से सैंकड़ों आदिवासी परिवार पलायन कर गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के 29 में से 21 जिलों में पानी का अभाव है। विपक्षी दलों ने सूखे की स्थिति से निपटने के विरोध में आठ मई को बंद का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के 28 जिलों की 95 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से 250 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन सरकार ने केवल 20 करोड़ रुपया ही दिया है। अब मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, सूखे की स्थिति से निपटे तो कैसे निपटे। यहां सदन में 9 जुलाई को प्रश्न के माध्यम से इसकी चर्चा की गई थी और उसके उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि हम जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पास कृषि विशेषज्ञ दल भी हैं। कृषि वैज्ञानिक हैं, हाल ही में 30 कृषि वैज्ञानिकों ने बैठ कर इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अध्ययन कार्य किया, उनका एक अध्ययन दल बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट के अन्दर क्या उपाय सुझाए गए हैं, यदि उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसके क्या कारण थे और रिपोर्ट प्राप्त हुई तो आपने क्या कार्यवाही की? मौसम सम्बन्धी जानकारी के लिए आपके पास बड़ा भारी मौसम विज्ञान कार्यालय है, अनुसंधान केन्द्र है। मौसम की जानकारी भी आपको समय से पूर्व मिल जाती है कि वर्षा होगी अथवा नहीं होगी, कितनी होगी और किन-किन हिस्सों में होगी, छुटपुट होगी अथवा ज्यादा वर्षा होगी। इसकी जानकारी होने के बावजूद और इस चर्चा को बार-बार उठाने के बावजूद भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। सन् 91 में भी इस प्रकार की स्थिति थी देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति थी तब भी सरकार ने कहा था कि हम इस स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और अब भी सरकार का वही उत्तर हैं। खेत प्यासे हैं, सूखा है दूसरी तरफ भयंकर बाढ़ की तबाही है। दोनों स्थितियों पर नियन्त्रण के लिए ठीक योजना है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में जितने गंभीर होने चाहिए उतने गंभीर नहीं हैं अन्यथा, पहले की स्थिति और आज की स्थिति को देखते हुए जो तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे वे कदम उठाए जाते और इन सब बातों को परिलक्षित करके केवल यह नहीं कहा जाता कि नौंवे वित्तीय कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर या उसकी सिफारिशों के आधार पर हम कुछ कार्यवाही करने जा रहे है और उसमें जो सिफारिश की थी उसके अनुसार दे रहे हैं या हम अनावारी के आधार पर दे रहे हैं। तब मेरे माननीय मित्र श्री अन्ना जोशी ने प्रश्न उठाया था और श्री पटेल ने भी उठाया था कि आखिर अनावारी की परिभाषा आप क्या कर रहे है, क्या विभिन्न

राज्यों में अनावारी की परिभाषा भिन्न-भिन्न होगी या अनावारी की परिभाषा, जो आज से 40-50 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी वही परिभाषा रहेगी या उसमें हम कुछ फेरबदल करेंगे। यदि पूरे का पूरा गांव उस अनावारी के अनुसार सूखे की चपेट में नहीं आता हो या 10-20 गांव उस तरफ न आते हों, आपकी अनावारी की परिभाषा में नहीं आए और इसके अलावा इस अनावारी की परिभाषा को भी बदलना आवश्यक है। (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इन्होंने उस समय उत्तर दिया था कि जिन राज्यों ने हमसे आग्रह किया उन राज्यों को तो हमने अध्ययन दल भेजे और जिन राज्यों ने नहीं किया उनको हमने भेजे ही नहीं। अगर बिहार ने कोई आग्रह नहीं किया, इस प्रकार का अध्ययन दल भेजने का, तो वहां भेजा ही नहीं गया चाहे बिहार सूखे की चपेट में आता रहे, चाहे वहां पर लोग मरने की स्थिति में पहुंच जाएं लेकिन उसके बाद भी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। अगर राज्य सरकार कहेगी तो हम भेजेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नहीं कहा तो हम नहीं भेजेंगे, भले ही उत्तर प्रदेश के अन्दर भयंकर सूखे की स्थिति विद्यमान हो।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा, जैसाकि मैंने आपसे कहा बिहार भी इससे वंचित नहीं है, कर्नाटक भी इससे वंचित नहीं है। अभी मेरे मित्र धनंजय जी कर्नाटक के बारे में स्थिति की चर्चा कर रहे थे कि वहां तो बहुत संकट है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में और उड़ीसा और आंध्र में संकट है। इसके बारे में कोई विस्तृत योजना इस प्रकार की बनाएंगे कि यह संकट जो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है इससे हम ठीक से निपट सकें, कोई दीर्घकालीन योजना है क्या। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया मध्य प्रदेश ने अपना दल भेजा और इस अध्ययन दल के द्वारा 8 जिलों की स्थिति का अध्ययन भी किया गया। भोपाल में जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे विस्तृत चर्चा भी हुई, मैंने कहा कि लगभग तीन माह का समय व्यतीत हो गया है लेकिन अब तक राज्य सरकार को अवगत नहीं कराया गया, उनको भी जानकारी नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप सहायता देंगे या नहीं देंगे। राज्य सरकार ने जो ढाई सौ करोड़ रु० की सहायता मांगी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से पर्याप्त खर्च किया है। हजारों की तादाद में कुएं खोदने का कार्य किया है, तालाब बनवाने का कार्य किया है और लोगों को काम पर लगा कर राहत पहुंचाई और मई और जून में, मई के अन्दर लगभग 281 लाख मानव दिवस का कार्य हुआ। जून में भी लगभग 19 जून तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं 110 लाख मानव दिवस का कार्य हुआ और सरकार तो उससे निपटने का कार्य कर रही है लेकिन केन्द्र सरकार उदासीन है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं मध्य प्रदेश के इन्दौर में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ में उस खंड पीठ में एक इन्दौर के नागरिक की आनन्द द्वारा एक जनहित की याचिका दायर की गई, उस याचिका के निर्णय में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा है तथा केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र शासन अविलंम्ब, जो उसमें उसकी वांच्छित राशि है उसका भुगतान करे। और वह भी तीन सप्ताह में कर दें, ताकि राज्य सरकार राहत कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। मैं जानना चाहूंगा कि इस खंडपीठ के निर्णय के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा कौन-सी कार्यवाही की गई। इस खंडपीठ का निर्णय दिनांक 17-6-92 को हुआ था।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : किस केस का ?

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ने निर्णय दिया

है और उसने निर्देश दिया है केन्द्र सरकार को कि आप तत्काल सहायता राशि दीजिए ताकि मध्य प्रदेश सरकार जो राहत कार्य चला रही है, वे राहत कार्य ठीक से चल सकें। (व्यवधान)

मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिनांक 16-6-92 को टेलेक्स भेज कर केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वर्षा सन्निकट है, जो राहत कार्य चल रहे हैं, उसमें लगा हुआ पैसा व्यर्थ न चला जाए, इसलिए तत्काल राशि भिजवाएं, लेकिन तब भी केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। हम अपेक्षा करते थे कि केन्द्र सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी।

सभापति महोदय, मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनको देखने से पता लगता है कि गुजरात में भी स्थिति इसी प्रकार की है, राजस्थान में भी स्थिति इसी प्रकार की है, त्रिपुरा और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है—

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली ने हाल ही में सर्वेक्षण कराया है तथा त्रिपुरा में भूख और भोजन न मिलने के कारण 71 लोगों के कथित रूप से मरने की रिपोर्ट दी है।"

[हिन्दी]

अब यह जो कुछ आया है, मैं समझता हूं कि सरकार को इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह प्रश्न केवल एक दो या कुछ राज्यों का नही है, आपने स्वयं 9 जुलाई को पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया है—

[अनुवाद]

"इन रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक में 8.12 लाख हेक्टेयर, केरल में 1.12 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 27 42 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 58.80 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 77.99 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं।"

[हिन्दी]

यह आपके अनुसार है और मैं समझता हूं कि इसके कारण कृषि उत्पादन पर काफी विपरीत असर हुआ है। इसका यह असर हुआ है कि लोग असमर्थ रहे हैं, वर्षा की चिन्ता लगी रही और आज स्थिति यह है कि जहां कहीं छुटपुट वर्षा हो रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में बोनी तक नहीं हुई है, यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए सरकार की ओर से मात्र यह कहना कि अब तो वर्षा हो गई है और कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात आज भी है। जिस प्रकार सन 1991 में खड-खंड वर्षा हुई थी, उस सूखे का प्रभाव हमने देखा है, उसका प्रभाव इतना रहा कि हमको विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ा, यह उसी का परिणति था कि हम समय पर अनुकूल स्थिति निर्मित नहीं कर सके। (व्यवधान)

अभी भी मैं समझता हूं कि आयात के आदेश आपने दिए हैं, यह आयात की स्थिति हमारी नहीं थी। खाद्यान्न के मामले में हम आत्म-निर्भर बन गए थे और विदेशों को गेहूं देने लग गए थे, लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। इस विपरीत स्थिति के पीछे हमारी योजनाओं की अदूर-दर्शिता तो नहीं है, मौसम संबंधी अनुमानों का गलत होना तो नहीं है, सूखे से उत्पन्न संकट का

सामना करने के लिए बनाए गए प्लानों में तो कोई कमी नहीं है, क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। हमारी अल्पकालीन योजना क्या है ? दीर्घकालीन योजना क्या है ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों के द्वारा जो राशि चाही गयी है, जैसे मैंने आपसे कहा है, लेकिन आपने दूसरे सदन में जो उत्तर दिया है, मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

राहत व्यय का वित्त पोषण करने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार से प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में आपदा राहत कोष के उपयोग से राहत उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। केन्द्रीय सरकार को उसी स्थिति में अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता होती है जब कोई भारी आपदा आ पड़ी हो और इसे राष्ट्रीय स्तर पर निपटाना आवश्यक हो सूखे से निपटने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु उक्त राज्यों के अनुरोध पर राहत व्यय वित्त पोषण करने की वर्तमान योजना के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया है।

[हिन्दी]

अब आपकी एगजिस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत ये बातें आती नहीं हैं ? क्या जो स्कीमें हैं उनको फिर से देखने का प्रयास करेंगे ? जैसे 9 जुलाई को आपने उत्त देते हुए सदन को आश्वस्त किया था कि हम इसके बारे में पूरा विचार करेंगे ताकि इस प्रकार की कठिनाई देश के सामने उपस्थित न हो, मैं समझता हूं कि उस आश्वासन की पूर्ति की दिशा में आपने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की होगी।

मैं आपका ध्यान पुनः इस अनिश्चितता की तरफ प्रदेश जो आज संकट की स्थिति में हैं, उनकी तरफ विशेष कर किसानों के सामने जो सकट खड़ा है उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। नागरिक जो शहरों में रहने वाले हैं वे तो जैसे तैसे सार्वजनिक विवरण प्रणाली की दुकानों में जा कर भले ही ठीक अन्न मिले या न मिले, चाहे वर्षों पुराना सड़ा हुआ अखाद्य गेहूं मिले, लेकिन वे उसे लेकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन गांवों में वह भी उपलब्ध नहीं है। आप देते कितना हैं प्रति व्यक्ति और आपकी निर्धारित मात्रा कितनी है ? राज्य सरकारों ने भी कहा कि जो प्रति व्यक्ति मात्रा निर्धारित करते हैं वह भी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत् अन्न देने की घोषणाएं करते हो लेकिन अब तक की जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार हम जो सफलता अपेक्षित करते थे, वैसी नहीं है। उसमें राज्य सरकारें दोषी नहीं हैं उसमें केन्द्र सरकार दोषी है। केन्द्र राज्य सरकारों को शक्कर, चावल ठीक अनुपात में न दे गेहूं न दे तो राज्य सरकारें वितरण कहां से करेंगी। केन्द्र सरकार तो फट से कहेगी कि हम क्या करें राज्य सरकार ठीक से अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर रही हैं। एक उत्तर में इन्होंने कहा है कि हमसे केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध ही नहीं किया गया, इसलिए हमने नहीं काम किया। बिहार में क्या स्थिति है हम ठीक से जान नहीं पाए, मैं समझता हूं कि केन्द्र की कोई रिस्पोंसिबिलिटी है या नहीं, अपनी जवाबदारी केन्द्र महसूस करता है या नहीं ? यह स्थिति आज बनी हुई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सूखे की स्थिति को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मैं

इसके साथ बाढ़ जैसे विषय को जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके बारे में भी सरकार को जितनी चिन्ता होनी चाहिए, बाढ़ आती है, नदियां तूफान पर आती हैं पानी समुद्र में चला जाता है जिस प्रकार विचार करना चाहिए, वह नहीं हुआ है । सूखे की स्थिति से निपटने के लिए काफी कारगर कदम उठाने आवश्यक हैं । बाढ़ पर नियंत्रण हो तो खेतों में पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था हो । मध्य प्रदेश में बी० जे० पी० की सरकार है, उसको चिन्ता है, विपक्ष को भी थोड़ी-बहुत चिन्ता जरूर है । विपक्ष भुखमरी की चर्चा करता है, लेकिन वे चाहे भूख से मरे हों या न मरे हों लेकिन इस बात से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति खराब है । स्थिति ऐसी खराब हैं कि यह परिस्थिति कभी भी खड़ी हो सकती है, इस बात को वहां के विपक्ष ने भी स्वीकार किया, कांग्रेस ने भी स्वीकार किया ।

अतः मैं चाहूंगा इस दिशा में सरकार निश्चित उत्तर देवे । जो अपनी तरफ से आपने प्रयत्न करना है वह करें । जैसे आपने अपने उत्तर में कहा था ।

[अनुवाद]

"गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सूखे की स्थिति का आकलन करने और मौजूदा ढांचे के अन्तर्गत जिनको सहायता राशि दी जाए इसका पता लगाने के लिए केन्द्रीय दल भेजे गए थे । चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल में सूखे की स्थिति अधिक गंभीर मानी गयी ।"

[हिन्दी]

अब 46 जिलों में से 36 जिले प्रभावित हैं । 28 में से 20 जिले प्रभावित हों और उसके बाद आप कहते हैं कि गंभीर स्थिति नहीं हैं या आपने जो अनुमान लगाया है, उसके साथ नहीं बैठता है । मैं समझता हूं कि अत्यन्त लज्जापूर्ण और दुखदायी स्थिति है । आप आगे कहते हैं :

[अनुवाद]

"तथापि राहत कार्य में राज्य सरकार के संसाधनों को और अधिक लगाने की दृष्टि से भारत सरकार ने केन्द्रीय राहत कोष और कुछ अन्य योजना आयोजनाओं के केन्द्रीय अंश की अग्रिम अदायगी की मंजूरी दी है । आपदा राहत कोष का सम्पूर्ण हिस्सा वर्ष 1992-93 के लिए जो 63.85 करोड़ रुपया बनता है सभी राज्यों के लिए है अर्थात् पूरे देश के लिए है ।"

[हिन्दी]

सारे देश के लिए आगे क्या करने जा रहे हैं । तात्कालिक योजना क्या है ? दीर्घकालिक योजना क्या है । क्या आप केवल किसी को कुछ बताकर······(व्यवधान) संतुष्ट करना चाहेंगे तो वह संतुष्ट नहीं होगा । मैं समझता हूं जितनी गंभीर स्थिति सूखे की बनी हुई है तो उसको देखते हुए आप प्रभावी कदम उठायेंगे । मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की फसलें प्रभावित हुई हैं । सिर्फ मध्य प्रदेश में 58.50 लाख जनसंख्या प्रभावित है और अब तक 202 करोड़ की फसलों की हानि हो चुकी है मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में निश्चित रूप से उत्तर देंगे और मध्य प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जो जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी तो न्यायालय के आदेशों को देखकर आपने क्या कार्यवाही की है । यह गंभीर विषय है और सारे देश के अधिकांश राज्य इससे

प्रभावित हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है और बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र प्रभावित है। करोड़ों किसानों के परिवार इससे प्रभावित हैं तो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर आने वाले संकट को और संकटपूर्ण न बनाते हुए उस संकट से उबारने की दिशा में आप कारगर कदम उठायेंगे इन इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का प्राप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सदन अपनी सहमति देगा।···(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, इतने गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है··· (व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जो कुछ भी कह रहे हैं, कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री नीतीश कुमार, कृपया विघ्न न डालें। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अतः इसे लिया गया है। माननीय कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। अब मैं श्री चन्दूलाल चन्द्राकर से बोलने को कहूंगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, हम लोगों ने इस सदन में अनेक वर्षों से राहत और अकाल पर चर्चा की है। लेकिन इस वर्ष जैसा अकाल पड़ा हुआ है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक तो ऐसा अकाल जब से मैं सन् 1950-52 से देख रहा हूं तो ऐसा अकाल नहीं पड़ा। पहले जो अकाल पड़ता था वह सिर्फ अनाज का पड़ता था।

सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर संसद का और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो अकाल है वह अनाज का अकाल नहीं है, पीने के पानी का अकाल है और पशुओं के लिए पानी का भी अकाल है तथा भयंकर बिजली का अकाल है। ये तीनों अकाल मिलकर हमारे देश में भयंकर अकाल के रूप में आ गये हैं और देश इनकी चपेट में आ गया है। इसके ऊपर मैं कहूं कि इतना क्षेत्र प्रभावित हो गया, इतने लोग प्रभावित हुए हैं, इतने पशु प्रभावित हुए हैं, यह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हर वर्ष अकाल के बाद या बाढ़ के बाद हम उस पर चर्चा करते हैं, आज मैं खासतौर से इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि अकाल क्यों पड़ता है। अकाल क्या होता है और अकाल को स्थायी रूप से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन चीजों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हर साल हम लोग यह कहते हैं कि अकाल पड़ गया, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं किया जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि यह जो खेत का अकाल है निःसन्देह राज्य सरकारों का विषय हो सकता है और है भी। लेकिन चूंकि अकाल बहुत साल से पड़ रहा है और इस साल तीन तरह का भयंकर अकाल है इसलिए खास तौर से इस बार केन्द्रीय सरकार को कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में बहुत बड़ी योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

हमारे देश में 468 प्रशासनिक जिले हैं। हर जिले की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि उसके लिए दो-तीन तरह की योजनायें बनाई जायें। एक तो तात्कालिक योजना, दूसरी मध्यकालीन और तीसरी दीर्घकालीन योजना। इसको आप स्थायी रूप से तब कर पायेंगे जब आप हर जिले में यह पता करें कि वहां मौसम कैसा है, वर्षा कैसी होती है, वहां की जलवायु कैसी है और वहां की जमीन कैसी है।

---

* कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

जमीन के परीक्षण के लिए हर जिले में लेबोरेट्री स्थापित हो, जिससे मालूम हो कि जमीन में कितना पानी है, कौन-सी फसल हो सकती है, कितनी खाद डालनी है और किस किस्म की डालनी है। आज किसान को यह कह दिया जाता है कि यूरिया डाल दो, इस तरह से हमारे देश में जो भी खाद है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कम्पोज मेन्योर की तरफ भी देखना चाहिए, पहले गांव के लोग खाद बनाते थे। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और ब्लाक स्तर पर और कलेक्टर के स्तर पर कम्पोज मेन्योर को देखा जाना चाहिए।

जैसा आपने कहा कि हमारे देश में शहर में भी और गांव में भी रहन-सहन का, भोजन करने का तरीका और आवागमन का तरीका जो 1949-50 में था अब 1991-92 में नहीं है। बहुत परिवर्तन हो गया है। इसलिए जैसा परिवर्तन देश में हुआ है उसके अनुसार हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज जो क्षेत्र गेहूं, चावल या पटसन पैदा करता है वही क्षेत्र जो गेंहूं, चावल और पटसन ही पैदा करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमको योजना बनानी होगी कि कौन से जिले में हम किस प्रकार की जमीन के अनुसार किस प्रकार की बुवाई करें। यह किसान को कह देने से ही नहीं होगा। हर 10-15 ब्लाक्स के अन्दर एक एग्रीकल्चर डेमोस्ट्रेटिव फार्म बनाने पड़ेंगे। जहां किसान आकर दो-तीन महीने रह सके और किस किस्म की फसल बोये उसका अध्ययन करके और जांच करके अपने गांव में जा सके।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ आज देश की बदलती हुई परिस्थिति में आवश्यकता है कि इतने बड़े देश के लिए हार्टिकल्चर और फारेस्ट्री के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो, क्योंकि इतने बड़े देश में केवल 50 विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों के जरिये लोगों को मालूम हो सके कि उनके क्षेत्र में, उनकी जमीन में किस तरह की और कौन-कौन सी फसल, सब्जी, जंगल हो सकते हैं ? हमने देख लिया है कि सरकार की जंगलात लगाने की जो नीति है, वह लगभग असफल हो गई है। अब कुछ किसान लोग अपनी खाली जमीन में जंगलात लगाना चाहते हैं लेकिन वे अपनी जमीन में किस किस्म के फास्फेट लगाये, इसके लिए हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जहां पर नदियां भी हैं, जमीन भी अच्छी है और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा प्रदेश है लेकिन हार्टिकल्चर और फास्फेट के नाम पर पता नहीं कुछ भी तो नहीं है। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर बहुत से विद्यार्थी, नवयुवक-युवतियां इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ना चाहते हैं। उनकी इंस्टीट्यूट में कोई दिलचस्पी नहीं है, जितनी डिग्री लेने में। इसलिए मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि हार्टिकल्चर और फारेस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाये, उसी तरह डेयरी यूनिवर्सिटी बनाई जाये जिसमें 4-5 लाख की ट्रेनिंग दी जाए। इस देश में एनीमल हास्बेंड्री की अनेकों यूनिवर्सिटियों के खोलने की जरूरत है। जब तक ये नहीं खुलेंगे, इस ओर ध्यान नहीं जायेगा, खाली चर्चा करते रहेंगे और अन्त में कुछ होगा नहीं। लोगों को सीरियल्ज प्रॉडक्शन करने की जरूरत है······

एक माननीय सदस्य : बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी खुली है······

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : क्या एक से ही काफी हो गया ? मैं तो पूरे हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे। उन्होंने खोली है तो उसकी प्रशंसा

करनी चाहिए और यदि नहीं खुली है तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे देश में अधिक से अधिक एनीमल हस्बेंड्री और डेयरी की यूनिवर्सिटी खुलने की जरूरत है। इसी तरह हम यहां एग्रो-इंडस्ट्री की बात कर देते हैं कि ये खुलनी चाहिए, इसका डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन होता कहां है ?

सभापति महोदय, हमारे देश में 5 लाख 76 हजार गांव हैं और एक लाख 74 हजार ग्राम पंचायतें हैं लेकिन सरकार ने या कभी बैंकों ने जो कहीं-कहीं पैसा लगाते हैं और जिसका भंडाफोड़ हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एग्री-इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के नाम पर सरकार या बैंकों की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार के जरिये, प्लानिंग कमीशन के जरिये और खास कर 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो एक लाख 74 हजार ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 100-150 युवकों को छोटे-छोटे उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस जगह इंडस्ट्री खोली जा सकती है, उसके लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी लेकिन ट्रेनिंग देने के नाम पर क्या हो रहा है ? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन प्रदेश सरकार का काम ट्रेनिंग देने का होता है लेकिन वह हर समय टाल देती है कि पैसा नहीं है। जैसा कि हमारे मित्र डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने कहा कि वहां अकाल काफी है लेकिन इतना पैसा नहीं दिया है। यह तो उनके प्रदेश के मुख्य मन्त्री को चाहिए था कि हमारे कृषि मंत्री ने अनुरोध करते, आपके प्रदेश को नहीं देश के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाइये और अकाल को समाप्त करने के लिए कोई समाधान खोजिये। (**व्यवधान**) मेरा काम तो दोनों को बताने का है। तो मैं केन्द्रीय सरकार के जरिये प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि वे केन्द्रीय मन्त्री से कहें कि प्रदेश में एग्रो-यूनिट खोलने के लिए स्थायी हल निकालें और उस पर हम चर्चा करें। हम लोग सभी इकट्ठे होकर यहां चर्चा करें और वह चर्चा दो दिन हो, तीन दिन हो, चार दिन हो, ऐसा नहीं कि मुझे फलाना काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता या एक दिन बाद चले जाएं। कुछ दिन बैठकर चर्चा होनी चाहिए। आज देश में जो भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, उस अकाल की समस्या पर विचार करना बहुत जरूरी है।

मेरे साथी कह रहे हैं कि बारिश हो गई है, हो सकता है कि कुछ जिलों में बारिश हो गई हो, इनके जिले में बारिश हो गई हो, एक-दो जिलों में बारिश हो सकती है लेकिन देश में 459 जिले हैं, मैं समझता हूं कि मुश्किल से 50-60 जिलों में बारिश हुई होगी, सभी जगह बारिश नहीं हुई है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश में जितनी नदियां हैं, उन नदियों का पानी कहां जाता है। मैं आंकड़ों में कम विश्वास करता हूं लेकिन कभी-कभी आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। कहा जाता है कि अमेरिका में जितनी बारिश होती है, उतनी ही बारिश हमारे देश में भी होती है। यह भी कहा जाता है कि वहां कृषि के उपयोग के लिए जितनी नहर-नाले बनाये गए हैं, उनके जरिये 34-35 प्रतिशत पानी का उपयोग कर लिया जाता है। मैं यहां आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन हमारे देश में जितना पानी का उपयोग सिंचाई के कामों के लिए करना चाहिए था, बिजली के उत्पादन के काम में, हमारे देश में छोटे-छोटे डैम बनाकर बिजली उत्पादन करने की बहुत जरूरत है, चाहे वह डैम 5 मेगावाट के हों, 3 मेगावाट की क्षमता के हों, लेकिन छोटे-छोटे डैम स्थापित करने की आज बहुत आवश्यकता है, जिस तरह और जगह होता है। अतः मेरा कृषि मन्त्री के जरिये प्लानिंग कमीशन से अनुरोध है, हमारे देश की योजना बनाने वालों से अनुरोध है कि देश में जितनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उन सब में किसी तरह से स्टाप डैम बनायें।

स्टाप डैम बनाने से लाभ यह होगा कि उनमें पानी रुकेगा और आज जिस तरह से उनमें पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, वह पानी का स्तर भी ऊपर आयेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जितनी नदियां हैं, उनमें रेत, पत्थर, रोड़े और कीचड़ बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है। मैं यहां एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यमुना नदी जितनी गहरी 1950 में थी, आज 40 सालों बाद, उसमें 14 फुट रेत इकट्ठी हो गई है। वैसी ही स्थिति अन्य नदियों की भी हैं। आज हमारे देश में हर नदी पर ड्रेजर मशीन लगाने की जरूरत है ताकि वह नदी के अन्दर जमा कीचड़ को, रेत को बाहर निकालकर फेंक सके। अब सवाल उठता है कि इन नदियों से जो रेत और कीचड़ निकलेगा, उसका क्या होगा। स्वेज कैनाल का उदाहरण हमारे सामने है। स्वेज नहर में बराबर रेत कीचड़ निकालने का काम चलता रहता है और वहां जितनी रेत बाहर निकलती है, उसका उपयोग सड़कें बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वेज कैनाल को जाकर देखिए, वहां इंजिप्ट की राजधानी में चले जाइए, कैरो तक जो सड़क बनी हुई है, वह उसी कैनाल से निकली रेत से बनी है। इसलिए इन नदियों से निकली रेत को हम सड़कें बनाने के उपयोग में ला सकते हैं। इस काम में चाहे वह राज्य सरकारों के ड्रेजर कार्पोरेशन हों या केन्द्र का हो या कोई दूसरी एजेंसी हो, सबको मिलाकर सहयोग करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ स्टाप डैम बनाने भी आवश्यक हैं क्योंकि इसके बिना हमारे देश में पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है।

इसके अलावा हमारे देश में बिजली का भारी संकट है और बिजली की संकट के कारण आज गांवों में लोग ट्यूबवैल लगाने लगे हैं लेकिन वहां भी पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि उन ट्यूबवैलों को बिजली ही नहीं मिल रही है। खास तौर से एक-दो राज्यों को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वहां किसानों का पूरा ध्यान रखा जाता है और इन दोनों राज्यों में किसानों को काफी बिजली दी जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में बिजली की भारी कमी है और बिजली के मामले में हमारा मध्य प्रदेश शायद सबसे आखिरी नम्बर पर है क्योंकि वहां बिजली देने के नाम से, मध्य प्रदेश में तो बिजली किसानों को दी ही नहीं जाती है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, बिजली नहीं देंगे और उसके साथ-साथ 10 या 15 ब्लाकों के बीच में जब तक एग्रीकल्चरल डिमोंस्ट्रेशन फार्म्स की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। हमारे यहां राहत के नाम पर जो कार्य खोले जाते हैं, वे सब स्थायी रूप में खोले जाने चाहिए क्योंकि मेरा अनुमान है और आपके जरिये केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी से विशेष अनुरोध है कि वे सभी राज्य सरकारों की एक बड़ी बैठक बुलायें ताकि आज देश में जितना भयंकर अकाल पड़ रहा है, उस पर तत्कालिक. मध्यकालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर विस्तृत विचार हो सके, जिनमें कि हमारी फसलों में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। जो पहले गेहूं बोता था, वहां गेहूं बोने और जो पहले धान बोता था, वहां धान बोने की जरूरत है। प्रदर्शन फार्म और हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा बिहार में, एक-एक राज्य में 10-10 विश्व-विद्यालय खुलेंगे, तब जाकर सुधार होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में डेयरी के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं खुलें, एनीमल हस्बेंड्री के प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर संस्थान खोले जाएं और इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए भी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं, तभी इन प्रदेशों में तरक्की हो सकती है।

सभापति महोदय, हमारे देश में जो हो रहा है, उसके प्रति जितनी अधिक चिन्ता राज्य सरकारों को होनी चाहिए, वह नहीं है। यही कारण है कि राहत कार्यों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। केन्द्र से पैसा जाता है, वह तो ठीक है, लेकिन राज्य सरकारों को भी प्रदेश की उन्नति और बाढ़ और सूखे से राहत देने के लिए कार्यों पर पैसा खर्च करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, आज हम ऐसी गम्भीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण देश के कोने-कोने में लोग, कहीं पर बाढ़ से और कहीं पर सुखाड़ से पीड़ित हैं। मान्यवर संत कबीरदास ने ठीक ही कहा है—

"जल में मीन प्यासी, हमें सूना-सूना लागत है।"

मान्यवर, इस देश में पानी के स्रोतों की कमी नहीं है। इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे, तो आप पायेंगे कि हमारे देश में पानी के स्रोत इतने अधिक हैं जो देश की इंच-इंच जमीन को, सींच सकते हैं। लेकिन आजादी के 47 वर्षों के बाद भी आज तक स्रोत पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे सकी है और नतीजा यह है कि पानी रहते हुए भी हमारे भारत में, हर राज्यों में कहीं सूखे की स्थिति है, तो कहीं बाढ़ की। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते हैं। यह मैं मानता हूं कि हमारा हरियाणा और दिल्ली भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि दिल्ली की तो अपनी कोई चीज है ही नहीं। सारे देश और विभिन्न देशों से अनेक लोग यहां रहते हैं, लेकिन यहां की अपनी कोई चीज नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती है, तो यहां पर ठंडी हवा चलती है और जब राजस्थान में गरमी पड़ती है, तो यहां पर गर्म हवा चलती है।

मान्यवर, इस देश की राजधानी, इस हस्तिनापुर में, आप जिस विभाग के मंत्री हैं; आपसे हमें सॉल्यूशन निकालने की बहुत उम्मीद थी। आप ही ऐसे मंत्री हैं, जो किसान के बच्चे हैं, इसलिए हमें आपसे बहुत उम्मीद थी कि आपके मंत्री बनने के बाद आप इसका हल अवश्य निकालेंगे लेकिन मान्यवर, हम एक वर्ष से देख रहे हैं कि जो उम्मीद हमने आपसे लगाई थी वह पूरी नहीं हो पाई है। अभी 3-4 महीने पहले आपने बाढ़ पर अपना जवाब दिया था और कहा था कि जो राज्यों की मांग थी उसका 50 प्रतिशत एडवांस आपने दे दिया है। मान्यवर, आपने जो सर्वेक्षण करवाया है, एक बार की नहीं, कई वर्षों की रिपोर्ट है, भारत सरकार की यह रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे देश में ऐसी स्थिति रहने वाली है कि कहीं बाढ़ और कहीं सुखाड़ की स्थिति रहेगी। इसलिए हमको दोनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मान्यवर, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बिहार में एक कोसी नदी है और कोसी नदी में एक डैम के निर्माण की मांग काफी समय से होती रही है, अगर उस डैम का निर्माण हो जाता है, तो आज जो बिहार गरीब है, वह अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा बल्कि पूरे देश की अन्न की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा और बिहार में न सुखाड़ रहेगा और न बाढ़ से कोई नुकसान हो सकेगा। लेकिन सौ-सौ करोड़ रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 45 वर्षों से दुरुपयोग करने का काम किया है। राज्य सरकार मांग करती रही और भारत सरकार अनसुनी करती रही। इससे क्या लाभ है। मैं मानता हूं कि विपत्ती आएगी और आप करोड़ों, अरबों रुपये का दुरुपयोग करेंगे। हवाई जहाज के पेट्रोल के लिए अत्यधिक खर्च करेंगे

लेकिन राहत देने वालों को राहत के नाम पर क्या मिलेगा। उन्हें एक सप्ताह में चार किलो अनाज मिलेगा। इसलिए इसमें गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है।

आप बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में जाइए। हमारे पास एम० ए० पास नौजवान आते हैं और कहते हैं कि 200 रुपये में कहीं नौकरी में लगा दो, हम काम करने को तैयार हैं। आपके देश की क्या स्थिति है ? इस देश में शिक्षित नौजवान मजदूरी करने पर आतुर हो गया है और उसे काम नहीं मिलता है। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह उनके लिए व्यवस्था कर सके। इसलिए आप उसे धनराशि दें और उनको राहत की सांस लेने दें।

पशुओं की क्या स्थिति है ? आप कहते हैं कि पशुओं की नस्ल सुधारने का काम करें। जब सुखा पड़ता है तो उनको घास नहीं मिलता है और जब बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ बह जाता है। पशुओं के लिए रहने की व्तवस्था होनी चाहिए। यदि पहाड़ी जानवर होता है तो वह मर जाता है। हमारे यहां जहां पहाड़ नहीं हैं, वहां पशु अपने ढंग से पलते हैं। मेरा कहना है कि हर स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

रांची में राज्य सरकार का अलग बजट है। पमुओं की व्यवस्था के लिए आज तक एक काम भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। उसमें यदि भारत सरकार अच्छी तरह से कुछ करती तो मैं समझता हूं कि योजना बहुत ज्यादा सफल होती।

अभी श्री चन्द्राकर जी बोल रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। गांव में यदि पम्प है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसे चलाने के लिए 24 घंटे में से एक घंटा भी बिजली नहीं मिल पाती है, लेकिन हैडक्वार्टर में सारा प्रशासन बिजली का दुरुपयोग करता है। जैसे हम भी दिल्ली में करते हैं हीटर और एयरकंडीशन चलाकर। यदि इस बिजली की कटौती करके गांव की तरफ ले जाएं तो मैं मानता हूं कि हमारे किसान सबल हो सकते हैं। जब इस देश का किसान सबल होगा, मजबूत होगा तो यह देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लाख कोशिश करने के बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं।

बेरोजगार नौजवान मजदूरी करने को तैयार हैं। मैं वेदना से बोलना चाहता हूं। हमारे यहां 25-50 लोग लाइन लगाए रहते हैं और कहने हैं कि हमारे यहां सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोई रोजगार नहीं है। हम यह भी समझते हैं कि सरकार क्या करेगी, कितनों की राहत देगी, कैसे व्यवस्था करेगी। लेकिन क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि यह देखें कि सूखा किस कारण से बार-बार आता है। किस कारण से बाढ़ आ जाती है, इसका सर्वेक्षण आपने कभी करवाने का काम नहीं किया है। मैं आपका बहुत समय न लेते हुए पुनः आग्रह करता हूं कि आप इसे गम्भीरता से लें क्योंकि हम 193 पर बोल रहे हैं। मंत्री जी ऐसी गम्भीर समस्या पर गम्भीरता से ही विचार करें। मैं जानता हूं कि मंत्री जी के हाथ भी इसमें बंधे हुए हैं।

योजना आयोग में आप विशेषज्ञों कों रखते हैं। यह एक अच्छी बात है और उसमें विशेषज्ञ होने भी चाहिए लेकिन तोजना आयोग में एक मैम्बर ऐसा होना चाहिए जिसे गांव का कटु अनुभव हो। इससे गांव की स्थिति में सुधार आयेगा। पढ़े-लिखे विद्वान् लोग बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो कि गांवों में रहते है और वे अशिक्षित होते हुए भी बहुत अच्छी विभिन्न विषयों पर बहस कर सकते हैं। मैं बार-बार आपको यह सुझाव देता हूं कि गांव के अच्छे लोगों को आप योजना आयोग में रखें। आप मेरे इस सुझाव पर अवश्य अमल करें।

इससे गांवों का काया पलट ही सकता है। एयरकंडिशन लगे कमरों में रहने वाले लोग जब तक योजना आयोग के मैम्बर रहेंगे, योजना आयोग के चयरमैन बने रहेंगे, तब तक गांव की योजना पूरी नहीं हो सकती है। यह मेरा चैलेंज है।

हमारे बिहार में एक तरफ बाढ़ आती हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ पड़ता है। दोनों एक साथ होता है। इसलिए आप बिहार की तरफ विशेष ध्यान दें। वहां जल्द-से-जल्द राहत का काम करवायें। इस बारे में बिहार सरकार ने आपसे मांग भी किया है और उनका प्रतिवेदन भी आया हुआ है। आप उस पर गंभीरता से विचार करें। इतना ही मुझे कहना है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, अभी जो समस्या आ गई है, कुछ को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सूखे का प्रहार चल रहा है। कुछ जगहों में थोड़ी-थोड़ी वर्षा हुई है, मगर वह वर्षा दो से तीन दिनों तक खेती के काम में मददगार होगी। लेकिन जहां कल तक हाहाकार का हाल था, उत्तर बिहार का वह इलाका मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सोपोल, वहां अभी भी नदियों में भरा हुआ पानी समुद्र में जा रहा हैं, मगर दोनों बगल सूखे के शिकार हैं और वहां हाहाकार मचा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं खैरात में जाऊं जिसका कि अभी हमारे मित्र जिक्र करेंगे। आप अभी से ही कुछ इंतजाम करें। हमें खैरात के रूप में भिक्षा देने या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किराये पर डीजल के साथ पंपिंग सैट्स नदियों से पानी ऊपर करने के लिए दें। कई लाख एकड़ उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार का उत्तरी हिस्सा, कुछ उड़ीसा का हिस्सा, जहां नदियां बह गई हैं उस पानी को दोनों बगलों से वहुत बड़े-बड़े नलकूपों से सिंचाई के काम में तुरन्त लाया जा सकता है। खरीद में, बिक्री में और विलम्ब होगा, फिर कमीशन का मामला होगा, इसलिए मेरे इस सुझाव पर आप अमल करें।

मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में नहीं आऊंगा और न ही यह कहूंगा कि बिहार सरकार केन्द्र सरकार से बेहतर है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि तुरन्त किसानों को नदी का पानी ऊपर ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर अगर किराये पर पम्पिंग सैट मिले तो दस लाख एकड़ भूमि में अच्छी खेती इस साल के लिए हो जायेगी। यह बात मैं तुरन्त राहत के रूप में कह रहा हूं। कम से कम जो गंगा का उत्तरी हिस्सा है, जिसमें उत्तर बिहार भी है, बंगाल का उत्तरी हिस्सा भी है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा भी है, वह लगभग पानी पर तैर रहा है, थोड़े ही नीचे में पानी है, वह अनन्त जलराशि है, उसको ऊपर लाने के लिए अभी बिहार सरकार 90 फीसदी अनुदान देकर सीमान्त किसानों के लिए नलकूप की व्यवस्था किये हुए है लेकिन पैसे का अभाव है इसलिए चयन किया जाता है कि इतने को ही दो। उसमें 10 फीसदी पैसा लोगों को देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है, क्योंकि 10 परसेन्ट भी वह नहीं देगा तो वह अपनी चीज की रक्षा भी नहीं करेगा।...(व्यवधान)

5.01 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 1992-93 के मौसम के लिए पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 मौसम के लिए असम की टी डी-5 ग्रेड की कच्ची पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है यह मूल्य गत वर्ष के लिए निर्धारित मूल्य की तुलना में 25 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता

है। कच्ची पटसन की अन्य किस्मों और ग्रेडों के सदृश मूल्य, पटसन आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय द्वारा सामान्य बाजार मूल्य अन्तरों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे।

2. भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०) जैसे और जब भी जरूरत पड़ेगी कच्चे पटसन के लिए मूल्य समर्थन अभियान चलायेगा। निगम वाणिज्यिक आधार पर पटसन सौदों के सम्बन्ध में निर्णय लेगा और इसकी किसानों से बाजार में मौजूदा स्थितियों के द्वारा न्यायसंगत मूल्य पर, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीद करेगा।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को पटसन की खेती में अधिक निवेश और कच्चे पटसन के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि से प्रोत्साहन की आशा है।

नियम 193 के अधीन चर्चा

5.02 म० प०

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति—(जारी)

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मंत्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण जूट के सवाल पर करना चाहता हूं। सिर्फ जूट के सवाल पर कर रहा हूं कि जूट निगम किसानों से नहीं खरीदता है, व्यापारी उससे सस्ती दर पर खरीदते हैं और जूट निगम उन व्यापारियों से खरीदते हैं, इसमें कुछ करें।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : टैक्सटाइल वालों से बात करेंगे, उनको कह दिया है कि वह खरीदेंगे। उनको मैसेज भी भेज दिया कि वह जाकर मार्केट में खरीदें। आप इसमें टैक्सटाइल मिनिस्टर से बात कर लें।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, जैसा मैंने नदियों के बारे में कहा, अब मध्य बिहार की बात है। वहां पर उल्टी दिशा में नदियां बहती हैं, सोन है, पुनपुन है, फलमू है, उनमें भी अभी पानी है। मैं कल ही देखकर वह आ रहा हूं, उस पानी को दोनों तरफ यदि उपयोग किया जाये तो पूरा तो नहीं लेकिन बड़ी हद तक उससे सिंचाई का काम अभी हो सकता है, इस खेती के लिए।

एक दूसरा सुझाव मेरा है, छोटे-छोटे मिट्टी के बांध, जिनको खास बांध कहते हैं, उस मिट्टी का भी बांध बनाकर, पानी को घेरकर बड़े इलाके में सिंचाई का काम हो सकता है। उसमें खतरा यह है कि वह मिट्टी कहीं बाढ़ आये तो बह न जाये लेकिन वह तो सस्ता काम है। बड़ा सस्ता काम है इसलिए उतनी मिट्टी बह भी गई तो उससे सैंकड़ों गुना सिंचाई वह कर जायेगी, एक हफ्ते में कर जायेगी। आप कहियेगा, यह सब राज्य सरकार का काम है। लेकिन पैसा नहीं है इसलिए यह काम अच्छा रहते हुए भी नहीं हो पायेगा। इच्छा में भी कहां तक कमी-बेसी होगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। नदी से नलकूप के अलावा, पम्पिंग सैट के अलावा एक मिट्टी का बांध बनाकर तुरत अभी सिचाई का काम किया जा सकता है, इससे कम से कम उत्तरी बिहार में तो शायद ही सूखा रह पायेगा।

मैं जो तीसरी चीज कहने लगा था, वह नलकूपों के बारे में है। बिहार सरकार ने जो 90 फीसदी अनुदान देने की बात है, उसमें जरा-सा आप इसके अनुदात देने में मददगार हो जायें कि नलकूप गाड़ने में जो भी सीमांत या लघु किसान है या उससे ऊपर के मध्यम किसान या धनी भी है तो जो सरकारी दर है, उस दर से अनुदान देकर उनको ज्यादा मिल सके तो मेरा आग्रह होगा, मेरे आग्रह के बावजूद बिहार सरकार पी० वी० सी० पाइप लेने पर तैयार नहीं है, मेरा शक है कि उसमें कमीशन का मामला है, उससे आधे खर्चे पर पी० वी० सी० पाइप आता है इसलिए भारत सरकार पी० वी० सी० बड़े पैमाने पर मुहैया करे, जो बिहार सरकार की दर है, 90 फीसदी, 60 फीसदी या 40 फीसदी, उस दर पर गाड़ेगे तो वह किसानों की एक टिकाउ सम्पत्ति हो जायेगी, अपनी सम्पत्ति हो जाएगी। किसानों की अपनी सम्पत्ति होगी और साल में तीन फसलों की सिंचाई की गारंटी हो जाएगी। मैं पी० वी० सी० के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपका पैसा कम होगा और वह टिकाऊ ज्यादा होगा। लोहे की पाइन को मिट्टी खाती है और पी० वी० सी० को मिट्टी नहीं खाती है। इसको हमने दो ही जिलों में, दरभंगा और मधुबनी, चलवाया था और यह सरकारी अनुदान से चला था तथा अभी बिहार सरकार उसके लिए तैयार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बांस बोरिंग।

श्री भोगेन्द्र झा : बांस बोरिंग तो कुछ वर्षों के बाद सड़ जाती है, लेकिन पीवीसी हमारे और आपके जीवन के बाद भी रहेगी। पीवीसी में जंग नहीं लगता है और वह अनन्त काल तक के लिए रहेगी और आधे खर्च में यह काम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको बड़े पैमाने पर मुहैया करें, क्योंकि 40 फीट, 60 फीट, 150 फीट, और 200 फीट और 250 के स्तर पर साफ पानी मिलता है।

इसके बाद मेरा आग्रह होगा, विद्युत के बारे में, क्योंकि विद्युत पर अभी तक भरोसा नहीं किया जा सकता है। खास कर बिहार की हालत तो बहुत ही खराब है। बिहार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 55-56 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के मुकाबले में विद्युत उत्पादन बढ़ाते-बढ़ाते 35-36 पर ले आई। ऊपर नहीं बढ़ाया, नीचे से बढ़ाया है। अभी जो वहां सरकार है, उसने 35 से बढ़ा कर 20-25 पर ले आई है। विद्युत उत्पादन के मामले में हम कांग्रेस को भी मात कर रहे हैं। बिहार के विद्युत मजदूर यूनियन ने खुल कर कहा है कि आप इस तरह से प्रबन्ध करें। हमारा सहयोग लें, तो 15-20 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन हम एक महीने में बढ़ा देंगे। मुझे मालूम है, उस वार्ता में स्वयं मुख्य मन्त्री ने कहा था कि कम से कम बरौनी या कुछ जगहों का भार दे दो, लेकिन बिहार विद्युत बोर्ड इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह झंझट तो चलता रहेगा और इसके भरोसे पम्पिंग सैट नहीं चलेगा। सहूलियत की दर पर आप डीजल दे दीजिए, डीजल से पम्पिंग सैट चला कर नदियों का पानी खेतों में जाएगा और नलकूपों से भी सिंचाई जल्दी हो सकती है। बड़े पैमाने पर एक-एक, दो-दो नलकूप तैयार होते चले जायेंगे और इस काम के लिए एजेंसियों की कमी नहीं है। तुरन्त सिंचाई के लिए आग्रह है कि आप कदम उठायें, फिर आपको खैरात देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैरात मांगने में तो शर्म लगती है और देने वाले को जो लगता है, वह लगता है, लेकिन यह मजबूरी हमारी है। इस काम को आप जल्दी से जल्दी करायें।

अब मैं कुछ टिकाऊ बातें कहना चाहता हूं। अभी हमने देश के अन्दरूनी जलपथ के मार्ग के लिए एक विधेयक पारित किया है। जैसे राजस्थान नहर है और अभी तो राजस्थान नहर में सूखा नहीं है तथा संयोग से या सौभाग्य से बालू पर काफी पानी आया है। अभी थाड़ में बाढ है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान नहर पिछले 30 वर्षों से पूरी नहीं हो पाई है। अगर यह नहर पूरी हो जाए, तो जितनी वहां पर पथरीली क्षेत्र में आबादी है, राजस्थान नहर के पूरा होने से देश के उत्पादन में, देश के एक कदम से उतनी वृद्धि नहीं होगी, जितनी वृद्धि उस राजस्थान नहर के पूरा होने से होगी। इसी तरह से कोसी नहर की बात है, पूर्वी कोसी नहर का हिस्सा बालू से भरा हुआ है और वह बेकार हो गया है। सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहां पर बालू साफ करने के नाम पर लूट होती रही, बालू से कितना बलुआ बन गया, लेकिन नहर का सुधार नहीं हुआ है। मेरा आग्रह होगा, 1982-83 में यहां संसद में तत्कालीन जल-संसाधन मन्त्री, श्री अन्सारी साहब थे, उन्होंने प्रधान मन्त्री जी से राय लेकर एलान किया मेरे भाषण के जवाब में कि कोसी बोर्ड को हम अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरा खर्चा कर लेते हैं। मगर तत्कालीन बिहार के मुख्य मन्त्री, जो अभी विरोध पक्ष के नेता हैं, वे अड़े रहे। संसद में एलान हुआ और उन्होंने साबित कर दिया कि भारत की लोकसभा से ज्यादा ताकतवर बिहार की कांग्रेसी सरकार थी। उस सरकार ने बाजाफता नामों के साथ एलान होने के बाद भी उसको कुंठित कर दिया। मेरा आग्रह है कि उसको कम से कम लागू किया जाए, ताकि मेरे साथी, श्री सूर्य नारायण यादव, जो कह रहे थे, सबसे उपजाऊ भू-भाग में 35-36 लाख एकड़ में सिंचाई हो पाएगी। अभी पश्चिमी कोसी नहर में पानी 7.5 हजार क्यूसैक लाने की क्षमता है, लेकिन पिछले साल सूखे के समय में 500 क्यूसैक पानी ही लाया गया, क्योंकि साखा नहर तैयार नहीं थीं। शाखा नहर का पानी, बिहार सरकार का पैसा, बिहार सरकार उठा कर दूसरी जगह ले गई, कृपा करके जांच के लिए भेजिए। किसी शाखा नहर में 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 2 प्रतिशत काम बाकी है वह अगर पूरा हो जाए तो कोसी नहर में पानी की कमी नहीं है तो लाखों एकड़ में अभी तुरंत उससे सिंचाई हो सकती है। मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि हमको खैरात का अवसर न आने पाए और हम सिंचाई के जरिए उत्पादन को बढ़ा लें। इन कदमों के साथ में चाहूंगा कि तुरंत युद्धस्तर पर राज्य सरकारों से आप लगाव करें और लगाव करके जैसे देश में पी बी सी नल की कमी नहीं है उन नलों को लेकर, न आपको डीजल इंजन की कमी है, डीजल की कमी जरूर है उस पर कुछ राहत देकर उन सबको आप इस्तेमाल करें ताकि ठोक कर हम ऐसा काम करें।

एक सुझाव मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आज से करीब 15 साल पहले मिट्टी का नलकूप बनाने का काम प्रभाकर पोरटरीज, इजरा का गांव, मनिगाशी प्रखंड, दरभंगा जिले में उन्होंने शुरू किया, वे पंडित किताबों के पंडित नहीं, चक्र के पंडित, उन्होंने उसका इजाद किया और लगभग 25 से ऊपर ऐसे नलकूप 1982-83 से अभी तक वहां सफलता के साथ काम कर रहे हैं। 4 इंच के नल के जरिए उसमें सिंचाई हो रही है उसका खर्चा पांचवा हिस्सा पड़ता है, जो नलकूप हम लोहे का गाढ़ते हैं उसका पांचवा हिस्सा खर्चा पड़ता है। मेरा आग्रह है कि उसको भी हमने उस समय में दो-तीन साल केवल दो जिलों में कुछ अनुदान पर कराया था। फिर बिहार सरकार को जैसे मैंने कहा कि न तो वह पी वी सी के लिए तैयार हैं और न मिट्टी के लिए ही तैयार हैं।

कृपा करके केन्द्र की ओर से ग्रामीण विकास विभाग से हो, सीधे कृषि विभाग से दीजिए मैं साथ जाने को तैयार हूं, वे जांच लें। पक्की मिट्टी कोई मिट्टी नहीं खाती है, लौहे को खा जाएगी पी वी सी इससे भी ज्यादा टिकाऊ होगी। प्राचीनतम सभ्यता का अवशेष हमें जहां भी मिल रहा है वे पक्की मिट्टियों के जरिए मिल रहा है क्योंकि मिट्टी में वह अमर है और वही पक्की मिट्टी के नलकूप वहां हैं उसका नमूना वहां दरभंगा में, मधुबनी में हम रख आए हैं लेकिन वहां भी जा सकते हैं। अगर जल्दी में आप करें तो सारे देश के लिए मिट्टी से सिंचाई में आप इनक्लाब कर देंगे।

पांच मास खर्च पर सारे भारत के लिए, आप चाहें तो पूरा उसको ले लें। (व्यवधान) जब धन का अभाव है, पांच गुना सिंचाई हो जाएगी तो वे टिकाऊ सिंचाई की क्षमता हमारी होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो सुझाव मैंने दिया है उसको अगर किया जाए तो बहुत फायदा होगा। यह जल्दी करने लायक काम है क्योंकि पानी बहा जा रहा है, खेत सूख रहे हैं, ये अभाव बहुत ही हृदय विदारक है, अगर पानी नहीं रहता तो अलग बात होती, उसके लिए हम कुछ कदम उठाएं, कुछ नियम को ढीला भी करना पड़ेगा, जल्दी लागू करने के लिए, सभापति जी, 1967 में ऐसा ही अकाल था, मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर खत्म कर रहा हूं और जयनगर के जो कार्यपालक अभियंता थे एक धौरी नदी है उसमें केवल दोनों बगल नहर तैयार हो गई थी कमला नहर, धौरी नदी में पार करने के लिए ढांचा नहीं बना था और जमीन, करीब 35 हजार एकड़ नदी के उस पार पड़ती थी जब मैं बैठ गया कि कोई उपाय निकालिए और उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं होगा, बहुत जल्दी करेंगे तब भी साल डेढ़ साल लग जाएगा तो मैंने कहा कि मिट्टी का बांध दीजिएगा तो क्या होगा तो उन्होंने कहा कि मिट्टी तो बाढ़ में बह जाएगी तो मैंने कहा कि कितना खर्चा लगेगा उन्होंने कहा कि ··(व्यवधान)

सभापति जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप इसको कीजिए। मैंने सांसद की हैसियत से लिखा, जो मुखिया थे उन लोगों से लिखवाया कि हम लोगों ने जबरदस्ती इनसे करवाया, उन्होंने किया, लेकिन तीन-चार महीने बाद वे बांध भी टूट गया लेकिन 35 हजार एकड़ जमीन में फसल हो गई, सिर्फ पांच सौ रु० में और जब आडिट वाला आया तो वे घबराए उसने भी तारीफ में रिपोर्ट दी कि उन्होंने 35 सौ रु० में इतने में कमाल का काम किया, अब तो वे इलाका है जहां पानी बहा जा रहा है और खेत सूख रहे हैं, कुछ ऐसे फौरी कदम को आप उठाएं। ये सारे देश में जहां-जहां संभव है उसके लिए मैं कह रहा हूं और ये साधन आपके पास हैं, कम खर्च में अधिक सिंचाई और हम कभी अकाल नहीं आने देंगे, हम सूखे का भी मुकाबला करें ये क्षमता भारत सरकार में भी है, भारत की मिट्टी में भी है और भारत में जो पानी उपलब्ध है उस पानी में भी है।

इतना ही कह कर मैं आपके आदेश के मुताबिक समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, यह संतोष का विषय है कि सरकार देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रही है।

मैं अपना भाषण इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान केरल में पड़े सूखे के प्रभावों का उल्लेख करने तक ही सीमित रखूंगा। हमारे द्वारा मानसून के मौसम के दौरान सूखें के विषय में चर्चा किया जाना बिल्कुल विरोधाभासी है क्योंकि इस समय केरल में मानसून जोरों पर है और शायद ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमें बाढ़ों के बारे में बोलने का अवसर मिले। यह विचित्र स्थिति है। यहां इस सदन में इस स्थिति पर ध्यान देने के लिए मन्त्री महोदय द्वारा स्थिति का निरूपण करने के संबंध में भी मुझे प्रतिनिधित्व का अभाव सा दिखाई है। हमारे पास एक मन्त्री तथा 5 राज्य मन्त्री अथवा कृषि मन्त्री हैं। काबिना मंत्री द्वारा इस सदन में तथा दूसरे सदन में उपस्थित होने में जो कठिनाई होती है, उसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। परन्तु पता नहीं मेरे मित्र, कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को अपने अन्य साथियों का सहयोग क्यों नहीं मिलता है। निस्संदेह वह बहुत योग्य हैं। वह स्थिति से निपट लेंगे।

मैं ऐसे तमाम विषयों का ऐसे समय उल्लेख नहीं करना चाहता जबकि हम इस देश, में, विशेष रूप से मेरे राज्य में पड़े सूखे के गंभीर प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं।

केरल में, लगभग 138 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया था। केरल सरकार ने 138.47 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया है। केरल को सहायता के रूप में केवल 17.43 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी और वह भी इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाये गये प्राकृतिक आपदा कोष के धन से। सरकार के समक्ष मूलभूत प्रश्न यह होना चाहिये कि सूखा की स्थिति अथवा बाढ़ की ऐसी स्थिति अथवा प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिये सरकार की क्या नीति है तथा क्या इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पहले ही जो धन उपलब्ध किया गया है क्या वह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए काफी है। वित्त आयोग ने इस स्थिति में केरल राज्य को 30 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है जहां तक सहायता का पैटर्न का संबध है, वह 75 : 25 है; 75 केन्द्र से तथा 25 राज्यों से। भारत सरकार ने केवल 17:17 करोड़ रुपये दिए हैं जबकि कुल मांग 138 करोड़ रुपये की थी। भारी क्षति हुई थी। उदाहरणार्थ, केरल में वर्ष की पहली तिमाही में पड़े सूखे से 19,656 हेक्टेयर भूमि पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस भूमि की पूर्ण क्षति के हिसाब से क्षति की अनुमानित धनराशि 97.84 करोड़ रुपये थी। 91,838 हेक्टेयर भूमि को आंशिक क्षति हुई थी तथा इस क्षति की अनुमानित धनराशि 28.58 करोड़ रुपये थी इसलिए कुल धनरशि 126.42 करोड़ रुपये थी। केरल ऐसा राज्य है जिसने नकदी उत्पादों द्वारा अत्याधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। इलायची ऐसा ही एक उत्पाद है। इलायची के पौधों को बहुत अधिक क्षति पहुंची थी। सूखे से एक हजार एक सौ सोलह मीट्रिक टन इलायची की क्षति हुयी है और केवल इसकी ही लागत 30.40 करोड़ रुपए है। 6,995 हेक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ था तथा क्षति की अनुमानित धनराशि 18.19 करोड़ थी। भारत सरकार को तत्काल, फौरी सहायता अवश्य उपलब्ध करनी चाहिए थी। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने पेय जल, जो सूखा के कारण प्रभावित हुआ है, के लिए भी कोई धनराशि नहीं दी। केवल एक करोड़ रुपये की राशि चिकित्सा सहायता के लिए मांगी गई थी। वह भी नहीं दी गयी, केवल उतनी ही राशि दी गयी जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत दी जानी थी।

सरकार का सूखों को 'गम्भीर सूखा' अथवा 'साधारण सूखा' अथवा 'संभावित रूप से गंभीर सूखा' की श्रेणियों में विभक्त करने के मानदंड बिल्कुल अप्रासंगिक हैं। जब किसी राज्य में सूखा पड़ा हो, तो उसे आवश्यक, तत्काल तथा फौरी सहायता देना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। परंतु दुर्भाग्यवश, जहां तक केरल का संबंध है—माननीय मंत्री भी केरल के ही हैं—केरल के लोगों को प्रभावित करने वाली सूखे की स्थिति के प्रति सरकार का ढिलमिल रवैया बिल्कुल अशंतोषजनक था और, मुझे आशा है, भारत सरकार अपने रवैये में सुधार करेगी।

जैसाकि अनेक मान्यवर मित्रों ने इंगित किया है, कृषिगत भूमि बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश के निर्माण में कृषि भूमि की अत्यंत रचनात्मक एवं सार्थक भूमिका होती है। मुझे आशा है कि सरकार सूखे की स्थिति के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार की सहायता करने के लिए तत्काल तथा आवश्यक कदम उठायेगी।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं भारत सरकार से केरल राज्य की सहायता करने का पुन: अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*** श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, सूखा, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं। हम पिछले 45 वर्षों से इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु हम इस समस्या का स्थायी समाधान पाने में असफल रहे हैं। प्रतिवर्ष सरकार राहत कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। अब कुछ राज्यों में आपदा राहत कोष बने हुए हैं, कुछ राज्यों में सूखा राहत कोष तथा कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ राहत कोष हैं। प्रकृति में हमें यह विचित्र विरोधाभास मिलता है। इस वर्ष पूर्वोत्तर मानसून के न आने से केरल में भयंकर सूखा पड़ा। इसी प्रकार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा मणिपुर में सूखे की गंभीर स्थिति रही है।

संसद के प्रत्येक सूत्र में हम सूखा और बाढ़ों पर चर्चा करते हैं। उन सभी चर्चाओं में हमने मांग की है कि प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। वास्तव में, मैंने स्वयं ऐसी सभी चर्चाओं में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दशक को "प्राकृतिक आपदाओं को घटाने वाला दशक" घोषित किया है। ऐसा बताया गया है कि तदनुसार भारत सरकार ने, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया है तथा इस समस्या के समाधान हेतु दीर्घकालिक योजनाए बनाई जा रही हैं। यह कार्य बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब जबकि विज्ञान ने चमत्कारिक प्रगति की है, हमें इस प्रगति का उपयोग करना चाहिए तथा मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं के खतरे से बचाने के उपाय ढूंढने चाहिए।

इतना कहने के बाद अब मैं अपने राज्य केरल पर आता हूं। केरल वक मानसून प्रभावित राज्य है। वहां दो बार मानसून आता हैं।

एक तो दक्षिण-पश्चिम मानसून है और दूसरा उत्तर-पूर्व मानसून है। इस वर्ष उत्तर-पूर्व मानसून नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में सूखे की गंभीर स्थितियां पैदा हो गई। राज्य के लगभग सभी जिलों का पेयजल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा है। अनुमान है कि 1.12 हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गयी है। गरीब लोगों को ही फसलों के नष्ट होने तथा पेयजल की कमी के कारण अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े हैं। केरल ने राहत कार्यों के लिए 138.47 करोड़ रुपये की मांग की है। केन्द्र सरकार ने इस आधार पर कि वहां पर सूखे की स्थिति गंभीर नहीं है निर्णय लिया है कि राज्य सरकार को विशेष सहायता राशि न दी जाए। यह सच नहीं है। जो लोग इसका सामना कर रहे हैं वे ही जानते हैं कि कितना भयंकर सूखा है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा केरल राज्य को विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सूखे की दृष्टि से पालाघाट जिला अत्यधिक प्रभावित है। चित्तुर तालुक की छः पंचायतों, मन्नरकाडं तालुक की तीन पंचायतों, अलाथुर की दो, पालाक्काड की दो और ओट्टापालम तालुक की दो पंचायतें गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इन सभी पंचायतों में वे विशेषकर कोजिंगपाडा क्षेत्र में पेयजल की अत्यंत कमी है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। अट्टीपाड़ी में अधिकतर आदिवासी लोग है। इस क्षेत्र के सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ उपाय किए है। मुफ्त राशन और अन्य सुविधाएं उन्हें दी गई हैं इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि अट्टीपाडी पश्चिमी घाट का कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सूखे की गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में इसकी वैज्ञानिक तहकीकात होनी चाहिए।

---

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य के कई क्षेत्रों मानसून शुरू हो गया है और इससे राज्य के कई भागों में बाढ़ आई है और भूस्खलन हुए हैं। केवल अट्टीपाडी में ही 200 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब 50 लाख रुपये की फसल नष्ट होने का अनुमान है और तीन लोगों की मृत्यु हुई हैं। वयानाद जिले में भीषण भूस्खलन हुए हैं जिसमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यह क्षेत्र कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुलापल्ली रामचन्द्रन के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। चूंकि वह सभा में आकर इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे को यहां पर उठाने का अवसर मुझे मिले इदुक्की जिले में चार लोगों की मृत्यु हुई है। इसी तरह केरल के ऊंचे स्थानों पर सबसे अधिक नकदी फसल पैदा होते हैं उन्हें भी भारी हानि पहुंची है। हम इलायची, काली मिर्च, अदरक और अन्य बहुमूल्य नकदी फसलें और मसाले उत्पादित करते है जिनसे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इन फसलों को हानि पहुंचना एक गंभीर समस्या है। अतः केन्द्र सरकार प्रभावित किसानों को सहायता देने हेतु राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए।

मैंना जैसाकि शुरू में ही कहा है प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे अधिक गरीब लोगों को ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। पालक्काड जिला के किजाकनचेरी पंचायत में 5 जुलाई को हुए भूस्खलन के कारण 70 लाख रुपये की क्षति हुई है। पालाकुजली, टेन्डीलस और अटीकल कुंड में तीन किलोमीटर के घेरे में हुए भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। 7 घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 22 घर अंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। मरीब तीस परिवारों को दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है। कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि 150 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न फसलों को हानि हुई। इन फसलों में केला, कालीमिर्च धान, नारियल, रबर, अदरक और इलायची को हानि हुई है। इसके अलावा पुलों तथा पुलियायें क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूस्खलन के काहैण यह क्षेत्र अलग-थलग पड़ गया है प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता देने की आवश्यकता है।

अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि वहां पर तुरंत केन्द्रीय सहायता दी जाए और मौके पर जाकर जायजा लेने के लिए एक अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए। अलाथुर में दूषित जल पीने के कारण है जा फैल गया है और करीब दस लोगों की मृत्यु हो गई है।

इस संकट का सामना करने के लिए दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता है। इस समय माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो क्षति पहुंचती है उस क्षति को स्वयं किसान होने के नाते वही महसूस कर सकते हैं। जैसाकि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें दीर्घकालीन उपायों पर विचार करना होगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में दीर्घकालीन योजनाएं बनाए ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा कर सकें।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वह एक गंभीर मामला है। महोदय, मुझे याद है कि बजट सत्र के दौरान सारी सभा ने मध्य प्रदेश के सरगुआ जिला में हुए भूख से होने वाली मृत्यु की समस्या पर चर्चा की थी। कई बार हमने ऐसे मुद्दों कोउठाया था जो देश के विभिन्न भागों में घटित हुए हैं। महोदय, त्रिपुरा में भी ऐसी ही घटना हो रही है। हमने सूखे के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, महोदय यह बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 34 वर्षों बाद भी हम मानसून पर निर्भर करते हैं। हम योजनाओं की बात करते है, सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है।

फिर भी हम प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और न सरकार के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है।

महोदय, इस वर्ष, दक्षिण-पश्चिम मानसून विलम्ब से आया है। आज भी हम देखते हैं कि कई राज्य सूखे भयंकर रूप से पीड़ित हैं और परिस्थिति का सामना करने में सरकारी तंत्र असफल है। गांवों की स्थिति और भी दयनीय है, लोगों को आवश्यकतानुसार न्यूनतम भोजन भी उपलब्ध नहीं है वहां पानी का अभाव विद्युत उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है और इन सबसे केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य पदार्थों की मितव्ययिता के प्रबंधन पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है हम शोर-गुल मचाते है, तब लगता है कि सरकार कुछ करने का प्रयास करती है। तभी केन्द्र सरकार रिपोर्ट जुटाने के लिए अपना दल भेजती है। राज्य भी अपनी रिपोर्ट भेजता है। लेकिन हम देखते हैं कि राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेजती है और केन्द्रीय दल से जो रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, उसमें अंतर होता है। हमें यह देखकर दुख होता है मंत्री जी राज्यों का दौरा करते हैं और यह आश्वासन देकर लौटते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। आपदा राहत कोष पर राज्य अपना दावा करता है लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि उन्हें कितनी राशि दी गई है, इसका उपयोग किस तरह किया गया है, अल्पकालीन उपाय के तौर पर आपात योजना के लिए सरकार क्या करने जा रही है और सरकार द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में विकास का उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही और सरकार सूखे की इतनी गंभीर स्थिति से इसी तरह निपटती है तो महोदय मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसी सरकार के हाथों जनता का भाग्य सुरक्षित नहीं है।

महोदय, मैंने जल प्रबंधन के बारे में एक मामला उठाया था और मैंने पहले भी कृषि संबंधी विकास की समस्या का उल्लेख किया था। इसके गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम होंगे। जब सूखे की स्थिति होती है। तो हमें कुछ बातों पर विशेष बदल देना होता है। केवल धन उपलब्ध करा देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। क्या सरकार के पास प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का भंडार है? हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष खाद्यान्नों के भंडार कम हैं। इसके क्या कारण हैं? क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं करते हैं या इसका तात्पर्य यह है कि खाद्यान्नों का विपणन नहीं हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के समय से ही विपणनीय बचत और विपणन के लिए आए वस्तुओं में भारी अंतर है। द्वितीय खाद्याय संबंधी जांच समिति ने इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था परंतु आज भी सरकार इससे बेखबर है और कुछ नहीं कर रही है। धनी कृषक गुटों के दबाव में आकर प्रत्येक वर्ष क्रय मूल्य में वृद्धि की जा रही है। लेकिन बाजार में खाद्यान्न क्यों नहीं आते हैं? आपको इसका उत्तर देना होगा। सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। वे ऐसी घोषणा क्यों करते है कि खाद्यान्न नहीं मिल रहे हैं? केन्द्र और राज्य के बीच विवाद क्यों है? मूल्यों में स्थिरता क्यों नही आता है?

बजट सत्र के दौरान ढांचागत समायोजन तथा वित्तीय घाटे जिसे सरकार पूरा कर सकती थी उस संबंध में सरकार भ्रमित थी। परंतु जब हम सरगोजिया या त्रिपुरा की बात करते हैं तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हैं और वे चुप रहते हैं। गरीबी और कुपोषण जैसी कई समस्याये हैं। एक ऐसे देश में जहां 50 प्रतिशत जनसख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है तथा जहां मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, हमारे ऐसे विशाल देश में

सरकार को खाद्य व्यवस्था के बारे में अधिक गंभीर होना चाहिए। परंतु सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है जैसाकि दोषपूर्ण व्यवस्था से परिलक्षित होता है। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए।

सरकार पुनरीक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कर रही है। हमारा अनुभव यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो कुछ न्यूनतम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है वह लोगों तक नहीं पहुंचता है। कभी सरकार उत्तर देती है कि वैगनों कमी है तो कभी सरकार यह उत्तर देती है कि भंडागारों की कमी है। सरकार के विभागों में परस्पर समन्वय नहीं है। कृषि मंत्रालय तथा खाद्य मंत्रालय में समन्वय नहीं है, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा रेल मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। क्या हम यह सब ऐसे ही चलने दे सकते हैं ? यदि सभी कुछ ऐसे ही चलता है तो हम समस्याओं के समाधान की आशा कैसे कर सकते हैं ? कहीं, ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार को सूखे तथा बाढ़ जैसी स्थितियों के सामाजिक निहितार्थों को समझना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए और इस समस्या से निपटने हेतु एक आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए। आपातकालीन योजना में खाद्यान्नों की भाण्डागार सुविधा तथा उचित वितरण प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए। अत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार तथा खाद्यान्न मिले। जवाहर रोजगार योजना भी है। परंतु यह वार्षिक योजना है। यह आपातकालीन योंजना नहीं है। सरकार को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इस सम्बन्ध में एक आपातकालीन योजना तैयार करनी चाहिए।

जहां तक सूखे से फसलों को होने वाली क्षति का सम्बन्ध है, हमारे देश में ऐसा कोई तन्त्र नहीं है जिससे वास्तव में यह पता चल सके कि फसल की इतनी क्षति हुई है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्यों तथा केन्द्र, दोनों से कुछ व्यक्ति लेकर एक स्थायी समिति बनाए जो फसल को क्षति का मूल्यांकन कर सके।

तीसरी बात केन्द्रीय सहायता के बारे में है। भूख से व्याकुल लोग दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का इन्तजार नहीं कर सकते। इस स्थिति में आपातकालीन उपाय के रूप में प्रबन्ध किए जाने चाहिए। सरकार के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में उदाहरणस्वरूप, मैं त्रिपुरा के लोगों के अनुभव बता सकता हूं। निरन्तर दो वर्षों से झूम खेती चौपट हो गई है। मुख्य मन्त्री वहां गए; प्रधान मंत्री भी वहां गए तथा लोगों को आश्वासन दिया। परन्तु वास्तव में वहां लोगों को क्या सहायता दी गई है यह हमें नहीं मालूम है। हमें आज तक भी यह नहीं मालूम कि राहत कोष से प्रत्येक जरूरतमंद राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है।

चौथी बात यह है कि जहां कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा तथा आगामी वर्षों के लिए बीजों की आवश्यकता का अनुमान लगाना होगा। इन कार्यक्रमों को अग्रिम तौर पर शुरू करना होगा। किन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में सोच रही है अथवा नहीं।

कृषि भूमि के लिए पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध—में इस प्रश्न को सभा में कई बार उठाया गया है—सरकार के पास कौन-कौन सी योजनाएं हैं ? सरकार को भूमि तथा जल जैसे जीवनोपयोगी संसाधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मैं सरकार पर इसकी निष्क्रियता, पनधारा प्रबन्धन समस्या के सम्बन्ध में विलम्ब से की

गई कार्यवाही तथा सूखे से प्रभावित लोगों के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाता हूं। इसे राजनैतिक रूप मत दीजिए, यह दोषपूर्ण नियोजन तथा आवश्यकता पर अनाधरित नियोजन द्वारा पैदा की गई समस्या है। आप लोग जो ऐसी योजनाएं तैयार करते है, केन्द्र में सत्तारूढ़ हैं। इसमें सुधार करना आपका काम है। कृपया स्थिति को सम्भालिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पर कई माननीय साथी पहले ही बोल चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी स्थिति बहुत खराब है। 23 जिलों में से 12 जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है तथा 16 जिलों में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बहुत देरी से आई है और मानसून के आने के बाद भी बहुत कम वर्षा हुई है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हरे चने तथा सूरजमुखी की फसलों, जो वर्षा पर आधारित हैं, की बुआई तक नहीं हो पाई है।

पिछले 25 वर्षों के दौरान पहली बार—इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ—विजयवाड़ा में कृष्णा डेल्टा में, जो 140 वर्ष पुराना है, जिसमें 13 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र (आयकर) है, प्रति वर्ष अब तक आमतौर पर 50 प्रतिशत बुआई हो जाया करती है। परन्तु इस वर्ष कुछ हजार एकड़ यहां तक कि 4000 हेक्टेयर भूमि पर भी बुआई नहीं हुई है। इससे आप हमारे राज्य की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।

एक कहावत है कि "जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था।" इसी प्रकार हमारी राज्य सरकार सूखे की स्थिति के बारे में तनिक भी चिन्तित नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्य मन्त्री को इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि सत्ता में कैसे बना रहा जाए जबकि उसी दल में उसके प्रतिद्वन्दी उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, प्रतिद्वन्दी यह खेल खेल रहे हैं और इस प्रक्रिया में किसानों, आन्ध्र प्रदेश के लोगों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं।

केवल बहुत दिन पूर्व, 9 जुलाई को माननीय कृषि मन्त्री, श्री बलराम जाखड़ ने समय को कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति की जानकारी दी थी। परन्तु उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में सूखे के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा।

बहुत समय पहले सुविख्यात इंजीनियर तथा भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मन्त्री डा० के० एल० राव ने हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश के लिए, विशेष रूप से 140 वर्ष पुराने कृष्णा डेल्टा के लाभार्थ पुलिचिन्तला संतुलन जलाशय बनाने का सुझाव दिया था क्योंकि बाद में कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा तथा कई अन्य परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने के अलावा आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्री शैलम परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं। अतः कृष्णा डेल्टा के लाभार्थ उन्होंने पुलिचिन्तला जलाशय बनाने का सुझाव दिया तथा श्री एन० टी० रामराव के नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार ने 1988 में इस परियोजना की आधारशिला रखी तथा उन्होंने उसकी रूपरेखा तथा नहरों की खुदाई सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक मण्डल की स्थापना की।

दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकार ने उस मंडल का परिसमापन भी कर दिया है। सारा काम रोक दिया गया है। आज आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर मेरे जिले में कृष्णा डेल्टा के अन्तर्गत आने वाले किसान, सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि प्रति एकड़ दस बोरे फसल के हिसाब से कम उपज हुई तो कुल उत्पादन में 240 करोड़ रुपये की हानि होगी। यह नुकसान केवल हमारे किसानों तथा हमारे राज्य का नहीं होगा बल्कि समूचे राष्ट्र का होगा।

1987 में हमने भयंकर सूखे का सामना किया। सूखे का प्रकोप लगभग तीन वर्षों तक रहा। क्योंकि उस समय हमारे यहां खाद्यान्नों के प्रचुर भंडार था इसलिए उस सूखे का सामना किया जा सका। भंडार धीरे-धीरे समाप्त हो चुका है। खाद्यान्नों का उत्पादन इस वर्ष मुश्किल से 173 मिलियन टन हुआ है जबकि लक्ष्य लगभग 182 मिलियन टन का था तथा सरकार कठिनाई महसूस कर रही है। हम सभी जानते हैं कि एक समय सरकार कह रही थी कि यदि आवश्यक हुआ तो उसका इरादा गेहूं और चावल का आयात करने का है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अन्न भंडारों की स्थिति अनिश्चित हैं। सूखे की इस स्थिति में, यदि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती है तो निश्चय ही हमें अत्यन्त कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि 1982 के सूखे की स्थिति को देखते हुए भी सरकार इन वर्षों के दौरान अपनाई गई अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य नहीं हुई है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास प्रचुर जलस्रोत हैं। हमारे यहां बारहमासी नदियां हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान भी हिमालय की बर्फ पिघलती रहती है और हमें पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, कृषि और सिंचाई के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है और इससे देश को बड़ी हानि होती है। वस्तुतः प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर लगभग 113 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता की तुलना में, नवीनतम आकलन के अनुसार हमारे यहां 173 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। तकनीकी रूप से शायद यह संभव न हो। परन्तु सैद्धान्तिक रूप से, हमारे देश की फसल योग्य प्रत्येक हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करना संभव है।

इन तमाम वर्षों में, सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर बेमुश्किल नौ प्रतिशत से दस प्रतिशत तक खर्च कर रही थी। यहां तक कि इस वर्तमान आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी आप सिंचाई हेतु अधिक धनराशि का नियतन नहीं कर रहे हैं। सरकार को मेरा सुझाव यह है कि वह अपने तरीकों पर पुनर्विचार करे तथा कृषि हेतु आबंटन में वृद्धि करे तथा लघु सिंचाई हेतु और भी अधिक धन आवंटित करे क्योंकि इससे कम पूंजी से भी और अधिक क्षेत्रों को और अधिक सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

इन सूखा सम्बन्धी कार्यवाहियों में साधारणतया होता यह है कि कुछ ऐसे कार्य शुरू किए जाते हैं जो बिल्कुल अस्थायी प्रकार के होते हैं। मेरा सुझाव यह है कि आज सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए आज जो तरीका अपनाया जा रहा है उसके स्थान पर स्थायी उपाय किए जाएं। मेरा अपना जिला इसका ठोस उदाहरण है। अंग्रेजों के शासनकाल में जब एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था तो उन्होंने सिंचाई की नहरें खुदवाई थीं जो बहुत बड़ी थीं, उदाहरणार्थ मेरे जिले की के० टी० वी० नहर, जो कई हजार एकड़ भूमि को सींचने के लिए बनायी गयी थी और विगत लगभग तीन दशकों के दौरान, मुझे स्थायी प्रकार का ऐसा एक भी बृहत् कार्य देखने को नहीं मिला है। अब भी लगभग दो लाख गांव ऐसे हैं जहां हर मौसम में पहुंचने योग्य सड़कें नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार गांवों के भीतर सड़कों के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये। इससे

छोटे और सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण लोगों को तो सहायता मिलेगी, इससे उस गांव तक पहुंचना भी सुगम हो जाएगा।

इसी प्रकार, यदि छोटी नदियों और नालों पर आरपार दीवारों, रोकबांधों का निर्माण किया जाना अत्यंत सहायक होगा क्योंकि जमीन अधिक पानी सोखेगी और इससे भूमिगत जलस्रोत भरे-पूरे रहेंगे। इससे जल-स्तर ऊंचा उठेगा और किसानों तथा ग्रामीण लोगों को न केवल सिंचाई के काम में सहायता मिलेगी बल्कि पेय-जल भी सुलभ होगा। मेरा सुझाव है कि इसके निर्माणार्थ हर संभव कदम उठाये जाए तथा स्थायी प्रकृति के काम शुरू किए जाए। मैं माननीय मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन से भी अपील करता हूं कि एक केन्द्रीय दल हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में तुरन्त भेजा जाए। केन्द्रीय दल अभी तक आंध्र प्रदेश नहीं है। मुख्यमन्त्री जी ने अनन्तपुर जिले में बड़े भारी आश्वासन के साथ वायदा किया है कि सरकार कई सौ करोड़ की कोई योजना शुरू कर रही है। परन्तु कुछ करोड़ रुपयों का नियतन तक नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह केन्द्रीय दल तुरन्त भेजे तथा सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु तथा आंध्र प्रदेश के किसानों और जनता की सहायता करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को मदद पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये।

मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, हर वर्ष सूखे और बाढ़ पर चर्चा इस सदन में होती है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जब यहां सूखे या बाढ़ पर चर्चा न हो। 45 वर्ष की आजादी के बाद भी अभी भी हिन्दुस्तान की संसद में सूखे और बाढ़ के ऊपर चिन्ता व्यक्त की जाती है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारें इस मामले में बड़ी उदासीन रही हैं। उन्होंने इस स्थिति का कभी डटकर मुकाबला नहीं किया। वह इस पर हमेशा टैम्पोरेरी सोचती रही, कभी इसकी परमानेंट व्यवस्था कराने की कोशिश किसी भी सरकार ने नहीं की।

सभापति जी, जब चर्चा चल रही थी तो हमारे एक मित्र ने कहा कि बारिश आ गई है। मेरा कहना है कि वर्षा अगर हो गई है खेत तो सूख गये, फसल नहीं हुई, धान नहीं लगा। वर्षा से टुकड़ों में हो रही है। वह सब जगह नहीं हो रही है। कृषि का जितना उत्पादन होना चाहिए था, जितना धान का उत्पादन होना चाहिए था, उतना वह हुआ नहीं। यह जो आज की स्थिति है, यह टुकड़ों पर विचार करने से नहीं निपटेगी। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। हम इस पर विचार तो करते हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। बाढ़ और सूखे के नाम पर सहायता बांटते हैं। वह सहायता कितनी पीड़ितों तक पहुंचती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने किसी भाषण में कहा था कि हम यहां से 100 रुपये भेजते हैं। उसमें से 15 ही उन तक पहुंच पाते है बाकी के 85 बीच में चीजें ही बंट जाते हैं यानी कि 85 रुपये का गबन हो जाता है ऐसी जो हो रही हैं, कैसे काम चलेगा।

मुझे याद आ रहा है कि हजारों-लाखों साल पहले किसी व्यक्ति ने विचार किया था कि इस देश की खुशहाली के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे में राजा भगीरथ बड़े प्रयासों के साथ

हिमालय से गंगा लेकर आये। वह गंगा आज पूरे देश में जाती है मगर दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के 45 साल के बाद भी वह वह गंजा जो हिमालय से लाई गई थी उस गंगा का पानी आज तक खेतों में नहीं यह निकम्मी सरकार ले जा सकी है। गंगा का पानी समुद्र में चला जाता है, नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। परिणामस्वरूप जगह-जगह ट्यूबवैल लग रहे हैं। हर खेत में ट्यूबवैल लग रहे हैं। 50, 100, 200 गज की दूरी पर ट्यूबवैल लग रहे हैं। ट्यूबवैल लग जाने से और दूरी निश्चित नहीं होने से वाटर लैवल नीचे जा रहा है और पानी खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से पम्पसैट फेल हो गये हैं, बोरिंग फेल हो गई हैं। जमीन का पानी निकालने से वहां पानी खत्म होता जा रहा है। जहां 25 फुट वाटर लैवल था वह अब 50 फुट हो गया है और जहां 50 फुट था वहां 100 फुट हो गया है। यह पानी नीचे का जो खत्म होता जा रहा है इस पर हमें सोचना होगा। इस सूखे से बचने के लिए हम लोलों को कुछ विचार करना

6.00 म० प०

पड़ेगा और यह ऐसे नहीं होगा, टुकड़ों में विचार करने से सूखा खत्म नहीं होगा और स्थिति यह है कि हमारे केन्द्र सरकार के मन्त्री जी ने पिछली बार जब प्रश्न काल था, तो उन्होंने कह दिया कि जिन प्रदेशों ने कहा, उनको हमने कर दिया तो क्या मन्त्री जी किसी प्रदेश विशेष के मन्त्री बनते हैं ? क्या केन्द्र सरकार के मन्त्री नहीं हैं ? क्या केन्द्र सरकार के मन्त्री नहीं हैं, क्या पूरे हिन्दुस्तान के लिए मन्त्री नहीं बनते···

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्राल में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक्स विभाग तथा महासागर विकास विभाग (में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, सामान्यता 6 बजे सभा स्थकित होने की अपेक्षा की जाती है। मेरा सुझाव है कि यदि सभा कल मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् एक घंटे तक चर्चा जारी रखने पर सहमत हो, तो आज 6 बजे सभा को स्थगित किया जा सकता है।

सभापति महोदय : सभा का समय समाप्त हो गया है; माननीय सदस्य सभा की अगली बैठक में अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 28 जुलाई, 1992 को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 1992/6 श्रावण, 1914 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53.

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

ɘr Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
ıth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.